सप्तम माला, खंड 46, अंक 25, बुधवार, 28 मार्च, 1984/8 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 46 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 28 मार्च, 1984/8 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "समवेत हुए" के स्थान पर "समवेत हुई" पढ़िये।

पृष्ठ 1, पंक्ति 13, "श्री दिग्वजय सिंह" के स्थान पर "श्री दिग्विजय सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 18, नीचे से पंक्ति 6 के पहले "श्री शिवराम वी0पाटिल:" पढ़िये।

पृष्ठ 22, पंक्ति 9, "योजना मंत्री "श्री एस0वी0चव्हाण)" के स्थान पर "विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु उर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी0पाटिल)" पढ़िये।

पृष्ठ 22, नीचे से पंक्ति 4, पृष्ठ 23, पंक्ति 14, पृष्ठ 157, पंक्ति 16, पृष्ठ 223, पंक्ति 8 और पृष्ठ 226, पंक्ति 15, 19 व 26 "श्री इन्द्रजीत गुप्ता" के स्थान पर "श्री इंद्रजीत गुप्त" पढ़िये।

पृष्ठ 33, पंक्ति 8, "बिलंकर" के स्थान पर "ब्लिंकर" पढ़िये।

पृष्ठ 87, पंक्ति 5 और पृष्ठ 183, पंक्ति 14, "श्री होश रावत" के स्थान पर "श्री हरोश रावत" पढ़िये।

पृष्ठ 98, पंक्ति 8, "ककरपारा" के स्थान पर "ककरापार" पढ़िये।

पृष्ठ 155, पंक्ति 19, "श्री दिग्वजयो सिंह" के स्थान पर "श्री दिग्विजय सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 182, नीचे से पंक्ति 5, "उद्योग गिहोन" के स्थान पर "उद्योग विहोन" पढ़िये।

पृष्ठ 200, पंक्ति 20, "मन्लालय" के स्थान पर "मंत्रालय" पढ़िये।

पृष्ठ 210, पंक्ति 12, "टूसल" के स्थान पर "टूल्स" पढ़िये।

पृष्ठ 220, नीचे से पंक्ति 4, "श्री सुनोल मेत्रा" के स्थान पर "श्री सुनील मैत्रा" पढ़िये।

पृष्ठ 222, पंक्ति 7, "21·02म0म0" के स्थान पर 12·00 मध्याह्न" पढ़िये।

पृष्ठ 222, अंतिम पंक्ति, "एडजनेमेंट" के स्थान पर "एडजर्नमेंट" पढ़िये।

पृष्ठ 223, पंक्ति 3, "12 बजे म0प0" का लोप किया जाये।

पृष्ठ 225, पंक्ति 11, "अध्यक्ष महोदय: हम विचार करेंगे और कार्यवाही करेंगे।" को "डा0 सुब्रह्मण्यम स्वामी" को पंक्ति 13 और 14के पश्चात् पढ़िये।

पृष्ठ 225, पंक्ति 11, "डा0सुब्रसह्मनयम" के स्थान पर "डा0 सुब्रह्मण्यम" पढ़िये।

पृष्ठ 229, पंक्ति 24, "एल0टी0 8028/46" के स्थान पर "एल0टी0 8026/84" पढ़िये।

पृष्ठ 232, आखिरी पंक्ति, "ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल0टी0 8029/84" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 247, पंक्ति 22, "डा0सुब्रहम ·।" के स्थान पर "डा0सुब्रह्मण्यम" पढ़िये।

पृष्ठ 252, नीचे से पंक्ति 7, "प्रो0नरायणचंद पराशर" के स्थान पर "प्रो0 नारायण चंद पराशर" पढ़िये।

पृष्ठ 312, "5·50म0प0" के स्थान पर 5·00म0प0 "पढ़िये।

पृष्ठ 314, पंक्ति 3, "श्रीमतो विद्याघोष गोस्वामी (नद्वोप)" के स्थान पर "श्रीमतो विभाद्योष गोस्वामी (नवद्वोप) पढ़िये।

पृष्ठ 324, पंक्ति 2 के ऊपर बाईं ओर समय "6·01म0प0 "पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 25, बुधवार 28 मार्च, 1984/8 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्न के मौखिक उत्तर	1-23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 445, 447, 448, 452, 454, से 456, 459, 460 और 462	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24-227
तारांकित प्रश्न संख्या : 446, 449, 451, 453, 457, 458, 461 और 463 से 465	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5128 से 5132, 5134 से 5153, 5155 से 5171, 5173 से 5184, 5186 से 5215, 5217 से 5234, 5236, से 5277, 5279 से 5295 और 5297 से 5366,	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	228-232
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 72वां प्रतिवेदन-प्रस्तुत किया गया	232
लोक लेखा समिति	233-234
सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 184वां और 186वां प्रतिवेदन-प्रस्तुत किया गया	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	234-249
दिल्ली और चंडीगढ़ में मिलावटी खाद्य-पदार्थों और मसालों की कथित बिक्री	234
श्री हरीश रावत	234
श्री बी० शंकरानन्द	234-240
श्री हरिकेश बहादुर	240-244
श्री मनी राम बागड़ी	245-249

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

समितियों के लिए निर्वाचन 249-252

(एक) प्राक्कलन समिति 249-250

(दो) लोक लेखा समिति 250

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति 251

(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 251-252

नियम 377 के अधीन मामले 252-258

(एक) किसानों के सहायतार्थ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और नवीन वन अधिनियम में ढील दिया जाना

प्रो० नारायण चन्द पराशर 252-253

(दो) विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना 253
श्री चिन्तामणि जैना

(तीन) केरल में छोटे तथा मझोले बंदरगाहों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता
श्री वी० एस० विजयराघवन 253-254

(चार) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले गिरोह
श्री हरीश कुमार गंगवार 254

(पांच) बिहार में शिक्षित युवकों को ऋण दिये जाने में बैंकों द्वारा की जा रही अनियमितताएं 254-255

श्री रामावतार शास्त्री

(छः) बकिंघम एंड कारनाटक मिल्स, मद्रास का सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता 255

डा० ए० कलानिधि

(सात) बिरला मिल्स, दिल्ली का अधिग्रहण किये जाने की आवश्यकता 255-256
श्री सुशील भट्टाचार्य

(आठ) मध्यप्रदेश में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का विस्तार करने की आवश्यकता
श्री सत्यनारायण जटिया 256

(नौ) महाराष्ट्र में प्रस्तावित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थापित किये जाने की आवश्यकता
डा० सुब्रह्मयम स्वामी 256-257

(दस) विभिन्न पन-बिजली परियोजनाओं तथा बांधों के लिए धन की व्यवस्था करना
श्री हरीश रावत 257-258

(ग्यारह) उड़ीसा में जल की कमी को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को नलकूपों के लिए रिगों की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी 258

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

गृह मंत्रालय 259

श्री रवीन्द्र वर्मा 259-273

श्री एम० अरुणाचलम 273-277

श्री राम प्यारे पनिका 277-281

प्रो० सैफुद्दीन सोज 282-288

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या 288-302

श्री पी० एम० सुब्बा 302-303

श्री मंगल राम प्रेमी 303-307

श्रीमती विद्या चेन्नुपति 307-310

श्री पी० नामग्याल 310-315

श्री एन० ई० होरो 315-318

श्री रामस्वरूप राम 318-322

श्री मनोरंजन भक्त 322-324

लोक सभा

बुधवार, 28 मार्च 1984/8 चैत्र 1906 (शक)

लोक सभा 11.03 पर समवेत हुए।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

———

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

"पक्षी विहार"

*445. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या प्रधान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पक्षी विहारों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में अनेक पक्षी विहारों में सूखे कारण दूरस्थ देशों से पक्षी आकर्षित नहीं हो रहे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन विहारों में तालाबों और झीलों के विकास और सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में पक्षी वहां आने के लिए आकर्षित हों ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) क्या सूची सभा पटल पर रखी गई है।

(ख) जल स्रोतों में कमी के कारण स्थानीय सूखे की स्थिति में पक्षियों को प्रवासी वैकल्पिक आवास चुनने पड़ सकते हैं। तथापि, कुल संख्या में बहुत अधिक कमी नहीं पाई गई है।

(ग) अभयारण्यों की व्यवस्था का सीधा सम्बन्ध राज्य सरकारों से है जिन्हें वन्य पशुओं और पक्षियों के आवासों के संरक्षण और विकास हेतु उपयुक्त उपाय करने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए केन्द्र सरकार भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

सूची

क्र० सं०	नाम	कहां स्थित हैं
1.	नागार्जुन सागर श्रीसेलम अभयारण्य	गुन्तूर, प्रकाशम, कर्नूल, महबूब नगर, नालगोंडा गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश,

1	2	3
2.	कोल्लेरू वन्य प्राणी अभयारण्य	पश्चिम गोदावरी, आन्ध्र प्रदेश
3.	नीलापतु वन्य प्राणी अभयारण्य	नेल्लौर, आन्ध्र प्रदेश
4.	पुलीकट वन्य प्राणी अभयारण्य	नेल्लौर, आन्ध्र प्रदेश
5.	नारकोण्डम वन्य प्राणी अभयारण्य एन० ए०	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह
6.	उत्तरी प्रवालभिति वन्य प्राणी अभयारण्य एन० ए०	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह
7.	तोपचंची वन्य प्राणी अभयारण्य	धनबाद, बिहार
8.	सुखना गाम अभयारण्य	चन्डीगढ़
9.	नील सरोवर पक्षी अभयारण्य	अहमदाबाद व सुरेन्द्र नगर, गुजरात
10.	खिजारिया पक्षी अभयारण्य	जामनगर, गुजरात
11.	रत्नमहल पक्षी अभयारण्य	पंचमहल, गुजरात
12.	सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य	गुड़गाँव, हरियाणा
13.	गोविन्द सागर वन्य प्राणी अभयारण्य	विलास पुर, हिमाचल प्रदेश
14.	घाटप्रभा पक्षी अभयारण्य	बैलगांव कर्नाटक
15.	रेगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य	मैसूर, कर्नाटक
16.	आदि चुंचा नगिरी मयूर अभयारण्य	माण्ड्या, कर्नाटक
17.	इडुकी वन्य प्राणी अभयारण्य	इडुकी, केरल
18.	थाटकाडु पक्षी अभयारण्य	एर्नाकुलम, केरल
19.	गांधी सागर वन्य प्राणी अभयारण्य	मन्दसौर, मध्य प्रदेश
20.	करेरा महान भारतीय सोहन पक्षी वन्य प्राणी अभयारण्य	शिवपुरी, मध्य प्रदेश
21.	घाटी गांव महान भारतीय सोहन पक्षी वन्य प्राणी अभयारण्य	ग्वालियर, मध्य प्रदेश
22.	करनाल पक्षी अभयारण्य	रायगढ़, महाराष्ट्र
23.	महान भारतीय सोहन पक्षी अभयारण्य	अहमद नगर और सोलपुर महाराष्ट्र
*24.	केवलदेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर, राजस्थान

*राष्ट्रीय पार्क

1	2	3
25.	जवाहर सागर, अभयारण्य	कोटा, राजस्थान
26.	वेदान्यंगल पक्षी अभयारण्य	चेंगलपत्तु, तमिलनाडु
27.	कारीकिली जल पक्षी शरण स्थल	चेंगलपत्तु, तमिलनाडु
28.	पुलीकाट जल पक्षी शरण स्थल	चेंगलपत्तु, तमिलनाडु
29.	प्वाइंट कैलीमेरे वन्य प्राणी व पक्षी अभयारण्य	तंजावर, तमिलनाडु

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : अध्यक्ष महोदय, हमें जो सूची दी गई है, मेरे विचार से वह अधूरी है, क्योंकि मुझे यह निश्चित रूप से पता है कि केवल मेरे ही जिले में दो पक्षी विहार हैं जहां सरकार की इस आशय की अधिसूचना लगी हुई है कि ये पक्षी विहार हैं। महोदय (ख) के सम्बन्ध में क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि प्रवासी पक्षियों के भारत में न आने के अन्य कारण क्या हैं ? सामान्यतया ये पक्षी किन देशों से आते हैं। इस पहलू का अध्ययन करने और वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिये क्या अनुसंधानात्मक अध्यन एवं उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री दिग्विजय सिंह : जहां तक जामनगर जिले का प्रश्न है, वहां खिजाडिया नाम एक स्थान है, जिसे पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। यदि वहां कोई अन्य क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र के बारे में राज्य सरकार ने संघ सरकार कोई सूचना नहीं दी है। जहां तक प्रश्न के अन्य भागों का सम्बन्ध है, पक्षियों के प्रवास के अन्य कारण भी होंगे, विशेषकर शीतकालीन प्रवासी पक्षी, जो जल स्थलों पर आते हैं, खासकर इस वर्षा जैसे वर्ष में जबकि पर्याप्त मात्रा में वर्षा हुई है, और अधिक बिखर जाते है क्योंकि जब-जब जल अधिक हो जाता है प्रवासी पक्षी बिखर जाते हैं। इसलिये इसके अन्य कारण भी हो सकते है। उदाहरण के लिये प्रवासी पक्षी साइबेरिया से आते है। वे अफगानिस्तान से गुजरते हैं। ऐसी रिपोर्टें आई है जिनके अनुसार वहां इनका शिकार किया जाता है। तिलोर 'मकरीन वस्टर्ड' जैसे वे पक्षी जो मध्य पूर्व से पाकिस्तान होकर भारत आते हैं, उनका पाकिस्तान में शिकार किया जा रहा है। इस प्रकार इसके अनेक कारण हैं।

जहां तक अनुसंधान कार्य का प्रश्न है, रूस और भारत के बीच प्रवासी पक्षियों के मार्गों का अध्ययन करने के लिये कम से कम रूस के साथ कोई करार करने की हमारी कोई योजना नहीं है।

श्री दौलत सिंह जी जदेजा : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या कानून से ही पक्षी विहारों तथा प्रवासी पक्षियों की रक्षा हो सकेगी क्योंकि जब तक स्थानीय जनता को शिक्षित नहीं किया जाता और वे वन्य जीवन और प्रवासी पक्षियों के परिरक्षण में रूचि नहीं लेगी, इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हमारे सम्पूर्ण देश में अवैतनिक वार्डनों को रखने की व्यवस्था है जो कि मेरे विचार से बहुत अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं। किन्तु उन्हें संरक्षण सहायता और मान्यता दिये जाने की आवश्यकता है। क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं

कि क्या इन अवैतनिक वार्डनों को, जो पक्षियों के प्रति प्रेम के कारण अपने इस कार्य को कर रहे है, राज्य सरकारों द्वारा उचित संरक्षण दिया जा रहा है और क्या राज्य सरकार को इस बात का पता है कि उन्हें ये शिकायतें आती रही हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जनता, विशेषकर स्थानीय जनता के सहयोग के बिना हम वन्य जीवन की रक्षा नहीं कर सकते और जहां तक अवैतनिक वार्डनों का प्रश्न है, मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक जिले में कम से कम एक वार्डन होगा। मुझे नहीं मालूम कि कई राज्य इस मामले में पिछड़े हुये हैं। उन्होंने अभी प्रत्येक जिले में ऐसे वार्डन घोषित अथवा नियमित नहीं किये है ; हम इस बारे में कार्रवाही कर रहे हैं और वन्य जीवन वार्डनों के लिये संशोधित नियमों में अवैतनिक वन्य जीवन वार्डनों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है, जैसे कि उन्हें इन क्षेत्रों में ले जाने के लिए वन विभाग द्वारा परिवहन सुविधायें दी जा चुकी है, किन्तु यह उनका अधिकार नहीं है। यह तो एक ऐसी सुविधा है जो वन विभाग को वार्डनों कों इन क्षेत्रों में लाने के लिये अवश्य देनी चाहिये ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सकें। मेरे विचार से कुल मिलाकर अपने प्रकृति-प्रेम के कारण ये वार्डन भली-भांति काम कर रहे हैं।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय यह एक हैरानी की बात है कि हमारे पुराणों में सर्वाधिक पवित्र और सबसे सुन्दर पक्षी हंस है जो कि भारत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। मैं राजहंस की बात कर रहा हूं ; मैं उन कलहंसों की बात नहीं कर रहा हूं जिन्हें हंस कहा जाता है, वस्तुतः राजहंस पक्षियों में सर्वाधिक सुन्दर पक्षी है। बीस वर्ष पूर्व मैं कोपेनहेगेन से राजहंसों का एक जोड़ा लाया था और उन्हें मैंने अपनी डल झील वाली काटेज में रखा था।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप डा० कर्ण सिंह एवं श्रीमती कर्ण सिंह का उल्लेख कर रहे हैं ?

डा० कर्ण सिंह : वह तीस साल पहले की बात है। वे वहां बहुत अच्छी तरह रहे। क्या कश्मीर में राजहंस-विहार तैयार करना संभव है क्योंकि यह बहुत सुन्दर होगा और यह पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का केन्द्र होगा। इसके लिए किसी एक झील को शायद मनसर को चुना जा सकता हैं, डल झील को नहीं क्योंकि इसमें बहुत नातायात है और आप कुछ राजहंसों को आयात कर सकते हैं और उन्हें वहां रख सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि वे यूरोप में सर्दियों में रह सकते हैं, तो वे यहां भी रह सकेंगे। यह हमारे वन्य जीवन में एक सुन्दर वृद्धि होगी। क्या माननीय मन्त्री महोदय मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री दिग्विजय सिंह : यह सुझाव निस्सन्देह विचारणीय है। किन्तु माननीय सदस्य, जिन्हें इस विषय का ज्ञान है, भी बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। यदि वे राजहंसों और अर्ध पालतू पशुओं पक्षियों को लाने का सुझाव दे रहे है, तो इसके लिये निश्चय ही वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि प्रकृति में····

श्री आर० आर० भोले : यह अर्ध पालतू क्या है ?

श्री दिग्विजय सिंह : वे प्रकृति में नहीं पाये जाते और हमें उन जीव जन्तुओं को संरक्षण देना होता है जो स्थानीय है और जिन्हें परिरक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

श्री ईरा अनबारासू : वेदान्तांगल पक्षी विहार मेरे चुनाव क्षेत्र चेन्गलपट्टू में है। पिछले साल भयंकर सूखा रहने के कारण झीलों में सारा पानी सूख गया और मैं समझता हूं कि देश के कई भागों तथा विदेशों से भी पक्षियों का झील में आना बन्द हो गया। क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है ? यदि हां, तो इसके जल स्तर को बनाये रखने के लिये क्या उपाय किये गये हैं जिससे कि तमिलनाडु में वेदान्तांगल पक्षी विहार की परिरक्षा की जा सके।

श्री दिग्विजय सिंह : अपने दौरे के दौरान मुझे यह देखकर खुशी हुई थी कि वहां आने वाले पक्षियों को बसेरे की सुविधा देने वाले वृक्षों की मुख्य जातियां, जिन्हें ब्रिग्डोनिया कहा जाता है, भली भांति सुरक्षित हैं। किन्तु सिंचाई के लिए यहां से पानी निकाले जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है, जो कि अनुचित है। सिंचाई के लिए किसी अभयारण्य से पानी लेना अनुचित है। मैं न केवल वेदान्तांगल में, बल्कि खासकर कोलेरू में जल स्तर को बनाये रखने के लिये राज्य सरकार के साथ कार्रवाई तथा समन्वय कर रहा हूं ताकि इस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए न किया जाये और मछलियों, पर्वतीय जीवों तथा पक्षिओं को अपने रहने के लिये पर्याप्त जल मिल सके।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब मैं अगले प्रश्न को शुरू करूं, तो व्यवधान पैदा करने की कोशिश न करें।

प्र० 446—अनुपस्थित

श्री मूलचन्द डागा : महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य अनुपस्थित हों, तो मैं क्या कर सकता हूं ? आप नियमों सम्बन्धी समिति में रह चुके हैं।

श्री मूल चन्द डागा : कभी-कभी जब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होता है, आप कृपया सदस्य की अनुपस्थिति में भी प्रश्न रखने की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता।

प्रश्न संख्या 447

औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों द्वारा लघु उद्योग लगाना

*** 447. श्री अमर राय प्रधान** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी कम्पनियों ने विशेष रियायतों का लाभ उठाने के लिए छोटे उद्योगों की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या लघु उद्योगों को बढ़ावा देने का सरकार उद्देश्य इस से विफल हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ) लघु उद्योग एककों के पंजीकरण के कार्य और उनकी मॉनिटरिंग का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । बहुत पहले 1968 में भारत सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिये थे कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए उपलब्ध विशेष सुविधाओं का लाभ उन छोटे एककों को न उठाने दिया जाए जो बड़े एककों के स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रणाधीन हैं ।

वास्तविक लघु उद्योग एककों के हितों की और अधिक रक्षा करने तथा इस संदर्भ में प्रक्रिया को और अधिक कसने की दृष्टि से 1980 में निदेश दिये गए थे कि जो लघु उद्योग एकक किसी मझोले अथवा बड़े उपक्रम के पूरक हैं, स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हैं, उन पर उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन सामान्य लाइसेंसीकरण प्रक्रिया ही लागू होगी और ऐसे एकक उद्योग निदेशालयों द्वारा पंजीकृत नहीं किये जाएंगे ।

बाद में, 1983 में राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई थी कि पहले से पंजीकृत एकक के मामले में यदि यह पाया जाए कि वह किसी मझोले अथवा बड़े उपक्रम का पूरक है, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन है तो उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया जाए ।

सरकार का ध्यान कुछ ऐसी रिपोर्टों की ओर भी आकर्षित किया गया है जिनके अनुसार कुछ बड़े उपक्रमों ने छोटे एकक राज्य उद्योग निदेशालयों में पंजीकृत करवाए हैं । तदनुसार, राज्य सरकारों से एक बार फिर कहा गया है कि वे उन सभी लघु एककों को अपंजीकृत कर दें जो केन्द्र द्वारा समय-समय पर दिये गए निदेशों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के विपरीत पंजीकृत कर लिये गए हों ।

श्री अमर राय प्रधान : यह एक टालमटोल पूर्ण उत्तर है ।

अध्यक्ष महोदय : आप हमेशा शिकायत करते रहते हैं ; आप कभी सन्तुष्ट नहीं होते । शायद यह आपकी आदत बन चुकी है ।

श्री अमर राय प्रधान : कृपया मेरे प्रश्न का भाग (क) देखिये "क्या बहुत से विशाल औद्योगिक घरानों और विदेशी कम्पनियों ने विशेष लाभों का फायदा उठाने के लिए लघु उद्योग

एकक स्थापित किये हुये हैं" और इसका उत्तर क्या है ? यह एक टालमटोल पूर्ण उत्तर है। केवल विवरण के अन्तिम भाग में इस आशय की कुछ रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है अब बहुत से औद्योगिक घराने एकाधिकारिक एवं प्रतिबन्धित व्यापारिक पद्धतियों तथा "फेरा" समूह की कम्पनियाँ लघु उद्योग क्षेत्र में लगी हुई है। मैं उनकी कठिनाइयों को जानता हूं। वे लघु उद्योग क्षेत्र को बहुत चाहते है और इसके बारे में बहुत बोलते है, किन्तु काम बड़े औद्योगिक घरानो एकाधिकारिक एवं प्रतिबन्धित व्यापारिक पद्धतियों तथा "फेरा" समूह की कम्पनियों के लिये करते हैं। हम लघु उद्योग क्षेत्र के कार्यों और भूमिका के बारे में जानते हैं और हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते देश में लगभग छः लाख उद्योग एकक हैं और यह खेद की बात है कि इन छः लाख लघु उद्योग एककों में लगभग सत्तर हजार रुग्ण एकक हैं और आप कहते हैं कि यह राज्य सरकार का विषय है; आप केवल व्यक्तव्य दे रहे है विभिन्न परिपत्र जारी कर रहे है ऐसा नहीं होना चाहिये।

लघु उद्योग क्षेत्र की कठिनाइयां क्या हैं ? इसके मुख्य कारण है कम उत्पादन, वित्तीय कठिनाइयां और प्रबन्धकीय कमियां। क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या सदुपाय किये हैं ? देश के विभिन्न कोनों में पहले ही यह धारणा बन चुकी है कि यह कहा जायेगा कि यह सन्देह पैदा हो चुका है कि सरकार को आर० डी० आर० अधिनियम को देखे बिना लघु उद्योग एककों के लिये मदें आरक्षित करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पट्टाभिराम राव : नहीं श्रीमान। भारत सरकार ने कभी कोई लाइसेंस नहीं दिया है। सरकार का कोई लाइसेंस देने का इरादा नहीं है। वस्तुतः राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति दी होगी। यदि यह बात भारत सरकार के ध्यान में आई है, तो मैं नहीं जानता कि कब आई है। हमने राज्य सरकारों को लिखा है कि वे आवश्यक रूप से उनके लाइसेंस वापस ले लें।

श्री अमर राय प्रधान : क्या सरकार को यह सूचना मिली है कि बड़े औद्योगिक घराने और एकाधिकारिक एवं प्रतिबन्धित व्यापारिक पद्धतियां और "फेरा" समूह लघु उद्योग क्षेत्र में संलग्न हैं ?

श्री पट्टाभिराम राव : हमें कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री अमर राय प्रधान : मुझे माननीय मन्त्री जी के इस उत्तर से हैरान हूं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किस प्रकार औषधियों के कार्य में लगी हुई हैं। 1975 में हाथी समिति द्वारा निकाले गये निष्कर्षों के अनुसार विदेशी सामान्य पूंजी वाले 66 मेषज एककों में से 15 लघु उद्योगों के रूप में पंजीकृत हैं। समिति द्वारा विशेष रूप से यह सिफारिश की गई थी कि विदेशी कम्पनियों के लिये लघु उद्योग क्षेत्र निषिद्ध होगा। इस सम्बन्ध में अब तक सरकार ने क्या सकारात्मक कदम उठाये हैं ? मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या "फैरा" कम्पनियों को लघु उद्योग क्षेत्र से हटाने के लिये कोई कानून बनाया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये।

श्री अमर राय प्रधान : मैं माननीय मन्त्री जी से यह स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इन "फेरा" ग्रुप और एम० आर० टी० पी० ग्रुप के लोगों को लघु क्षेत्र से अलग करने के लिए कोई सक्रिय कदम उठाये है। क्या आप "फेरा" कम्पनियों पर "पुश-बैक" विधि लागू करेंगे जैसी कि विदेशी राष्ट्रिकों पर लागू होती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह प्रश्न पहला उत्तर सुनने के बाद उठा है ?

श्री अमर राय प्रधान : जी हां, यह हाथी समिति की रिपोर्ट है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इन्कार किया है कि "यह कैसे हो सकता है ? क्या आपका प्रश्न इसमें से ही उठा है ? यह तो सामान्य ज्ञान की बात है। मन्त्री महोदय, यदि आपके पास कोई उत्तर है आप दे सकते हैं। इसका उत्तर देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यह साधारण ज्ञान का प्रश्न है। आप मुझे बीच में न टोकें। अब श्री राम स्वरूप राम (व्यवधान)

श्री राम स्वरूप राम : अध्यक्ष महोदय, स्माल स्केल यूनिट को बढ़ाने के लिए हमारी घोषित नीति इण्डस्ट्रियल पालिसी में है और सरकार ने तीन-तीन बार इंस्ट्रक्शन्स भी दिए हैं। 1968 में दिए, 1980 में दिए और 1983 में इंस्ट्रक्शन्स दिए कि स्माल स्केल यूनिट्स में जो मैटीरियल प्रोड्यूस किया जाता है वह बिग हाउसेज द्वारा प्रोड्यूस नहीं किया जायेगा। इन इंस्ट्रक्शन्स के बावजूद बिग हाउसेज दिन प्रति दिन इस तरफ अपना हाथ बढ़ाते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए टाटा द्वारा एग्रीकल्चरल इक्वीपमेन्ट्स, फावड़ा इत्यादि बनाए जाते हैं जोकि छोटे-छोटे उद्योगों द्वारा बनाए जाने चाहिए। बिग हाउसेज का इन्टरवेन्शन होने की वजह से गांवों में जो छोटे-छोटे ब्लैकस्मिथ हैं या जो छोटी-छोटी यूनिट्स है वह समाप्त हो रहे हैं। मैं मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या सरकार कोई कड़े निर्देश लागू करने जा रही है जिससे कि बिग हाउसेज का हाथ इसमें कम रहे ?

श्री पट्टाभिराम राव : जैसा कि इन रिपोर्टों से हमें पता चला है, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को उन उद्योगों के लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा है "जो हमारे ध्यान में लाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय का कहना है कि उन्होंने राज्य सरकारों को इस मामले की जांच करने के लिए लिखा है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह सच नहीं है कि प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा को और अधिक बढ़ा दिया गया है, ताकि औद्योगिक यूनिटें लघु क्षेत्र में आ जायें ? क्या यह भी सच नहीं है कि सीमा में संशोधन आय से निधियों के उपयोग से और उस प्रकार के अन्य पहलुओं से सम्बन्धित नहीं है ? क्या आप इसे तथ्यों के आधार पर बता सकते हैं कि वे कम्पनियां भी जो अन्य उपक्रमों का एक अंग, जिनकी कि वास्तव में आय करोड़ों रु० है, वे भी लघु क्षेत्र की इकाइयो के रूप में पात्र हो गई है, वास्तव में ये वे सभी लाभ और रियायतें ले रही हैं जो कि लघु क्षेत्र की इकाइयों को मिलनी चाहिए ? यदि यह सच है, तो क्या आप इस मामले की जांच करेंगे।

और संशोधन के लिए आवश्यक सलाह देंगे ताकि लघु क्षेत्र पात्रता की सम्बन्धी शर्तों का बड़े उद्योगों द्वारा, जिनकी आय करोड़ों रु० है, दुरुपयोग न हो।

श्री पट्टाभिराम राव : हम निश्चय ही न केवल इस मामले की जांच करेंगे बल्कि लघु क्षेत्र के हितों की सुरक्षा के लिए हम कानून भी बना रहे हैं, और इस से सम्बन्धित विधेयक का इस समय प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है। क्या यह सच नहीं है कि संगत आय की ओर ध्यान दिए बिना संयन्त्र और मशीनरी में निवेश की अधिकतम सीमा में संशोधन कर दिया है ? मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें आप पायेंगे कि शेपको इण्डिया बीयरिंग कम्पनी लिमिटेड (1980) का पण्यावर्त 8 करोड़ रु० है, एक अन्य कम्पनी का पण्यावर्त 5 करोड़ रु० है। इसी प्रकार अन्य कम्पनियां जिनका पण्यावर्त 8 करोड़ रु०, 6 करोड़ रु०, 5 करोड़ रु० है और वे सब लघु क्षेत्र की इकाइयां कहलाती हैं और वे सभी लाभ उठा रहीं है। क्या यह आपके ध्यान में लाया गया है ? यदि नहीं, तो कृपया "कारपोरेट स्टडीज ग्रुप रिपोर्ट", भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, पृष्ठ 23 को पढ़े और इस मामले में कुछ करने का प्रयास करें। कृपया इसकी पुष्टि करें।

श्री पट्टाभिराम राव : मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है। सरकार न केवल इस ओर देख रही है बल्कि अन्य बातों के अलावा जो माननीय सदस्य ने बतायी हैं, सरकार ने हाल ही में एक समिति गठित की है जिसके अध्यक्ष अपर सचिव, उद्योग हैं और एक सदस्य वित्त मंत्रालय से और दूसरा कम्पनी कार्य विभाग से तथा एक विकास आयुक्त हैं जो इन सभी पहलुओं पर विचार करके रिपोर्ट देगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक दिन मैंने इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था और उत्तर में उद्योग मंत्री ने पुष्टि की थी कि निवेश के लिए यह सीमा 2 करोड़ रु० निर्धारित की गई हैं। तब भी यह लघु क्षेत्र के लिए काफी अधिक है। प्रो० मधु दण्डवते ने कुछ प्रतिष्ठानों के उदाहरण बताये है जिन्होंने 5 करोड़ रु०, 8 करोड़ रु० निवेश किए है और अभी भी पंजीकृत किए जा रहे हैं ... (व्यवधान) उन्होंने अभी-अभी बताया है कि राज्य सरकारों को पंजीकृत इकाइयों की सूची की समीक्षा करने के अनुदेश दिए जा रहे हैं और उनका पंजीकरण समाप्त करने अथवा लाइसेंस रद्द करने को कहा गया है जो कि बड़े व्यापारिक घरानों और "फेरा" कम्पनियो की सहायक अथवा अनुसंगी अथवा बेनामीदार के रूप में कार्य कर रही हैं। लोक प्रशासन संस्थान की इस रिपोर्ट में, जो कि हाल ही में प्रकाशित की गई है, कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। उसमें काफी संख्या में सुदृढ़, विशिष्ट और ऐसे प्रतिष्ठानो के नामों सहित उदाहरण दिए गए हैं। क्या वे उन पर सीधे ही तत्काल कार्यवाही करेंगे न कि राज्य सरकारों को परिपत्र भेज कर, और यदि इनकी पुष्टि हो जाये तो क्या इन लोगों को, जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, दण्ड दिया जायेगा और प्रतिष्ठानों का पंजीकृत रद्द कर दिया जाये ?

श्री पट्टाभिराम राव : यह रिपोर्ट फरवरी महीने में ही प्रस्तुत की गई है। अब मार्च महीना है। इस रिपोर्ट को अभी मुश्किल से ही एक महीना हुआ है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद तथा अन्य रिपोर्टों के बारे में सुनने के बाद सरकार ने इस पूरे प्रश्न पर अध्ययन करने हेतु एक समिति नियुक्त कर दी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : समिति, जो कि नियुक्त की जा रही है—क्या उस समिति को इन विशिष्ट मामलों की जांच करने का भी निदेश दिया गया है जिनका कि मैंने इस रिपोर्ट में से उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं इन्हें जांच के अन्तर्गत शामिल कर लिया जायेगा; वे इन सभी मामलों को देखेंगे।

श्री पट्टाभिराम राव : वे सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे, न केवल रिपोर्ट के बारे में ही अन्य बातें जिनका उल्लेख किया गया है और जो कुछ हम सुन रहे है, यद्यपि किसी ने हमें लिखा नहीं है। वे इन सब पर विचार करेंगे यह अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि हर पहलू पर विचार किया जायेगा।

श्री पट्टाभि राम राव : इसका प्रकाशन केवल फरवरी में ही हुआ है और अब हम मार्च महीने में हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : एक रिपोर्ट को पढ़ने में केवल दो घण्टे लगते है। ये लोग कोई काम नहीं करते।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया यह सोचना करें कि रिपोर्ट पढ़ने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू (नगरकुरनूल) : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी घटना भारत सरकार अथवा उद्योग मन्त्री के ध्यान में आयी है कि कुछ लोगों ने केवल केन्द्रीय राजसहायता प्राप्त करने के लिए ही लाइसेंस प्राप्त किया और बाद में उद्योग को समाप्त कर दिया ? यदि हां, तो उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ? हाल ही में समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि आन्ध्र प्रदेश में पत्तनचेड और शादनगर में कुछ उद्योग पंजीकृत किए गए हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। आप एक नए प्रश्न की सूचना दें और तब वे उत्तर देंगे।

श्री अनन्त रामुलु मल्लू : मैं ऐसा ही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजय कुमार यादव।

बजाज स्कूटरों की गुणवत्ता में गिरावट

*448. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बजाज स्कूटर की गुणवत्ता गिर गई है और इंजन के अलावा स्कूटर की बाडी भी स्टील आदि की खराब किस्म के कारण जल्दी क्षत विक्षत हो जाती है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसकी खरीद के कुछ दिनों में ही इसके मालिकों को इसकी वेल्डिंग और मरम्मत करानी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट मांगी गई है अथवा इसकी गुणवत्ता की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) (क) सरकार को हाल ही में इस प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) निर्माताओं के अनुसार उनको जुलाई, 1983-जनवरी, 1984 की अवधि में बेचे गए स्कूटरों में से केवल 0.07 प्रतिशत स्कूटरों में वेल्डिंग में खराबी होने के बारे में शिकायतें मिली हैं ।

(ग) इस बात को देखते हुए कि शिकायतों का अनुपात बहुत कम है, जांच करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह नहीं था कि हाल में कोई रिपोर्ट मिली है या नहीं । मैंने टाइम की कोई सीमा इस में नहीं दी थी और जवाब से ऐसा जाहिर होता है कि अभी हाल ही में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है लेकिन इस से पहले सरकार को इस तरह की कोई रिपोर्ट मिली होगी ।

दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा है कि केवल 0.7 प्रतिशत स्कूटरों में खराबी पाई गई है । देखने में यह बहुत कम दिखाई देता है लेकिन अगर हिसाब लगाया जाता तो एक लाख स्कूटर जो बिकेगा, उस में 750 स्कूटर आते है, जिन में खराबी पाई जा सकती है । इस के अलावा सभी लोगों जिन्होंने स्कूटर खरीदा है, के लिए पासीबिल नहीं है कि इन्फार्म करें । अध्यक्ष महोदय, जो टाइम इन्होंने दिया है जुलाई 1984 से जनवरी 1984 तक का, उस की एक इन्सटान्स मैं आप को देना चाहत हूं । श्री कल्याण राय, एम० पी ने एक स्कूटर 13-8-82 को खरीदा था और 8 महीने बाद जब उस को सर्विसिंग के लिए दिया गया, तो सीट के नीचे क्रेक पाया गया और बोडी क्रेक

पाया गया, मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादात में बजाज स्कूटर की खपत होती है, क्या सरकार के पास कोई ऐसी मशीनरी है, जिसके जरिये इस का क्वालिटी कन्ट्रोल होता है और देखभाल होती है और तब उस को बाहर निकालने का और बेचने का सर्टीफिकेट दिया जाता है। ऐसी कोई मशीनरी है या नहीं ? यदि ऐसी कोई मशीनरी है, वह क्या कर रही है और अगर नहीं है, तो सरकार इस तरह की कोई मशीनरी बनाना चाहती है या नहीं जिस से उपभोक्ताओं को, खरीदारों को क्वालिटी के मुताबिक स्कूटर मिल सकें और जो लाखों-लाखरुपये का नाजायज मुनाफा कमाया जाता है, उस को रोका जा सके ?

श्री पट्टाभिराम राव: यदि सरकार के पास कोई रिपोर्ट आती है, अथवा सरकार को शिकायत की जाती है तब निश्चय ही सरकार कार्यवाही करेगी। अभी तक सरकार को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायतें निर्माताओं को की जाती हैं और उनका प्रतिशत भी केवल 0.07 है। यह तो स्थिति है। वास्तव में, जब स्कूटर बेचा जाता है तब एक फार्म दिया जाता है कि यदि कोई शिकायत हो तो तकनीकी विधान महानिदेशक को रिपोर्ट करें। किसी भी क्रेता द्वारा अभी शिकायत नहीं की गई है।

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी जवाब में यह कहा गया है कि सरकार को कुछ शिकायतें मिली हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार को इस सिलसिले में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? जिन लोगों के स्कूटर खराब पाये गये हैं, उनको कम्पेनसेशन देने की सरकार क्या कोई व्यवस्था करना चाहती है ?

श्री पट्टाभिराम राव : सरकार इस तस्वीर में कैसे आती है ? यदि कुछ है तो क्षतिपूर्ति निर्माता को देनी है। वे कमियों के बारे में सरकार को सूचित ही नहीं करते हैं। अतः सरकार बीच में कहां से आ गई ? जिस व्यक्ति ने स्कूटर खरीदा है, उसने कभी सरकार को शिकायत नहीं की।

तमिलनाडु में दूसरा परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करना

*452. **श्री ईरा मोहन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में विभाग के स्थल इंजीनियरों ने दूसरा परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए किस स्थान का चयन किया है; और

(ख) इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए अभी कोई स्थल नहीं चुना गया है।

श्री ईरा मोहन : तमिलनाडु की 1980-85 के लिए पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया है कि स्थल इंजीनियरों ने परमाणु ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए तिरुनेलवेली

जिले में कूडान्कुलम का चयन किया है । यदि यह ठीक नहीं है तो राज्य सरकार लोगों को राज्य की पंचवर्षीय योजना जैसे जन प्रल्लेखों में झूठे दावे क्यों करती है ? क्या माननीय प्रधान मंत्री तमिलनाडु के मुख्य मंत्री को पंचवर्षीय योजना प्रल्लेख में से इस भाग को हटाने के लिए कहेंगी ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुख्य मंत्री को वक्तव्य देने अथवा न देने के लिए कहना मेरा काम नहीं है । हम आशा करते हैं कि वक्तव्य तथ्यों के अनुरूप हो ।

श्री ईरा मोहन : यह विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कूंडोन्कुलम का चयन किया गया है । इसीलिए मैंने यह प्रश्न पूछा है ।

मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या प्रधान मंत्री को यह पता है कि तिरुनेलवेली जिले में तूतीकोरिन स्थान पर भारी जल संयंत्र विद्यमान है ? सम्भवत: कूडान्कुलम तूतीकोरिन के पास होने के कारण विभाग में किसी ने दूसरे परमाणु ऊर्जा केन्द्र का प्रस्ताव किया हो । वैसे भी, तमिलनाडु में बिजली की कमी को देखते हुए, क्या प्रधान मंत्री कूडांकुलम में दूसरे परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना पर विचार करेंगी ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : एक समिति का गठन किया गया है । वह समिति इन सब पहलुओं पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी । उस रिपोर्ट पर आयोग विचार करेगा और तब स्थान का चयन होगा । ठीक है, जिन सभी तथ्यों पर विचार किया जाना होता है, किया जाता है और किया भी जायेगा ।

डा० ए० कलानिधि : चूंकि मन्त्री ने कहा है कि परमाणु केन्द्र के लिए किसी स्थान का चयन नहीं किया गया हैं, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के दिमाग में तमिलनाडु में दूसरा परमाणु संयंत्र स्थापित करने का कोई इरादा भी है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैंने इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है । समिति गठित की गई है । समिति उन सभी प्रस्तावित स्थानों की जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी कि आयोग द्वारा कौन सा स्थान स्वीकार्य होगा । रिपोर्ट की समीक्षा के बाद ही निर्णय लिया जाता है । इस समय मेरे लिए यह कहना कठिन है कि ऐसा किया जायेगा कि नहीं ।

मिदनापुर और पुरुलिया में तांबा अयस्क के भण्डार

***454. श्री रेणु पद दास** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर और पुरुलिया जिलों में कुछ स्थानों पर किये गये सर्वेक्षण के दौरान तांबा अयस्क के भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने अयस्क भण्डार हैं; और

(ग) क्या वाणिज्यिक स्तर पर अयस्क निकालने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) पुरुलिया जिले में तमखुन के आस-पास लगभग 150,000 टन ताम्र अयस्क के लघु भंडार होने का पता चला है, जिसमें 1.85% ताम्र है। पुरुलिया और मिदनापुर जिले के कुछ अन्य स्थानों पर ताम्र खनिजीकरण के लघु भंडार हैं।

(ग) पुरुलिया और मिदनापुर जिलों में वर्तमान ताम्र अयस्क निक्षेप वाणिज्यिक महत्व के नहीं है।

श्री रेणुपद दास : भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा पश्चिम बंगाल के खान तथा खनिज निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार मिदनापुर और पूर्णिया के अलग-अलग स्थानों पर तांबे, निक्कल और सीसे के भण्डार मिले हैं और इन दो एजेंसियों का विचार है कि भण्डारों को सही मात्रा का अनुमान लगाने के लिए इस संबंध में और अन्वेषण करना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि भण्डारों की सही मात्रा तथा उसकी गुणवत्ता का अनुमान लगाने और उसका निर्धारण करने के लिए अत्याधुनिक उपस्करों से क्या एरोमेगनेटिक सर्वेक्षण या कोई अन्य सर्वेक्षण किया गया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : केन्द्रीय सरकार की एजेंसियां यह सर्वेक्षण कार्य कर रही हैं तथा जब हमारी यह धारणा बन जाएगी कि यह वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण है, निश्चित रूप से अन्वेषण किया जाएगा।

श्री रेणुपद दास : कुछ दिन पहले भारतीय भूगर्भ विज्ञान के प्रबंध मण्डल की बैठक हुई थी तथा उस बैठक में यह विचार व्यक्त किया गया कि भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा अन्य एजेंसियों के पास अनिवार्य उपकरण नहीं हैं इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या देश में अब देश में विद्यमान भू-वैज्ञानिक सुविधाएं अपेक्षित स्तर के अनुसार नहीं हैं जिसके परिणामस्वरूप भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की प्रयोगशालाओं में नकशा बनाने, ड्रिलिंग तथा अन्वेषण और अन्य अनुसंधान कार्य नहीं हो रहा और यदि यह सच है तो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के उपकरणों को आधुनिक बनाने के लिए अब तक उठाए गए कदम क्या हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : बेहतर अन्वेषण एयरोमेगनेटिक सर्वेक्षण के लिए एक एयरक्राफ्ट की खरीद की जा रही है। क्या माननीय मंत्री इतना ही जानना चाहते हैं ?

श्री रेणु पद दास : क्या सरकार उपकरणों का आधुनिकीकरण करना चाहेगी ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह ऐसा उपकरण है जिसके बारे में हमने सोचा कि हमारे पास इस उपकरण की कमी है और इसकी खरीद के लिए पहले ही कार्यवाही की जा रही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सर्वेक्षण के दौरान पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में सोना होने का पता चला है ? यह बात

समाचार पत्र में भी आई हैं ; यदि पश्चिम बंगाल में सोना मिला है तो उन्हें खुश होना चाहिए ; उनको भी हिस्सा मिलेगा ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस संबंध में मेरे पास सूचना नहीं है । परन्तु यदि विभाग के पास इस बारे में कोई सूचना उपलब्ध है तो मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी भेज दूंगा ।

समुद्र तल में खनिज सम्पदा की खोज के लिए अभियान

*455 **श्री मूल चन्द डागा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के तट पर समुद्रतल में खनिज सम्पदा की खोज के लिए किए गए अभियानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन अभियानों के परिणामों का विश्लेषण किया गया है; और

(ग) क्या खनिज सम्पदा के ऐसे स्रोतों का उपयोग करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण संसद के सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान, महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र की खनिज सम्पदा के सर्वेक्षण के लिए काफी प्रयास किये गए हैं । राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान द्वारा खनिजों के लिए शेल्फ क्षेत्र और उसके परे के क्षेत्रों में नियमित सर्वेक्षण किये जा रहे हैं । खनिज सर्वेक्षणों के लिए इस संस्थान द्वारा भारत द्वारा निर्मित एक अनुसंधान जलयान, "गवेषणी", दो किराये पर लिये गए जहाजों "एम० वी० सकेन्डी सर्वेयर" और "एम० वी० फरनेला" तथा हाल ही में प्राप्त किये गये परिष्कृत समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान "सागर कन्या" का उपयोग किया जा रहा है ।

सर्वेक्षण कार्य के परिणाम बहुत ही आशाप्रद हैं । भारत के सम्पूर्ण पश्चिमी महाद्वीपीय शेल्फ और पूर्वी महाद्वीपीय शेल्फ के लगभग एक-तिहाई भाग में सर्वेक्षण-कार्य पूरा हो चुका है जिससे क्षेत्र के भू-विज्ञान और भू-भौतिकी के संबंध में पता चला है । राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा कोंकण तट से दूर इल्मेनाइट भण्डारों (प्लेसर्स) का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है । रत्नागिरि तट से स्थित तलछटियों में इल्मेनाइट के प्लेसर भण्डारों जिनमें टिटेनियम (टिटेनियम डॉय-ऑक्साइड के रूप में) की पर्याप्त मात्रा अर्थात् 57% तक और बनाडियम की थोड़ी सी मात्रा अर्थात 0.5% तक का पता चला है । समुद्र-तल में रूटाइल, जिरकॉन, फोस्फोराइट और मोनाजाइट के अनेक भण्डारों और मेग्नेटाइट तथा गारनेट के भिन्न-भिन्न अनुपातों में मौजूद होने का भी पता लगा लिया गया है ।

समुद्री सम्पदा की गवेषणा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है और ऐसी आशा है कि अगले कुछ वर्षों में सम्पूर्ण महाद्वीपीय शेल्फ का सर्वेक्षण- कार्य पूर्ण हो जाएगा ।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बड़ी आशा बंधाई है, सब्ज बाग दिखाए गए हैं । आपने बताया है कि वेस्टर्न कोस्ट की सर्वेक्षण और गवेषणा कर ली गई है समुद्र की ओर पूरा एक्सप्लोरेशन कर दिया जाएगा । मुझे यह बताने का कष्ट करें कि कब तक आप एक्सप्लोरेशन समाप्त कर देंगे और क्या-क्या समुद्र से निकलेगा । उसकी कीमत क्या होगी ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय पश्चिमी समुद्री किनारे पर सर्वेक्षण का काम हुआ है और पूर्वी किनारे पर भी हमारा काम हुआ है । समुद्र तो आखिर समुद्र है, कई जगह तो आज तक भूमि का सर्वे भी नहीं हो सका है । हमारी यह कोशिश है कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी समुद्र की जो सम्पत्ति है, उसकी जानकारी प्राप्त करे, उसका उपयोग करें । समुद्र में से कोबाल्ट, निकल, इल्मेनाइट आदि बहुत सारी चीजें निकलती हैं । इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओशनोग्राफी और जियोलाजिकल सर्वे विभाग की तरफ से ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न हो रहे हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : हमारा समुद्र मंथन तो बहुत पुराना हो गया है । उस समय भी रत्न निकले थे और अमृत भी निकला था । 1981 में आपने यह घोषणा की थी कि हिन्दुस्तान के हिन्द महासागर में एक पट्टी हमें खनिज की मिल गई है । क्या आपके पास ऐसा कोई प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम तक वह धातु समुद्र से बाहर निकाल लिए जायेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : समुद्र का जो कानून बना है उसमें टैरीटोरीयल वाटर, इकानोमिक जौन और ओपन-सी आता है । टैरीटोरीयल वाटर में पूरी तरह से हमारी सोवरेन्टी रहती है । इकानोमिक जोन में जो कुछ भी मिलता हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं । ओपन-सी के उपयोग के बारे में यूनाइटेड नेशन की तरफ से कन्वेन्शन बनाकर कानून बनाए जा रहे हैं । यदि हम लोगों को पता चलता है कि कुछ जगह पर धातु मिल रहे हैं तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन को एप्लीकेशन देनी पड़ती है । तब उस जगह से नोड्यूल्स निकालकर उसका उपयोग करते हैं । नोड्यूल्स निकालने की टैक्नोलाजी अभी संसार में पूरी तरह से बनी नहीं है । सिर्फ हिन्दुस्तान की ही बात नहीं कर रहा हूं । लेबोरेटरी स्केल पर टैक्नोलाजी है, इन्डस्ट्रीयल स्केल पर नही है । हमारे वैज्ञानिकों ने समुद्र में जाकर नोड्यूल्स निकाले हैं । उसमें से मैटल भी निकाला गया और उसका मैडेलियन बनाकर प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेजेन्ट किया है कैपेसिटी बताने के लिए । इस प्रक्रिया के लिए संसार में बहुत काम करना पड़ेगा और हम भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं ।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया कि हमारे समुद्र-क्षेत्र के एक-तिहाई भाग का ही सर्वेक्षण किया गया है । माननीय सदस्य द्वारा बनाई गई विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण में किन-किन धातुओं का पता चला है तथा उनकी कितनी मात्रा है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल । जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमारे कोकन, केरल के कांटिनेंटल शेल्फ तथा उड़ीसा के तट के निकट इलमेनाइट, रूटाइल और ऐसी ही दुर्लभ धातुऐं मिली हैं । यह अनुमान लगाना जोखिम भरा कार्य है कि समुद्र में इनकी कितनी मात्रा है ।

स्कूलों के लिए माइक्रो कम्प्यूटरों का आयात

*456. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री विगम्बर सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक्स विभाग का विचार प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत स्कूलों के लिए बड़े पैमाने पर माइक्रो कम्प्यूटरों का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रानिक्स विभाग का विचार कितने माइक्रो कम्प्यूटरों का आयात करने का है;

(ग) इन माइक्रो कम्प्यूटरों का आयात किस वर्ष तक किए जाने जाने का विचार है;

(घ) इस परियोजना की लागत कितनी है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने वर्ष 1984-85 में 250 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता/शिक्षा शुरू करने की एक प्रायोगिक परियोजना तैयार की है । इस प्रायोगिक परियोजना के लिए सर्वथा उपयुक्त कम्प्यूटर प्रणाली के चयन के उद्देश्य से विभिन्न प्रणालियों स्वदेशी तथा विदेशी- का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेषज्ञ-समिति गठित की गई है ।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) स्कूलों में चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटर साक्षरता/शिक्षा शुरू के संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाई है :—

(i) कम्प्यूटर तथा उनके प्रयोग के संबंध में छात्रों को विस्तृत ज्ञान उपलब्ध कराना ।

(ii) छात्रों को स्वयं का अनुभव उपलब्ध कराना ।

(iii) मानवीय कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में कम्प्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों तथा नियत्रण एवं सूचना संसाधन के माध्यम के रूप में कम्प्यूटर की क्षमता से छात्रों को परिचित कराना ।

(iv) कम्प्यूटर के संबंध में लोगों के मन में बसी विचित्र धारणाओं को दूर करना तथा कम्प्यूटर की प्रक्रियाओं के साथ अधिकाधिक परिचय प्राप्त करना तथा उन्हें अधिक बोधगम्य बनाना ताकि जिस वातावरण में छात्र रहते हैं, उनके अनुकूल अनुप्रयोगों का पता लगाने तथा उन्हें विकसित करने में उनकी व्यक्तिगत सर्जनात्मक शक्ति को बढ़ावा देने में सहयोग मिले ।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्प्यूटर-विज्ञान के सिद्धांतों का प्रशिक्षण देने के बजाए हस्त-कौशल की दक्षता पर अधिक जोर दिया जाएगा ।

आरम्भत: वर्ष 1984-1985 में लगभग 250 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता/शिक्षा शुरू करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है । इस प्रायोगिक परियोजना में भौगोलिक वितरण की दृष्टि से अधिकाधिक क्षेत्रों को इसकी परिधि में शामिल करने का प्रयास किए जाएंगे । स्कूलों का चुनाव इस प्रकार किया जाएगा कि विभिन्न प्रकार के स्कूल, जिसमें केन्द्रीय, स्थानीय सरकारी तथा निजी स्कूल शामिल हैं, इस परियोजना के अन्तर्गत आ जाएं, क्योंकि ये स्कूल हमारे देश के माध्यमिक स्कूलों की समूची संख्या का एक प्रतिनिधिमूलक नमूना है ।

वर्ष 1990 तक 2,50,000 स्कूलों को इसकी परिधि में लाने के लक्ष्य पर विचार किया जा रहा है लेकिन सातवीं योजना (1985-1989) के दौरान इसकी वास्तविक परिधि किस सीमा तक होगी, इसके संबंध में निर्णय प्रायोगिक परियोजना में शामिल पाठों का मूल्यांकन करने तथा अन्य संगत मामलों पर विचार करने के उपरांत लिया जाएगा ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने प्रायोगिक परियोजना शुरू करने के लिए कदम उठाए हैं जिसके अंतर्गत स्कूलों में माइक्रो कम्प्यूटर लगाए जाने हैं । क्या में माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकती हूं कि इन माइक्रो कम्प्यूटरों का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रस्तावित उठाए जाने वाले कदम क्या हैं ?

हम यह प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहे हैं और इसे उन संगठनों को दे रहे हैं जो इनका निर्माण करेंगे । पंजाब में एस० सी० एल० द्वारा माइक्रो-कम्प्यूटरों का निर्माण करने की सम्भावना है और हम अन्य कम्प्यूटर निर्माताओं कम्प्यूटरों का निर्माण करने और उन्हें हमें उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं ।

श्रीमती जयन्ती पटनायक : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान 5 मार्च, 1984 के बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित प्रैस रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें यह बताया गया है कि

विभाग के सचिव ने कहा है कि ये कम्प्यूटर ब्रिटिश फर्म बी० बी० सी० माइक्रो कम्प्यूटर से आयातित किए जायेंगे। यद्यपि उन्होंने फार्म का नाम नहीं लिया तथापि उन्होंने कहा कि इनका आयात ब्रिटेन की फर्म से किए जाने की सम्भावना है जो कि निस्संदेह एक मात्र ऐसा देश है जिसने स्कूलों के लिए कम्प्यूटरों की व्यवस्था प्रभावकारी ढंग से बिछाया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर कुछ प्रकाश डालें।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस परियोजना में कुछ स्कूलों को शामिल किया गया है जिसमें केन्द्रीय, स्थानीय सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राज्यों के स्कूलों को इसमें शामिल करने के लिए मानदण्ड कैसे निर्धारित किया जाएगा। इस संबंध में मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस परियोजना में राज्य के स्कूलों को शामिल करते समय क्या राज्य के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाएगा। मैं यह बात इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि 1984-85 में इस परियोजना में केवल 250 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। इसलिए मैं यह बात विशेष रूप से जानना चाहती हूं कि कम से कम वर्ष 1984-85 के लिए यह मानदण्ड कैसे निर्धारित किया जायेगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, इस प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत, हमारा 250 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है। 1990 तक हमारा यह प्रस्ताव है कि इसके अंतर्गत दो लाख पचास हजार स्कूल लाये जायें। इसलिए, इस प्रयोगिक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए हमारे लिए एक योजना तैयार करना तथा इसके बाद इसके लिए यंत्र प्राप्त करना तथा ऐसे प्रशिक्षक रखना जरूरी हो गया है जो इस संबंध में हमारी सहायता कर सकें, अब, हम प्रारम्भिक अवस्था में अपने देश के कुछ स्कूलों के लिए माइक्रो-कम्प्यूटर प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद उस योजना को लागू करेंगे जोकि उन्होंने तैयार की है। वहां तैयार की गई कुछ योजनाओं के आधार पर हम अपनी योजनायें बनाएंगे और उनका क्रियान्वयन करेंगे।

स्कूलों के चयन के संबंध में हम जो मानदण्ड अपनाने जा रहे हैं उसमें यह देखना होगा कि यह प्रयोगिक परियोजना सफल हो। यदि यह प्रायोगिक परियोजना सफल नहीं होती तो इसका उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा और उस अवधारणा को क्रियान्वित करना मुश्किल होगा। इसलिए हम यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इस परियोजना में किस प्रकार के स्कूल हैं; क्या स्कूल ऐसी जगह पर हैं। जहां अनिवार्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। अन्य शब्दों में, यह देखने के लिए कि यह परियोजना सफल हो, इस परियोजना में भाग लेने के लिए स्कूलों के चयन संबंधी मानदण्ड शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रुप से बनाया गया है। स्कूलों का चयन करते समय इस मानदण्ड का अनुसरण किया जायेगा इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन से ऐसे स्कूलों की सूची भेजने के लिए कहा गया है जो चयन संबंधी निर्धारित शर्तें पूरी करते हैं। अतः मैं यह कहुंगा कि हमारी योजना का एक मुख्य आकर्षण यह देखना है कि यह प्रायोगिक परियोजना सफल हो।

प्रो० रूप चन्द पाल : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के इलैक्ट्रानिक्स विभाग ने एक अच्छा कम्प्यूटर मॉडल विकसित किया है। जिसक नाम 'विद्यासागर' है। यह दावा किया गया है कि जादवपुर विश्वविद्यालय के इलैक्ट्रानिक्स मॉडल विभाग द्वारा बनाया गया विद्यासागर मॉडल का विभिन्न शैक्षिक साक्षरता, अनुवाद और विभिन्न अन्य कर्मों में उपयोग की बहुत सम्भावनाएं हैं। यदि यह सच है तो, इस मॉडल को बिल्कुल सही बनाने के लिए सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहायता जिसमें वित्तीय सहायता भी शामिल है, प्रदान करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और क्या इस प्रायोगिक परियोजना के लिए चयन करते समय इस मॉडल पर भी विचार किया जायेगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल महोदय, विभाग की नीति उन संगठनों तथा संस्थानों को सहायता प्रदान करने की है जो इस प्रकार के सयंत्र का विकास करने के लिए आगे आते हैं और उन्हें सहायता देते रहे हैं।

जहां तक जादवपुर विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर को निर्माण करने या बनाने का संबंध है, मेरे पास इस बारे में कोई विशेष सूचना नहीं है, परन्तु मुझे विश्वास हैं कि यदि इसका उपयोग किया जा सकता है तो इस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जैसी कि अब स्थिती है, हम स्कूलों के लिए विशिष्ट योजना हेतु ऐसे कम्प्यूटर लेने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें विशिष्ट आदान सोफ्टवेयर और ये सब चीजें लगी हों ताकि हम छात्रों को कम्प्यूटरों का उपयोग करने की कला सिखा सकें और यह विभिन्न प्रकार के संचालक के लिए नहीं है। लेकिन पहले तो हम उन्हें कम्प्यूटर के इस्तेमाल की जानकारी देना चाहते हैं और इसके बाद हम उन्हें और प्रशिक्षण देना चाहते हैं ताकि वे इसका इस्तेमाल कर सकें। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या इस कम्प्यूटर का उपयोग इस प्रयोजन हेतु किया जा सकता है या नहीं, लेकिन इस पर विचार अवश्य किया जा सकता है।

श्री ए० ई० टी० बैरो : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये आयातित कंप्यूटर केवल रोमन लिपि में हैं तथा लाखों विद्यालयों में न तो अध्यापक हैं, न ही ब्लैकबोर्ड—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कई वर्षों से लाखों विद्यालय बिना अध्यापक तथा ब्लैकबोर्ड के चल रहे हैं तथा पढ़ाई-लिखाई तो कहने-सुनने की बात रह गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे प्राथमिकता देने पर ध्यान दिया जाएगा। मुझे खुशी है कि प्रधान मन्त्री यहां मौजूद हैं तथा खासतौर पर जब तक ये मंगाए गए कंप्यूटर रोमन लिपि के रहेंगे इससे कोई काम नहीं चलेगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, यह ठीक है कि इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर रोमन लिपि के होंगे परन्तु हम केवल रोमन लिपि तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम समय आने पर यदि संभव हुआ तो हिन्दी भाषा तथा अन्य भाषाओं में भी कंप्यूटर बनाने पर विचार कर रहे हैं माननीय सदस्य ने जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है वह यह है कि क्या हमें इस अवस्था में

कंप्यूटर रखने चाहिए अथवा नहीं। सरकार इस बात से अवगत है कि इसमें हमारे दो तरह के हित निहित हैं—पहला अपने नौजवानों को उस स्तर पर ले जाना जहां वे विदेशों के छात्रों से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें तथा दूसरे देश के सभी युवकों तथा युवतियों को शिक्षा प्रदान करना। यदि हम उन्हें कंप्यूटरों के प्रयोग संबंधी अनुदेश नहीं देंगे तो वे विदेशों से आने वाले छात्रों से पिछड़ जाएंगे। साथ ही हम यह भली भांति जानते हैं कि हमें उन सब लड़कों तथा लड़कियों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी जो कि विद्यालय जा सकते हैं। हमारी नीति इन दोनों हितों की पूर्ति को सुनिश्चित करने की होगी तथा हम इस संतुलित ढंग से करना चाहेंगे ताकि विश्व के लोगों से प्रतिस्पर्द्धा करने की हमारी क्षमता पर इसका असर न पड़े तथा सामाजिक लाभ किया जा सके तथा उन्हें अन्य सुविधाए प्रदान की जा सके। यह बड़ा मुश्किल सवाल बन गया है, परन्तु हम यथा संभव इसका समाधान करना चाहते हैं।

इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा किया गया निर्यात

*459. **श्री एन० डेनिस :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड ने कन्याकुमारी जिले में मानवलाकुरूचि से निकाले गए उपोत्पादों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : जी, हां। कुछ खनिजों के मामले में, घरेलू मांग को पूरा करने के बाद बची मात्रा निर्यात की जा रही है।

श्री एन० डेनिस : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेयर अर्थ खनिजों की मात्रा तथा देश में तैयार माल का विनिर्माण करने के लिए अगले कदम के रूप में कन्याकुमारी जिले में एक नया कारखाना स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव, सरकार के विचाराधीन है ताकि इन उत्पादों तथा तैयार माल के निर्यात को बढ़ाया जा सके ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : इस क्षेत्र में एक कारखाना स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुमति प्रदान की गई है।

श्री एन० डेनिस : डी० एम० आर० एल० हैदराबाद की रिपोर्ट के अनुसार मात्रा की दृष्टि से तमिलनाडु में कन्याकुमारी जिले में इल्मेनाइट का सबसे बड़ा भंडार 570 लाख टन है। केरल तथा उड़ीसा में प्रत्येक में यह मात्रा 330 लाख टन है। केरल तथा उड़ीसा में टिटेनियम डाइ आक्साइड कैमिकल प्रोसेसिंग यूनिट पहले ही स्थापित हो चुकी हैं। मानवलाकुरूचि में एक टिटेनियम धातु कारखाना स्थापित करने की बड़ी गुंजाइश है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि माननीय मन्त्री औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले कन्याकुमारी में इस प्रस्तावित टिटेनियम धातु कारखाने को स्थापित करने पर विचार करेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : टिटेनियम की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है तथा

हमारे पास मिडामी तथा अन्य कारखाने हैं जो कि हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। इस स्थिति में, यह कहना कठिन है कि यह कारखाना स्थापित होगा अथवा नहीं।

गुजरात की प्रति व्यक्ति आय का सर्वेक्षण

*460. **श्री छोतूभाई गामित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात राज्य में 1982-83 के दौरान, राज्य के घरेलू उत्पादों के संदर्भ में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में कोई आर्थिक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) क्या इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कोई गिरावट आयी है; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी नहीं। भारत सरकार ने गुजरात राज्य में कोई आर्थिक सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री छोतूभाई गामित : मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात की प्रति-व्यक्ति आय का पता लगाने के लिए कब सर्वेक्षण किया गया था, इस सर्वेक्षण के आधार पर गुजरात में प्रति-व्यक्ति आय क्या है और पिछले पांच वर्षों में प्रति-व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है या गिरावट आई है, इसका पूरा ब्यौरा क्या है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमारे यहां जो सर्वे हुआ है, वह आल-इंडिया लेवल पर हुआ है और उसकी इनफार्मेशन हमारे पास है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो सरवे किया है, उसकी पूरी डीटेल्ज हमारे पास नहीं हैं। माननीय सदस्य जो पांच साल का ब्यौरा मांग रहे हैं, वह हम उनको लिखित रूप में दे देंगे।

श्री छोतूभाई गामित : हमारे देश में जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, और खासकर गुजरात में ऐसे लोगों को, ऊपर उठाने के लिए पिछले पांच वर्षों में गुजरात सरकार को भारत सरकार की तरफ से कितनी धनराशि दी गई है, मंत्री इसके बारे में ब्यौरा देने की कृपा करें।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह भी हम लिखित रूप में दे देंगे।

भेल; हरिद्वार द्वारा क्षमता का प्रयोग न किया जाना

*462. **श्री इंद्रजीत गुप्ता** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'भेल' हरिद्वार के कार्यकारी निदेशक द्वारा गणतन्त्र दिवस, 1984 को की गई उस टिप्पणी की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें बिजली संयंत्रों और उपकरणों का आयात किये जाने के कारण क्षमता का प्रयोग न होने पर चिन्ता व्यक्त की गई है;

(ख) क्या हरिद्वार में सबसे बड़े आकार के ताप ऊर्जा सेटों का निर्माण करने के लिए पश्चिम जर्मनी की मैसर्स साइमन्स कम्पनी से ली गई प्रौद्योगिकी पर आधारित पर्याप्त क्षमता विकसित की गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या आत्मनिर्भरता के हित में विकसित देशों से इस प्रकार के उपकरणों का आयात बन्द किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव : (क) जी, हां ।

(ख) मेसर्स सीमेन्स, पश्चिम जर्मनी की संहायक कम्पनी मेसर्स के० डब्ल्यू० यू० से ली गई प्रौद्योगिकी के आधार पर बड़े आकार के टर्बो जनरेटरों का निर्माण करने के लिए हरिद्वार में पर्याप्त क्षमता का विकास कर दिया गया है ।

(ग) विद्युत जनित्रण उपकरण के निर्माण के क्षेत्र में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की क्षमता अच्छी तरह मान्य है । सरका की नीति यह है कि स्वदेशी क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए । विद्युत जनित्रण उपकरणों के आयात की अनुमति विशेष आधार पर ही दी जाती है ।

श्री इंद्रजीत गुप्ता : महोदय, यह बिल्कुल टालू तथा भ्रामक उत्तर है । भाग (क) के उत्तर में उन्होंने "हां" कहा है । इसका अभिप्राय है कि 'भेल' के कार्यकारी निदेशक की टिप्पणियां वहां मौजूद हैं । यह टिप्पणी उनके ध्यान में लाई गई हैं । परन्तु वह इस संबंध में कुछ नहीं कहते । स्वयं कार्यकारी निदेशक ने यह शिकायत की है कि क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । उनका कहना है कि इसका कारण यह है कि उन सेटों के आयात के आर्डर दिये गए हैं । जिनका उतनी ही अच्छी तरह से हरिद्वार में निर्माण किया जा सकता है और किया भी जा रहा हैं । मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी नीति जारी रहने दी जाएगी ताकि जो सरकारी भेल के संबंध हैं वे व्यर्थ पड़े रहें ।

अध्यक्ष महोदय : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है । इस पर ध्यान दें । मैंने भी इस संयंत्र को देखा है । यह सुनिचिश्त किया जाए कि उसका अधिकतम उपयोग हो । मैं समझता हूं कि इससे संयंत्र को लाभ होगा । जब हम स्वयं इनका निर्माण कर सकते हैं तो इसका आयात करने की क्या जरूरत है ?

श्री पट्टाभि राम राव : महोदय केवल अपवादात्मक मामलों में, जहां मशीनरी उपलब्ध नहीं है, हम इनका आयात कर रहे हैं, अन्यथा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे ?

श्री पट्टाभि राम राव : जी हां,

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल पूरा हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोटा परमाणु बिजलीघर का बंद होना

*446. श्री सतीश अग्रवाल :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1984 के 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि राजस्थान में कोटा परमाणु बिजलीघर के संयंत्र संख्या एक को स्थायी तौर पर बंद करना पड़ेगा;

(ख) क्या यह भी कहा गया है कि विदेशी विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया है कि संयंत्र की मरम्मत नहीं की जा सकती;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप राजकोष को कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रयास करने का है जिससे इस संयंत्र को बंद न करना पड़े ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार को इस समाचार की जानकारी है। है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को स्थायी तौर पर बद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विदेशी विशेषज्ञों ने संयंत्र का निरीक्षण नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस समय इस बारे में अनुमान लगाना कठिन है।

(ङ) जी हां। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है।

"कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स" की उत्पादन क्षमता

*449. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्ड रोलिंग मिल्स एसोसिएशन ने अभ्यावेदन दिया है और यह स्पष्ट कया है कि वर्तमान क्षमता वर्ष 1990 तक कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि कोल्ड रोलिंग उद्योग की क्षमता का 57 प्रतिशत तक ही

उपयोग हो रहा है और उपर्युक्त (क) में उल्लिखित मद के संबंध में देश में पहले से ही फालतू क्षमता उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में औद्योगिक नीति का संशोधन करने की कोई आवश्यकता थी जबकि इंजीनियरी उद्योगों की निर्यात के लिये अच्छी किस्म की कोल्ड रोल्ड स्टील की आवश्यकता को पूरा करना पहले से ही संभव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्द खाँ) (क) एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री के नेरो कोल्ड रोल्ड स्टील स्ट्रिप्स प्रभाग ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि ठंडी बेलित इस्पात की पत्तियों के उत्पादन की वर्तमान क्षमता देश की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

(ख) मुख्यत: बिजली की कमी, सीमित मांग तथ प्रौद्योगिकीय अड़चनों के कारण कुछ विशिष्ट क्वालिटी की ठंन्डी बेलित पत्तियों के उत्पादन की क्षमता का कुछ हद तक कम उपयोग हुआ है ।

(ग) ठंडी बेलित इस्पात की पत्तियों परआधारित इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात में सहायता देने के लिए लाइसेंस नीति में उपयुक्त फेर-बदल किया गया है ताकि इस प्रकार के निर्यातोन्मुख इंजीनियरी उद्योगों की क्वालिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चयनात्मक आधार पर ठंडी बेलन क्षमता स्थापित की जा सके ।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा केन्द्र का बंद किया जाना

*451 **श्री बी. डी. सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के एकक प्राय बंद रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों ही यूनिट अपनी स्थापना से कितनी-कितनी अवधि के लिए बंद रहे;

(ग) इनके बंद रहने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) इनके दोषों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ड़) यह एकक अपनी पूरी क्षमता से कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगें ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जीं, नहीं । राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट बहुत संतोषजनक रूप से कार्य करता रहा है । बिजलीघर के पहले यूनिट को 4 मार्च, 1982 से दक्षिण एंड -शील्ड की मरम्मत के लिए बंद रखा गया है ।

(ख) बिजली घर के पहले यूनिट ने, व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ करने की

तारीख से लेकर 4 मार्च, 1982 के उस समय तक जब एंड-शील्ड संबंधी समस्या के कारण बंद किया गया, लगभग 48 प्रतिशत समय के लिए काम नहीं किया। बिजलीघर के दूसरे यूनिट ने व्यावासायिक स्तर पर उत्पादन करने की तारीख से लेकर अब तक 34 प्रतिशत समय के लिए काम नहीं किया है।

(ग) सामान्य रूप से काम करने के दौरान ये यूनिट उपस्करों के ठीक ढंग से काम न करने और ग्रिड में वोल्टेज के घटने-बढ़ने के कारण बंद होते रहे।

(घ) रख-रखाव की प्रक्रियाओं का स्तर सुधारा जा रहा है और उपस्करों की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजायनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं। ग्रिड संबन्धी प्रबन्ध व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्रिड से संबंधित प्राधिकारियों के साथ लगातार चर्चा की जाती हैं.

(ङ) बिजलीघर का दूसरा यूनिट इस समय लगभग पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। बिजलीघर के पहले यूनिट को यथाशीघ्र फिर से चालू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

बाड़मेर को उद्योग रहित जिला घोषित किया जाना

*453. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान का रेगिस्तानी और सीमावर्ती पिछड़ा जिला बाड़मेर उद्योगरहित जिला घोषित होने का पात्र बनने के लिए निर्धारित सभी शर्तें पूरी करता है;

(ख) यदि हां, तो इस पिछड़े जिले को उद्योगरहित जिला घोषित करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में बिजली संकट का सामना कर रहे उद्योग

*457. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने लघु इस्पात संयंत्र और अन्य मध्यम और बड़े दर्जे के उद्योग हैं जो उस राज्य में वर्ष 1983-84 में बिजली संकट से प्रभावित हुए;

(ख) उनमें से प्रत्येक लघु इस्पात संयंत्र और अन्य बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों में अनुमानित उत्पादन की कितनी हानि हुई; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में ऊर्जा की वर्तमान उपलब्धता लगभग 29.96 एम० यू० है; जबकि आवश्यकता 34.31 एम० यू० की है। इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न उपभोक्ताओं की मांग पर 20 से 25 प्रतिशत की कटौती और ऊर्जा के सम्बन्ध में 10-15 प्रतिशत की कटौती लागू कर दी है। बिजली की कटौती से प्रभावित हुए मिनी इस्पात संयंत्रों और अन्य औद्योगिक एककों की संख्या और केवल बिजली संकट के कारण इन एककों में उत्पादन की कितनी हानि हुई है, इसके बारे में ठीक-ठीक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) देश में बिजली की उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए जा रहे हैं जिनमें चल रही परियोजनाओं को शीघ्र ही चालू करना, विद्यमान क्षमता से अधिक बिजली पैदा करना और बिजली की कमी वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यकता से अधिक बिजली पैदा करने वाले राज्यों से बिजली की सहायता देने की व्यवस्था करना शामिल हैं।

चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में डकैती

*458. **श्री एन० ई० होरो :**

श्री के० मालन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 मार्च, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चार लुटेरों ने 3 मार्च, 1984 को चितरंजन पार्क, नई दिल्ली की दो महिलाओं से उनके घर में पिस्तौल दिखाकर उनसे 25,000 रुपए मूल्य के गहने तथा 1,000 रुपए नकद लूट लिए थे;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनों से लगभग हर सप्ताह अथवा हर रोज दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तथा दिल्ली पुलिस लोगों की जान और माल की सुरक्षा करने में असमर्थ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कठोर कदम उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह सूचित किया गया है कि कुछ व्यक्ति मकान में बलपूर्वक घुसे और पिस्तौल दिखाकर गहने, एक हजार रुपया नकद और एक टू-इन-वन (ट्रांजिस्टर व रिकार्डर) ले गए।

(ग) पिछले छः महीनों अर्थात् 1-9-1983 से 29-2-1984 तक दिल्ली पुलिस को ऐसे 14 मामले सूचित किए गए हैं। उनमें से 6 को सुलझा लिया गया है और अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

(घ) दिल्ली में अपराध दर को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे वाकीटाकी और वायरलैस सैटों सहित सशस्त्र गश्त लगाना, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम समेत कानून की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत ज्ञात अपराधियों और बदमाशों के विरुद्ध कार्रवाई करना, अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त वाहनों का पता लगाने के लिए वाहनों की आक्समिक जांच करना, ज्ञात अपराधियों पर निगरानी को कड़ा करना, पुलिस टुकड़ियां तैनात करना और अपराधियों के संबंध में समन्वित कार्यवाही करने और आसूचना को उचित रूप से एकत्र करने को सुनिश्चित करने के लिए पडौसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ अन्तरजिला बैठकें आयोजित करना। जनशक्ति और उपस्कर के रूप में दिल्ली पुलिस की विभिन्न आवश्यकताओं की निरन्तर समीक्षा की जाती है। दिल्ली पुलिस की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए समय-समय पर व्यक्तियों और उपकरणों में वृद्धि की जाती है।

केरल में प्रदूषण निरोधक उपाय न अपनाने वाले औद्योगिक एकक

*461. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध पर्याप्त प्रदूषण निरोधक उपाय न अपनाए जाने की शिकायतें मिली हैं; और

(ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि इन एककों द्वारा इस सम्बन्ध में बनाये गये विनियमों का पर्याप्त पालन किया जाए ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार जिन बड़े उद्योगों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वे हैं : ट्रावनकोर टिटेनियम प्रोडक्ट ट्रावनकोर इलक्ट्रो कैमिकल्स, पुनालूर पेपर मिल्स, हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन, एफ०ए० सी०टी० (फैक्ट) उद्योग मण्डल, एफ० ए० सी० टी० कोचीन प्रभाग, वांचीनाडु लेदर, टेपियोका प्रोडक्ट; ट्रावनकोर कोचीन कैमिकल्स, साउथ इन्डिया वायर रोप्स, लक्ष्मी स्टार्च, हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स तथा ग्वालियर रेयन।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पर्याप्त प्रदूषण उपशमन उपाय करने के लिए उद्योगों को निदेश दिए हैं। जहां भी, अनिवार्य है कानूनी कार्यवाही भी की जा रही है।

एलाय स्टील संयंत्र, दुर्गापुर को सरकारी उद्यम ब्यूरों के निदेश

*463. **श्री नीरेन घोष** : क्या इस्पात और खान मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एलाय स्टील संयंत्र, दुर्गापुर, सरकारी उद्यम ब्यूरो द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 10 प्रतिशत की मूल्य प्राथमिकता देने सम्बन्धी निदेशों का लाभ उठा सका है;

(ख) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) रक्षा, "सेल" (त्रिची, भोपाल और हरिद्वार), ईस्टर्न कोलफील्ड्स, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, व्हील एण्ड एक्सल संयंत्र, बंगलौर हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और प्रागा टूल्स की कितनी वार्षिक मांग की पूर्ति एलाय स्टील प्लांट कर सकता है;

(घ) उपरोक्त आवश्यकताओं में से कितने प्रतिशत आपूर्ति एलाय स्टील संयंत्र को आवंटित की गई है;

(ङ) क्या एलाय स्टील संयंत्र द्वारा कुछ मामले सरकारी उद्यम ब्यूरो को भेजे गए थे; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। दुर्गापुर का मिश्र-इस्पात कारखाना कुछ मामलों में जैसे हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से मूल्य प्राथमिकता लेने में सफल हुआ है।

(ख) इस बारे में बनाई गयी नीति के अनुसार 10 प्रतिशत की मूल्य प्राथमिकता स्वत: नहीं मिल जाती और लागत को कम करने तथा दूसरों की तुलना में अपना माल सस्ता बेचने के लिए हर कोशिश करनी पड़ती है। इस बारे में प्रत्येक मामले में पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है।

(ग) और (घ) वर्ष 1983-84 में रक्षा मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (त्रिची, भोपाल और हरिद्वार) इस्टर्न कोलफील्डस, हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, व्हील और एक्सल प्लांट, बंगलौर, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और प्रागा टूल्स द्वारा दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात संयंत्र के उत्पादों में शामिल मदों के लिए 33300 टन के आर्डर दिए गए थे जिनमें से दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने को 13,550 टन अर्थात् दिए गए कुल आर्डरों के 40.69 प्रतिशत के बराबर आर्डर मिले हैं। (वर्ष 1982-83 में किए गए प्रेषणों के मुकाबले 33 प्रतिशत अधिक प्रेषण किए गए, जो एक अच्छी उपलब्धि है) विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड को—राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम-8,300 टन के आर्डर मिले जो 24.92 प्रतिशत के बराबर हैं; इस प्रकार इन दो उपक्रमों द्वारा प्राप्त किए गए आर्डर कुल आर्डरों के 66 प्रतिशत के लगभग बैठते हैं।

(ङ) और (च) : जी, हां। दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने ने सरकारी उद्यम कार्यालय को कुछ मामले भेजे है। इन सभी मामलों में सरकारी उद्यम कार्यालय ने सम्बन्धित उपक्रमों और विभागों को सलाह दी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी नीति का पालन किया जाए।

इसके साथ-साथ इस्पात विभाग भी इस मामले में लिखा-पढ़ी कर रहा है और सम्बन्धित विभागों ने उसे आश्वासन दिया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस मामले में सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेंगे।

पश्चिम बंगाल के लिए योजना परिव्यय

*464. **श्री चित्त बसु :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि योजना आयोग द्वारा पहले असहमति प्रकट किए जाने के बावजूद पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल ने वर्ष 1984-85 के लिए 748 करोड़ रु० का योजना परिव्यय स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस परिव्यय की स्वीकृति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने 1984-85 के लिए अपने बजट प्रस्तावों में, 748 करोड़ रु० की एक योजना के आधार पर अनुमान तैयार किए हैं।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने 1984-85 के लिए पश्चिम बंगाल के योजना परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने योजना के जिस आकार के लिए अनुरोध किया है उस आकार के कहीं नजदीक मात्रा में संसाधनों की उपलब्धता के बारे में उक्त सरकार योजना आयोग को संतुष्ट नहीं कर सकी है।

इस्पात संयंत्रों का विस्तार

*465. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों से इस्पात उद्योग के विकास और विस्तार पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है;

(ख) क्या लघु इस्पात संयंत्रों का विस्तार भी रोका गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने और उसका आयात रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां। विशेष उपायों, जिनमें स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अनुसंधान तथा तकनीकी वैज्ञानिकों तथा सेल के कारखानों में शिल्पविज्ञानियों की नवीन प्रौद्योगिक प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में वर्ष 1982-83 की तुलना में अधिक मूल्य वाली उन मदों का उत्पादन अधिक होने की संभावना है, जिनका आयात किया जाता है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

(मात्रा टनों में)

मद	वर्ष 1982-83 का उत्पादन	वर्ष 1983-84 का प्रत्याशित उत्पादन
एल० पी० जी० चादरें	17,744	62,500
डी० डी०/ई० डी० डी० चादरें	6,409	18,000
बायलर क्वालिटी की प्लेटें	6,730	14,000
आई०-एस०- 2062 प्लेटें	44,240	54,000
जस्ती सादी/जस्ती नालीदार चादरें (.4/.5 मि० मी०)	16,613	29,000
इलैक्ट्रोड क्वालिटी की तार छड़ें	10,353	22,000
90 यू० टी० सी० रेल की पटरी	—	2,500
वैद्युतिक चादरें	12,073	16,500
टिन प्लेटें	33,088	46,000
रिमिंग क्वालिटी की तार छड़ें	10,188	22,500

इससे आयात में कमी करने में सहायता मिली है। वर्ष 1983-84 में 'सेल' द्वारा लगभग 280 करोड़ रुपये मूल्य का लगभग 5 लाख टन इस्पात का आयात किए जाने की सम्भावना है जबकि वर्ष 1982-83 में 13.2 लाख टन इस्पात आयात किया गया था जिसका मूल्य 501 करोड़ रुपये था।

आयात नीति (माध्यम अभिकरणों की मार्फत किया जाने वाला आयात भी शामिल है) इस प्रकार बनाई जाती है जिससे आयात की जाने वाली मदों का यथासम्भव देश में ही अधिकाधिक उत्पादन किया जाए और इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पर्याप्त मात्रा में पूर्ति की जा सके।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सेल का गठन

5128. श्री अमर सिंह राठवा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सैल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सैल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग काम कर रहे हैं;और

(ग) इस सैल के गठन के बाद से अब तक उसमें किस प्रकार के मामलों पर कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : (क) से (ग) सेवाओं/पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कार्य से निबटने के लिए अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) के प्रभार में गृह मंत्रालय(मुख्य) में 5-8-83 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष के नाम से ज्ञात एक विशेष कक्ष बनाया गया था, जिसमें एक सहायक और एक निम्न श्रेणी लिपिक हैं। यह कक्ष एक अवर सचिव के माध्यम से उप सचिव (प्रशासन), जो इस कार्य के लिए सम्पर्क अधिकारी हैं, की सहायता करता है। इनमें से कोई अधिकारी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदाय का नहीं है :—

2. यह कक्ष निम्नलिखित कार्य करता है :—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित मामले, जिनमें मंत्रालय का सम्पर्क अधिकारी संबंधित हैं।

(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में रिक्तियों आरक्षण और उनके स्वीकार्य अन्य लाभों से संबंधित आदेशों तथा अनुदेशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना।

(3) मंत्रालय और उसके उप-संगठगों के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े समेकित करना।

(4) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियो के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनुरक्षण के प्रस्तावों की समीक्षा करना।

यह कार्य निरन्तर चलने वाला है। कक्ष यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में आरक्षण आदेशों का यथाविधि कार्यान्वयन हो।

रंगत, अंदमान में गोली चलाये जाने के कारण हुई मौते

5129. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार :**

श्री अजित बाग : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रंगत, अंदमान में 28 जनवरी, 1983 को शांतिप्रिय विद्यार्थियों पर बिना आदेश के गोली चलाए जाने के कारण निर्दोष लोगों की मृत्यु के संबंध में सरकार द्वारा न्यायिक जांच के आदेश दिए गए थे; और

(ख) यदि हाँ, तो जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) 28 जनवरी, 1983 को रंगत में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना किन परिस्थितियों में हुई, उनकी जाँच करने के लिए नियुक्त किये गये एक सदस्यीय जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट अन्डमान व निकोबार प्रशासन को प्रस्तुत कर दी है। इस समय प्रशासन द्वारा रिपोर्ट की जाँच की जा रही है और उसकी एक प्रति और उस पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन यथासमय सभा पटल पर रख दिये जायेंगे। जैसा कि जांच आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन अपेक्षित है।

दिल्ली में जेबरा लाइनों पर ब्लिंकर रोशनी अथवा "जाग्रों" और 'रुको' सिगनल लगना

5130. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जेबरा लाइनों पर पैदल चलने वालों को तेज चलने वाली बसों अथवा अन्य वाहनों से कुचले जाने से बचाने के लिए यथा राजधानी में कुछ आवश्यक और व्यस्त जेबरा लाइनों पर, जहां पर काफी यातायात होता है, "ब्लिंकर" रोशनी अथवा "जाग्रों" और "रुको" सिगनल लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : दिल्ली में पैदल चलने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

1. महत्वपूर्ण चौराहों पर पैदल चलने वालों के आवागमन को नियमित करने के लिए होम गार्डों सहित अतिरिक्त कर्मचारी तैनात किए गए हैं।

2. दुर्घटनाओं से बचने के लिए बच्चों सहित पैदल चलने वालों को जेबरा, पैदल यात्री पारपथों फुटब्रीज और अण्डर ब्रीज का प्रयोग करने के लिए सलाह और शिक्षा दी जा रही है।

3. पैदल चलने वाले जो यात्री नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके विरुद्ध कानून के उपबंधों के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाई की जाती है। चालू वर्ष के दौरान 15-3-1984 तक 710 पैदल चलने वाले यात्रियों पर मुकदमा चलाया गया।

4. जो मोटर चालक जेबरा/पैदल पार पथ के नजदीक यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं उन्हें चेतावनी दी जाती है/उन पर मुकदमा चलाया जाता है।

5. पैदल चलने वालों और सड़क का इस्तेमाल करने वाले अन्य व्यक्तियों को यातायात नियमों का पालन करने और दुर्घटनाओं से बचने के लिए दूरदर्शन, आकाशवाणी और पी० ए० उपकरणों आदि के माध्यम से सड़क सुरक्षा शिक्षा दी जाती है।

6. यातायात नियमों के प्रवर्तन में प्रयाप्त वृद्धि की गई है।

7. पैदल चलने वालों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए लाल किला और केन्द्रीय सचिवालय चौराहों पर स्क्रेम्बल पद्धति, अर्थात जहां मोटर वाहनों के लिए सभी सिग्नल लाल हैं और पैदल चलने वालों के लिए सभी सिग्नल "हरे" हैं, प्रारंभ की गई है। इस प्रणाली को चार और स्थानों पर प्रारंभ किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने सिविल प्राधिकारियों को चुने गये स्थानों पर 54 ब्लिंकरस स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

मारुति कारों का पंजीकरण

5131. **श्रीराम प्रसाद अहिरवार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच महीनों (अक्तूबर, 1983 से फरवरी, 1984 तक) के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण प्राधिकारियों के पास कितनी मारुति कारें और गाड़ियों का पंजीकरण कराया गया है; और

(ख) क्या उन व्यक्तियों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी जिनके नामों में ये वाहन उपरोक्तलिखित अवधि में पंजीकृत किए गए है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पद्मा भिराम राव) : (क) मारुति डीलरों के माध्यम से दिल्ली में फरवरी, 1984 के अन्त तक 287 मारुति कारों का पंजीकरण किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन अधिनियम में छूट

5132. **प्रो० नारायण चंद पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष 1983-84 सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी राज्य सरकार ने इस तर्क पर कि वन्य जीवों द्वारा फसलों को भारी क्षति पहुचाये जाने के कारण किसानों को अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए उन्हें गोली मारने भगाने की अनुमति दी जाए केन्द्रीय सरकार से वन्य जीवन सरंक्षण अधिनियम, और नए वन अधिनियम में छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अभ्यावेदनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की है, निर्णय लिया गया है और इन अधिनियमों के प्रवर्तन में किस प्रकार की छूट दी गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलेक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली का विकास करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

5134. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली का विकास करने हेतु एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कार्य संचार मंत्रालय को सौंपने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और इसे इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत रखने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो हाल ही में लिए गए राष्ट्रीय महत्व के नीति सम्बन्धी निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एल० संजीवैया) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रानिकी स्विचन प्रणाली की प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। इस केन्द्र का गठन एक वैज्ञानिक संस्था के रूप में किया जा रहा है। जिसके लिए धनराशि इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा संचार मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इस राष्ट्रीय केन्द्र के कार्यकलापों की समीक्षा संचार मंत्री की अध्यक्षता में एक अधिशासी परिषद् द्वारा समय-समय पर की जाएगी। इसके प्रचालन को गतिशील एवं सक्रिय बनाने का सुनिश्चय करने के उद्देश्य से इसे सरकार के मानदण्डों की सीमा से बाहर संपूर्ण अधिकार दिया जाएगा तथा लचीला बनाया जाएगा। इस केन्द्र को इलेक्ट्रानिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत रखा जा रहा है।

राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संविधान की अनुसूची पांच का उल्लंघन

5135. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संविधान की अनुसूची पांच का अनुपालन न करने से प्रत्येक राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के सम्मान की अवहेलना की गई है;

(ख) क्या विधि मंत्रालय अथवा गृह मंत्रालय के किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई पुनरीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) संविधान की पांचवी अनुसूची में दिए गए उपबंधों का अनुसरण किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों के सम्मान न करने का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) तथा (ग) जैसे संविधान के अनुच्छेद 338 में व्यवस्था की गई है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी अपने वार्षिक प्रतिवेदनों द्वारा राष्ट्रपति को

संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए जिन सुरक्षा उपायों की व्यवस्था की गई है उनसे संबंधित सभी मामलों के जांच पड़ताल के परिणामों की सूचना देता है। इसके अतिरिक्त संविधान की पांचवीं अनुसूची के उपबंधों के कार्यकरण की योजना आयोग और गृह मंत्रालय में राज्यों की वार्षिक जनजाति उपयोजनाओं पर विचार विमर्श करते हुए समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा का उपयोग और उसकी उत्पादन क्षमता

5136. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 मार्च, 1984 को परमाणु ऊर्जा की कुल उत्पादन क्षमता कितनी थी और कितनी क्षमता का वास्तव में उपयोग किया जा रहा था; और

(ख) बन्द पड़े हुए परमाणु ऊर्जा उत्पादन एककों में प्रत्येक की क्षमता कितनी है और उनके बन्द होने के कारण क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु उर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1 मार्च, 1984 को परमाणु बिजलीघरों की कुल स्थापित क्षमता 1095 मेगावाट थी तथा इस समय उनकी लगभग 70 प्रतिशत क्षमता उपयोग में आ रही है।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को, जिसकी क्षमता 220 मेगावाट है, उसकी दक्षिणी एंड-शील्ड की मरम्मत के लिए 4 मार्च, 1982 से बन्द रखा गया है।

"उद्योग विहीन" क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जिले की बजाय तहसील को एक इकाई मानना

5137. **श्री नवीन रावणी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से "उद्योग विहीन" क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जिले की बजाय तहसील को एक इकाई मानने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) गुजरात सरकार ने सुझाव दिया है कि जिन जिलों में एक बड़ा अथवा मध्यम दर्जे का उद्योग हो उन्हें "जिला रहित उद्योगों" में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए अथवा इसके

विकल्प में जिले के जिले की धारणा के बदले तालुक या खण्ड (ब्लाक) स्वीकार किया जाना चाहिये।

(ग) चूंकि विद्यमान पुनः वर्गीकरण एक अन्तःकालीन उपाय है और जब तक पिछड़े क्षेत्रों के विकास सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय नहीं कर लिया जाता तब तक "उद्योग रहित जिले" की धारणा में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

दहेज विरोधी सैल में दर्ज किये गये सताये जाने के मामले

5138. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस के अधीन दहेज विरोधी सैल में 1983 के दौरान महिलाओं को सताये जाने के कितने मामले दर्ज हुए;

(ख) इन मामलों में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) इस प्रकार के मामले स्थानीय थानों द्वारा दर्ज किए जाते हैं और दहेज विरोधी एकक दहेज के कारण मोतों के खास-खास मामलों के अतिरिक्त सताये जाने के उन्हीं मामलों के बारे में कार्रवाई करता है जो जांच पड़ताल के लिए एकक को भेजे जाते हैं।

दहेज विरोधी एकक में, 30 अगस्त, 1983 को थाना सदर बाजार में सूचित दहेज उत्पीडन के एक मामले के संबंध में कार्रवाई की थी। मामले में 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और 27 जनवरी, 1984 को न्यायालय में चालान किया गया है।

(ख) सरकार मामलों की जांच पड़ताल की प्रगति पर नजर रखती है और जहां कही आवश्यक होता है उचित दिशा निर्देश देती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा

5139. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या गृह मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनेक वृद्ध और अशक्त स्वतंत्रता सेनानियो की दुर्दशा की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है कि उनमें से किसी को भी श्री इब्राहीम युसुफ शेख जैसी हालत न हो; जैसा कि फरवरी, (द्वितीय) 1984 के "कारवां" पत्रिका में समाचार प्रकाशित हुआ हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि जितनी जल्दी संभव हो सम्मान पेंशन के लिए आवेदनों को निपटाने और वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की जाए सामान्यतया पेंशन राज्य सरकारों की जांच रिपोर्टों के आधार पर मंजूर की जाती है, जिन्हें ऐसे स्पष्ट अनुदेश हैं कि वे अपनी ओर से जल्दी से जल्दी जांच करने के लिए हर संभव कोशिश करें। अधिकांश राज्य सरकारों ने आवेदनों की जांच-पड़ताल में सहायता के लिए जिला/राज्य स्तर पर विशेष सेल स्थापित किए हैं और समितियां गठित की हैं।

2. जहां तक श्री इब्राहिम यूसुफ शेख के मामले का संबंध है, आदरणीय संसद सदस्य को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि ज्योंही श्री शेख से संबंधित, एक समाचार पत्र में छपा समाचार हमारे नोटिस में लाया गया था, महाराष्ट्र सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई थी, जिन्होंने सूचित किया कि उन्होंने श्री शेख को 1-2-1982 से राज्य के राजस्व से 150 रुपए प्रति माह की दर से पेंशन मंजूर की है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार श्री शेख ने वास्तव में 2 महीने और 26 दिन की जेल की सजा काटी थी। वे केन्द्रीय राजस्व से पेंशन के लिए पात्र नहीं समझे गए क्योंकि उन्होंने सम्मान पेंशन स्कीम के अधीन पात्रता के लिए अपेक्षित न्यूनतम अवधि की जेल की सजा नहीं काटी थी।

देश में इस्पात की मांग

5140. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दस वर्षों में और इस शताब्दी के अन्त तक इस्पात की मांग का पता लगाने के लिए सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे इस्पात की कुल कितनी आवश्यकता है और अधिष्ठापित क्षमता को बढ़ाने के लिए यदि कोई कदम उठाए जा रहे हैं; तो वे क्या हैं;

(ग) अन्यत्र निर्मित तैयार उत्पादों की तुलना में तैयार इस्पात की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या हल्के इस्पात में माइक्रो अलाम के उपयोग की संभाव्यता पर विचार किया गया है, जिसे थोड़ी सी अतिरिक्त लागत पर इस्पात संयंत्रों में तैयार किये जाने के साथ-साथ अधिक शक्तिशाली इस्पात का उत्पादन किया जा सकता है; और

(ङ) क्या कोयले की उचित किस्म और मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रत्येक संयंत्र की अपने से सम्बद्ध रक्षित कोयला खान और धोवनशाला रखने अनुमति देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) और (ख) लोहे और इस्पात से सम्बन्धित दो कार्यकारी-दल सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान और इस शताब्दी के खत्म होने तक की अवधि में इस्पात की मांग के बारे में विचार कर रहे हैं। आशा हैं इन कार्यकारी -दलों की रिपोर्टों को शीघ्र ही अन्तिम रुप दे दिया जाएगा।

भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों और दुर्गापुर स्थित मिश्र इस्पात कारखाने की क्षमताओं का विस्तार करने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात कारखानों की प्रौद्योगिकी को समुन्नत करने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए भी योजनाएं तैयार की गई हैं : बर्नपुर स्थित इस्पात कानखाने से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इन योजनाओं का उद्देश्य यह है कि ये कारखाने उत्पादन लागत में कमी करने के साथ-साथ स्थापित क्षमता के अनुसार उत्पादन कर सकें।

34 लाख टन इस्पात पिण्ड की वार्षिक क्षमता का एक नया इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम में लगाया जा रहा है।

(ग) भारतीय मनक विशिष्टियों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के अनुसार उत्पादन करने के लिए प्रत्येक इस्पात कारखाना का अनुसन्धान और नियंत्रण संगठन" इस्पात का उत्पादन करने, उसको आकार देने और उन्हें परिसज्जित करने के विभिन्न चरणों में प्रोसेस और क्वालिटी पर नियंत्रण रखता है। यह सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों का पूरी तरह से निरीक्षण किया जाता है कि ये उत्पाद अपेक्षित रासायनिक और यांत्रिक गुणों से युक्त हों। कड़े आन-लाईन निरीकण और परीक्षण करने के लिए और यंत्र लगाने की योजना बनाई जा रही है।

(घ) जी, हाँ ! "सेल" ने सेल—मा (SAIL-MA) और हाई टेनसाइल जैसे सूक्ष्म मिश्र-इस्पात तैयार किए हैं। इस सूक्ष्म मिश्र-इस्पात के प्रयोग को बढ़ाबा देने के लिए भी प्रयास किए गए हैं और वैल्डिंग और डिजाइन मैनुअल भी तैयार किए गए हैं।

(ङ) "सेल" के इस्पात कारखाने में कोयले की और रक्षित खानों और शोधनशालाएं खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है लेकिन दुर्गापुर इस्पात कारखाने और इस्को-बर्नपुर की उत्पादिता में वृद्धि करने और सुचारु परिचालन के लिए उनकी बिद्यमान शोधनशालाओं के परिचालन में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस्पात कारखानों को सप्लाई किए जाने वाले कोककर कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने और उसकी विशिष्टियों में सुधार लाने के लिए "सेल" और कोल इंडिया लिमिटेड मिल कर कार्य कर रहे हैं। "सेल" कोल इंडिया की शोधन-शालाओं के आधुनिकीकरण की योजनाओं से भी सम्बद्ध है ताकि इस्पात कारखानों को सप्लाई किए जाने वाले कोककर कोयले की क्वालिटी में कम से कम समय में सुधार लाया जा सके।

पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन में उद्योगों की स्थापना

5141. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार औद्योगिक एवं तकनीकी परामर्शदाता संगठन ने, राज्य के औद्योगिक विकास को शीघ्रता से पूरा करने की दृष्टि से एक योजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक विकास हेतु बिहार के विभिन्न जिलों का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संगठन द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिलों के औद्योगिक विकास की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार बिहार इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्निकल कन्सल्टैंसी आर्गेनाइजेशन (बी० आई० टी० सी० ओ०) को बिहार के 8 जिलों अर्थात् सीमामढ़ी, सिंघभूमि, पलामू, रांची, पूर्णिया, वैशाली, गोपालगंज, और पूर्वी चम्पारन का औद्योगिक सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा गया था। बी० आई० टी० सी० ओ० द्वारा पूर्वी चम्पारन की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है। यद्यपि, पश्चिमी चम्पारन के औद्योगिक सर्वेक्षण का कार्य मे० सोनी कलसल्टैंसी को सौंपा गया था जिसे अभी अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को प्रस्तुत करनी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एक खादी समनव्य समिति की स्थापना

5142. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खादी हथकरघा और हस्तशिल्प और रेशम क्षेत्रों का काम देखने वाली एजेंसियों के साथ सहयोग और समन्वय में और सुधार करने के लिए हाल ही में एक समन्वय समिति स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों और कार्यों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विकास आयुक्त (हथकरघा), विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), केन्द्रीय रेशम बोर्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास को राष्ट्रीय बैंक, (एन० ए० बी० ए० आर० डी०) नेशनल को-आपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन० सी० डी० सी०) और औद्योगिक विकास विभाग के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक समिति का गठन किया जा रहा है। इस समिति का उद्देश्य विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में खादी और हस्तशिल्प के कार्य में रत विभिन्न अभिकरणों के बीच बेहतर समन्वय और सम्बन्ध स्थापित करना है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 का क्रियान्वयन

5143. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) में उल्लिखित 14 मदों को देश के क, ख, और ग क्षेत्रों के राज्यों में द्विभाषिक रूप में क्रियान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो परमाणु ऊर्जा विभाग क, ख, और ग, क्षेत्रों में स्थित इसके कार्यालयों में वर्ष 1981-82, 1982-83, और 1983-84 में धारा 3 (3) का राज्यवार और वर्षवार अलग-अलग कितने प्रतिशत क्रियान्वयन किया गया है;

(ग) तीनों क्षेत्रों के राज्यों में उक्त सभी चौदह मदों का शत प्रतिशत क्रियान्वयन द्विभाषिक रूप में किये जाने में क्या कठिनाई है; और

(घ) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क), जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) तथा (घ) जिन यूनिटों में शत-प्रतिशत कार्यान्वयन नहीं हो सका है उनमें से अधिकांश वैज्ञानिक तथा तकनीकी स्वरूप का काम कर रहे हैं । राजभाषा कार्यान्वयन समितियों से, जिनका गठन सभी यूनिटों द्वारा किए गए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाए और कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभावी उपाय सुझाए जाएं । राजभाषा नीति का संतोषजनक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा ।

विवरण

क्षेत्र तथा कार्यालय/यूनिट का नाम	धारा 3 (3) में उल्लिखित कागज पत्रों में से कितने प्रतिशत द्विभाषिक रूप में जारी किए गए		
	वर्ष 1981-82	वर्ष 1982-83	वर्ष 1983-84
			(31. 12. 1983 तक
"क" क्षेत्र स्थित कार्यालय			
राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना	88%	81%	100%
भारी पानी परियोजना, कोटा	81%	91%	92%
यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया			

1	2	3	4
लिमिटेड	62%	86%	56%
नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना	51%	61%	80%
"ख" क्षेत्र स्थित कार्यालय			
परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिवालय			
बम्बई	99%	98%	99%
भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र	18%	20%	16%
सम्पदा प्रबंध निदेशालय	शून्य	शून्य	शून्य
भारी पानी परियोजनाएं, बम्बई	100%	55%	89%
भारी पानी परियोजना, बड़ौदा	1.3%	1.3%	शून्य
विद्युत परियोजना अभियांत्रिक प्रभाग	56%	26%	100%
तारापुर परमाणु बिजलीघर	81%	100%	100%
क्रय और भंडार निदेशालय	1%	0.5%	0.4%
इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड	3.4%	6%	8%
निर्माण और सेवा वर्ग	शून्य	शून्य	शून्य
"ग" क्षेत्र स्थित कार्यालय			
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र	21%	19%	19%
परमाणु खनिज प्रभाग	26%	36%	20%
भारी पानी परियोजना, तलचर	शून्य	शून्य	शून्य
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य
रिऐक्टर अनुसंधान केन्द्र, कलपाक्कम	शून्य	शून्य	शून्य
भारी पानी परियोजना, तूतीकोरिन	शून्य	शून्य	शून्य
इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य

डोलोमाइट और चूना-पत्थर खानों में उजरती मजदूरों की गुजारे लायक मजदूरी का दिया जाना

5144. **श्री ए० के० राय** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों को डोलोमाइट और चूना पत्थर सप्लाई करने वाली भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन इन खनिजों की खानों में काम करने वाले विभागीय और ठेका उजरती मजदूरों को गुजारे लायक (काल बैंक) मजदूरी देने की प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खान के संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और मजदूरी निर्धारण का तरीका क्या है; और

(ग) क्या गुजारे लायक मजदूरी इस उद्योग में मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी से कम है, तथ्यों का ब्यौरा देने की कृपा करें ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) "सेल" के अधीन चूना-पत्थर और डोलोमाइट की रक्षित खानों के उजरती कामगारों को, चाहे वे विभागीय आधार पर अथवा ठेकेदारों द्वारा लगाए गए हों, मजूरी का भुगतान उजरती आधार पर किया जाता है। संयंत्र स्तर पर संबंधित श्रमिक संघों के साथ द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय समझौते में अपनायी गई मजूरी की दरों को इस प्रकार से उत्पादिता औसत के मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि जब उत्पादिता संबंधी स्वीकृत औसत मानदंड पूरे किए जाते हैं तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित की गई न्यूनतम मजूरी निश्चित की जा सके। इसलिए "सेल" के अधीन चूना-पत्थर और डोलोमाइट की रक्षित खानों में ऐसे कामगारों को गुजारे लायक मजूरी देने की प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुशासनिक प्राधिकारियों को अपील/याचिकायें/ज्ञापन देने के लिए समय सीमा

5145. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा राष्ट्रपति अथवा अनुशासनिक प्राधिकारियों को अपील याचिका, ज्ञापन देने संबंधी आदेशों का ब्यौरा क्या है और क्या ऐसी कोई समय सीमा है जिसके भीतर उन पर ध्यान दिया जाना होता है और क्या इस आशय के कोई आदेश हैं कि आदेश स्वतः स्पष्ट कारण सहित और सुस्पष्ट होने चाहिये और केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जारी किये जाने चाहिये और ऐसे आदेश न्यायिक प्रकृति के होते हैं;

(ख) क्या इन आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी; और

(ग) क्या इन आदेशों का भारत सरकार के सभी अधिकारियों द्वारा अक्षरशः पालन किया जाना अपेक्षित है और इनका पालन न किये जाने की स्थिति में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सरकारी कर्मचारियों को शासित करने वाली केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमा-

वली, 1965 में इस आशय के विशिष्ट उपबन्ध हैं, जिनके अधीन दोषी सरकारी कर्मचारी द्वारा स्थिति अनुसार अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील या अनुशासनिक प्राधिकारी के किसी आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र दिया जा सकता है। इसी प्रकार सरकार के अधीन सिविल नौकरी के संबंध में उत्पन्न होने वाले विषयों के बारे में राष्ट्रपति को सम्बोधित याचिकाओं के प्रस्तुतीकरण, प्राप्ति और पारेषण अथवा ऐसी नौकरी की समाप्ति के सम्बन्ध में दिनांक 8 सितम्बर, 1954 (इस आदेश की प्रति दिनांक 3-8-83 के प्रश्न संख्या 1747 के उत्तर में सभा के पटल पर रख दी गयी थी) के अनुदेशों में भी अलग अनुदेश मौजूद हैं। नियमों में अपीलों। पुनरीक्षण याचिकाओं पर कार्रवाई करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। किन्तु, इस विभाग द्वारा विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि अपीलों पर थोड़े समय में निर्णय लिए जाएं तथा उन्हें उच्च प्राथमिकता दी जाय।

(ग) भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अधीन कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को आबंटित विषयों के बारे में यह विभाग एक नोडल विभाग होने के नाते सामान्य अनुदेश जारी करता है। यह सुनिश्चित करना प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों, जिसमें उनके सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालय भी शामिल हैं, का कार्य है कि ऐसे सामान्य अनुदेशों का उनके द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास इस्पात मदों की माल सूची

5146. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 मार्च, 1984 को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास विभिन्न इस्पात मदों का कितना-कितना माल पड़ा था और उनका अनुमानित मूल्य कितना था;

(ख) माल डिब्बों की कमी और रेलवे द्वारा हाल में लगाई गई परिवहन पाबन्दियों का इस्पात की बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इस मामले पर रेलवे बोर्ड और सम्बद्ध रेलवे प्रशासन से बातचीत की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) "सेल" के कारखानों तथा घरेलू-बिक्री के स्टाकयार्डों में 1.4.83 को इस्पात का स्टाक 1,444,100 टन (मूल्य 630 करोड़ रुपये) था जो घटकर 21-3-84 को 788,900 टन (आंकड़े अस्थायी हैं) (मूल्य लगभग 330 करोड़ रुपये) रह गया है।

(ख) रेल के खुले डिब्बों की अपर्याप्त उपलब्धि तथा परिवहन की पाबन्दियों के कारण इस्पात की खरीद पर प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) इस्पात की नियमित ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए रेलवे से नियमित तथा सतत् आधार पर बात-चीत चल रही है।

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

5147. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक योजना अवधि के दौरान आज तक सकल घरेलू उत्पाद के लिए वृद्धि दर का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है और योजनाओं की समस्त अवधि के दौरान औसत वृद्धि दर कितनी रही और निर्धारित वृद्धि दर की तुलना में यह कितनी है; और

(ख) प्रत्येक योजना अवधि में यदि कोई कमी है तो उसके क्या कारण हैं और उत्तरवर्ती (सभी योजनाओं के लिए) में इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) विभिन्न योजना दस्तावेजों, दोनों पंचवर्षीय योजनाओं और वार्षिक योजनाओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं के मध्यावधि मूल्यांकनों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। इन दस्तावेजों में न केवल अर्थव्यवस्था के अद्यतन निष्पादन का ही उल्लेख है बल्कि कमियां यदि कोई हैं, तो उनके कारणों का और उत्तरवर्ती योजनाओं में इन कमियों पर काबू पाने के लिए की गई कार्यवाई का भी उल्लेख है।

विवरण

लक्ष्यित और वास्तविक संवृद्धि दरें

(प्रतिशत)

क्रम संख्या	योजना	लक्ष्य	वास्तविक	के लिए संवृद्धि दर
1	2	3	4	5
1.	पहली योजना (1951-52 से 1955-56)	2.1	3.6	राष्ट्रीय आय

1	2	3	4	5
2.	दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61)	4.5	4.0	राष्ट्रीय आय
3.	तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66)	5.6	2.2	राष्ट्रीय आय
4.	वार्षिक योजनाएं (1966-67 से 1968-69)	—	4.0	राष्ट्रीय आय
5.	चौथी योजना (1969-70 से 1973-74)	5.7	3.3	निवल देशीय उत्पाद
6.	पाँचवीं योजना (1974-75 से 1978-79)	4.7	5.1	सकल देशीय उत्पाद
7.	छठी योजना (1980-85)	5.2	5.4*	सकल देशीय उत्पाद
8.	1950-51 से 1978-79	—	3.5	राष्ट्रीय आय

टिप्पणी : पांववीं योजना तक लक्ष्य सामान्य रूप से निवल राष्ट्रीय आय/उत्पाद के संदर्भ में निर्दिष्ट किए गए थे जिसमें पहली बार सकल देशीय उत्पाद के संदर्भ में लक्ष्य निर्दिष्ट किए गए थे ।

महाराष्ट्र में पट्टे पर दी गई नमक कार्यशालाओं

5148. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में अनेक सहकारी समितियों और व्यक्तियों को नमक कार्यशालायें पट्टे पर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यक्तियों और सहकारी समितियों को पट्टे पर दी गई कार्यशालाओं की संख्या, उनके क्षेत्रफल आदि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नमक कार्यशालायें यथासंभव सहकारी समितियों को ही पट्टे पर देना सरकार की नीति है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें व्यक्तियों को पट्टे पर देने के कारण क्या हैं ?

*छठी योजना के चार वर्षों (1980-81 से 1983-84) से संबंधित है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) सहकारी समितियों और व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई नमक कार्यशालाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

(i) सहकारी समितियां :—

नाम	कार्यशालाओं की संख्या	क्षेत्र
मीठागर कामगर	दो	204 एकड़
सहकारी संघ लि०		39 गुन्ठा
पी० ओ० जुकेन्द्रा		
तालुक बसई थाना		
(2) सर्वोदय आदिवासी	दो	242 एकड़
मीठा उत्पादक सहकारी		15 गुन्ठा
संघ लिमिटेड		4 अन्नास
पी० ओ० जुकेन्द्रा		
ताल्लुक बसई थाना		

(ii) व्यक्तियों को :

सिरोधा साल्ट फैक्ट्री के अन्तर्गत 22 एकड़ 38 गुन्ठा 4 अन्नास क्षेत्र में 7 नमक कार्यशालाएं व्यक्तियों को पट्टे पर दी हैं।

(ग) और (घ) सभी से टेंडर मंगाने के पश्चात् सरकार द्वारा नमक कार्यशालाएं पट्टे पर दी जाती है। किन्तु कमजोर वर्ग की सहकारी समितियों को निजी पार्टियों की अपेक्षा अधिमान दिया जाता है। और यदि टेंडर की राशि उचित होती है अर्थात् उच्चतम टेंडरों और इन समितियों के टेंडरों में अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक न होने पर स्वीकार कर लिए जाते हैं।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसों हेतु आवेदन पत्र

5149. **श्री जैनुल बशर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भारी उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंसों हेतु सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो आवेदकों का विवरण क्या है और उनके द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभिराम राव) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में किसी प्रकार का एकक स्थापित करने के लिए सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र की ओर से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति के लिए कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

5150. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन उद्योग अभी भी गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में खनन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) खनन उद्योग सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में है, लेकिन खनिजों (परमाणु और गौण खनिजों को छोड़कर) के उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का योगदान 1982 के दौरान 4,723.00 करोड़ रुपये का था जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान 239.00 करोड़ रुपये था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) खनन उद्योग के महत्वपूर्ण अंग जैसे कोयला, पैट्रोलियम, स्वर्ण आदि पहले ही सरकारी क्षेत्र में हैं।

देश में रंगीन टी० वी० उद्योग का कार्यकरण

5151. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(के) देश में कितने स्थानों पर रंगीन टेलीविजन के कारखाने चल रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि एक फर्म ने राजस्थान के सिरोही जिले में रंगीन टेलीविजन कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो यह कारखाना स्थापित करने के लिए अनुमानित कुल कितने निवेश की आवश्यकता है;

(घ) जिस फर्म का इरादा यह कारखाना स्थापित करने का है उसका नाम क्या है तथा इसका उत्पादन लक्ष्य क्या है; और

(ङ) तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सरकार की रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों की औद्योगिक तथा लाइसेंसिंग नीति के अनुसार केवल विदेशी साम्यापूंजी (इक्विटी) वाली कंपनियों को छोड़कर उन सभी कंपनियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं जिन्होंने ऐसे अनुमोदनों के लिए आवेदन-पत्र दिए थे। आज की तारीख तक लगभग 458 ऐसे अनुमोदन जारी किए गए हैं। जिन इकाइयों/पार्टियों को ये अनुमोदन जारी किए गए हैं वे देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। इसके अलावा, अनेकों इकाइयां अपनी रंगीन दूरदर्शन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इसलिए, उन स्थानों की वास्तविक संख्या बता पाना कठिन होगा जहां आज की तारीख में ये रंगीन दूरदर्शन फैक्टरियां वस्तुतः कार्य कर रही हैं। तथापि, सरकार को मालूम है कि हैदराबाद स्थित भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम स्थित केलट्रॉन; अहमदाबाद स्थित क्राऊन; लखनऊ स्थित अपट्रॉन तथा दिल्ली और बम्बई स्थित अनेक कंपनियों ने उन्हें जारी किए गए औद्योगिक अनुमोदनों को क्रियान्वित करने तथा रंगीन दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) पार्टी द्वारा पूंजी निवेश के बारे में दिए गए ब्यौरे नीचे दिए अनुसार हैं :—

(i)	**भूमि तथा भवन**	**रुपए**
	(i) भूमि (पट्टे पर)	80,000
	(ii) कारखाना शेड 5000 वर्गफुट	3,00,000
	(iii) कार्यालय और गोदाम 100 वर्ग फुट	80,000
(ii)	**मशीनरी और उपस्कर**	5,16,400
	(i) औजारों की लागत	20,000
	(ii) कार्यालय उपस्कर की लागत	24,000
	(iii) संयंत्र स्थापना प्रभार	8,000
	एक माह के लिए कार्यशील पूंजी	36,68,277

(घ) तथा (ङ) पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :—

कंपनी का नाम : मैसर्स वेवट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (प्रस्तावित), ज्वाला बिल्डिंग, सी-21/ए, भगवान दास रोड, जयपुर-302001.

कारखाने का स्थापना स्थल	:	औद्योगिक क्षेत्र, आबू रोड; सिरोही, राजस्थान ।		
उत्पादन लक्ष्य	:	प्रथम वर्ष	—	5000
		द्वितीय वर्ष	—	7500
		तृतीय वर्ष	—	10000

पंजाब में आन्दोलन के दौरान मारे गये लोगों को दिया गया मुआवजा

5152. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वर्ष 1981 से लेकर आज तक कुल कितने लोग मारे गये हैं;

(ख) पंजाब में वर्ष 1981 से लेकर आज तक पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने का ब्यौरा क्या है;

(ग) पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कितने मामलों में न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं;

(घ) इस प्रकार की न्यायिक जांच यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पंजाब में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के कारण हताहत लोगों को सरकार द्वारा दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में नमक निकालना

5153. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने स्थानों पर नमक निकाला जाता है और प्रत्येक स्थान पर कितना नमक निकलता है;

(ख) उन स्थानों की संख्या कितनी हैं जहां नमक तो मौजूद है परन्तु वहां नमक निकाला नहीं जाता है; और

(ग) इस समय प्रतिवर्ष कितना नमक निकाला जा रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) राजस्थान के नमक कारखाने व नमक बनाये जाने के स्थानों का नाम तथा वर्ष 1983 के दौरान उत्पादित नमक की मात्रा का विवरण नीचे दिया गया है :—

कारखाने का नाम	उत्पादन का स्थान	वर्ष 1983 में उत्पादन (.000 मी० टनों में)
सांभर लेक (झील)	सांभर	134.8
पचबडरा	पचबडरा	49.9
डिडवाना	डिडवाना	100.7
	(सरकार क्षेत्र)	40.6
	(गैर-सरकारी क्षेत्र)	
फा-लोदी	मलार रिन और बाप रिन	187.0
कुचामन सिटी	कुचामन	31.5
	सारगौट मिथरी	15.5
सुजानगढ़	तलचाप्पर	32.0
पोखरन	पोखरन रिन गुडी रिन कनोड रिन	9.2
सांभर	जाबड़ी नगर	7.4
कुचामन	उलाना	0.4
	कुल :	609.0

राजस्थान में खारे-पानी के क्षेत्र राजस्थान सरकार के हैं तथा जिन क्षेत्रों को विकसित किया जाना है उनका विवरण संघशासित सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

5155. **श्री के ०बी० एस० मणि** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में नैमित्तिक श्रमिकों को कुछ निश्चित दिनों तक कार्य करने के पश्चात् स्वतः नियमित कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय में पिछले एक वर्ष के दौरान कितने श्रमिकों को नियमित किया गया है;

(घ) उन नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या क्या है जो पिछले दो से अधिक वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है तथा उसके कारण क्या हैं ? और

(ड) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के बारे में सरकार द्वारा 1979 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, उस नैमित्तिक श्रमिक की सेवा को नियमित किया जा सकता हैं जो लगातार दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष में 240 दिन (सेवा की विच्छेद-अवधि सहित) सेवा करता है और जो रोजगार कार्यालय की मार्फत भर्ती की शैक्षिक योग्यताओं तथा आयु संबंधी शर्तें पूरी करता हो। तदनुसार, सभी पात्र नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित कर दिया गया है।

(ग) पिछले एक वर्ष में किसी नैमित्तिक श्रमिक को नियमित नहीं किया गया है।

(घ) ऐसा कोई श्रमिक नहीं है जो दो वर्ष से अधिक समय से काम कर रहा हो।

(ड) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ख) सांख्यिकी विभाग

सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों को गृह निर्माण ऋण

5156. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग तथा दिल्ली और नई दिल्ली में स्थित उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सरकारी आवास के आवंटन के पात्र कितने सरकारी कर्मचारियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान गृह निर्माण ऋण स्वीकृत किये गये तथा कितने मामलों में उनके मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) उनमें से कितनों को सरकारी आवास आवंटित था तथा उनमें से कितने अपने निजी मकानों में चले गये हैतथा उन्होंने आवंटित सरकारी आवास को खाली कर दिया है; और

(ग) संबंधित नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग और

दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित इसके अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों में कार्य करने वाले 29 कर्मचारियों को, जो सरकारी आवास के पात्र थे, पिछले तीन वर्षों के दौरान मकान निर्माण के लिए पेशगियां स्वीकार की गई थीं और 13 मामलों में उनके मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

(ख) जिन 13 व्यक्तियों ने अपने मकानों का निर्माण पूरा कर लिया है, उनमें से 7 को सरकरी क्वार्टर अलाट हुए थे और वे अभी तक उन्ही में रहते चले आ रहे हैं। कुल मिलाकर 29 व्यक्तियों को मकान निर्माण पेशगियां दी गई थीं; उनमें से 17 व्यक्तियों को सरकारी क्वार्टर अलाट हुए थे और उन्हें अभीं तक ये अलाट हुए हैं।

(ग) उन सरकारी कर्मचारियों द्वारा क्वार्टरों को अपने पास रखना, जिन्होंने मकान निर्माण पेशगी वसूल की है और अपने मकान बना लिये हैं किन्हीं संगत सरकारी नियमों और विनियमों का उल्लंघन नहीं है और इसलिये उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

माचिसों को लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए आरक्षित करना

5157. **श्री राम सिंह शाक्य :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र के उद्योग के लिए कुछ मदों को आरक्षित करने का कोई प्रस्ताव है, और यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय का माचिसों को लघु क्षेत्र के उद्योग के लिए आरक्षित करने तथा विमकों को माचिसों का उत्पादन बन्द करने के लिए निदेश देने का कोई प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो माचिस लघु क्षेत्र उद्योग में बनाई जाये उन्हें मशीनों द्वारा बनाई गई माचिसों से प्रतिस्पर्द्धा न करनी पड़े और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मंत्रालय का रक्षा मंत्रालय के केन्टीन स्टोर्स विभाग (भारत) को यह निदेश देने का विचार है कि लघु क्षेत्र के उद्योग में उत्पादित माचिसों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाये तथा स्थानीय डिपों को उसकी स्थानीय खरीद की अनुमति दी जाए तथा विमको की "शिप ब्राण्ड" माचिसों की बिक्री को रोका जाये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) सरकार ने केवल लघु क्षेत्र में विकास हेतु वस्तुओं का आरक्षण कर संबंधी नीति को स्वीकार किया है। नीति की सतत समीक्षा की जा रही है। विद्यमान में अकेले लघु क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए 872 वस्तुएं आरक्षित हैं।

दियासलाइयां केवल लघु क्षेत्र में उत्पादन करने हेतु पहले से ही आरक्षित हैं। लघु क्षेत्र में आरक्षित वस्तु के लिए बड़े उद्योग द्वारा जिसमें विमको भी सम्मिलित है, क्षमता का विस्तार किए जाने की अनुमति नहीं है। केवल नियमित आधार पर कम से कम 75 प्रतिशत उत्पादन के निर्यात दायित्व की शर्त पर अनुमति दी जाती है।

(ग) दियासलाई वर्ग-4 में सम्मिलित वस्तु है अर्थात् केवल लघु क्षेत्र से खरीदी जाने वाली आरक्षित वस्तुओं में से एक है। इस बारे में केन्द्रीय भण्डारण क्रय नीति का कार्यान्वयन करने के लिए मंत्रालयों/विभागों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों को निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

दिल्ली में बिक्री कर

5158. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बिक्री कर की दर समीपवर्ती राज्यों की तुलना में कम है और कुछ मदों पर दिल्ली में कोई बिक्री कर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर बिक्री कर में अन्तर है और यह अन्तर कितना है और वे कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जिन पर दिल्ली में कोई बिक्री कर नहीं है, जबकि समीपवर्ती राज्यों में इन पर बिक्री कर लगा हुआ है और क्या बिक्री कर का भुगतान किये बिना उन वस्तुओं को दिल्ली से बाहर चोरी छिपे ले जाने की संभावना पर रोक लगाने के लिए उन वस्तुओं पर बिक्री कर लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1983 में कितना बिक्री कर एकत्रित किया गया तथा वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 में एकत्रित किए गए बिक्री कर की तुलना में इसकी क्या स्थिति है तथा बिक्री कर निर्धारण को अद्यतन बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : (क) और (ख) संविधान के अधीन, बिक्री कर लगाना राज्य का विषय है। बिक्री कर की दरें प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं। ये दरें आर्थिक स्थिति, संसाधनों को बढ़ाए जाने की आवश्यकता तथा स्थिति-विशेष आदि पर निर्भर करती हैं। पडौस के राज्यों में इस समय प्रचलित बिक्री कर की दरों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, बिक्री कर की दरों में अन्तर के बारे में आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। संघ शासित क्षेत्र में जिन मदों पर बिक्री कर लगाए जाने से छूट दी गई है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण (अनुलग्नक-1) में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8044/84] विवरण में, उल्लिखित श्रेणियों की मदों पर बिक्री कर लगाए जाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वर्ष 1980-81 से 1983-84 (29-2-84 तक) तक बिक्री कर की हुई वसूली इस प्रकार है :—

1980-81	1,55,00,75,654.29 रुपए
1981-83	1,90,89,93,661.29 रुपए
1982-87	2,11,02,06,730.37 रुपए
1983-84 (फरवरी 1984 तक)	1,98,25,15,926.55 रुपए

बिक्री कर मूल्यांकनों को अद्यतन बनाने के वास्ते दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग में अतिरिक्त पद बनाए जाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड तीन के पदों का दर्जा बढ़ाना

5159. **श्री छांगुर राम :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय आर्थिक सेवा की संवर्ग पुनरीक्षा समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई है;

(ख) क्या अन्य केन्द्रीय सेवाओं की भांति भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड-तीन के पदों का दर्जा बढ़ाकर वेतनमान 1500-2000 रु० करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का अन्य सभी केन्द्रीय सेवाओं की भांति सेवा के ग्रेड दो तथा ग्रेड एक को विलय करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कार्मिक विभाग द्वारा इस सम्बम्ध में क्या कदम उठाये गये हैं तथा कार्य के कब तक पूरा किये जाने की संभावना है; और

(ङ) भारतीय आर्थिक सेवा के सेवा शर्तों तथा भावी संभावनाओं में सुधार के लिए आर्थिक सेवा बोर्ड द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) भारतीय अर्थ सेवा की संवर्ग पुनरीक्षा समिति ने सेवा के वर्तमान ग्रेड-1 के स्तर से ऊपर के कुछ पदों को शामिल करने की सिफारिश की है।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भारतीय अर्थ सेवा की संवर्ग संरचना की भारतीय अर्थ सेवा बोर्ड द्वारा निरन्तर समीक्षा की जा रही है ताकि भारतीय अर्थ सेवा की भावी संभावनाओं में सुधार लाया जा सके भारतीय अर्थ सेवा के अधिकारियों की सामान्य सेवा शर्तें उसी प्रकार की है, जो अन्य केन्द्रीय सेवाओं के समूह 'क' के सदस्यों के लिए लागू हैं।

उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र के डाउन स्ट्रीम एल्यूमिनियम उत्पाद

5160. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० आई० डी० सी० द्वारा उड़ीसा में अगुंल एल्यूमिनियम संयंत्र के डाउन स्ट्रीम एल्यूमिनियम उत्पादों का बाजार-सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है तथा मंत्रालय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा प्रतिवेदन की जांच-पड़ताल की गई है तथा उद्योगों का स्वरूप निश्चित करने के लिए कोई निर्णय लिया गया गया है; और

(घ) उनमें से कितने उद्योग सरकारी क्षेत्र तथा कितनी निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाएंगे तथा उन सहायक उद्योगों के नाम क्या हैं जिनका एल्यूमिनियम के विभिन्न उपयोगों तथा उत्पादों हेतु स्थापित करने के लिए पता लगाया गया हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी (नाल्को) की हाल ही में एन० आई० डी० सी० से बाजार सर्वे रिपोर्ट मिली है, जो विचाराधीन है। इस बीच परवर्ती उद्याग-सुविधाओं की साध्य..। रिपोर्ट बनाने के लिए इंजीनियरी परामर्शदाता तैनात किया जा रहा है। उस साध्यता रिपोर्ट की जांच के अधार पर स्थापित की जाने वाली परवर्ती उद्योग-इकाइयों के बारे में सरकार निर्णय करेगी।

जहां तक सहायक उद्योगों का सवाल है, नाल्को ने सहायक उद्योगों के बारे में पता कर लिया है, जो निर्माण के दौरान, जरूरी होंगे और इस बारे में कंपनी उड़ीसा सरकार के निकट सम्पर्क में है। उत्पादन की शुरूआत के बाद अपेक्षित सहायक उद्योगों की स्थापना के बारे में तभी अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है, जब सभी बड़े उपकरणों की खरीद के आर्डर दे दिए जाएंगे तथा परियोजना पूर्ण होने की स्थिति में होगी।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए परिवहन राजसहायता योजना

5161 : **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पर्वतीय, सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में परिवहन राज सहायता योजना शुरु कर रही है ताकि ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में उद्यमियों को औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार भी राज सहायता देने का क्या मानदंड है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीपट्टाभि राम राव) (क) जी, हां।

(ख 23 जुलाई, 1971 को घोषित और 31.3.1983 तक समय-समय पर यथासंशोधित परिवहन राजसभा योजना में चुने हुए क्षेत्रों में कच्ची सामग्री लाने और वहां से तैयार माल बाहर ले जाने की परिवहन लागत की 50 प्रतिशत तक परिवहन राजसहायता चुने हुए क्षेत्रों में औद्योगिक एककों को देने की परिकल्पना की गई है।

इस योजना में जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र जिनमें देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी-गढ़वाल टेहरीगढ़वाल, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और

चमोली जिले शामिल हैं; तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य तथा अरुणाचल और मिजोरम के संघशासित प्रदेश तथा सिक्किम राज्य और अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघशासित प्रदेश शामिल हैं।

चुनींदा रेल शीर्ष/पत्तन और उपरोक्त राज्यों/संघशासित प्रदेशों में औद्योगिक एकक के स्थल के बीच की परिवहन लागत पर राजसहायता का भुगतान किया जाता है।

योजना को 1.4.1983 से उदार बना दिया गया है तथा राजसहायता की राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है। मान्यता प्राप्त संवर्धनकारी संस्थाओं को, जो लघु, ग्राम और कुटीर उद्योगों की ओर से कारोबार करते हैं तथा जो राजसहायता के पात्र नहीं है उन्हें योजना के अंतर्गत लाया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए गृह मंत्रालय के संवर्ग में अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्ति के लिए आरक्षण

5162. **श्री टी० एस० नेगी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) ने सभी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को आदेश जारी किए है कि ऐसे लोगों में से, जो जोन में तो है परन्तु सिलेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्त करते समय अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखा जाए;

(ख) यदि हां, तो 1982 के लिए सिलेक्ट लिस्ट (वरिष्ठता कोटा) के जोन में शामिल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी थी जिन्हें 30 दिसम्बर, 1983 को जारी की गई सिलेक्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है;

(ग) क्या इन अधिकारियों को उपरोक्त (क) में उल्लिखित आदेशों के अंतर्गत गृह मंत्रालय संवर्ग में दीर्घाविधि रिक्तियों पर नियुक्त किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) जी, हां।

(ख) 65

(ग) तथा (घ) : दिनांक 30.12.83 को जारी प्रवर सूची (वरिष्ठता कोटा) के बाद, गृह मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में कोई लम्बी अवधि की नियुक्ति नहीं की गई है।

केरल में पश्चिमी घाटों का विकास

5163. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पश्चिमी घाटों के विकास की योजना है;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए कोई धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पांचवीं और छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल राज्य को आवंटित की गई विशेष केन्द्रीय सहायता और छठी योजना के आवंटन से संबंधित वर्ष-वार विवरण नीचे दिए गए हैं :—

(लाख रु०)

राज्य	पांचवीं पंचवर्षीय योजना 1974-80 (आवंटन)	छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 (आवंटन)	के लिए आवंटन 1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
केरल	656.28	1780.00	224.00	321.18	346.00	444.00

व्यवसायिक पदों का भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भरा जाना

5164. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय मन्त्रालयों में अनेक व्यावसायिक पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा भरा गया है जिससे व्यावसायिक कर्मचारी वृन्द में असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या सरकार निर्माण और आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, विधि आदि तकनीकी मंत्रालयों में पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए तत्काल निषिद्ध घोषित करेगी जैसा कि हाल ही में पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है (बी० एस० 22/2/84); और

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में शीर्ष व्यावसायिक अधिकारियों की नियुक्तियों संबंधी अपनी सभी नीतियों का एक उच्चाधिकार समिति नियुक्त करके पुनरावलोकन करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारत सरकार के सचिवालय में केवल केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन आने वाले पदों पर ही भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं और विभिन्न समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं : केन्द्रीय स्टाफिंग योजना में शामिल पदों के मामले में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ व्यावसायिक सेवाओं से सम्बद्ध अधिकारियों पर भी विचार किया जाता है और प्रत्येक पद की विशिष्ट अपेक्षाओं और केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध अधिकारियों की अर्हताओं और उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए चयन किया जाता है।

भारत सरकार के जो पद केन्द्रीय स्टाफिंग योजना से बाहर होते हैं, उन पर मुख्यतः ऐसे व्यावसायिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जो कि ऐसी विभिन्न तकनीकी अथवा एक तरह के कार्य वाली सेवाओं के सदस्य होते हैं, जो कि उनके लिए अधिकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष रूप से गठित की गई हों।

(ग) जी, नहीं। सार्वजनिक उद्यमों में शीर्षस्थ पदों के लिए चयन लोक उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिशों को ध्यान में रखकर किया जाता है। चयन को अन्तिम रूप देते समय स्तर-I (मुख्य अधिकारी) के पदों के मामले में प्रशासनिक मन्त्रालय के सचिव को और स्तर-II (कार्यकारी निदेशक) के पदों के मामले में प्रशासनिक मन्त्रालय के सचिव और संगठन के मुख्य अधिकारी को सहयोजित किया जाता है।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण समाप्त किया जाना

5165. **श्री सूरज भान** : क्या गृह मंत्री केन्द्रीय सेवाओं में गत 4 वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अनारक्षित किए गए पदों की संख्या के बारे में निम्नलिखित प्रफोर्मा के अनुसार पृथक-पृथक जानकारी दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे :

एक

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण

श्रेणी एक, श्रेणी दो, श्रेणी तीन, श्रेणी-चार

(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)

1980

1981

1982

1983

दो

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण

श्रेणी एक, श्रेणी दो. श्रेणी तीन, श्रेणी-चार

(सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1980 से 1983 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के अनारक्षण को दर्शाने वाला विवरण

I

अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण

वर्ष	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ" (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)
1980	277	628	1918	71
1981	246	543	2043	78
1982	145	459	2053	87
1983	202	585	1744	70

II

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण

वर्ष	समूह "क"	समूह "ख"	समूह "ग"	समूह "घ" (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)
1980	211	463	2084	149
1981	165	400	3312	209
1982	119	421	2670	244
1983	167	239	2592	206

खनिजों पर रायल्टी

5166. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिजों पर रायल्टी में वर्तमान चार वर्षों के आधार के बजाए तीन वर्षों के आधार पर संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों से मिलने वाले खनिज पर रायल्टी में संशोधन के प्रस्तावों को काफी देरी से निपटाया गया है जिससे इन राज्यों को भारी वित्तीय हानि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस घाटे की क्षति पूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 में यह व्यवस्था है कि रायल्टी की दरें चार वर्ष की अवधि में एक बार से अधिक नहीं बढ़ाई जाएंगी। अधिनियम में संशोधन के प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है।

(ग) और (घ) अधिकांश मुख्य खनिजों की रायल्टी दरें 1981 में संशोधित की गई थीं। खनिजों पर रायल्टी के वृद्धि के प्रस्तावों पर सभी संबंधित पक्षों तथा राष्ट्र के सकल हितों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

मंत्रालयों में दिहाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता

5167. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को कारखाना अधिनियम के अंतर्गत दिहाड़ी से दुगना समयोपरि भत्ता देने के आदेश जारी किए है; और

(ख) यदि हां, तो केवल केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और कार्यालयों में दिहाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिहाड़ी के ही बराबर समयोपरि भत्ता देने के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) (क) तथा(ख) कारखानों में काम करने वाले कामगारों को समयोपरि भत्ता कारखाना अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिया जाता है किन्तु केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा कार्यालयों में दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता सरकार द्वारा अलग से जारी किये गये आदेशों के अधीन दिया जाता है। इन दोनों वर्गों के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, कार्य का स्वरूप तथा कार्य के घण्टे अलग-अलग हैं। इसलिए इन कर्मचारियों के बीच समयोपरि भत्ते के भुगतान के संबंध में कोई तुलना किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

20—सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति

5168. **श्री बी० के० नायर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाओं की प्रगति पर निकट से निगरानी रखने और उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने की कोई योजना है;

(ख) कार्यान्वियन तंत्र प्राय: अपर्याप्त हैं और वास्तविक रूप में इनका निष्पादन उसकी वित्तीय रूप से प्राप्त की गई उपलब्धि की तुलना में बहुत कम है;

(ग) विभिन्न स्तरों पर गैर-सरकारी सहयोग को और निकट लाने के माध्यम से इस अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कितनी धनराशि को व्ययगत होने की अनुमति दी गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति का प्रबोधन प्रत्येक मास और हरेक तिमाही में किया जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर प्रबोधन समितियां स्थापित की गई है। जिला, और खंड स्तर पर समितियों में संसद सदस्य, विधान सभा के लोगों के गैर सरकारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(घ) परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम दि० 14.1.1982 को घोषित किया गया था और उसका कार्यान्वियन 1982-83 की वार्षिक योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मदों के लिए वर्ष 1982-83 और 1983 84 के वर्षों के लिए केरल सरकार द्वारा अनुमोदित परिव्यय/प्रत्याशित व्यय/परिशोधित प्रस्तावों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

केरल में 20 सूत्री कार्यक्रम से सम्बन्धित परिव्यय/व्यय

(लाख रु०)

सूत्र सं०	मद	1982-83		1983-84	
		अनुमोदित परिव्यय	प्रत्याशित व्यय	अनुमोदित परिव्यय	राज्य द्वारा परिशोधित
1	2	3	4	5	6
1.	सिंचाई क्षमता	5165	5291	6670	6310
2.	दालें और तिलहन	28	28	27	27

3.	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1350*	1481	1386	1386
4.	भूमि सुधार	600	486	600	556
5.	कृषि श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी	3	3	3	3
6.	बंधुआ मजदूरी का पुनर्वास	8	8	5	5
7.	अनुसूजित जाति और अनुसूचित जनजाति का कल्याण	435	513	435	435
8.	ग्रामीण जलपूर्ति	741	653	711	711
9.	ग्रामीण आवास	210	133	314	327
10.	गंदी बस्ती सुधार	75	65	65	75
11.	विद्युत	5000	4823	6250	6250
12.	(क) वन उद्योग	29	29	40	40
14.	ग्रामीण स्वास्थ्य	126	190	186	219
15.	एकीकृत सामुदायिक विकासस्कीम	340	284	391	316
16.	प्रारम्भिक और प्रौढ़ शिक्षा	322	445	315	315
18.	ख ग्राम और लघु उद्योग	850	789	900	902

टिप्पणी :—सूत्र सं० 1ख, 12ख, 13,17,18क, 19 और 20 के लिए राज्य योजना में कोई परिव्यय नहीं है।

मध्य प्रदेश के लिए औद्योगिक लाइसेंस देना

5169. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1983-84 के दौरान औद्योगिक लाइसेंस देने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) अब तक कितने आवेदनों को निपटा दिया गया है और कितने अभी लम्बित पड़े हैं ?

* इसमें सामुदायिक विकास और पंचायती राज के लिए व्यवस्था शामिल है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष 1983-84 (21.3. 1984 तक) में मध्य प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों की स्वीकृति हेतु 150 औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त 150 आवेदनों में से 99 प्रस्ताव निपटा दिये गए हैं और शेष 62 आवेदन-पत्र विचार की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

औद्योगिक विकास और नियमन अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्रों हेतु लाइसेंस शुल्क में वृद्धि

5170. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :**

श्री लक्ष्मण मलिक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने औद्योगिक (विकास और नियमन) अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसों अथवा पंजीकरण प्रमाणपत्रों को शुल्क वर्तमान 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से लाइसेंस शुल्क बढ़ाया गया है; और

(ग) बढ़ा हुआ शुल्क किस तारीख से लागू हुआ है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) यह वृद्धि लाइसेंसीकरण प्रणाली के आयोजन की लागत में हुई वृद्धि पर विचार करने के बाद की गई है।

(ग) 1 मार्च, 1984

दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण संस्थान

5171. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रशिक्षण हेतु राजधानी में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो यह दिल्ली में कहां स्थापित हैं; और प्रशिक्षण अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को क्या सुविधाएं दी जाती है;

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त संस्थानों में से किसी में कुछ अनियमितताओं और जातिवाद की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	अनुशिक्षण संस्थान का नाम और स्थान	परीक्षा, जिसके लिए अनुशिक्षण दिया जाता है।	उपलब्ध सुविधाएं
1.	राउ "स आई० ए० एस० स्टडी सर्कल (प्रा०) लि० नं० 44/10, हैली रोड, नई दिल्ली-11001,	सिविल सर्विसस परीक्षा	मुफ्त अनुशिक्षण दिया जाता है। भोजन/ रखरखाव प्रभार, केवल क्रम सं० 1,2,3 और 6 पर उल्लिखित संस्थानों में पात्र उम्मीदवारों को निर्धारित दरों पर दिया जाता है।
2.	एस० एन० दास गुप्ता कालेज, 25-बी० पूसा रोड, नई दिल्ली	(क) भारतीय आर्थिक और सांख्यकीय सेवा परीक्षा। (ख) जीवन बीमा निगम/सामान्य बीमा निगम (प्रशासनिक अधिकारी) परीक्षा।	
3.	प्रौढ़ सतत शिक्षा और विस्तार केन्द्र (दिल्ली विश्वविद्यालय) कमरा संख्या 22,33, छात्र मार्ग, दिल्ली-110007.	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के लिए प्रोबेशनरी अधिकारी परीक्षा।	
4.	जानकी देवी महाविद्यालय (दिल्ली विश्व-विद्यालय), सर गंगाराम हस्पताल मार्ग, नई दिल्ली-110060	राष्ट्रीयकृत बैंकों में भर्ती के लिए लिपिक श्रेणी परीक्षा (केवल छात्राओं के लिए)	
5.	अनुसूचित जातियों के लिए परीक्षा पूर्व अनुशिक्षण केन्द्र, बी-61/32, रामजस रोड, करोल बाग, दिल्ली (दिन और रात्रि पाली)	लिपिक/आशुलिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक/लेखाकार/सहायक/पुलिस उपनिरीक्षक (कार्यकारी) परीक्षाएं आदि और राष्ट्रीयकृत् बैंकों में लिपिक/प्रोबेशनरी अधिकारी परीक्षा।	
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।	अंग्रेजी साहित्य में सुधार और एम फिल/पी० एच० डी० छात्रों का अभिव्यक्ति कौशल	

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कार्यालयों प्रयोगशालाओं में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के पैनल की अदला बदली

5173. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान कार्यालयों प्रयोगशालाओं में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों को उनके अलग-अलग कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए अभ्यार्थियों के पैनल की अदला बदली करके भरा जाता है;

(ख) क्या किसी भी श्रेणी के किसी भी खाली पद को विज्ञापित नहीं किया जाता है, और यदि नहीं, तो नियमों के अनुसार विज्ञापन देकर कितने पदों को भरा गया; और

(ग) जनवरी 1980 से फरवरी 1984 तक की अवधि के दौरान उक्त विभाग के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में नियमों के उल्लंघन और की गई अनियमितताओं का क्या ब्यौरा है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु उर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) कुछ पदों को छोड़कर, जिनके लिये अन्य प्रयोगशालाओं, सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और विश्वविद्यालयों से नाम आमंत्रित किये जाते हैं, सी० एस० आई० आर० मुख्यालय में रिक्त पदों को विज्ञापित किया जाता है ।

नियमों के अनुसार विज्ञापन देने के बाद, जिन पदों को भरा गया है की संख्या सी० एस० आई० आर० की विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थानों से ज्ञात की जा रही है ।

(ग) उपलब्ध रिकार्ड से यह देखा जा सकता है कि जनवरी 1980 से फरवरी 1984 तक की अवधि में भर्ती —नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है । यदि कोई विशिष्ट मामला सी० एस० आई० आर० की जानकारी में लाया जाता है तो उस पर तुरन्त गौर किया जाएगा ।

रुग्ण एककों की स्थिति को सुधारने का प्रस्ताव

5174. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इम्पलाइज फैडरेशन आफ इंडिया के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई अपील की ओर दिलाया गया है जिसमें रुग्ण एककों की स्थिति को सुधारने के लिए अधिग्रहण के अलावा तत्काल विकल्प खोजने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(ग) इस समय सरकार की नजर में रुग्ण मिलों का ब्यौरा क्या है और उनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) रुग्ण उद्योगों संबंधी वर्तमान नीति के अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा नैदानिक अध्ययन के आधार पर इस पहलू की जांच की जाती है कि क्या रुग्ण एकक को समुपयुक्त अभ्युपायों द्वारा पुनरूज्जीवित किया जा सकता है, वे स्वस्थ कम्पनियों द्वारा रुग्ण एककों का अभिग्रहण कर लिये जाने जैसे अन्य समाधानों का पता लगाने का भी प्रयास करते हैं। यदि इन प्रयासों से रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवित होने की संभावना नहीं रहती है तो सरकार इस बात पर विचार करती है कि क्या एकक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए अथवा किसी अन्य विकल्प से उपक्रम पुनरुज्जीवित किया जा सकता है। जब कोई भी हल संभाव्य नहीं लगता है तो बैंक और वित्तीय संस्थान सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार उपक्रमों से अपनी बकाया राशि वसूल कर लेते हैं।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किये गए आंकड़ों (अनन्तिम) के अनुसार, दिसम्बर 1982 के अंत में (एक करोड़ रुपये और अधिक की ऋण सीमा वाले) 450 बड़े रुग्ण औद्योगिक एकक थे। अक्तूबर, 1981 में, सरकार द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए औद्योगिक रुग्णता संबंधी संशोधित नीति की घोषणा की गई थी। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रमुख बातें लोक सभा में दिनांक 24 मार्च, 1982 को पूछे गए अता० प्रश्न सं० 4974 के उत्तर में प्रस्तुत की गई थीं।

पश्चिम चम्पारण बिहार में नमक का अभाव

5175. **श्री जगपाल सिंह**

स्वामी इन्द्रवेश :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 फरवरी, 1984 के "नवभारत टाइम्स" में "लाखों लोग नमक नमककों तरसें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारण तथा निकटवर्ती इलाकों में नमक अभाव तथा दुकानों से प्राप्त नमक में आयोडीन का न पाया जाना जिससे घंघा, रतौंदी, मन्द मानसिक विकास आदि बिमारियों का बहुतायत में होने आदि मुद्दों पर विचार कर सुगमता से नमक उपलब्ध कराए जाने हेतु कारगर कार्यवाही की जाएगी; और

(ग) क्या नमक की ब्लैक में बिक्री को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई है तथा इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

बिहार सरकार से बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन जिले में आयोडीकृत नमक की कमी के बारे में कुछ समाचार मिले हैं। जनवरी-फरवरी, 1984 में नमक की कम सप्लाई मुख्यत: इस कारण हुई थी कि राज्य सरकार के नामित व्यक्तियों ने केवल 3,622 मी० टन नमक के लिए निविदाएं भेजी थीं; जबकि इस अवधि के 7150 मी० टन का आवंटन किया जाना था।

(ख) और (ग) बिहार सरकार से अपने नामित व्यक्तियों को सलाह देने का अनुरोध किया गया है कि वे इन जिलों की समग्र आवश्यकता के लिए समय से निविदा दिया करें ताकि नमक की कोई कमी न होने पाये। मैसर्स हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड से उनके पास लम्बित निविदाओं पर संभरण करने तथा रेलवे के पास लम्बित सभी निविदाओं को निपटाने का अनुरोध किया गया है। रेलवे बोर्ड ने आयोडीकृत नमक को प्राथमिकता के आधार पर खाराघोड़ा से बिहार ले जाने के लिए निविदाओं को स्वीकृति देने के लिये सम्बन्धित रेल प्राधिकरणों को अनुदेश दे दिये हैं।

चम्पारन जिले को भेजे गए नमक में आयोडीन का अंश न होने, इसके कारण किसी प्रकार की बीमारी की घटना होने या कालाबाजारी होने के बारे में कोई भी शिकायत नहीं मिली है।

देश में हाथियों की संख्या

5176. **श्री बृज मोहन मेहन्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने हाथी हैं और क्या उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार हाथियों की संख्या में सन्तुलन बनाए रखने के लिए हाथियों का निर्यात करने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या भारत में हाथियों की कुछ जातियां समाप्त हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारत में जंगली हाथियों की आबादी का स्तरीय (स्टेटस) सर्वेक्षण प्रगति पर है। एक प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार आबादी लगभग 15,950 है तथा राज्यवार ब्यौरा निम्नप्रकार है :

आंध्र प्रदेश	2,000
असम	1,900
मेघालय	2,500
मणिपुर	150
त्रिपुरा	150
नागालैण्ड	250
मिजोरम	250
उत्तर प्रदेश	500
कर्नाटक	2,100
तमिलनाडु	2,300

केरल	1,400
बिहार	300
उड़ीसा	2,000
पश्चिम बंगाल	150
योग :	15,950

अन्तिम आंकड़े असम, मेघालय, नागालैण्ड, केरल तथा अरूणाचल प्रदेश जिन्हें इस मामले में उचित राय दे दी गई है, में गणना पूर्ण होने पर ही मालूम होंगे ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी नहीं। भारत में हाथी की केवल एक ही जाति है ।

पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1981 को स्वीकृति

5177. **श्री अमरराय प्रधान : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (दूसरा संशोधन) अधिनियम 1981 जिसे बाद में संशोधन अधिनियम कहा जाएगा, को पश्चिम बंगाल विधान सभा ने 9 अप्रैल, 1982 को पारित कर दिया था और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए दो वर्ष पूर्व दिल्ली भेज दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार से 25 जनवरी, 1984 को कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगे गए थे । उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है ।

सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा किया अनुसंधान कार्य

5178. **श्री के० राम मूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापना से अब तक क्या अनुसंधान कार्य किया गया है;

(ख) इन अनुसंधान कार्यों, का हुडको सी० पी० डब्ल्यू० डी०, एन० बी० ओ०, एन० पी० सी० सी० और सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा कहां तक उपयोग किया गया है; और

(ग) क्या सीमेंट अनुसंधान संस्थान को कोई वित्तीय सहायता दी जा रही है और यदि हां, तो प्रतिवर्ष कितनी सहायता दी जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान के अनुसंधान और विकास संबंधी प्रयासों में सीमेंट उद्योग का सम्पूर्ण क्षेत्र अर्थात् कच्ची सामग्री से लेकर उत्पादन प्रक्रियां, डिजाइन और विकास, सीमेंट, कंक्रीट ढांचे की तकनीक और उपभोक्ता संरक्षण आदि सम्मिलित है। यह संस्थान चूना, एस्बेस्ट्स सीमेंट, प्रिकास्ट-कंक्रीट आदि जैसे सम्बद्ध उद्योगों के अनुसंधान और विकास प्रयासों में अपनी सेवाएं और सहायता प्रदान करता है।

संस्थान ने जानकारी दी है कि उसने अभी तक 87 योजनाबद्ध परियोजनाओं और 125 प्रायोजित परियोजनाओं को पूरा कर लिया है। पूरी की गई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिनमें संस्थान के अनुसंधान और विकास प्रयासों का विभिन्न संगठनों द्वारा उपयोग किया गया है ब्यौरा निम्नलिखित है :—

हुडको और एन० पी० सी० सी० : कंक्रीट प्रौद्योगिकी, किस्म नियंत्रण और कंक्रीट ढांचे की मरम्मत और पुनर्स्थापना करने में कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग : कंक्रीट ढांचे के टिकाऊपन के बारे में विशेषकर प्रयोग किए गए जल की किस्म तथा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के बारे में सुधार करना।

एम० बी० ओ० : कंक्रीट मिश्रित डिजाइन, रेडी मिक्स कंक्रीट, निर्माण कार्यों में कंक्रीट का परीक्षण करने की सम्बन्धित प्रक्रिया तथा गुणवत्ता में सुधार करना।

(ग) संस्थान के अनुसंधान और विकास प्रयासों में सीमेंट उद्योग द्वारा दिए गए योगदान के अलावा, सरकार भी संस्थान को अनुदान सहायता देती है। पिछले 4 वर्षों में दी गई अनुदान सहायता की राशि निम्नप्रकार है :

वर्ष	लाख रु० में
1979-80	36.33
1980-81	38.00
1981-82	38.00
1982-83	32.22

विवरण

सीमेंट अनुसंधान संस्थान द्वारा पूरी की गई महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास परियोजनाएं :

1. भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त देशी प्रि-केल्सीनेटर की डिजाइन और विकास।
2. सीमेंट संयंत्रों की डिजाइन बनाना एवं विकास करना।

3. सीमेंट उत्पादन हेतु चूना पत्थर निक्षेपों को बढ़ाने का मानदण्ड ।
4. औद्योगिक कचरे और घटिया किस्म की कच्ची सामग्री का उपयोग ।
5. सीमेंट और सीमेंट संबंधी कच्ची सामग्री का विश्लेषण करने के लिए तेजी से उपाय करना ।
6. सीमेंट संयंत्रों व मशीनों का मानकीकरण ।
7. सीमेंट संयंत्रों का उत्पादन बढ़ाना ।
8. क्लिंकरों की अनुपयुक्तता के कारण ।
9. राइस हस्क ऐशबाइन्डर का विकास ।
10. सीमेंट को पैक करने की सुधरी व्यवस्था ।
11. उपयुक्त रेडी मिक्स कंक्रीट प्रौद्योगिकी का विकास ।
12. कंक्रीट ढाँचों का कमजोर होना व टूटना-फूटना ।
13. पुनर्बलित कंक्रीट ढाँचों पर रसायनों का प्रभाव ।
14. उच्चतर अभिघाती पर्यावरण के लिए कंक्रीट की नीवें ।
15. कंक्रीट/ढाँचों का अहानिकारक परीक्षण ।
16. विद्युत वितरण खम्बों के लिए मितव्ययी डिजाइनें ।
17. पूर्वबलित कंक्रीट रेलवे स्लीपर ।

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति

5179. **श्री अनवार अहमद:** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि 20-सूत्री कार्यक्रम का लाभ गरीबों और पिछड़े वर्ग को मिल रहे हैं, सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) फरवरी, 1984 तक (त्रिपुरा को छोड़कर जिसकी रिपार्ट दिसम्बर, 1983 तक है) राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 8045/84]

(ख) और (ग) यद्यपि उक्त कार्यक्रम का प्रबोधन मासिक और त्रैमासिक आधार पर किया जा रहा है, सरकार द्वारा इस बात का पता लगाने के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम का लाभ गरीबों और पिछड़े वर्गों को मिल रहा है, कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, योजना

आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और कुछ मदों का मूल्यांकन आरम्भ किया है।

राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राज्यपालों की रिपोर्ट

5180. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों संबंधी राज्यपालों की रिपोर्ट समय पर पारित और आदिवासी कल्याण योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने में उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार इन रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए एक तंत्र बनाने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : (क) और (ख) यह मंत्रालय राज्यपाल की रिपोर्ट समय पर भेजने के संबंध में राज्य सरकारों से सम्पर्क करता है। राज्यपाल की रिपोर्ट प्राथमिक रूप से अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक तथा विकासात्मक उपायों के संबंध में होती हैं। जनजाति उप-योजनाएं तैयार करते समय इन रिपोर्टों में दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखा जाता है। इन रिपोर्टों में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए किसी पृथक तंत्र की आवश्यकता नहीं समझी गई है।

रुग्ण एककों का राष्ट्रीयकरण करने की मांग

5181. **श्री तारिक अनवर** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार से रुग्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में यह मांग की गई है;

(ग) क्या सरकार का उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ड) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) (क) और (ख). बंबई की सूती कपड़ा मिलों के एक भाग का राष्ट्रीयकरण करने का विरोध करते हुए भारतीय नियोक्ता संघ द्वारा 14.10.1983 को एक तार भेजा गया था।

(ग) से (ड़) वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध का अभिग्रहण) अध्यादेश, 1983 18.10.1983 को प्रख्यापित किया गया था जिसके द्वारा अध्यादेश की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कंपनियों के वस्त्र उपक्रमों के प्रबंध का अभिग्रहण उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण न होने तक किया गया था।

उड़ीसा में उद्योगों का विकास

5182. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा का राज्य सरकार द्वारा राज्य में उद्योगों के विकास के लिए तैयार की गई योजनाएं और कार्यक्रम किस प्रकार चले हैं;

(ख) अन्य राज्यों के उद्योगपतियों को आकृष्ट करने के लिए अब तक क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) राज्य में उद्योगों को बढ़ाने के लिए अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(घ) राज्य में उद्योगों में विकास के लिए उनके मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को सुविधाएं मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) चूंकि यह विषय पूरी तरह से राज्य सरकार से सम्बन्धित है, अतः केन्द्र सरकार का उद्योग मंत्रालय इस प्रकार की सूचना इकट्ठी नहीं करता है।

(घ) से (ङ) राज्य द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों के अलावा, उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय रियायतें उपलब्ध हैं :—

1. केन्द्रीय निवेश राजसहायता।
2. अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाएं।
3. इंजीनियर उद्यमियों के लिए, ब्याज राजसहायता।
4. मूल/सीमांत (मार्जिन) धनराशि की सहायता।
5. करसम्बन्धी रियायतें।
6. किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की खरीद सम्बन्धी सुविधाएं।
7. तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श।
8. केन्द्रस्थ संयंत्रों के लिए रियायतें।
9. एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों को निर्यात दायित्व कम करके परिशिष्ट-1 के अन्तर्गत न आने वाले ऐसे उद्योगों की, जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं हैं, स्थापना करने सम्बन्धी रियायतें।

उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों पर लागू केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा सरकार को 1971 में योजना के शुरू हो जाने के बाद 29.2.1984 तक 4.54 करोड़ रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई है।

राजस्थान आणविक बिजलीघर का कार्यकरण

5183. **डा० कृपा सिन्धु भोई :**

श्री बृज मोहन महन्ती : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान आणविक बिजलीघर पूरी क्षमता से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष इससे कुल कितनी बिजली का उत्पादन हुआ ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट अपनी लगभग पूरी क्षमता पर संतोषजनक रूप से काम कर रहा है। बिजलीघर के पहले यूनिट में दक्षिणी एंड शील्ड की मरम्मत की जा रही है।

(ख) सन् 1983 में राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट में लगभग 1023 मिलियन यूनिट बिजली पैदा हुई। इस यूनिट के लिए वित्त वर्ष 1983-84 में 1035 मिलियन यूनिट बिजली के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसकी तुलना में फरवरी, 1984 तक यह यूनिट 1088 मिलियन यूनिट बिजली पैदा कर चुका है।

केरल में सोने का भण्डार

5184. **श्री जेवियर अराकल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां सोना पाया गया है, और इसका पता कब लगा, इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या यह सच है कि केरल में सोने की खानों का पता लगाने और उनका दोहन करने के लिए वहां पर कर्मचारी अथवा उपकरण नहीं हैं और कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) नीलाम्बर घाटी में चेलियारपुझा और पुनापुझा क्षेत्रों में स्वर्णधारी जलोढ़ कंकर मौजूद हैं। वायनाड जिले के कुछ भागों तथा मालापुरम जिले के नीलाम्बर क्षेत्र तथा केरल में कन्नानौर जिले के मनानटोडी क्षेत्र में भी स्वर्ण की प्राथमिक परतों का पता चला है।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और केरल राज्य सरकार द्वारा किए गए अन्वेषण की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में स्वर्ण की प्राप्ति हेतु कंकड़ों की धुलाई के लिए एक चल संयंत्र बनाया गया है। इन निक्षेपों का वाणिज्यिक दोहन उनकी प्रौद्यो-आर्थिक उपादेयता पर निर्भर करेगा ।

कर्नाटक में 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति

5186. **श्री के० लकप्पा : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि कर्नाटक में 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में शिथिलता आयी है;

(ख) क्या इस प्रकार की खबरें मिली हैं कि राज्य में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले लाभ उन्हें नहीं मिल रहे हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कमज़ोर वर्गों के लोगों को पूरे लाभ मिलें ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण : (क) जी, नहीं । संलग्न विवरण से यह देखा जाएगा कि मासिक प्रगति रिपोर्ट में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित और प्रबोधन किए जाने वाले 21-सूत्रों में से फरवरी, 1984 तक अर्थात् वर्ष 1983-84 के 11 महीनों का कर्नाटक कार्यनिष्पादन पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि की अपेक्षा 14 मदों के बारे में बेहतर था । तथापि, शेष की 7 मदों का कार्य-निष्पादन कम था ।

(ख) और (ग) अनुपयुक्त कार्यान्वयन और अयथार्थ सूचना देने से सम्बन्धित कुछ आरोपों वाले चार पत्र वर्ष 1982 में प्राप्त हुए और लगभग उन्हीं विषयों पर 11 पत्र 1983 में प्राप्त हुए । ये सभी पत्र उपयुक्त कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं । राज्य सरकार को प्रत्येक वर्ष 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत उसके कार्य-निष्पादन के बारे में बताने के लिए लिखा जाता है और उनके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है ताकि कमजोर वर्गों को पूरे लाभ प्राप्त हो सकें । इसके अलावा, राज्य स्तरों (मुख्य मन्त्री और मुख्य सचिव के अधीन) और जिला स्तरी और खंड स्तरों पर लोगों के गैर-सरकारी प्रतिनिधि इन समितियों से संबद्ध हैं जो इस कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन को देखती हैं ।

विवरण

मासिक प्रगति रिपोर्ट—20 सूत्री कार्यक्रम, चुनी हुई मदें-राज्य-कर्नाटक-फरवरी 1984

सूत्र सं०	मद	यूनिट	1983-84 के लक्ष्य	मास के दौरान उपलब्धि	संचयी उपलब्धि	प्रतिशत उपलब्धि	
						फर० 84	फर० 83
3-क	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	लाभान्वित परिवारों की सं०	135000	26090	121055	89.7	145.1
ख	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	श्रम दिवस	17538000	2170000	17009000	95.0	94.4
4	आवंटित की गई वेशी भूमि	एकड़	55000	152	6172	11.2	85.6
5.	बंधुआ मजदूरों के पुनर्वासित परिवार	संख्या	10000	93	2110	21.0	97.9
7.	आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त परिवार	संख्या					
	(क) अनुसूचित जाति	संख्या	145796	15309	112784	77.4	52.3
	(ख) अनुसूचित जनजाति	संख्या	3785	313	2865	75.7	134.8
8.	हल की गई पेय जल की समस्या	गांवों की संख्या	7728	583	3863	50.0	188.4
9.(क)	आवंटित की गई मकान बनाने की जगहें	संख्या	75000	6750	68289	91.1	83.3

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ख) दी गई निर्माण सहायता	संख्या	102000	2067	47645	46.7	43.5
10.	(क) शामिल की गई गंदी बस्तियों की जनसंख्या	संख्या	57000	3125	62826	110.2	67.2
	(ख) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को दिए गए मकान	संख्या	12900	638	8268	64.1	85.1
11.	ग्रामीण विद्युतीकरण						
	(क) बिजली लगाए गए गांव	संख्या	1000	199	1367	136.7	51.3
	(ख) बिजली चालित किए गए पंपसैट	संख्या	19000	4139	30914	162.7	106.3
12.	(क) लगाए गए पेड़	संख्या ('000)	227000	20	224750	99.0	89.5
	*(ख) स्थापित किए गए बायो-गैस संयंत्र	संख्या	3500	518	5111	146.0	34.3
13.	परिवार नियोजन की गई नसबंदियां	संख्या	417000	18885	219505	52.6	70.5
14.	(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	10	शून्य	10	100.0	—
	(ख) उप-केन्द्र	संख्या	500	शून्य	530	106.0	100.0
15.	स्वीकृत किए गए एकीकृत सामुदायिक विकास स्कीम खंड	संख्या	17	शून्य	17	100.0	100.0

*उपलब्धि में खादी व ग्रामोद्योग आयोग के आंकड़े शामिल हैं। इन्हें अलग से दिया जाए।

1	3	3	4	5	6	7	8
17.	खोली गई नई उचित दर की दुकानें	संख्या	650	43	928	142.8	138.8
18.	स्थापित की गई ग्राम और लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	3350	609	7971	237.9	43.6

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 1982-83 में ली गयी आशुलिपिक ग्रेड की परीक्षा

5187. **श्री केशव राव पारधी : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी चयन आयोग थी आशुलिपिक ग्रेड की परीक्षा 1982 एवं 1983 में कुल कितने उम्मीदवार बैठे थे;

(ख) इन परीक्षाओं में कुल कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा पास की;

(ग) इन परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम से कितने उम्मीदवार सफल हुए और कितने उम्मीदवार अंग्रेजी के माध्यम से सफल हुए; और

(घ) क्या हिन्दी और अंग्रेजी आशुलिपिकों की भर्ती में कोई भेदभाव बरता जा रहा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) यद्यपि, हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिकों की नियुक्ति के मामले में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है, किन्तु सरकार की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कुछ कार्यालयों ने जहां कर्मचारी चयन आयोग ने हिन्दी आशुलिपिकों को नामित किया था, उन्हें स्वीकार करने में प्रशासनिक कठिनाइयां व्यक्त की हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी आशुलिपिकों की आवश्यकता है । अब सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को इस आशय के अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे कार्य को उपर्युक्त आन्तरिक समायोजन करते हुए, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा-नामित हिन्दी आशुलिपिकों को स्वीकार करें ।

विवरण

	1982	1983
उम्मीदवार की संख्या जिन्होंने परीक्षा दी	17899	21701
उन उम्मीदवारो की संख्या जिन्हें सफल घोषित किया गया	979	236*

1	2	3
हिन्दी माध्यम से सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों की संख्या	365	59*
अंग्रेजी माध्यम से सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों की संख्या	614	177*

पश्चिम बंगाल के विधेयकों पर सहमति

5188. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कितने विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए विचाराधीन है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 26-3-1984 को पश्चिम बंगाल के 8 विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए लंबित हैं। उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रम सं०	विधेयक का नाम	विलम्ब के कारण
1.	भूमि अधिग्रहण (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	15-3-1984 को राज्य सरकार से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण माँगा गया था। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।
2.	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1981	25 जनवरी, 1984 को राज्य सरकार से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।
3.	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1981	विधेयक भारत संघ के विचाराधीन है।
4.	पश्चिम बंगाल मजदूर टिण्डल लोडर गोडाउनमैन और अन्य कामगार (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अधिनियम, 1981	—तदैव—

*ये आंकड़े केवल 17 जोनों से संबंधित हैं तथा इनमें उन सात जोनों के आंकड़े नहीं हैं, जिनके परिणाम अभी घोषित किए जाने हैं।

1	2	3
5.	पश्चिम बंगाल मोटर वाहन-कर (संशोधन) विधेयक, 1983	9 नवम्बर, 1983 को राज्य सरकार से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा है।
6.	पश्चिम बंगाल सहकारी समितियां विधेयक, 1983	विधेयक भारत संघ के विचाराधीन है।
7.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1983	—तदैव—
8.	मजदूर संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1983	—तदैव—

कुद्रेमुख लोह अयस्क संयंत्र को पर्याप्त विद्युत सप्लाई

5189. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुद्रेमुख लोह-अयस्क संयंत्र, जो दिनांक 9 फरवरी, 1983 से बन्द पड़ा है, को बिजली की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) चैकोस्लोवाकिया और रोमानिया को लोह-अयस्क निर्यात संबंधी वचनबद्धता को निभाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कर्नाटक की राज्य सरकार से कुद्रेमुख लौह अयस्क परियोजना को पर्याप्त मात्रा में बिजली की सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप कर्नाटक विद्युत बोर्ड बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्धों में एक निश्चित सीमा तक छूट देने को सहमत हो हो गया है। इससे संयंत्र में आंशिक रूप से परिचालन किया जा सकेगा।

(ख) कम्पनी सांद्रण के वर्तमान स्टाक का इस्तेमाल करके चैकोस्लोवाकिया तथा रुमानिया के साथ वर्ष 1983-84 के अन्त तक लौह अयस्क के सांद्रण का निर्यात करने के सम्बन्ध में किए गए वायदों को पूरा कर रही है। राज्य सरकार को इस बात के लिए राजी किया जा रहा है कि वह बिजली की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबन्ध पूरी तरह हटा ले जिससे परियोजना वर्ष 1984-85 के दौरान सांद्रण के निर्यात के सम्बन्ध में किए गए वायदों को पूरा कर सके।

सुदूर क्षेत्रों में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

5190. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुदूर और कमी वाले क्षेत्रों में लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में 200 टन प्रतिदिन तक के लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए क्षमता में वृद्धि की मंजूरी बशर्ते राज्य सरकार इसके बारे में प्रमाण-पत्र दे देने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो पिछड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने वाले अन्य लघु सीमेंट एककों को क्या अन्य छूट उपलब्ध कराई जायेगी; और

(घ) अब तक मंत्रालय को उस बारे में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) दिनांक 21 फरवरी, 1984 के प्रेस टिप्पण द्वारा जारी किये गये मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रति संलग्न है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8046/84]

(ग) सीमेंट की आंशिक विनियंत्रण विषयक नीति के अन्तर्गत मिनी सीमेंट संयंत्रों (किल्कंरिंग और पिसाई की मिली-जुली सुविधाओं वाले) को उनके स्थापनास्थलों की ओर ध्यान न देते हुए मूल्य नियंत्रण और विवरण सम्बन्ध नियंत्रण से छूट दी गई है तथा उन्हें बनाई गई सीमेंट पर उत्पादन कर सम्बन्धी छूट का भी लाभ प्राप्त हैं।

इसके अलावा केन्द्रीय रूप से स्वीकृत किए गए पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन जैसे-केन्द्रीय निवेश राजसहायता, परिवहन राजसहायता, रियायती वित्त सुविधाएं भी मिनी सीमेंट संयंत्रों के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) वर्ष 1983 में, देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए 180 आवेदन प्राप्त हुए थे।

यूरेनियम और भारी जल की कमी के कारण परमाणु कार्यक्रम को धक्का लगना

5191. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित यूरेनियम और भारी जल की कमी के कारण परमाणु कार्यक्रम को भारी धक्का पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा लक्ष्य को प्राप्ति और इस कार्यक्रम में आत्मनिर्भर बनने के लिए कोई प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं। देश का परमाणु

बिजली संबंधी कार्यक्रम मूलतः भारी पानी किस्म के ऐसे रिऐक्टरों पर आधारित है जिनमें प्राकृतिक यूरेनियम को ईधन के रूप में और भारी पानी को मंदक और शीतलक के रूप में काम में लाया जाता है।

(ग) कठिनायों को दूर करने और परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्तमान भारी पानी संयंत्रों में उत्पादन में तेजी लाई जा रही है तथा और भारी पानी संयंत्र लगाए जा रहे हैं। यूरेनियम के भंडारों का पता लगाने के काम को भी तेज किया जा रहा है। मुख्य उपस्करों और संघटकों के लिए क्रमशः आर्डर देने के उद्देश्य से 235 मेगावाट क्षमता के रिऐक्टर यूनिट के डिजायन का मानकीकरण आवश्यकतानुसार कर दिया गया है। 500 मेगावाट क्षमता के एक मानकीकृत यूनिट का डिजायन तैयार किया जा रहा है।

राजधानी में वधुओं को जलाने के मामले

5192. **प्रो मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में दिल्ली में वधुओं को जलाने के कितने मामले हुए;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों का पता लगाया गया और कितनों को सजा दिलाई गई; और

(ग) दिल्ली में वधुओं को जलाने के मामलों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1-4-1983 से 15-3-1984 तक दुल्हनों को जलाने, अर्थात ऐसी महिला जो अपनी शादी के 7 वर्षों के अन्दर जली है, के 232 मामले हुए हैं।

(ख) 104 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और 28 मामलों में अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चालान प्रस्तुत किए गए, जो विचाराणाधीन हैं।

(ग) युवा विवाहित महिलाओं की संदेहास्पद परिस्थितियों में हुई मौतों के सभी मामलों को गंभीरता से लिया जाता है। ऐसे मामलों में शवपरीक्षा दो सर्जनों द्वारा किए जाने के अनुदेश जारी किए गए हैं। पीड़ित महिलाओं के मृत्यु-पूर्व बयान दर्ज करने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में एक दहेज विरोधी सेल स्थापित किया गया जो ऐसे मामलों की, जो उन्हें दिए जाते हैं, सम्पूर्ण रूप से जांच करता है। दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से जनता को शिक्षित किया जाता है।

अल्यूमिनियम के मूल्य में वृद्धि

5193. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्यूमिनियम के मूल्य में जिसका अधिकतर गरीब व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाता है, वृद्धि करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या अल्यूमिनियम की सिल्ली (स्लेब) के निर्माताओं ने अल्यूमिनियम के मूल्यों में वृद्धि की मांग की है और यदि हां, तो कितनी और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इस मामले पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा विचार किया गया था जिनकी सिफारिशों पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है। एल्यूमिनियम रोल्ड उत्पादों और एक्सट्रुजन तथा खंडों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश से नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को अन्यत्र ले जाया जाना

5194. **श्री के ओबुल रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमूना सर्वेक्षण के क्षेत्रीय कार्यलय को कुड्डपा, आंध्र प्रदेश से अन्यत्र ले जाये जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को कुड्डपा से कहां ले जाया जाएगा ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के तर्कसंगत रूप में तथा औचित्यपूर्ण ढंग से वितरित कार्य भार और क्षेत्रों के युक्तिगत भौगोलिक क्षेत्राधिकारी को सुनिश्चित करने के विचार से और नए क्षेत्रीय एवं उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना हेतु तथा कुछ वर्तमान क्षेत्रीय तया उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को नए सिरे से गठित करने के लिए समस्त देश हेतु एक योजना-गत स्कीम विचाराधीन है। तथापि इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नही किया गया है।

विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों को भारत में काम करने के लिए सरकार की अपील

5195. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिक विदों से भारत में काम करने की अपील की है;

(ख) क्या उनकी ओर से सरकार को यह टिप्पणी प्राप्त हुई है कि विदेशों में नौकरी के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को कोई दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उनमें से अधिकांश पदों की अनुपयुक्त स्थिति, सेवा शर्तों से और सुविधाओं के अभाव से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है;

(ग) क्या एक कारण यह भी है कि सभी पदोन्नतियों में वरीयता को ध्यान में रखा जाता है और काम करने की भावना पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ऐसा महसूस करती है कि कई बार अनुसंधान संस्थानों में पुराने वैज्ञानिकों की प्रतिभाशाली युवकों के साथ ईर्ष्या और साम्प्रदायिकता और जातिवाद के मुद्दे भी काम करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत सरकार ने विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिक विदों का भारत में कार्य करने का स्वागत करती है और उन लोगों की विशेष योग्यता और अनुभव का उपयोग करने के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं जो देश के विकास में योगदान करना चाहते हैं।

(ख) इस देश में बहुत बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक विद लगातार बहुत सी रुचिपूर्ण और चुनौती पूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रहें हैं और उन्होने उत्कृष्ट योगदान दिया है। कार्य करने की सुविधाओं और परिस्थितियों में लगातार सुधार हुआ है और चालू योजना में बड़े निवेशों के माध्यम से और अधिक अवसरो का सृजन किया है।

(ग) अनुसंधान एजेन्सियों में सक्षम वैज्ञानिकों की पदोन्नति की कुछ स्कीमों को उन वैज्ञानिकों के कार्य निष्पादन पर आधारित करके, शुरू किया गया है। उन्नति के लिये ये प्रणालियाँ लचीली है और ये केवल वरिष्ठता पर आधारित नहीं है।

(घ) और (ङ) युवा वैज्ञानिकों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें अनुसंधान सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु विशेष नई स्कीमें हैं। उन्हें राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। नियुक्ति, तरक्की के प्रयोजनों के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन किया जात है, अनुसंधान संस्थाओं में विषय परक मूल्यांकन के लिए क्रियाविधियां विद्यमान हैं।

टायरों के निर्माणोत्तर व्यय में वृद्धि

5196. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रकार के टायरों के निर्माणोत्तर व्यय में वृद्धि की दर में 1977-78 से 1981-82 के बीच लगभग 1000/-रुपये प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) क्या टायर कम्पनियों द्वारा निर्माणोत्तर व्यय, उत्पाद के मूल्य के प्रतिशत के रूप में वसूल किया जा रहा है;

(ग) क्या प्रमुख टायर कम्पनियों में से एक कम्पनी अनाधिकारक रूप में कारखानों के द्वारा पर औसतन लगभग 2.50 लाख रुपये प्रतिदिन एकत्र कर रही है; और

घ) उच्चतम न्यायालय के 9 मई, 1983 के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) टायरों की कीमतों या वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं हैं और निर्माणोत्तर व्यय से जो कीमत का हिस्सा है, सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) 7 अक्तूबर, 1983 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए सविवरण निर्णय में निर्माणोत्तर व्यय के तत्वों को, जिन्हें केन्द्रीय उत्पादन अधिनियम (सेन्ट्रल एक्साइज एक्ट) के अंतर्गत मूल्यांकन करते समय स्वीकार्य घटोतरी के लिए मान्य माना गया है, स्पष्ट किया गया है। अलग-अलग मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्णय किया जाना है। इसी बीच, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने निर्धारण करते समय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किये हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने में विलम्ब

5197. **श्रीमती सुमति उरांव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रायय ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी उम्मीदवार को, जिसकी संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की वर्ष 1974 की परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति के लिए सिफारिश की थी, नियुक्ति पत्र जारी करना रोक दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार से होने वाले विलम्ब का सम्बन्ध ऐसे उम्मीदवारों से सम्बन्धित मैडिकल बोर्डो द्वारा "सर्टिफिकेट आफ फिटनेस" जारी करने में होने वाले विलम्ब से है;

(घ) क्या उसके बाद उनके मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन मिले हैं जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मैडिकल बोर्ड संघ लोक सेवा आयोग के तत्सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं करते हैं और ऐसे उम्मीदवारों को अन्तिम रूप से स्वस्थता प्रमाण पत्र देने में अनावश्यक विलम्ब करके इस प्रकार गलती की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा 1974 के आधार पर सिफारिश किए गए उम्मीदवारों को नियुक्ति के प्रस्ताव, कुछ अपेक्षाओं को पूरा करने के पश्चात किए गए थे, जिनमें अन्य बातों के अतिरिक्त उम्मीदवारों की शारीरिक स्वस्थता भी शामिल थी। उक्त परीक्षा के आधार पर दो मामलों में उम्मीदवार प्रारम्भिक रूप में शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए थे, इसलिए उनको चिकित्सा बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से उपयुक्त पाए जाने पर नियुक्ति प्रस्ताव दिए गए थे। चिकित्सा बोर्डो की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी।

(घ) जी, हां।

(ङ) यह पाया गया था कि चिकित्सा बोर्डों ने निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया था तथा उनके निष्कर्षों में कोई गलती नहीं थी।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों का विस्तार

5198. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार के अपट्रोन उपक्रम ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विस्तार की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस उपक्रम को स्थानीय उद्यमियों के सहयोग से पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम लगाने की सलाह दी है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) परामर्शदाताओं की एक प्रतिष्ठित फर्म की सहायता से वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड (अपट्रॉन) द्वारा उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों का क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रों के लिए स्थापना-स्थलों तथा इन स्थापना-स्थलों में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।

(ख) देहरादून, मुनि की रेती, अल्मोड़ा तथा भीमताल में इलेक्ट्रॉनिकी कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। मुनि की रेती तथा भीमताल में एक इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र व औजार कक्ष स्थापित करने के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज दिए गए हैं। मुनि की रेती के केन्द्र के लिए राज्य सरकार ने मार्च, 1984 में 19 लाख रु० मंजूर किए थे मुनि की रेती केन्द्र के लिए उपयुक्त स्थल के चुनाव तथा अन्य ब्यौरों के संबंध में कार्य आरम्भ कर दिया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिकी परीक्षण तथा विकास केन्द्र व औजार कक्ष उद्यमकर्ताओं को रियायती दरों पर परीक्षण, संविरचना तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराकर इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग स्थापित करने में प्रोत्साहित करेगा।

(ग) अपने संवर्धनात्मक कार्यकलापों के अंग के रूप में उत्तर प्रदेश के मैदानी एवं पर्वतीय इलाकों में स्थानीय तथा अन्य उद्यमकर्ताओं के साथ मिलकर संयुक्त उपक्रम स्थापित करने में अपट्रॉन नामक कम्पनी निरन्तर प्रयास कर रही है। अल्मोड़ा में फ्रांस के मैसर्स सी० जी० ई० ई० अत्स्थोम के सहयोग से एक बहुत बड़ी परियोजना स्थापित की जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमकर्ताओं तथा आवश्यक मूल संरचनात्मक सुविधाओं और संचार साधनों की भारी

कमी है। इसके बावजूद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में दो इकाइयां स्थापित की गई हैं। दो और स्थापना-स्थलों का चुनाव किया गया है, जिसमें से एक उत्तरकाशी में है तथा दूसरा मुनि की रेती में है।

रंगीन टी० वी० सेटों के लिए 'बुकिंग धनराशि'

5199. **श्री अनन्त रामुलु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि गैर सरकारी कम्पनियां रंगीन टी० वी० सेटों के लिए, जो कि उपलब्ध नहीं है, 'बुकिंग धनराशि' के रूप में लाखों रुपये एकत्र कर रही है;

(ख) क्या बहुत सी दूरदर्शन कम्पनियों ने प्रोटोटाइप अथवा केवल इश्तहार दिखा कर देश में बने रंगीन टी० वी० सेटों की बुकिंग करने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किए हैं;

(ग) क्या सरकार ने यह भी जांच की है कि बुकिंग फीस 500 रुपये और 1,000 रुपये के बीच में है और मान्यता प्राप्त मालिकों को पुर्जे आयात करने के लिये अभी लाइसेंस भी प्राप्त नहीं हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अन्डमान निकोबार द्वीप समूह में जनजातियां

5200. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई ऐसी जनजातियां हैं जिनका मानव समाज की वर्तमान सभ्यता से कोई संपर्क नहीं हुआ है;

(ख) क्या सरकार का विचार मानव शास्त्रियों के अध्ययन हेतु इन जन जातियों को "एनथ्रोपोलीजिकल म्यूजियम" के रूप में रखने का है; और

(ग) यदि नहीं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी कि इन जन जातियों को आधुनिक मानव सभ्यता के संपर्क में लाया जाए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ग) ऐसी दो जनजातियां हैं, नामतः जरवास और सेंटीनेलीज। उनसे नियत आधार पर सम्पर्क स्थापित करने

के कदम उठाये जा रहे हैं। हाल में कुछ जरवासों पर मैत्री अधिस्वरों का अच्छा प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

मध्य प्रदेश को पोर्टलैंड सीमेंट का आवंटन

5201. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान रखी गयी विभिन्न भागों पर उसे कितना पार्टलैंड सीमेंट आवंटित किया गया;

(ख) प्रत्येक श्रेणी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों के लिए वास्तविक मांग कितनी थी और वास्तव में कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य सरकार को वर्ष 1983-84 के दौरान लेवी सीमेंट का मूल आवंटन (सिंचाई व बिजली परियोजनाओं को छोड़कर) 4,54,800 मी० टन किया गया है। राज्यों/संघशासित प्रदेशों को लेवी सीमेंट का आवंटन करते समय सीमेंट की विभिन्न श्रेणियों अर्थात् आर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट आदि की विशिष्ट मात्रा का कोई उल्लेख नहीं किया जाता है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा लघु उद्योगों को सीमेंट का आवंटन सीमेंट नियंत्रक द्वारा उन्हें किये गए इकट्ठे आवंटनों में से किया जाता है। सीमेंट भेजने के आदेश जारी करने की शक्तियां भी राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। अतः ऐसे उप-आवंटनों और प्रेषणों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

हड़ताल करने वाले कर्मचारियों को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन दिया जाना

5202. **श्री के० ए० राजन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० आई० एफ० और आर० आई० एन० के उन कर्मचारियों को, जिन्होंने 1946 में हड़ताल की थी, स्वतंत्रता सेनानियों की तरह न मानने और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उनके मामले पर नए सिरे से विचार किया जायेगा क्योंकि ऐसा न किए जाने से भेद भाव-बढ़ता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) आर० आई० ए० एफ० (रायल इन्डिया एयर फोर्स) की 1946 की हड़ताल को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए स्वतंत्रता संग्राम के भाग के रूप में मान्यता देने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया गया था, परन्तु यह पाया गया था कि एयरमैनों द्वारा किये गये प्रतिरोधों तथा हड़तालों का मुख्य उद्देश्य सेवा शर्तों तथा कल्याण-सुविधाओं के संबंध में ब्रिटिश अधिकारियों और अन्य ब्रिटिश पदाधिकारियों द्वारा इन्डियन एयरमैनों के प्रति भेद-भावपूर्ण व्यवहार का विरोध करना था। अतः आर० आई० ए० एफ० में हड़ताल को राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का भाग मानना संभव नहीं है।

(ख) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बोकारो इस्पात नगर में शिक्षा और आवास की पर्याप्त व्यवस्था

5203. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात नगर की जनसंख्या की आवश्यकता के अनुसार वहां पर प्राथमिक शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या प्रबंधकों ने बोकरो इस्पात नगर के हाई स्कूलों और कालेजों के प्रधानाचार्य और प्राध्यापकों के आवास की व्यवस्था की है;

(ग) क्या उपर्युक्त आधार पर रण विजय मेमोरियल कालेज, बोकारो को आवास अथवा आवासीय लाभ आवंटित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बोकारो इस्पात कारखाना बोकारो में स्कूल की पढ़ाई के लिए सभी संभव सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर कोशिश कर रहा है। यह कारखाना 12 हाई स्कूल और 22 मिडिल स्कूल चला रहा है। इसके अतिरिक्त कारखाने ने राज्य सरकार के 3 मिडिल स्कूलों और एक हाई स्कूल के लिए स्थान उपलब्ध कराया है। कारखाने ने गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित पांच हाई/हायर सेकेन्डरी स्कूलों को भूमि उपलब्ध कराई थी और उनमें से चार स्कूलों को ऋण दिए गए हैं। वहां दो केन्द्रीय विद्यालय भी हैं। इनमें से एक विद्यालय का आवर्ती और अनावर्ती खर्च भी कारखाना वहन करता है। कारखाने ने दूसरे विद्यालय के लिए भवन और अन्य अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध करायी थीं।

इसके अलावा, सात माध्यमिक स्कूलों और सात हाई स्कूलों के भवनों के निर्माण की योजनाएं बनाने और भवनों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इन स्कूलों में लगभग 34,000

बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। बस्ती में दो कालेज हैं। बोकारो स्टील सिटी कालेज एक कांस्टीट्यून्ट कालेज है और बोकारों महिला कालेज रांची विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज हैं।

(ख) उन सभी मामलों में जिनमें शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्षों ने आवास की मांग की है, उनके लिए आवास की व्यवस्था कर दी गई है। कारखाने द्वारा संचालित स्कूलों के मुख्य अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को आवास का आवंटन कंपनी के नियमों के अनुसार किया जाता है। प्राइवेट/केन्द्रीय स्कूलों के लिए 105 क्वार्टर दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एल० पी० जी० सिलेण्डरों का उत्पादन और मांग

5204. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने तकनीकी विकास महानिदेशालय से एल० पी० जी० सिलेण्डरों के निर्माण हेतु आगे रजिस्ट्रेशन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) उपरोक्त फैसला करने के क्या कारण हैं ?

(ग) इस समय एल० पी० जी० सिलेण्डरों के निर्माण की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(घ) सप्लाई में कितनी कमी हो रही है; और

(ङ) एल० पी० जी० सिलेण्डरों की मांग और निर्माण के बीच के अन्तर को किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) एल० पी० जी० सिलिन्डरों के निर्माण के लिए पहले ही से सृजन/स्वीकृत की गई क्षमता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास आगे पंजीकरण, उद्योग विहीन जिलों तथा विशेष क्षेत्र के जिलों के लिए ही किया जाएगा।

(ग) 72.85 लाख नग प्रतिवर्ष।

(घ) तथा (ङ) एल० पी० जी० सिलिन्डरों की 50 लाख प्रतिवर्ष की अनुमानित मांग की तुलना में चालू वर्ष में स्वदेशी उत्पादन से लगभग 30 लाख सिलिन्डर सप्लाई किए जाने की आशा है। कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 8 लाख सिलिन्डरों के आयात की अनुमति दे दी है। देश में पहले से अधिष्ठापित की गई क्षमता तथा अधिष्ठापित की जा रही क्षमता से भविष्य की मांग को स्वदेशी स्रोतों से पूरा किए जाने की आशा है।

भारत फ्रांस औद्योगिक वार्ता

5205. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1984 में भारत फ्रांस औद्योगिक वार्ता आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो दौरे पर आये औद्योगिक प्रतिनिधि मण्डल के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) भारत फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की तीसरी बैठक का अधिवेशन भारत में जनवरी, 1984 में हुआ था। फ्रांस के उद्योगपतियों का एक शिष्टमण्डल संयुक्त व्यापार परिषद के विचार विमर्श में भाग लेने के लिए आया था। संयुक्त व्यापार परिषद के भारत-फ्रांस व्यापार की संवीक्षा की तथा दोनों ओर से व्यापार बढ़ाने पर अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी सहमति प्रकट की कि ई० ई० सी० और फ्रांस की पहल पर व्यापार अवरोधों को दूर करना भी आवश्यक है। उद्योग के के क्षेत्र में अनेक भाग लेने वालों ने भारतीय कंपनियों में फ्रांसीसी प्रौद्योगिकी का अंतरण करने में अपनी उत्सुकता दिखाई। भारतीय पक्ष ने फ्रांस से भारत को प्रतियोगी का अन्तरण करने में समकालीन प्रौद्योगिकी का अंतरण किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय निवेश और प्रौद्योगिकी नीति को फ्रांसीसी पक्ष के संमुख स्पष्ट किया गया था उन्होंने भारतीय आर्थिक नीतियों की विशेषकर विदेशी निवेशकर्त्ताओं द्वारा धारित इक्विटी, मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निवेश तथा 100 प्रतिशत निर्यात पर के एककों, विदेशी कंपनियों पर कराधान, रायल्टी की दरों और लाभांस को सम्बन्धित देश को भेजने आदि में दी गई उदारताओं की प्रशंसा की।

मणिपुर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती

5206. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए अर्द्ध-सैनिक बल (सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि) तैनात किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके समक्ष इस प्रकार के बलों के कितने व्यक्ति तैनात किए गए हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान मणिपुर में इन बलों से सम्बन्धित कितने कार्मिक मारे गए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों की संख्या निम्न प्रकार है:—

		सी० सु० बल	के० रि० पु० बल
		(कम्पनियों में)	
1.	अरुणाचल प्रदेश	—	25
2.	असम	18	63
3.	मेघालय	—	7
4.	मणिपुर	—	15
5.	नागालैंड	6	6
6.	मिजोरम	—	31
7.	त्रिपुरा	—	22

(ग) पिछले एक साल में, ऊपर उल्लिखित अर्धसैनिक बलों का एक व्यक्ति मणिपुर में मारा गया ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् तमिलनाडु के कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच मंजूरी समझौता

5207. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस उटकमंड (तमिलनाडु) के कर्मचारियों और इसके प्रबन्धकों के बीच श्रम, उपआयुक्त की उपस्थिति में 13 अक्तूबर, 1983 को एक मंजूरी समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रबन्धकों ने उपरोक्त समझौते को मंत्रालय के पास मंजूरी हेतु भेजा था;

(ग) यदि हां, तो समझौता कब तक भेजा गया था;

(घ) क्या सरकार ने समझौता पर अपनी सहमति दे दी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) समझौता उद्योग मंत्रालय में 22 अक्तूबर, 1983 को प्राप्त हुआ था।

(घ) तथा (ङ) वित्त मन्त्रालय के परामर्श से इस मामले की जांच की जा रही है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची के लिए पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया

5208. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची के लिए पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया की नवीनतम स्थिति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : वर्तमान स्थिति यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के संशोधन के प्रस्तावों पर छः राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों में अपनी टिप्पणियां भेज दी हैं। शेष छः राज्यों को शीघ्रता से अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। सभी राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात मामले में अन्तिम दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

त्रिपुरा के लिए सीमेंट का आवंटन

5209. **श्री अजय विश्वास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के लिए वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 में कुल कितना सीमेंट आवंटित किया गया था; और

(ख) उपरोक्त अवधि में त्रिपुरा में वास्तव में कितना सीमेंट पहुंचा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 में त्रिपुरा राज्य को सीमेंट के किए गए आवंटन और प्रेषण (सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं सहित) का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

हजार मी० टन में

वर्ष	आवंटन	प्रेषण
1980	49.0	19.0
1981	64.0	39.0
1982	57.8	21.0
1983	59.8	32.3

चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली के सदस्यों को धमकियां

5210. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या गृह मंत्री चेम्सफोर्ड क्लब, नई दिल्ली के सदस्यों को मिलने वाली धमकियों के बारे में दायर की गई रिपोर्ट के बारे में 20 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8261 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड के जिन तीन सदस्यों पर सहायक पुलिस आयुक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/150 के अन्तर्गत दोष लगाया था उन पर चलाए गए मुकद्दमों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि मुकद्दमा अभी चल रहा है तो मामला किस अवस्था में है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) चेम्सफोर्ड क्लब लिमिटेड में इस प्रकार की अशोभनीय घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए पुलिस ने क्या सुरक्षात्मक उपाय किए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली ने 3 अभियुक्त व्यक्तियों को मुक्त कर दिया था।

(ग) क्षेत्र में शांति भंग होने के बारे में जब कभी कोई सूचना प्राप्त होती है, तो बदमाशों के विरुद्ध कानून के अधीन उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

आदिवासी योजनाओं में आदिवासी प्रतिनिधियों का भाग लेना

5211. **श्री दलबीर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दोषपूर्ण योजना के कारण आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों में अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए है;

(ख) क्या चालू योजना के दौरान धनराशि आवंटित करने से पहले आसन आदिवासी आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कोई आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार आदिवासियों से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के बनाते समय चुने हुए अदिवासी प्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग लेने पर विचार करेगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) यह कहना सही नहीं है कि दोषपूर्ण योजना के कारण जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। वास्तव में पांचवीं योजना की अवधि से जनजातीय उप-योजना के रूप में नई योजना कार्यनीति अपनाने से जनजातीय क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष असर हुआ है। पहले की अपेक्षा इन क्षेत्रों को और अधिक धनराशियां उपलब्ध कराई गई हैं और विकास प्रयत्न में गतिशीलता आई है। अन्य बातों के साथ-साथ आधार संरचना मजबूत हुई है।

(ख) और (ग) जनजातीय उप-योजनाएं तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे गए थे जिनमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए आधार तल सर्वेक्षण की अपेक्षा की गई थी। अधिकांश राज्यों ने यह सर्वेक्षण किया।

(घ) जनजातियों के प्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से संबद्ध करने का सरकार ने हमेशा स्वागत किया है और उनके सुझावों पर उचित ध्यान दिया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुसूचित जातियों के विकास से संबंधित कार्यकारी दल में जनजातीय विकास के क्षेत्र में विशेषज्ञों के अलावा, एक जनजातीय प्रतिनिधि को कार्यकारी दल के सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित संसदीय समिति के प्रेक्षणों को ध्यान में रखा जाता है जिसमें जनजातीय प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। इसके अलावा, जनजातीय प्रतिनिधियों को राज्यों की जनजातीय सलाहकार परिषदों तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना समितियों में शामिल किया जाता है। इस प्रकार विभिन्न स्तरों—राष्ट्रीय, राज्य तथा परियोजना स्तर पर जनजातियों के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कहा जाता है।

महाराष्ट्र में इलैक्ट्रोनिक स्विचिंग यूनिट स्थापित करना

5212. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक्स विभाग ने सरकारी क्षेत्र में एक इलैक्ट्रोनिक्स स्विचिंग यूनिट स्थापित करने की योजना तैयार कीहै;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस यूनिट के लिये स्थापना स्थल का सुझाव दिया है और केन्द्र सरकार से इस संयंत्र को महाराष्ट्र में स्थापित करने का अनुरोध किया है;

(ग) क्या स्थल चयन समिति ने किन्हीं स्थलों का दौरा किया हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस मामले में कब तक फैसला लिए जाने की सम्भावना है, तत्संबंधी ब्योरा क्या हैं ?

इलैक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) इलैक्ट्रॉनिकी विभाग की सार्वजनिक क्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिकी स्विचन यूनिट स्थापित करने के संबंध में कोई योजना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मयूरगंज उड़ीसा में लौह-अयस्क खानों का बन्द होना

5213. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के मयूरभंज जिले के गोरूमहिशानी, सालीपेट, और वदाम पहाड़ क्षेत्रों में लौह-अयस्क की कितनी खानें हैं;

(ख) मयूरगंज जिले की उन खानों में से कितनी खानें बन्द पड़ी हैं;

(ग) कितनी खानों का स्वामित्व गैर-सरकारी क्षेत्रों के पास है और उड़ीसा माईनिंग कारपोरेशन क प्रबन्ध में कितनी खानें हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में स्थित स्पंज लौह संयंत्र की क्षमता

5214. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा और टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी के सहयोग से उड़ीसा में क्योंझर जिले में विल्विपाड़ा नामक स्थान में स्थित देश के दूसरे स्पंज लौह संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) टिस्को और आई० जी० आई० सी० ओ० एल० द्वारा स्थापित उपरोक्त स्पंज लौह संयंत्र के कब तक उत्पादन शुरू होने की संभावना है; और

(ग) इस दूसरे स्पंज लौह संयंत्र में टिस्को और आई० जी० आई० सी० ओ० एल० के परियोजना इक्विटी शेयर का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इंडस्ट्रियल प्रोमोशन एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड (इपिकोल) और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) के उड़ीसा स्थित स्पंज लोहा संयंत्र की वार्षिक स्थापित क्षमता 90,000 टन है ।

(ख) आशा है इस संयंत्र में वर्ष 1985 के अन्त तक उत्पादन होना शुरू हो जाएगा ।

(ग) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 35 करोड रुपए हैं जिसमें से 12 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में हैं । इस इक्विटी में "इपिकोल" और "टिस्को" का अंशदान क्रमश: 26 प्रतिशत और 25 प्रतिशत होगा ।

भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों का ग्रुप "बी" की सेवाओं में आबंटन

5215. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनीक सेवाओं आदि के माध्यम से चुने गए विभिन्न उम्मीदवारों का ग्रुप "बी", की विभिन्न सेवाओं में आबंटन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या आबंटन योग्यता के आधार पर किया जाता है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा, चयन पद्धति योग्यता पर आधारित है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर, विभिन्न समूह "ख" सेवाओं में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए उम्मीदवारों का आबंटन, उम्मीदवार द्वारा परीक्षा में प्राप्त रैंक तथा उनके द्वारा इन सेवाओं के लिए व्यक्त किए गए अधिमान के क्रम के अनुसार किया जाता है।

ककरापारा आणविक बिजली घर की निर्माण लागत

5217. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ककरापार आणविक बिजलीघर की कुल निर्माण लागत कितनी है और उसकी संभावित क्षमता कितनी है;

(ख) सरकार ने इस परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की है और चालू वर्ष में इसके लिए कितना प्रावधान रखा गया है;

(ग) उसमें अब तक कितना काम पूरा हो चुका है और इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च हो गई है; अब तक की प्रगति को ध्यान में रखते हुए शेष काम कब तक पूरा हो जाएगा; और

(घ) इस परियोजना पर राज्य सरकार ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है और अभी कितनी धनराशि खर्च करनी है और इस संबंध के विलम्ब के लिए राज्य सरकार कहां तक उत्तरदायी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासार विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) ककरापार परमाणु विद्युत परियोजना जिसमें दो यूनिट होंगे और प्रत्येक यूनिट की क्षमता 235 मेगावाट होगी, की वर्तमान अनुमानित और संस्वीकृत लागत सन् 1979 के मूल्यों के आधार पर 382.52 करोड़ रुपए है। वर्ष 1983-84 के बजट अनुमान में इस परियोजना के लिए 32.19 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

(ग) मुख्य संयंत्र के सिविल निर्माण कार्यों के लिए ठेका दिया जा चुका है और रिएक्टर भवन संख्या 1 और 2 से संबंधित खुदाई का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है। एंड शील्ड और कैलेन्ड्रिया बनाए जा रहे हैं। वाष्प जनित्रों, टर्बाइन जनित्रों और प्राइमरी पम्पों के लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। संयंत्र स्थल की आधारभूत सुविधाओं से संबंधित काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। आशा है कि दोनों यूनिट क्रमशः वर्ष 1990-91

तथा 1991-92 में तैयार हो जाएंगे। इस परियोजना पर फरवरी, 1984 के अंत तक कुल मिलाकर 47.73 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(घ) चूंकि इस परियोजना के लिए सारी पूंजी भारत सरकार द्वारा दी गई है, अतः इस परियोजना पर राज्य सरकार को कोई भी व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा वर्ष 1983 के दौरान जांच के मामलों को अन्तिम रूप देना

5218. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जाँच ब्यूरों ने वर्ष 1983 के दौरान जांच के कितने मामलों को अन्तिम रूप दिया था; और

(ख) क्या उन सभी मामलों विशेष रूप से जिन मामलों में आरोप प्रमाणित नहीं हो सके, की एक संक्षिप्त सार सभा पटल पर रखा जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) वर्ष 1983 के दौरान अन्वेषण स्तर पर 1152 मामलों को अन्तिम रूप दिया गया। इनमें से 451 मामले न्यायालय में विचारण के लिए भेजे गये थे, 582 मामले विभागीय कार्यवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/एककों को भेजे गये थे। 17 मामलों में अभियोजन संबंधी स्वीकृति मिलनी बाकी है, जबकि 29 मामले दूसरे ढंग से निपटा लिये गये हैं। कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए पर्याप्त साक्ष्य के न होने के कारण 73 मामलों को जांच/अन्वेषण के पश्चात समाप्त कर दिया गया है।

भुवनेश्वर में टेलीफोन उद्योग स्थापित करना

5219. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर ने उड़ीसा में एक टेलीफोन उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इलैक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : टेलीफोन के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से मैसर्स उड़ीसा राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड से प्राप्त एक आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(ग) आवेदन-पत्र पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

आशय पत्रों का औद्योगिक लाइसेंसों में न बदला जाना

5220. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशय पत्र लेने वाले बहुत से व्यक्तियों ने उन्हें औद्योगिक लाइसेंस में तबदील नहीं करवाया है, जिसके परिणामस्वरूप निहित स्वार्थों द्वारा औद्योगिक क्षमताओं का पूर्व-क्रय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उद्योगवार ऐसे आशय पत्र धारकों की संख्या कितनी है जिनकी अवधि उनके तबदील न कराए जाने के कारण समाप्त हो गई है; और

(ग) इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) 1974 से 1981 के वर्षों में 6,075 आशय-पत्र स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 2,713 आशय पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में पहले ही बदला जा चुका हैं। 1,965 आशय-पत्र व्ययगत मान लिने गए हैं तथा शेष 1,397 आशय-पत्रों की सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों में समीक्षा की जा रही है।

जिन परियोजनाओं के लिए आशय-पत्र स्वीकृत किए हैं उन्हें तेजी से कार्यान्वित करने का सुनिश्चय करने की दृष्टि से और ऐसे आशय-पत्रधारियों द्वारा पहले से ही क्षमता को स्वीकृत मानकर चलने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उद्योग मंत्रालय सभी प्रशासनिक मंत्रालयों से कहा है कि वे प्रत्येक मामले की प्रगति की समक्षा करें और ऐसे आशयपत्रों को रद्द कर दें जिनका स्वीकृत वैध अवधि के दौरान कार्यान्वियन नहीं हो पाया है। राज्य सरकारों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में उद्योगों की स्थापना के लिए स्वीकृत किए जा रहे आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के कार्यान्वियन की प्रगति की मानिटरिंग करने के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना करें।

अनन्तपुर जिले में येफामाना खान में उत्पादन

5221. **श्री चतुर्भुज :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स के अनुसार अनन्तपुर जिले के रामागिरि क्षेत्र में येफामाना खान में उत्पादन 1984 में आरम्भ होना था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन आरम्भ हो गया है और यदि नहीं तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारत गोल्ड माइन्स लि० के कार्यक्रम के अनुसार येफामाना खान में स्वर्ण का उत्पादन वित्त-वर्ष 1984-85 के दौरान शुरू हो जाने की आशा है।

स्कूलों में गरीब बच्चों को भोजन देने पर व्यय का योजना लेखे में शामिल किया जाना

5222. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों ने योजना लेखे में स्कूलों के गरीब बच्चों को भोजन निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला व्यय शामिल किया है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्यों को अपने योजना लेखे में इस प्रकार के व्यय को शामिल करने की सलाह देने में क्यों असफल रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी योजना अवधि में, असम, हरियाणा, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में स्कूल के गरीब छात्रों के लिए भोजन के लिए योजना में प्रावधान किया रहा है। तमिलनाडु को, जो 1982-83 से अपना एक पौष्टिक मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, इस स्कीम पर 1984-85 में होने वाले अतिरिक्त व्यय के कुछ भाग को योजना के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था सभी राज्यों की योजनाओं में की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में मिडिल स्कूल अवस्था पर लड़कों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क नहीं है।

(ख) पोषाहार एक योजनागत स्कीम है लेकिन क्योंकि इसके लिए धनराशि की व्यवस्था राज्य सरकारों को अपने संसाधनों से करनी होती है, यह उन पर है कि वह इसको अपनी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव दें। जहां कहीं भी किसी राज्य ने अपेक्षित संसाधनों सहित इस स्कीम को योजना में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। योजना आयोग ने अपना अनुमोदन दिया है।

हथियारों को प्राप्त करने के स्रोत के संबंध में जांच

5223. **स्वामी इन्द्रवेश** :

श्री दौलत राम सारण :

श्री आर० आर० भोले :

श्री एन० ई० होरो : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में 2 जनवरी, 1984 को पार्लियामेंट स्ट्रीट में दिन दहाड़े लूटपाट और गोल-बारी में, अपराधियों से इण्डियन आर्मी आर्डनेंस डिपो द्वारा निर्मित भारी विस्फोटक हथ-गोला तथा बहुत ही विशेष और अति आधुनिक पिस्तौल बरामद हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अपराधियों द्वारा इस प्रकार के हथियारों को प्राप्त करने के स्रोत के बारे में की गई जांच के क्या परिणाम हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) इस मामले में पकड़े गए व्यक्ति से 2 हथगोले (मेक एच ई-36 आर्मी टाइप) बरामद किए गए। लेकिन कोई पिस्तौल बरामद नहीं हुआ है।

पूंछताछ करने पर अभियुक्त ने 2 व्यक्तियों के नाम बताये जिनसे उसने हथगोले प्राप्त किये थे। मामले की आगे जांच-पड़ताल की जा रही है।

आधारभूत उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि

5224. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आधारभूत उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और यदि वृद्धि नहीं हुई है, तो क्या सरकार उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई ठोस उपाय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (ग) मूल उद्योगों जिनमें खनन, नमक, उर्वरक, भारी रसायन सीमेंट, आधारभूत धातु और विद्युत उद्योग शामिल हैं, में वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1983 में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है।

लाइसेंस धारियों द्वारा कारतूसों का निर्माण

5225. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980, 1981, 1982, 1983 के दौरान और जनवरी, 1984 तक लाइसेंसधारियों द्वारा वर्षवार 12 बोर 303 बोर 315 बोर, 25 बोर 32 बोर के कुल कितने कारतूसों का निर्माण किया गया तथा उस अवधि के दौरान इनकी वर्ष वार अलग-अलग कितनी बिक्री हुई; और

(ख) उपर्युक्त लाइसेंसधारियों द्वारा प्रतिवर्ष विदेशों को उक्त कितने कारतूसों का निर्यात किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल द्वारा छठी योजना का कार्यान्वयन

5226. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग पश्चिम बंगाल द्वारा छठी योजना के कार्यान्वयन से संतुष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या है तथा उसके कारण क्या हैं;

(ग) किन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल सरकार के निष्पादन में कमी पाई गई; और

(घ) इस कारण देश को किन क्षेत्रों में नुकसान उठाना पड़ा है और कितना नुकसान हुआ है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) (क) से (घ) पश्चिमी बंगाल के 3500 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय की निम्न प्रकार से वित्त व्यवस्था करने की सहमति हुई :—

	(करोड़ रु०)
राज्य के अपने संसाधन	2819.74
केन्द्रीय सहायता	680.26
जोड़	3500.00

पिछले वर्ष राज्य योजना के लिए केन्द्रीय आवंटन में 65.64 करोड़ रु० की वृद्धि की गई थी । केन्द्रीय सहायता के अधिकांश भाग का लाभ उठाने और 340.71 करोड़ रु० के मध्यम-अवधि ऋण के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा पहले चार वर्षों 1980-84 के दौरान केवल 1914.08 करोड़ रु० के योजनागत व्यय करने की संभावना है जो छठी योजना के कुल परिव्यय का 55 प्रतिशत है । जैसे कि परिकल्पना की गई थी, राज्य सरकार अपने संसाधन नहीं जुटा पाई हैं । इससे वास्तविक उपलब्धियों में कमी आने की संभावना है ।

पुलिस बल द्वारा यूनियनों का गठन करना

5227. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने अपने पुलिस बल को संगठित होने और यूनियन बनाने की अनुमति देने हेतु केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य पुलिस बल को यूनियनें बनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) 5 पुलिस (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम 1966 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में राज्य पुलिस कार्मिकों की एसोसिएशनों को मान्यता देने की व्यवस्था है। अधिनियम के तहत राज्य पुलिस एसोसिएशनों को मान्यता देने के लिए राज्य सरकारें सक्षम हैं और राज्य सरकार को भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

"भेल" हैदराबाद की छत ढह जाना :

5228. **श्री सुभाष यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "भेल" की हैदराबाद इकाई के भवन के ढांचे की, जो वर्ष 1978 में निर्मित हुआ था, छत ढह गई है, जिसके परिणामस्वरूप 36 37 लाख रुपये की हानि हुई जैसा कि दिनांक 31 दिसम्बर 1983 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इस हानि की ठेकेदार से वसूली करने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) बी० एच० ई० एल०, हैदराबाद में छत गिरने जैसी बताई गई कोई घटना नहीं घटी है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

लघु क्षेत्र के उत्पादकों का उत्पादन और विपणन

5229. **श्री अजित कुमार साहा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र का उत्पादन कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितने प्रतिशत है ; और

(ख) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा लघु एककों को विपणन समस्याओं को हल करने हेतु, क्या कदम उठाए गए हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टभि राम राव) : (क) सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लघु उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। किन्तु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से प्राप्त अनुमानों के

अनुसार 1982-83 के दौरान वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय उत्पाद में अपंजीकृत उत्पादनकारी क्षेत्र (एकक जिनमें 10 कर्मचारियों से कम हों यदि वे बिजली का उपयोग कर रहे हों और वे एकक जिनमें 20 कर्मचारियों से कम हों यदि वे बिजली का उपयोग न कर रहे हों) का अंश 5.4 प्रतिशत था।

(ख) लघु एककों की विपणन संबंधी समस्याओं को सुबझाने के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा किये गए उपाय निम्नलिखित हैं :—

1. सरकार की जरूरत की वस्तुओं की खरीद के मामले में कुटीर और लघु उद्योगों के उत्पादों को बड़े उत्पादकों के उत्पादों की तुलना में अधिमान दिया जाता है। "वर्ग 4 वस्तुएं" नाम की 404 वस्तुएं केवय लघु उद्योग एककों से ही खरीदे जाने लिए के आरक्षित हैं। "वर्ग 5 वस्तुएं" नाम की 12 वस्तुओं की 75 प्रतिशत मात्रा लघु उद्योग क्षेत्र से खरीदे जाने के लिए आरक्षित हैं। वर्ग 6 में 25 वस्तुएं हैं जिनकी 50 प्रतिशत मात्रा लघु उद्योंग क्षेत्र से खरीदे जाने के लिए आरक्षित है।

2. जो वस्तुएं बड़े तथा लघु दोनों प्रकार के ही एककों से खरीदी जा सकती है उनके संदर्भ में बड़े उद्योगों के उत्पादों की तुलना में लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों की कीमतों में प्रत्येक गुणावगुण के आधार पर 15 प्रतिशत मूल्य अधिमान दिये जाने का भी प्रावधान है। यदि लघु एककों और सरकारी क्षेत्र के एककों के हितों में टकराव हो तो सरकारी क्षेत्र के एककों की तुलना में लघु उद्योग एककों को 5 प्रतिशत तक मूल्य अधिमान भी दिया जा सकता है।

3. एक बिन्दु योजना के अधीन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास पंजीकृत लघु सभी उद्योग एककों को उन फर्मों के समान समझा जाता है जो पूर्ति तथा निपटान महा निदेशालय के पास पंजीकृत हैं।

4. टेण्डर सेटों की प्रतियां लघु उद्योग एककों को राष्ट्रीय लघु उद्योग निर्गम के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं।

5. पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में लघु उद्योग एककों की पंजीकरण फीस 50 रुपये हैं; जबकि सामान्य फीस 100 रुपये हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का संशोधन

5230. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री भीकू राम जैन :

श्री सुभाष चन्द्र यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार विभाजनकारी ताकतों और उग्रवादी तत्वों से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए अधिक शक्तियां प्राप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के कुछ उपबंधों में संशोधन करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जाएगा;

(घ) क्या कुछ राज्य राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के उपबंधों का कड़ाई से लालन नहीं कर रहे है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य है; और

(च) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकार विभाजनकारी ताकतों और उग्रवादी तत्वों से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए समय-समय पर पर्याप्त उपाय करती है ।

(ख) से (च) अधिनियम में संशोधन करने के लिए जब कभी सुझाव प्राप्त होते हैं, सरकार उन पर ध्यान देती है। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर में लागू नहीं हैं। अधिनियम के उपबंध लागू करना राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का कार्य है।

बंगाल पाट्रीज के राष्ट्रीयकरण के लिए अभ्यावेदन

5231. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल पाट्रीज वर्कर्ज और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्टाफ यूनियनों तथा "सिहु" की बंगाल पाट्रीज मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों की ओर से उन्हें इन अनुरोध से संबंधित कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है कि (एक) बिना कोई विलम्ब किए बंगाल पाट्रीज का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाए, (दो) कुशल और ईमानदार प्रबन्ध मंडल द्वारा कम्पनी के काम-काज की देखरेख की जाए और (तीन) पूरे उत्पादन के लिए कच्चे माल की सप्लाई सुनिश्चित की जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) विद्यमान नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार सरकार बंगाल पाट्रीज लि० के मामले को अंतिम रूप से निपटाने के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है जिनमें इसका राष्ट्रीय करण किया जाना भी सम्मिलित है। इस दौरान भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया) इसका प्रबंध कर रहा है और आवश्यकताओं पर आधारित धनराशि की व्यवस्था भी कर रहा है।

टायर के मूल्यों के संबंध में राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संगठन का अभ्यावेदन

5232. **श्री के० मालन्ना** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के संगठन के प्रतिनिधियों ने सरकार के टायर कम्पनियों के प्रमाणीकरण पर रोक लगाने और टायर के मूल्यों में अनुचित वृद्धि को रोके जाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य परिवहन उपक्रमों को सप्लाई किए गए प्रत्येक टायर पर 800 रुपये की अप्रत्याशित वृद्धि और टायरों की केवल एक सीमित मात्रा की सप्लाई किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों की ऐसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह टायर उत्पादकों पर समझौता हुए मूल्यों को वापस लाने के लिए दबाव डालें और उत्पादकों द्वारा की जाने वाली सामूहिक (कार्टल) कार्यवाई को रोकें ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जिन टायर कम्पनियों ने राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के साथ टायरों की आपूर्ति के लिए समझौता किया था उन्होंने अपने टायरों की कीमत 800 रुपये प्रति टायर बढ़ा दी जाने से इन्कार किया है । टायरों पर मूल्य अथवा वितरण संबंधी कोई नियंत्रण नहीं है ।

सीमेन्ट पोतों को अन्यत्र पत्तन पर भेजना

5233. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुछ सीमेंट-पोतों को अल्लापी पत्तन भेजने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) केरल सरकार ने एलेप्पी बंदरगाह पर जहाजरानी संबंधी कार्यों में आ रही कमी को सुधारने के लिए इस बंदरगाह पर सीमेंट जलयान भेजने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सितम्बर, 1983 में वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध किया था । राज्य व्यापार निगम ने जो सीमेंट के लिए एक मार्गीकृत अभिकरण है, वर्ष 1983-84 की नीति के अनुसार जानकारी दी है कि वे पत्तनों के भीतरी या दूर के स्थानों के वास्तविक उपभोक्ताओं की आवश्यकतानुसार बंदरगाहों पर सीमेंट का आयात करते

हैं तथा फिलहाल एलेप्पी बंदरगाह क्षेत्र के किसी भी वास्तविक उपभोक्ता की कोई आवश्यकता उन्हें प्राप्त नहीं हुई है उन्होंने आगे यह भी कहा है कि उन्हें जब कभी किसी क्षेत्र की मांग प्राप्त होगी तो वे सीमेंट जलयानों को चलाने के लिये उपलब्ध उपयुक्त सुविधाओं के अनुसार सीमेंट पोतों के रख-रखाव के लिए उक्त बंदरगाह का उपयोग करेंगे ।

खनन और प्रगलन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे विशेषज्ञता का आयात

5234. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में समुद्र-तटीय क्षेत्र से सोना निकालने की प्रौद्योगिकी, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है, के अभाव में सरकार खनन और प्रगलन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञता आयात करने का कोई प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर के चिड़ियाघरों में सिंहों का बन्ध्याकरण

5236. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के प्रसिद्ध जयचमरपेन्द्र चिड़ियाघर में जगह की समस्या होने के कारण सिंहों का बन्ध्याकरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने सिंहों का बन्ध्याकरण किया गया था; और

(ग) इन शानदार जानवरों को बन्ध्याकरण से बचाने हेतु उनके आवास की जगह का निर्माण करने और विस्तार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया गया है ?

पर्यावरण विभाग में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) अतिरिक्त अन्तः प्रजनन को रोकने तथा प्राणी संबंधित सिंहों की आबादी पर नियंत्रण रखने के लिए 3 सिंहों का बन्ध्याकरण किया गया था ।

(ग) केवल बन्ध्याकरण प्रयोजनों के लिए आवास में वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है ।

बिहार के लिए परिव्यय

5237. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान 700 करोड़ रुपये के परिव्यय के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी मुख्य परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें पूरा करने का अनुरोध किया गया है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने 775.25 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया था। 1984-85 की वार्षिक योजना के लिए सहमत परिव्यय 751 करोड़ रु० है और इससे संबंधित ब्यौरे 1984-85 के वार्षिक योजना दस्तावेज में उपलब्ध होंगे जो सभी राज्य बजटों के प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद संसद में रखा जाएगा।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में हानि

5238. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर स्थित सरकारी क्षेत्र की हिन्दुस्तान जिंक जिमिटेड ने, वर्ष 1972-73 में अपनी शुरूआत के समय से लगातार लाभ अर्जित करने के बाद वर्ष 1982-83 के दौरान 10 करोड़ रुपये की हानि उठाई हैं;

(ख) यदि हां, तो कारण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उत्पादन की स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी हां, हिन्दुस्तान जिंक लि० कम्पनी 1972-73 से (मात्र 1980-81 और 1982-83 को छोड़कर) लाभ कमाती रही है। यद्यपि कंपनी को 1982-83 में 10.14 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ लेकिन 1983-84 में वह अपने कार्यचालन में लाभ दिखा कर इस रुख को उलट देने के लिए आशावान है। 1982-83 में मुख्यत: निम्नलिखित कारणों से घाटा हुआ—बिजली की कमी से कम उत्पादन, बिजली दरों में वृद्धि, वेतन व मजदूरी दरों में वृद्धि अनुरक्षणों और मरम्मत की बढ़ी ईंधन लागत, जस्ता और सीसा धातुओं की अलाभकारी कीमतों के कारण कम बिक्री आय।

(ग) कम्पनी ने उत्पादन हानियों को रोकने के लिए अपनी विभिन्न यूनिटों में डीज़ल जनेरेटिंग सेट लगाए हैं ताकि राज्य बिजली बोर्डों से मिली बिजली की कमी को पूरा किया जा सके।

देबारी जस्ता प्रद्रावक में प्रतिवर्ष जस्ते के 4,000 टन अधिक उत्पादन हेतु एक लीच रेसोडयूट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है तथा 12,000 टन सीसा के अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन हेतु विजाग लैड स्मेल्टर का बिस्तार किया गया है और उनका परीक्षण चालन जारी है।

प्रतिदिन 3,000 टन अयस्क उत्पादन हेतु राजपुरा-दरीबा जस्ता-सीसा खानें और 500 टन अयस्क उत्पादन हेतु सर्गीपल्ली खानें विकसित की गई हैं, जो परीक्षण पर चालू हैं। इन सबके फलस्वरूप धातु उत्पादन में वृद्धि होगी।

राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा में कार्यरत अनुसूचित जोति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी

5239. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1984 को अखिल भारतीय सेवाओं जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा में राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने अधिकारी कार्यरत थे और इन सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित हैं तथा उनमें पृथक्-पृथक् इन पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : अखिल भारतीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का विशेष रूप से आरक्षण नहीं किया जाता। फिर भी, सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में और भारतीय वन सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय वन सेवा में भरी जाने वाली रिक्तियों में 15% रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए और 7.5% रिक्तियां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। बाकी सूचना एकत्रित की जा रही है जो सभा पटल पर रख दी जाएगी।

छठी योजना अवधि के दौरान सीमेंट का उत्पादन

5240. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गए सीमेंट कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सीमेंट उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य तथा सीमेंट के हुए वास्तविक उत्पादन का पृथक्-पृथक् रूप से वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) सरकारी और निजी क्षेत्र की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता निम्नलिखित है :—

सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
(लाख मी० टन)	
69	264

(ख) अवस्थापना निविष्टियों की सामान्य उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना प्रलेख में 1984-85 तक का लक्ष्य 345 लाख मी० टन दिखाया गया है।

(ग) उत्पाद लक्ष्यों के ब्यौरे इस प्रकार क्षेत्रवार नहीं रखे जाते। किन्तु समग्र सीमेंट उद्योग के उत्पादन लक्ष्य और अब तक सीमेंट उद्योग के सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में हुए उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उद्योग के लिए उत्पादन लक्ष्य	किया गया उत्पादन		योग
		सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	
		(लाख मी० टन)		
1980-81	200	28	158	186
1981-82	230	35	176	211
1982-83	260	40	193	233
1983-84	280	43	227	270 (अनुमानित)

इस्पात संयंत्रों में सुधार करने संबंधी कार्यक्रम

5241. **श्री अरुण कुमार नेहरू :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रचलित प्रौद्योगिकी होने के कारण इस्पात के निर्माण की लागत अधिक हो गई है;

(ख) क्या इस कठिनाई को दूर करने के लिए संयंत्र में आवश्यक परिवर्तन करने के तथा प्रत्येक समेकित इस्पात संयंत्रों में उत्पादन कम करने सम्बन्धी आधुनिकीकरण करने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यह सच है कि नए समेकित इस्पात संयंत्रों की स्थापना करने की तुलना में पुराने संयंत्रों को आधुनिक बनाना अधिक लागत की दृष्टि से लाभकारी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या विद्यमान इस्पात संयंत्रों का नवीकरण करने हेतु यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है कि उनमें विभिन्न प्रकार के कच्चे माल का यथायोग्य अधिकतम प्रयोग करने की अपेक्षित सुविधाएं वहां उपलब्ध हों ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां, उपस्करों के पुराने हो जाने, मांग विशेषतया क्वालिटी के बारे में प्रतिरूप में परिवर्तन हो जाने और आदानों

की क्वालिटी में भिन्नता आ जाने से इस्पात के उत्पादन की प्रौद्योगिकी, जिसे जब अपनाया गया था तो वह लागत की दृष्टि से मितव्ययी थी, कालान्तर में आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी नहीं रह गई है, अतः समुन्नत प्रौद्योगिकी अपनाना आवश्यक हो गया है।

(ख) और (घ) जी, हां। दुर्गापुर तथा राउरकेला के इस्पात कारखानों के लिए लागत की दृष्टि से मितव्ययी और समुन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। बर्नपुर का इस्पात कारखाने के बारे में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों के लिए इस प्रकार की योजना तैयार करने के लिए एक विशेष दल का गठन किया है।

(ग) सामान्यतः जी, हां। फिर भी प्रत्येक प्रस्ताव के तकनीकी-आर्थिक पहलुओं पर विचार किया जाता है क्योंकि उत्पादन लागत कई बातों (जिनमें प्रोद्योगिकी अपनाना भी शामिल है) पर निर्भर करती है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का कुशल और लागत के प्रति जागरूक प्रशासन

5242. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को समाप्त करने तथा इस्पात संयंत्रों को निजी और स्वतंत्र एककों के रूप में कार्य करने देने सम्बन्धी समस्या की सजग समीक्षा की है;

(ख) यदि नहीं, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और संयंत्रों के बीच ऐसे संबंध स्थापित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है, जिससे कि निजी संयंत्रों के प्रबन्ध-निदेशकों के अधिकार कम न हों; और

(ग) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को कुशल और लागत के प्रति सजग प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए यदि कोई कदम उठाने का विचार है तो वे क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकारी उद्यमों की एक विशेषज्ञ समिति ने स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) के संगठनात्मक ढांचे के बारे में अध्ययन किया था और इसके ढांचे में कई कार्य-कुशलता में वृद्धि की जा सकेगी। सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

(ग) इस मामले में यथा-संभव जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के लिए योजना बनाई जा रही है। हानि को कम करने तथा कार्यकरण में सुधार लाने के लिए "सेल" मांग के अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन लाने, विपणन के लिए अथक प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करने और इस प्रकार तैयार माल, कच्ची सामग्री, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने तथा

निर्यात के लिए अधिक उत्पादन करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। लागत में कमी करने के लिए कई विशेष उपाय किए गए है। इनमें प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करके तथा बेहतर रख-रखाव द्वारा उपस्करों की उपलब्धी में वृद्धि करना, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों की खरीद कम से कम करना और हर प्रकार से खर्च में कमी करना शामिल है। कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए इस प्रकार के कम्प्यूटरों का भी विकास किया जा रहा है जिससे बाजार के रूख और वित्तीय स्थितियों के अनुसार प्रभावी ढंग से तथा तत्काल परिवर्तन किए जा सकें।

"सेल" के प्रबन्धक लागत को कम से कम करने के लिए परिवालन में इष्टतम कुशलता लाने के अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक हैं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को हुई हानि

5243. **श्री अरुण कुमार नेहरू** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या कारण हैं, कि वर्ष 1982-83 के दौरान कुल क्षमता का 78% उपयोग करने के बावजूद इस अवधि में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को 105.76 करोड़ रुपये की कुल हानि हुई है;

(ख) क्या प्राथमिकता देने वाले क्षेत्रों के लिए भारी मात्रा में इस्पात, विशेष रूप से ढांचागत इस्पात और प्लेटों का आयात किया गया है;

(ग) यदि हां, तो माल की सूची को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा की गई है;

(घ) एच० आर० कोआइल्स, सी० आर० कोआइल्स/शीर वायर रोड्स बलेट्स आदि के निर्यात सम्बन्धी क्षेत्र का निष्पादन कैसा रहा; और

(ङ) क्या सरकार निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) वर्ष 1982-83 में "सेल" को हुई हानि का मुख्य कारण यह है कि लागत में हुई वृद्धि की तुलना में वास्तविक वसूली कम हुई है।

(ख) वर्ष 1982-83 में "सेल" ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों द्वारा बताई गई मांग के आधार पर संरचनात्मकों के आयात की व्यवस्था की थी। प्राथमिकता-प्राप्त इन क्षेत्रों ने बताई गई मांग की तुलना में आयातित सामग्री की बहुत कम मात्रा उठाई जिसके परिणामस्वरूप स्टाक में वृद्धि हो गयी। इस वजह से "सेल" को कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि इसकी पूरी लागत वसूल कर ली गई है।

(ग) स्टाक को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) माध्यम अभिकरण "सेल" द्वारा वर्ष 1982-83 में 13 लाख टन इस्पात का आयात किया गया था। इसमें कमी करके वर्ष 1983-84 में लगभग 5 लाख टन इस्पात आयात किया जाएगा।

(ii) प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों पर जल्दी से जल्दी माल उठाने के लिए जोर दिया जा रहा है; और

(iii) यह माल अन्य वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) "सेल" ने लगभग 1,20,000 टन इस्पात का निर्यात करने के लिए आर्डर लिये हैं जिसमें से 15.3.84 तक 24,390 टन इस्पात का जहाज द्वारा प्रेषण किया जा चुका है। सरकार द्वारा निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

जस्ते के मूल्य में वृद्धि

5244. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय अलौह धातु बाजार में जस्ते के मूल्य तेजी से बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसमे भारत में रंग-रोगन रसायनों, फाइबर, यार्न, रबर और टायर जस्ता चढ़ाने वाले उद्योग जैसे धातु के प्रमुख उपभोक्ताओं पर कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार का देश में बढ़िया किस्म के जस्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां, वर्ष 1983-84 में विश्व में जस्ते के मूल्य में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

(ख) जस्ता मूल्यों की वृद्धि से जस्ता खपत उद्योग यथा गैलवेनाजिंग, रोगन और रसायन आदि उद्योग प्रभावित होंगे। इन उद्योगों में जस्ते के अलावा अन्य कच्चे माल की भी खपत होती है, इसलिए जस्ता मूल्यों की वृद्धि के कारण इसके प्रतिकूल असर को मापना व्यावहारिक नहीं होगा।

(ग) हिन्दुस्तान जिंक लि० ने उत्पादन हानियों को रोकने के लिए अपनी विभिन्न यूनिटों में डीजल चालित विद्युत उत्पादन सेट लगाए हैं ताकि राज्य बिजली बोर्डों से मिलने वाली बिजली की कमी को पूरा किया जा सके।

देबारी जस्ता प्रद्रावक में जस्ता उत्पादन में 4,000 टन वार्षिक वृद्धि के लिए लीच रेसी-डयू ट्रीटमेंट संयंत्र लगाया गया है तथा विजाग सीसा प्रद्रावक में प्रतिवर्ष 12,000 टन सीसे के अतिरिक्त उत्पादन के लिए उसका विस्तार पूरा हो गया है और उसका परीक्षण चालन जारी है।

राजपुरा-दरीबा सीसा-जस्ता खानें 3,000 टन अयस्क के दैनिक उत्पादन हेतु और सर्गी-पल्ली सीमा खानें 500 टन अयस्क के दैनिक उत्पादन हेतु विकसित की गई हैं और वे परीक्षण के तौर पर चालू हैं। इससे धातु उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

जस्ता और सीसा धातुओं के देशी उत्पादन में वृद्धि के लिए नई खानों (रामपुरा-अगुचा-बरोई) के विकास तथा ग्राम चन्देरिया (जिला चित्तौड़) के निकट प्रतिवर्ष 70,000 टन जस्ता और 35,000 टन सीमा उत्पादन क्षमता एवं ग्रहीत बिजलीघर (3×30 मे० वाट) के नए जस्ता सीसा प्रद्रावक कम्पलेक्स तथा देबारी जस्ता प्रद्रावक में गैस टरबाइन सेट (1×15 मे० वाट) (सभी राजस्थान में) का एक समेकित प्रस्ताव पूंजी निवेश के बारे में तय करने के लिए इस समय सरकार के विचाराधीन है।

मै० कोमिन्को बिनानी जिंक लि०, एक प्राइवेट कम्पनी ने भी अपनी 20,000 टन वार्षिक उत्पादन क्षमता की प्राप्ति के लिए आधुनिकीकरण/विस्तार का कार्यक्रम शुरू किया है।

आई० टी० आई० कानपुर द्वारा प्रदूषण रहित स्टोव का विकास

5245 **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **उद्यो मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० टी० आई०, कानपुर ने 200 से 300 रुपये तक मूल्य के एक ऐसे स्टोव का विकास किया है, जिसमें ईंधन के रूप में चावल की भूसी का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रदूषण-रहित बर्नर को ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर तथा जनता के निर्धन वर्ग की सहायता हेतु कम कीमत पर उपलब्ध कराने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभिराम राव) : (क) यह सूचित किया गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, कानपुर में मेटालर्जीकल इंजीनियरिंग विभाग के कुछ फैकल्टी सदस्यों ने एक "ट्यूब-इन-बास्केट" बर्नर का विकास किया है जिसमें ईंधन के लिए चावल की भूसी का प्रयोग किया जाता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि करने पर प्रतिबन्ध

5246. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के सेवा काल में वृद्धि करने पर प्रतिबन्ध है;

(ख) इस प्रतिबन्ध के बावजूद प्रथम और द्वितीय श्रेणी के कितने अधिकारियों के सेवा-काल में वृद्धि की गई; और

(ग) क्या सरकार इस तरह सेबाकाल में वृद्धि करने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उटता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

एंटारक्टिका में पीछे तैनात दल के सदस्यों को सौंपा गया कार्य

5247. **श्री के० प्रधानी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एंटारक्टिका दल स्वदेश लौट आया है;

(ख) अपने एंटारक्टिका अभियान के दौरान उनके द्वारा क्या आधारभूत ढांचा तैयार किया है और वहां पीछे कितने सदस्य रह गए हैं और उनको क्या कार्य सौंपा गया है; और

(ग) क्या महासागर विकास विभाग में कोई सैल स्थापित किया जाएगा, जो इस दल द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रयोगों के परिणाम तथा उनके निष्कर्षों तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनके निष्कर्षो का अवलोकन करेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दल के 69 सदस्य इस समय स्वदेश लौटने के लिए रवाना हो चुके हैं और मार्च 1984 के अन्त तक उनके गोआ पहुंचने की संभावना है।

(ख) दल ने कार्य-संचालन प्रयोगशालाओं सहित एक मानव सहित स्थायी केन्द्र, "दक्षिण गंगोतरी" एंटारक्टिका पर स्थापित किया हैं। इस केन्द्र का कार्यसंचालन 12 व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जिनमें 3 वैज्ञानिक भी शामिल हैं। ये वैज्ञानिक मौसम-विज्ञान, हिमक्रिया विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करेंगे। अन्य व्यक्ति केन्द्र पर संभार-तन्त्र संबंधी कार्य में सहायता करेंगे।

(ग) इस प्रयोजन के लिए महासागर विकास विभाग में एक छोटा सैल पहले ही कार्य कर रहा है।

उड़ीसा मे एल्यूमीनियम संयंत्र

5248. **श्री के० प्रधानी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा का प्रथम एल्यूमीनियम निष्कासन संयंत्र, उड़ीसा के बिना उद्योग के जिले बालसदोर में, संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, इन्डालको (इण्डियन एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड) और इपीकोल (इनवैस्टमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड) की शेयर-फार्मूला क्या है; परियोजना की लाइसेंस क्षमता और इसकी पूंजी परिव्यय क्या है और इसके कब तक तैयार हो जाने तथा उत्पादन शुरू कर देने की संभावना है; और

(ग) इस परियोजना के समय पर और सफलता पूर्वक कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या तकनीकी, वित्तीय अथवा अन्य किसी प्रकार की सहायता दिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) से (ग) उड़ीसा के मै० इपीकोल को 5,000 टन वार्षिक क्षमता से राज्य के एक किसी उद्योग विहीन जिले में एल्यूमिनियम एक्सट्जन के निर्माण हेतु नए उपक्रम की स्थापना के लिए आशय पत्र मंजूर किया गया है। जारी आशय पत्र में यह शर्त भी है कि यदि उसमें कोई बड़ा औद्योगिक घराना या विदेशी कम्पनी सम्मिलित होगी, तो 25% तक के पूंजी निवेश के बारे में केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना होगा। अब इपीकोल ने यह परियोजना इण्डियन एल्यूमिनियम कंपनी (इन्डाल) की साझेदारी में संयुक्त क्षेत्र में लगाने की पेशकश की है। इस प्रस्तावित साझेदारी में इपीकोल का हिस्सा 26% और इन्डाल का हिस्सा 25% है। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इपीकोल ने परियोजना की पूंजी परिव्यय 10 करोड़ रुपए के लगभग तथा उसके बनकर चालू होने की मियाद 1987 के लगभग बतायी है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 का कार्यान्वयन

5249. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लेखित 14 नुक्तों को क, ख और ग तीनों क्षेत्रों के राज्यों के लिए द्विभाषी रूप में कार्यान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग क, ख और ग क्षेत्रों के राज्यों में स्थित इसके कार्यालयों में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान धारा 3(3) के अलग-अलग कार्यान्वयन के प्रतिशत का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सभी क्षेत्रों में उक्त 14 नुक्तों को शतप्रतिशत द्विभाषी करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग 'क क्षेत्र' में स्थित है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में विनिर्दिष्ट सभी कागजात अनिवार्यता से द्विभाषी रूप में जारी किए जाते हैं। अतः इस अधिनियम की सम्बद्ध धारा का कार्यान्वयन शत प्रतिशत है।

(ग) तथा (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

धनबाद और गिरडीह जिलों में एम० ए० डी० ए० कार्यक्रम

5250. **श्री ए० के० राय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1984 को बिहार के धनबाद और गिरडीह जिलों में किस-किस क्षेत्र में एम० ए० डी० ए० कार्यक्रम चल रहा था;

(ख) पिछले दो वर्षों में इन क्षेत्रों में कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) इस अवधि में आरम्भ और पूरी की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई धनराशि बिना खर्च किए वापस की गई है अथवा उसे कहीं और खर्च कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बिहार के धनबाद और गिरडीह जिलों में, 1-1-84 को एम० ए० डी० ए० कार्यक्रम के अन्तर्गत लाए गए गांवों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र० सं०	जिला	ब्लाक/खंड	गांवों की संख्या
1.	धनबाद	तुन्डी-I	102
		तुन्डी-II	88
		निरसा-कम-चिरकुन्डा	59
2.	गिरडीह	पिरटांड	148
		तिसरी	97
		गांडे	75
		बैगाबाद	46

1	2	3	4
		गुमिया	41
		पेटरबार	37
		जरीडीह	24
		कसमार	23
		गिरिडी	42
		डूमरी	47
		देवरी	82

ट्राम्बे में छठा तापीय संयंत्र लगाने का विरोध

5251. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्राम्बे में छठा तापीय संयंत्र लगाने के लिए टाटा को लाइसेंस देने पर बंबई पर्यावरणीय दल ने विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजी गई परियोजना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दिनांक 15 जनवरी, 1984 के "इण्डिया टुडे" में "एनवाय- रमैंट बाम्बे पावर स्ट्रगल" शीर्षक से प्रकाशित लेख को भी देखा है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने परियोजना को कुछ शर्तों पर जिसमें केन्द्रीय पर्यावरण विभाग तथा राज्य जल प्रदूषण निबंत्रण बोर्ड की सलाह भी शामिल है, तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

(ग) जी, हां।

प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारियों का चयन

5252. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए कर्मचारियों के चयन संबंधी आदेश क्या हैं और क्या उन आदेशों की प्रतियां सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ख) क्या पदों को परिचालित करने की आवश्यकता होती है और उचित चयन कार्य-विधि अपनाई जाती है अथवा कर्मचारियों को ऐसे ही चुन लिया जाता है;

(ग) क्या एक कर्मचारी को दोबारा प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा सकता है जबकि वह प्रतिनियुक्ति की पूरी अवधि समाप्त करके शीघ्र ही वापस आया हो; और

(घ) यदि हां, तो उसको किन परिस्थितियों में भेजा जा सकता है और इस विषय से संबंधित आदेश क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सामान्यतः सरकारी सेवकों को संवर्ग-बाह्य पदों को धारित करने के लिए तभी भेजा जाता है, जबकि भर्ती नियमों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति किये जाने की व्यवस्था होती है । कर्मचारी का चुनाव भर्ती नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) इस बारे में कोई निर्णय लेने से पूर्व कि क्या प्रतिनियुक्ति से लौट कर आये किसी कर्मचारी की सेवाएं दोबारा से किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद को धारित करने के लिए दी जा सकती है या नहीं-संवर्ग नियंत्र प्राधिकारी को लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को हुआ घाटा

5253, **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्र के इस्पात उद्योग को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 400 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है (फाईनेंनशियल एक्प्रैस नई दिल्ली, दिनांक 4-3-84).

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहें हैं;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग में व्याप्त अनेक दोषों में से भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में तदर्थवाद भी एक है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर काबू पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 में "सेल" के कारखानों की लाभ और हानि की स्थिति का पता तभी चलेगा जब इस वर्ष का हिसाब-किताब अन्तिम रूप से तैयार हो जाएगा ।

पिछले तीन वर्षों में "सेल" की लाभ/हानि की स्थिति इस प्रकार है :—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

वर्ष	लाभ (+)/हानि (—)	(लागत में वृद्धि घटा पिछले वर्ष की तुलना में हुई वास्तविक वसूली में वृद्धि)
1980-81	(+) 1.01	(45)
1981-82	(+) 39.17	(—) 15)
1982-83	(—) 105.76	(115)

"सेल" को हुई हानि का मुख्य कारण यह है कि वास्तविक वसूली लागत में हुई वृद्धि की तुलना में कम होती रही है, जैसाकि नीचे तालिका में दिखाया गया है :—

(सभी आंकड़े करोड़ रुपयों में हैं)

	1980-81	1981-82	1982-83
पिछले वर्ष की तुलना में "सेल" की बिक्री से हुई वसूली में अनुमानित वृद्धि (इस्पात तथा कच्चा लोहा)	125	319	231
पिछले वर्ष की तुलना में लागत में वृद्धि			
— कच्चा माल, स्टोर, फालतू, पुर्जे बिजली	124	223	199
— वेतन तथा मजदूरी	29	42	57
— रख-रखाव	3	10	3
— मूल्यह्रास	—1	9	9
— ब्याज	15	11	78
उपर्युक्त मदों के बारे में पिछले वर्ष की तुलना में लागत में हुई कुल वृद्धि	170	304	346

हानि को कम करने तथा कार्यकरण में सुधार लाने के लिए "सेल" मांग के अनुरूप प्रॉडक्ट-मिक्स में परिवर्तन लाने, विपणन के लिए अथक प्रयास करके बिक्री में वृद्धि करने और इस प्रकार तैयार माल, कच्ची सामग्री, स्टोर्स तथा फालतू पुर्जों के स्टाक में कमी करने तथा निर्यात

के लिए अधिक उत्पादन करने हेतु हर सम्भव प्रयास कर रही है। प्रौद्योगिकीय प्रक्रियाओं में सुधार करके लागत में कमी करने, उपस्करों की समय पर मरम्मत करके तथा बेहतर रख-रखाव द्वारा उनकी उपलब्धि में वृद्धि करने, स्पोर्स तथा फालतू पुर्जों की खरीद कम मे कम करने और हर प्रकार से खर्च में कमी करने के लिए विशेष उपाय किए गए हैं ।

(ग) जी, नही ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अन्तरिक्ष विज्ञान में प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए कार्य दल

5254. **श्री के० मोलन्ना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए किसी कार्य दल की नियुक्ति की है और इस क्षेत्र में भारत के कब तक आत्म-निर्भर हो जाने की संभावना है; और

(ख) अंतरिक्ष कार्यक्रमों से देश और लोगों को कब तक हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं । सरकार ने किसी कार्यकारी दल की नियुक्ति नहीं की है ।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम के मुख्य उपयोगों के उद्देश्यों में उपग्रह संचार तथा संसाधनों के सर्वेक्षण और प्रबन्ध के लिए सुदूर संवेदन में राष्ट्रीय आवश्यकताओं को आत्म-निर्भर रूप में पूर्ति करना शामिल है । अब तक हुए लाभ का ब्यौरा सरकार द्वारा स्वीकृत 1980-1990 दशाब्द के लिए अन्तरिक्ष अनुसंधान और विकास प्रोफाइल में तथा अन्तरिक्ष विभाग की वार्षिक रिपोर्टों और निष्पादन बजटों में दिया गया है जिनकी प्रतियाँ संसदीय पुस्तकालय में रखी गयी हैं ।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए लम्बित दावे

5255. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के बारे में 6 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5888 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास 1 मार्च, 1984 को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए राज्य-वार कितने दावे लंबित हैं;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान लंबित मामलों को निपटाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं और मामलों को निपटाए जाने की भावित तारीख क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है जबकि सभी मामलों को निपटा दिया जाएगा और इस सम्बन्ध में से संपूर्ण कार्य पूरा हो जाएगा ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है । भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों की 2 श्रेणियां हैं । जो ब्रिटिश इण्डियन आर्मी से इसमें शामिल हुये उन्हें सैनिक श्रेणी के रूप में जाना जाता है और जो असैनिक जीवन से आजाद हिन्द फौज में शामिल हुए थे उन्हें असैनिक श्रेणी के रूप में जाना जाता है । भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों की सैनिक श्रेणी के मामले में आजाद हिन्द फौज के आन्दोलन में उनके भाग लेने के दावों के सत्यापन के लिए संबंधित सेना अभिलेख कार्यालयों को पत्र भेजा जाता है । भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिकों की असैनिक श्रेणी के मामले परिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर तय किये जाते हैं; क्योंकि सम्बद्ध बलों के द्वारा उनकी नजरबन्दी अथवा कारावास की सजा सिद्ध करने के लिए कोई सरकारी रिकार्ड उपलब्ध नहीं है । मामलों को यथा संभव शीघ्र निपटाने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों के निपटान के लिए समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

18 मार्च, 1984 को भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सैनानियों के लंबित पड़े मामलों का विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	6-4-83 के अतारांकित प्रश्न सं० 5888 के अनुसार 28-2-83 को आजाद हिन्द फौज के लंबित मामले	1 मार्च 1984 को आजाद हिन्द फौज के लंबित मामले	न्यू गुयाना के लिए विशेष जांच समिति द्वारा जांच के लिए लंबित मामले
1	2	3	4	5
1.	अंडमान तथा निकोबार	12	6	—
2.	आन्ध्र प्रदेश	52	30	—
3.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—
4.	असम	15	7	—
5.	बिहार	84	26	—
6.	चंडीगढ़	12	4	—
7.	दिल्ली	99	34	3

8.	गोआ	2	—	—
9.	गुजरात	28	19	—
10.	हरियाणा	138	96	7
11.	हिमाचल प्रदेश	120	86	32
12.	जम्मू व कश्मीर	92	50	140
13.	केरल	482	331	—
14.	कर्नाटक	34	17	—
15.	मध्य प्रदेश	29	10	—
16.	महाराष्ट्र	37	12	—
17.	मणिपुर	388	349	—
18.	मेघालय	5	—	—
19.	मिजोरम	5	—	—
20.	नागालैंड	4	2	—
21.	उड़ीसा	160	156	—
22.	पांडिचेरी	32	18	—
23.	पंजाब	1957	1603	312
24.	राजस्थान	141	116	—
25.	तमिलनाडु	826	596	4
26.	त्रिपुरा	7	3	—
27.	उत्तर प्रदेश	792	560	6
28.	पश्चिम बंगाल	35	28	—
	कुल जोड़	5588	4159	504

भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त का पद भरना

5256. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के पद के बारे में 4 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10006 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाषायी अल्प संख्यकों के आयुक्त के पद को भर दिया गया है;

(ख) यदि हां, यह कौन सी तारीख को भरा गया था तथा इस पद पर नियुक्त किये गये व्यक्ति का नाम और अर्हताएं क्या हैं तथा इस पद को भरने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में तैनात करने के लिए विशेष शान्ति व्यवस्था बल की स्थापना करना

5257. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या गृह मंत्री राज्यों में विशेष पुलिस बल की स्थापना करने के बारे में 4 मई 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10007 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक और जातीय झगड़ों के संबंध में तैनात करने के लिए विशेष शांति व्यवस्था बल की तीन और बटालियनों की स्थापना की गई है और उनकी स्थापना कौन सी तारीख में की कई है;

(ख) इन बटालियनों को कौन से राज्यों में तैनात किया गया है; और

(ग) इन बटालियनों की भर्ती किस प्रकार की गई है और उनके लिए क्या तरीका अपनाया गया है और क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इनमें भर्ती करते समय सभी राज्यों/समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की तीन विशेष शांति व्यवस्था बल की बटालियनें मूलभूत प्रशिक्षणाधीन है और इनके जून/जुलाई, 1984 में संचालन में आने की संभावना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इन बटालियनों में भर्ती, भर्ती नियमों के अनुसार की गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि इन बटालियनों में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो।

अनुसूचित जनजातियों की सूची में तमांग जनजाति को शामिल करने के लिए असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल सरकारों के विचार

5258. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या गृह मंत्री अनुसूचित जनजातियों की सूची में असम, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल में तमांग जनजाति को शामिल करने के बारे में 30 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3034 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के विचार प्राप्त हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा किस प्रकार के विचार व्यक्त किये गए हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या जिन राज्यों ने अपने विचार अभी तक नहीं भेजे हैं उनको विचार भेजने के लिए फिर से याद दिलाया गया है और उनको किस तारीख को याद दिलाया गया है तथा सबंधित राज्य सरकारों से क्या उत्तर प्राप्त हुआ हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) असम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों की टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं। सिक्किन राज्य सरकार ने अपनी टिप्पणियां भेज दी है।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों के विचार लोक हित में प्रकट नहीं किये जा सकते। उपर्युक्त प्रस्ताव और अन्य ऐसे प्रस्तावों, सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में किसी समुदाय को शामिल करने के लिए संबंधित राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों तथा भारत के महापंजीकार के साथ परामर्श करके और मामले में अपनाये गये संगत मानदन्डों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में विधिवत विचार किया जा रहा है। असम और पश्चिमी बंगाल राज्य सरकारों सहित कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रई हैं। टिप्पणिगां न भेजने वाले राज्यों को अंतिम अनुस्मारक 9 फरवरी, 1984 को भेजा गया था और उन्हें पुन: अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में आगे कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखते हुए संसद द्वारा बनाये गये किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

पिछड़े आदिवासी जिलों के विकास के लिए विशेष योजनाएं

5259. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अत्यधिक पिछड़े आदिवासी जिलों के सर्वांगीण विकास के मामले को अन्य जिलों के बराबर लाने के लिए आदिवासी उप-योजनाओं के अलावा क्या अन्य नितियां अपनाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के तेजी से विकास के लिए कोई विशेष योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो किसी राज्य में मार्गदर्शी योजनाओं के रूप में कौनसी योजनाएं आरम्भ की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) जनजाति उप-योजनाओं के अतिरिक्त संशोधित क्षेत्र विकास नीति तथा आदिम जनजाति वर्ग कार्यक्रमों के

लाभ जनजाति क्षेत्रों को प्राप्त होते हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे अन्य विशिष्ट क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों में तत्संबधी क्षेत्रों की जनजाति जनसंख्या भी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र (परिषद) योजना का उद्देश्य पर्याप्त जनजाति क्षेत्रों वाले पूर्वोत्तर राज्यों का संतुलित विकास है। औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों और क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों में जनजाति क्षेत्रों के चहुमुखी विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों, 20 सूत्री कार्यक्रमों और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों में भी जनजातियों की जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है। सातवीं पंच-वर्षीय योजना के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम तैयार करते समय विकास के लिए वर्तमान योजनागत कार्यक्रमों का पुनरीक्षण किया जाएगा।

रत्नागिरि में अल्यूमिनियम संयंत्र के लिए भूमि

5260. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रत्नागिरि में अल्यूमीनियम संयंत्र के लिए "बालको" को कितनी भूमि दी गई है;

(ख) उन किसानों को प्रति एकड़ औसतन कितने मुआवजे का भुगतान किया गया है, जिनकी भूमि का इस परियोजना के लिए अर्जन किया गया है; और

(ग) घास और आम सहित उद्यान उत्पाद की बिक्री से "बालकों" को आज तक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम ने रत्नागिरि एल्यूमिनियम पपरियोजना के लिए भारत एल्यूमिनियम कम्पनी (बाल्को) को 1006 एकड़ जमीन दी थी, उसमें से बस्ती के नाम को 200 एकड़ जमीन उस निगम को वापस लौटायी जा चुकी है।

(ख) यह ज्ञात नहीं है क्योंकि किसानों से जमीन की खरीद उक्त राजकीय निगम ने की थी और उसने अब तक बाल्को द्वारा देय मुआवजा राशि नहीं बतायी है।

(ग) कथित फसल की बिक्री से 1972-84 के दौरान 4.44 लाख रुपये की आय हुई।

दहेज संबंधी अपराधियों की दोषमुक्ति

5261. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विशेष दहेज न्यायालय में दायर किए गए वहुओं को जलाने के सभी छह मामलों में अपराधियों को दोष मुक्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकांश मामले साक्ष्य के त्रुटिपूर्ण ढ़ग से और अपर्याप्त रूप से रखे जाने के कारण न्यायालय में सिद्ध नहीं हो सके;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि अनेक मामलों में पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार करती है और जानबूझ कर मामला बिगाड़ देती है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) :(क) 1981 के दहेज मृत्यु के 4 मामलों और 1982 के ऐसे तीन मामलों में, जिनमें अन्तिम निर्णय दिया गया है, अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया है ।

(ख) मामलों के सिद्ध न होने के इस तथ्य सहित कि ऐसे अपराध निजी घरों की चारदीवारी के अन्दर होते हैं, प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य का अभाव और साक्ष्य देने के लिए आगे आने में झिझकता आदि जैसे अनेक कारण जिम्मेवार है ।

(ग) और (घ) जब कभी भी इस प्रकार की शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई जाती है तो मामलों की तत्काल और प्रभावकारी जांच के सुनिश्चित करने लिए उचित कार्यवाही की जाती है ।

इस बात के निर्देश पहले से ही मौजूद हैं कि संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहित युवा महिलाओं की मौतों के सभी मामलों को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में शव परीक्षा दो चिकित्सकों द्वारा की जानी चाहिए । पीड़ितों के मृत्यु पूर्व बयानों को रिकार्ड करने के लिए मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं और इस प्रकार के सभी मामलों की विस्तृत जांच पड़ताल वरिष्ठ स्तर पर की जातीं है । इन निर्देशों को दोहराया जा रहा है ।

जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं

5262 **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को ऊपर उठाने में राज्य सरकारों को योगदान करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा किस प्रकार की योजनाओं का सुझाव दिया गया है; और

(ग) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) आदिवासियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाओं का सुझाव दिया गया है :—

(i) विभिन्न संरक्षात्मक उपायों जैसे आदिवासी भूमि के अन्तरण के विरुद्ध कानून, साहूकारी के व्यवसाय का विनियमन, बन्धक मजदूरी को समाप्त करना। अन्तर्राज्यीय उत्प्रवासी श्रम का विनियमन, का प्रवर्तन वन, आबकारी, ऋण और विपणन नीतियों की समीक्षा।

(ii) उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमियों का आवंटन और उसका विकास करना।

(iii) मकान स्थलों का आवंदन और मकान बनाने के लिए सहायता।

(iv) सिचाई क्षमता की बढ़ोतरी, आधुनिक तकनीक लागू करना और पर्याप्त निवेश अर्थात सुधरे हुए बीज खाद आदि के प्रयोग द्वारा कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों में उत्पादकता स्तर बढ़ाने पर ध्यान देना।

(v) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले आदिवासी परिवारों का पता लगाना और विभिन्न विकास कार्यक्रमों अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण गरीबी का आर्थिक पुनर्वास, कार्यक्रम रोजगार गारटी पुष्टिकरण योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास और आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता देना ताकि वे गरीबी रेखा पार कर सकें।

(vi) अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए आश्रम-स्कूलों, कन्या छात्रावासों, पुस्तक बैंकों की स्थापना और पर्याप्त मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों/वजीफों का प्रावधान करना और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों और सेवाओं के आरक्षण का पुनरीक्षण करने के अतिरिक्त विशिष्ट रोजगार अवसरों के लिए आदिवासी लड़कों के अनुशिक्षण और प्रशिक्षण की योजना चलाना।

(ग) 1980-85 के दौरान 23 लाख आदिवासी परिवारों की आर्थिक रूप से सहायता करने का प्रयत्न करना है और जनवरी, 1984 तक 29.47 लाख आदिवासी परिवारों की सहायता की जा चुकी है।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को लगाए जाने के स्थान

5263. **श्री मोहन लाल पटेल :**

श्री नवीन रावणी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आगामी पांच वर्षों के दौरान और परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के संबंध में सरकार की नीति क्या हैं;

(ख) क्या किन्हीं राज्यों ने अपने यहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुरोध किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासार विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) नीति यह है कि 235 मेगावाट क्षमता के तथा दाबित भारी पानी किस्म के कई रिऐक्टर लगाना जारी रखा जाए और उसके बाद 500 मेगावाट क्षमता से रिऐक्टर लगाए जाएं ।

(ख) तथा (ग) राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु केरल, कर्नाटक और अन्य राज्यों से समय-समय पर इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उन राज्यों में परमाणु बिजलीघर लगाए जाएं । परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल-चयन समिति राज्य सरकारों द्वारा सुझाए गए विभिन्न स्थलों के बारे में अध्ययन कर रही है ।

सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के लिए चालान किए गए व्यक्ति

5264. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **गृह मंत्री** दिल्ली में सरकारी भवनों को बिगाड़ने के बारे में 14 दिसम्बर, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3628 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनका सार्वजनिक सम्पत्ति को विरूपित करने से रोको संबंधी पश्चिम बंगाल के अधिनियम 1976 के अन्तर्गत आज तक चालान किया गया है; और

(ख) दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा 28 सितम्बर, 1983 से आज तक सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति पहुंचानें के कितने मामलों का पता लगाया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) सार्वजनिक सम्पत्ति को बिगाड़ने पर प्रतिबंध पश्चिम बंगाल अधिनियम 1976, जैसा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू है, के अन्तर्गत अपराधों के लिए व्यक्तियों का चालान दिल्ली पुलिस द्वारा किया जाता है । 15 मार्च, 1984 तक ऐसे 87 मामलों का पता लगाया गया था और इस सम्बन्ध में 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार/चालान किया गया उन्हें इश्तहार इत्यादि लगाकर दीवारों को बिगाड़ते हुए पाया गया था । चालान किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

व्यक्तियों के ब्यौरे जो 1983 और 1984 (5-3-84 तक) पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सम्पत्ति को बिगाड़ने पर प्रतिबन्ध अधिनियम, 1976 के अधीन गिरफ्तारी किए गए/के चालान किए गए ।

1983

1. राम अदालत पुत्र दुखीराम राम निवासी गली-2 टैंक रोड करोल बाग दिल्ली ।
2. दलीप पुत्र बनवारी लाल निवासी एस-718 मंगोलपुरी,

3. सतीश कुमार
4. हरी चन्द्र
5. खेर सिंह
6. लक्ष्मण
7. ओम प्रकाश
8. अर्जन

} सभी नांगलोई के निवासी

9. मोतीराम पुत्र गोपीचन्द्र निवासी मकान नं० 2680 महाबीर ब्लाक भोलानाथ नगर, दिल्ली।

10. डा० सत्येन्द्र कुमार पुत्र फकीर चन्द्र निवासी-सी-24 गणेश नगर शकरपुर दिल्ली

11. राजेन्द्र सिंह पुत्र खेम चन्द्र निवासी एच० नं० एफ-8/2 कृष्ण नगर, दिल्ली।

12. सुरेन्द्र कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी 2382-गली बालमिकि टीगेट दिल्ली।

13. उन्नत कांत झा पुत्र रूप नारायण झा निवासी 5062 गली ब्राह्मण वाली पहाड़ी धीरज सदर बाजार दिल्ली।

14. रविन्द्र कुमार शर्मा पुत्र मदन मोहन शर्मा निवासी म० नं० 3226 गली तेलिया दरिया गंज

15. बृजमोहन
19. प्रेम कुमार
17. कुलदीप सिंह
18. अशोक कुमार
19. दिनेश कुमार
20. जसवंत सिंह
21. राम सिंह
22. अमर जीत
23. नाहर सिंह

} सभी सच्च खान नानक धाम रोड (यू० पी०) के निवासी

24. शेर सिंह पुत्र मूल चन्द निवासी 16बी/5 आनंद पर्वत बस टर्मिनल दिल्ली।

25. प्रहलाद पुत्र डमरू निवासी 843/12 सीमापुरी दिल्ली।

26. सूर्यभान पुत्र रोगी निवासी म० नं० 87 सीमापुरी दिल्ली।

27. डा० त्रिलोचन सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी 2644 सदर बाजार रोड दिल्ली।

28. सर्द अग्निहोत्री पुत्र चन्द्र अग्निहोत्री निवासी सी-3/93 ए विहार दिल्ली।

29. राजेन्द्र कुमार पुत्र रणबीर सिंह निवासी 5435 न्यू चन्द्रवाल दिल्ली।

30. जगदीश पुत्र शम्भू दयाल निवासी खोखा नं० 26 लाजपेतराय मार्किट दिल्ली।

31. सुनील पुत्र अज्युद्या प्रसाद निवासी दु० नं० 177 गुरूनानक मार्किट करोल बाग नई दिल्ली।

32. राम प्रकाश पुत्र कांसा राम निवासी 177 गुरूनानक मार्किट करोल बाग दिल्ली।

33. कर्न सिंह सुपुत्र ओमप्रकाश निवासी 66-राजपुरा गुरूमंदिर दिल्ली।

34. नरिन्द्र कुमार पुत्र जगदीश चन्द्र निवासी 9/5776 सुभाष मोहल्ला गली नं० 2 गांधी-नगर।

35. वेद प्रकाश पुत्र ओमप्रकाश निवासी-गांव सोठी हरियाणा।

36. रमेश मलिक पुत्र मामचन्द निवासी-गाँव अटाल हरियाणा।

37. महेन्द्र सिह पुत्र ताराचन्द्र गांव अटाल हरियाणा।

38. भरत सिंह पुत्र सुभराम—वही—

39. सुशील कुमार अयोध्या प्रसाद निवासी दु० नं० 177 रामनगर करोलबाग।

40. दुर्गा प्रसाद पुत्र रामेश्वर निवासी रामनगर करोलबाग।

41. सुशील कुमार पुत्र मुकन्द लाल 4/67 रूपनगर दिल्ली।

42. शंकर पुत्र तेजा निवासी झुग्गी लारेंस रोड।

43. राम कृपाल पुत्र रतिराम यादव निवासी गांव-फतहपुरडेरी फरीदाबाद।

44. जगदीश पुत्र रामधन ए-150 खानपुर जे० जे० कालोनी।

45. अजय कुमार निवासी 122 सुखदेव विहार नई दिल्ली।

46. राकेश कुमार निवासी ---वही—

47. परगत सिह पुत्र श्री सोहन सिह, निवासी-एफ-97, नारेना विहार।

48. राजेन्द्र सागर पुत्र श्री बिसन दास, निवासी डब्ल्यू जेड-21 पंखा रोड दिल्ली।

49. राजेश कुमार पुत्र श्री नारायण दास दु० नं० 7 कम्यूनिटी सेटर नरेना।

50. सतीश कुमार पुत्र मुंशी राम निवासी 0-113 पश्चिम पटेल नं० नई दिल्ली।

51. वेद प्रकाश पुत्र भीम सिह निवासी डब्ल्यू जेड-123, नरैना।

52. बजरंग लाल पुत्र गोबिन्द राम निवासी बी-257 नरैना।

53. धर्म चन्द पुत्र रूप चन्द निवासी, 3972 रैंगर पुरा करोलबाग दिल्ली।

54. सुखबीर सिह पुत्र अवतार सिह निवासी जी-11 जंगपुरा एक्स, नई दिल्ली।

55. धर्मचन्द अरोरा पुत्र रूप चन्द निवासी 3927/28 रैंगरपुरा करोलबाग दिल्ली

56. अनिल गांधी पुत्र कृष्ण लाल निवासी दु० नं० 3 शशि अस्पताल रोड,-भोगल नई दिल्ली।

57. मौहम्मद महदी पुत्र मुहम्मद आरीफ डी०9/7 मालवीय नगर नई दिल्ली।

58. जगदीश प्रसाद पुत्र मुखू राम डी-1/41 न्यू राजेन्द्र नगर।

59. जगदीश पुत्र शिवलाल निवासी हनुमान मंदिर नई दिल्ली।

60. सराजुद्दीन पुत्र अब्दुल हजीज निवासी हनुमान मंदिर नई दिल्ली 2

61. राकेश पुत्र रामेश्वर दयाल -वही-

62. चंदनाथ सुपुत्र बालूनाथ निवासी हनुमान मंदिर

63. मोहन लाल पुत्र चेतराम निवासी-10-सी गोल मार्किट नई दिल्ली।

64. राजाराम पुत्र सर्जू निवासी उन्नाव यू पी।

1985 (15-3-84 तक)

1. दीदार सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी ई-3 मिलाप नगर, जनकपुरी।

2. रविन्द्र कुमार पुत्र हरबन्स लाल निवासी 32/469, मोती नगर, नई दिल्ली।

3. राज बहादुर
4. गंगाराम } निवासी जनकपुरी।

5. राम चन्द्र पुत्र मनमोहन निवासी मेनेजर अपोलो सर्कस मार्फत मोहम बम्बई।

6. हेमचन्द्र पुत्र कॉलम सिंह निवासी म० नं० 77/2 मुकेशनगर नई दिल्ली।

7. रामचन्द्र पुत्र मनमोहन निवासी मैनेजर अपोलो सर्कस मार्फत मोहम बम्बई।

8. जफर अहमद पुत्र मकसूद जादी निवासी 2235-टी गेट।

9. बजरंग पुत्र रामचन्द्र निवासी झुग्गी नेरूहिल

10. सच्चिदानन्द पुत्र राम नैयन सिंह
11. जीतम सिंह पुत्र राम प्रसाद सिंह } सभी निवासी कैलाश नगर
12. विजय बहादुर पुत्र शिवप्रसाद सिंह

13. बीछू खान पुत्र मुहम्मद मूसा निवासी 2017-गंजमीरखान।

14. श्री भगवान पुत्र बिशनदयाल निवासी ब्लाक-1 क्वा० नं० 2 इरविन अस्प.।

15. विष्णु पुत्र गोपाल सिंह निवासी 22/6 मेन रोड गांधी नगर।

16. विश्राम सिंह पुत्र भगवान निवासी 8/37 चंद बाग कालोनी जमुना विहार दिल्ली।

17. मोहम्मद अजार पुत्र मुहम्मद रशय निवासी लक्ष्मी सेठ गैस हाऊस प्रकाशन भवन गोलचा सिनेमा के पास।

18. अकोल चन्द पुत्र अशूतोष चन्द्र निवासी 16/4 आशफअली रोड दिल्ली।

19. फजल करीम पुत्र अब्दुल लाई निवासी 1/50 लाजपत नगर नई दिल्ली।

20. मासूत अली पुत्र मोहम्मद हारूम निवासी बी-121दयानंद कालोनी लाजपत नगर नई दिल्ली।

21. अहमद फादिक पुत्र नूरू मोहम्मद निवासी बी-6—वही—

22. जितेन्द्र कुमार पुत्र राम लाल निवासी एल-100 कीर्तिनगर नई दिल्ली।

23. फतह चन्द पुत्र ज्योति स्वरूप निवासी 48/1-2सेन्ट्रल रोड मोगल नई दिल्ली।

24. सुशील दत्त निवासी 1/49-डी० डी० ए फ्लैट्स नारायण विहार नई दिल्ली ।

25. सुरेन्द्र जैन निवासी एम-49 ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली ।

26. जगदीश पुत्र शिम्भू दयाल निवासी खोखा-नं० 26 ओल्ड लाजपतराय मार्किट नई दिल्ली ।

27. इन्द्रभान पुत्र शेरबहादुर निवासी रेलवे कालोनी नया बाजार दिल्ली ।

28. मुरारी लाल निवासी आर्य समाज दिवान हाल चौधरी चौक दिल्ली ।

29. अमरनाथ तिवारी पुत्र कुंज विहारी निवासी सी-1 स्टेट एम्पोरियम कम्पलेक्स बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली ।

30. ओंकारनाथ तिवारी पुत्र कुंज बिहारी वही—

31. रघुवीर सिंह मलिक डिप्टी सैक्रेट्री दिल्ली हाई कोर्ट क्लास फोर एम्पलाईज एसोसिएशन, ।

देश में लघु इस्पात संयंत्र

5265. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्य-वार कितने लघु इस्पात संयंत्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह सच है कि लघु इस्पात संयंत्रों को भारी मंदी का सामना करना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और मंदी के क्या कारण हैं; और

(घ) लघु इस्पात संयंत्रों की सहायता के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) लघु इस्पात संयंत्रों से प्राप्त उत्पादन-विवरणी के आधार पर राज्य-वार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, नहीं । लघु इस्पात संयंत्र उत्पादन-स्तर में स्थिरता बनाए हुए हैं । वर्ष 1981-82, 1982-83 तथा 1983-84 (फरवरी तक) में इनका उत्पादन क्रमश: 20.31 लाख टन, 20.40 लाख टन तथा लगभग 18 लाख टन रहा ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) इस दृष्टि से कि लघु इस्पात संयंत्र अपनी क्षमता का अधिकाधिक उपयोग कर सकें तथा अपनी अर्ध-क्षमता की स्थिति में भी सुधार ला सकें, निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(i) विद्युत चाप भट्टी प्रक्रिया से इस्पात का उत्पादन करने वाली उन इकाइयों की, जिन्होंने पिछले किन्हीं दो वर्षों में अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता की तुलना में 80 प्रतिशत उत्पादन किया हो, वर्तमान लाइसेंसीकृत क्षमता को बढाकर अधिकाधिक 100 प्रतिशत तक करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार जिन इकाइयों ने अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता की तुलना में 110 प्रतिशत अथवा अधिक उत्पादन किया हो उनकी क्षमता में भी 50 प्रतिशत तक वृद्धि करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन क्षमता में वृद्धि तभी की जा सकती है बशर्ते कि राज्य सरकार बिजली की निरंतर तथा पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गारंटी दे।

(ii) वर्तमान विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को इस बात की अनुमति दी गई है कि वे अपने उत्पादन में विविधता लाकर अपनी लाइसेंसीकृत क्षमता तक सभी ग्रेडों के कार्बन तथा मिश्र इस्पात और बेदाग इस्पात/ताप-रोधक इस्पात का उत्पादन कर सकती हैं।

(iii) सुसंहत इकाइयों की स्थापना के उद्देश्य से वर्तमान विद्युत चाप भट्टी इकाइयों को बेलन सुविधाएं लगाने की अनुमति दी गई है।

(iv) निरंतर ढलाई की मशीन, कन्डीशिनिंग सुविधाओं आदि जैसी अतिरिक्त सहायक-पूरक सुविधाएं लगाने की भी अनुमति दी जा रही है।

(v) विद्युत चाप भट्टी उद्योग में हाल में हुए प्रौद्योगिकीय विकासों की उपयोगिता का लाभ उठाने तथा उन्हें प्रदर्शित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य में इन प्रौद्योगिकीय विकासों के आधार पर 40,000 से 50,000 टन वार्षिक क्षमता की एक-एक इकाई लगाई जाए। जिन राज्यों की मांग अधिक है, वहां एक से अधिक इकाई लगाने की अनुमति दी जाए।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	चल रहे लघु इस्पात कारखानों की संख्या
1.	हरियाणा	13
2.	पंजाब	7
3.	राजस्थान	5
4.	हिमाचल प्रदेश	1

1	2	3
5.	दिल्ली	1
6.	उत्तर प्रदेश	21
7.	बिहार	6
8.	आन्ध्र प्रदेश	7
9.	मध्य प्रदेश	9
10.	तमिलनाडु	3
11.	कर्नाटक	9
12.	केरल	1
13.	गुजरात	5
14.	महाराष्ट्र	22
15.	पश्चिमी बंगाल	14
16.	असम	1
	कुल :	125

भारत को परमाणु सहायता

5266. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत को परमाणु सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) उन देशों द्वारा किस प्रकार की सहायता की पेशकश की गई है तथा उनकी शर्तें क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है अथवा उठाए गए हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : भारत अपनी नीति के अनुसार बहुत से औद्योगिक तथा विकासशील देशों के साथ परमाणु ऊर्जा के शांतिमय उपयोगों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सहकार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के माध्यम से और द्विपक्षी आधार पर करता है। हमारी परमाणु ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं के लिए किसी अन्य देश ने वित्तीय सहायता देने की पेशकश हाल ही में नहीं की है ।

जनजाति विकास

5267. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में जनजाति विकास पर अत्याधिक बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 में विभिन्न राज्यों में कौन-कौन सी जनजाति कल्याण योजनाएं शुरू की गई हैं अथवा शुरू करने का विचार किया गया है; और

(ग) देश में विशेष रूप से गुजरात में जनजाति कल्याण और विकास के लिए उन योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 1984-85 के दौरान निम्नलिखित आदिवासी कल्याण योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :—

(i) विभिन्न संरक्षात्मक उपायों जैसे आदिवासी भूमि के अन्तरण के विरुद्ध कानून, साहूकारी के व्यवसाय का विनियमन, बन्धक मजदूरी को समाप्त करना। अन्तर्राज्यीय उत्प्रवासी श्रम का विनियमन, वन, आबकारी ऋण और विपणन नितियों की समीक्षा का प्रवर्तन ।

(ii) उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमियों का आवंटन और उसका विकास करना ।

(iii) मकान स्थलों का आवंटन और मकान बनाने के लिए सहायता ।

(iv) सिंचाई क्षमता की बढ़ोतरी, आधुनिक तकनीक लागू करना और पर्याप्त निवेश अर्थात सुधरे हुए बीज खाद आदि के प्रयोग द्वारा कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों में उत्पादकता स्तर बढ़ाने पर ध्यान देना ।

(v) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन यापन करने वाले आदिवासी परिवारों का पता लगाना और विभिन्न विकास कार्यक्रमों अर्थात् एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण गरीबों का आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रम, रोजगार गारंटी, पुष्टिकरण योजना, पहाड़ी क्षेत्र विकास और आदिवासी उपयोजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता देना ताकि वे गरीबी रेखा पार कर सकें ।

(vi) अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए आश्रम-स्कूलों, कन्या छात्रावासों, पुस्तक बैंकों की स्थापना और पर्याप्त मैट्रिक पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों/वजीफों का प्रावधान करना और अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों और सेवाओं के आरक्षण का पुनरीक्षण करने के अतिरिक्त विशिष्ट रोजगार अवसरों के लिए आदिवासी लड़कों के अनुशिक्षण और प्रशिक्षण की योजना चलाना ।

(ग) 1984-85 के दौरान, जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए कुल राज्य योजना आवंटन 1016.56 करोड़ रु० के लगभग है और विशेष केन्द्रीय सहायता आवंटन 125.50 करोड़ रु० का है। गुजरात राज्य में जनजाति क्षेत्रों का राज्य योजना आवंटन लगभग 108.75 करोड़ रु० और राज्य के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता 10.20 करोड़ रु० होने की संभावना है।

पंजाब और हरियाणा में जान-माल की हानि

5268. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री कृष्ण प्रताप सिंह :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री मोहन लाल पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरियाणा राज्य में हाल ही के उपद्रवों में पिछले छः महीने के दौरान कितने जान-माल का नुकसान हुआ है;

(ख) क्या जिन परिवारों में किसी की मृत्यु हो गई है उनके लिए कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नही, तो क्या सरकार इस मामले पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 1-9-83 से 29-2-84 तक 6 महीने की अवधि के दौरान पंजाब में हिंसक घटनाओं में 127 व्यक्ति मारे गए और इस अवधि के दौरान हुई दुर्घटनाओं में 6,01,695 रु० की सम्पत्ति की क्षति का अनुमान लगाया गया। हरियाणा में फरवरी, 1984 के दौरान हिंसक घटनाओं में 11 व्यक्ति मारे गए और घटनाओं में में 21 लाख रु० की सम्पत्ति की हानि हुई।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऐसे मामलों में सम्बन्धिय राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।

सातवीं योजना पर राष्ट्रव्यापी चर्चा

5269. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में एक राष्ट्रव्यापी चर्चा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) देश में यथासंभव अवगत मत के व्यापक प्रतिनिधिक समूह से परामर्श करने का सरकार का प्रस्ताव है। यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और योजना मंत्रालय से संबंद्ध परामर्शदात्री समिति में पहले ही कुछ विचार-विमर्श हो चुके हैं। योजना आयोग को सलाह देने के लिए नियुक्त अर्थशास्त्रियों के पेनल के साथ भी तथा व्यापार और उद्योग के प्रतिनिधिक निकायों के साथ विचार-विमर्श हुए हैं। सातवीं योजना तैयार करने के सभी चरणों में परामर्श तथा विचार-विमर्श की यह प्रक्रिया जारी रहेगी।

गुजरात की औद्योगिक परियोजनाओं को केन्द्र की स्वीकृति

5270. **श्री छोटू भाई गमित** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में कुछ बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इन बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए गुजरात राज्य के विभिन्न उपक्रमों से 21-3-1984 तक औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) इनमें से 9 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई थी तथा सम्बद्ध उपक्रमों को आशय-पत्र जारी कर दिये गए थे। एक आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया था तथा शेष एक आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है। स्वीकृत किये गये सभी प्रस्तावों का ब्यौरा तथा जारी किये गए आशय-पत्रों का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की हत्या लूटपाट और बलपूर्वक बेदखली

5271. **श्री भोगेन्द्र झा** :

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

श्री अजय बिश्वास : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की राज्य-वार हत्या, आगजनी-लूटपाट, बलपूर्वक बेदखली आदि की कितनी घटनाएं हुई हैं और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) पूरे देश के लिए राज्य-वार आंकड़े और बिहार के लिए जिलेवार छुआछूत तथा उपरोक्त अपराधों के राज्यवार आंकड़े क्या हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के कितने मामले दर्ज किए गए और कितने निपटाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की हत्या के सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए उठाए जाने वाले, एहतियाति, निवारात्मक, दण्डात्मक पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति सम्बन्धी विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त, केन्द्रीय गृह मंत्री के ता० 10 मार्च, 1980 के अर्द्ध-शासकीय पत्र में राज्य सरकार को भेजे गए थे। सरकार, उनके प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में राज्य सरकारों के साथ कार्यवाई करती है ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8047/84]

(ग) यह आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

दक्षिण ध्रुव अभियान पर खर्च

5272. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 दिसम्बर, 1983 के "ब्लिटज" में "आल क्वाइट आन दी अन्टार्टिका फ्रंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) दूसरे अभियान की रिपोर्ट कब प्रकाशित हो रही है; और

(घ) सरकार ने दक्षिण ध्रुव अभियान पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ब्लिट्ज नामक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख तथ्यात्मक दृष्टि से सही नहीं है और इसमें बहुत से तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है।

(ग) दूसरे दक्षिण ध्रुव अभियान की रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित होने की संभावना है।

(घ) 1981-82 में दक्षिण ध्रुव पर प्रथम अभियान पर कुल व्यय 1.90 करोड़ रुपए हुआ। 1982-83 में दूसरे अभियान पर यह व्यय 1.05 करोड़ रुपए था और 1983-84 में तीसरे अभियान पर यह व्यय लगभग 5 करोड़ रुपए होने का अनुमान है ।

चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का सुझाव

5273. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद ने अनेक सुझाव दिए हैं; यदि हां, तो सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन सुझावों का सम्बन्ध कौन से राज्यों से है;

(ख) चावल का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी सुझाव का किस सीमा तक क्रियान्वयन किया गया है और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि सुझावों का क्रियान्वयन नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां । विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के राज्यों यथा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद ने कुछ सुझाव दिए हैं । इस परिषद की सिफारिशें मुख्य रूप से स्थानीय बाध्यकारिताओं के निर्धारण के आधार पर चावल उत्पादन का एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने और सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पूर्वी क्षेत्र के चुने हुए खंडों में, जो कुल संख्या का लगभग 1/5 भाग हैं, इसके कार्यान्वयन से संबंधित हैं ।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वयन के लिए चावल उत्पादन का विशेष कार्यक्रम संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है ।

पश्चिमी घाट के पहाड़ी विकास के लिए कार्यक्रम

5274. **श्री एन० डेनिस** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में कोई पश्चिमी घाट पहाड़ी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिए पांचवीं योजनावधि से एक विशेष कार्यक्रम (पश्चिमी घाटों के विकास का कार्यक्रम) लागू है । योजना आयोग ने पश्चिमी घाटों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक कार्यक्रम आरम्भ किया था जिसके लिए पांचवीं योजनावधि में 20 करोड़ रु० का परिव्यय था ।

यह कार्यक्रम छठी योजना में 75 करोड़ रु० के आवंटन से जारी रखा जा रहा है। पांचवीं योजनावधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभग्राही-उन्मुख प्रकार की स्कीमों और वनरोपण तथा बागान स्कीमों पर बल दिया गया था। पांचवीं योजना में परिस्थितिकीय विकास पर बल दिया गया है।

इस कार्यक्रम से चार राज्यों, यथा-महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तथा गोवा का संघ राज्य क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। उपर्युक्त राज्यों में कुल मिलाकर 162 तालुकों का समावेशन है।

भारत में 1 करोड़ विदेशी नागरिक

5275. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 फरवरी, 1984 के "आर्गेनाइजर" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि भारत में 1 करोड़ विदेशी नागरिक हैं और अभी भी और विदेशी नागरिक भारत आ रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नागरिक और घुसपैठियों की पहचान के लिये विशेष जनगणना करवाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। जनगणना करने का प्रयोजन जनसंख्या के जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना है। जनगणना द्वारा घुसपैठियों का पता लगाना संभव नहीं है।

बोकारो इस्पात संयंत्र के श्रमिकों का वेतन

5276. **श्री राम विलास पासवान** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन बोकारो इस्पात संयंत्र में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिया जाता है;

(ख) क्या इस संबंध में सैकड़ों श्रमिक 10 नवम्बर, 1983 को प्रधान मंत्री से मिले थे और उन्हें एक ज्ञापन दिया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की हैं;

(घ) क्या लगभग 400 श्रमिक न्यूनतम वेतन और ठेका प्रणाली को समाप्त करके विभागीयकरण करने की मांग को लेकर 10 अगस्त, 1983 से हड़ताल पर हैं; और

(ङ) सरकार ने उन्हें न्यूनतम वेतन और ठेका प्रणाली की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय बोकारो इस्पात कारखाने की भवनाथपुर की चूना-पत्थर की खानों की स्थिति से है।

8 जुलाई, 1983 को ठेकेदारों, श्रम ठेके का प्रतिनिधित्व करने वाली मान्यता-प्राप्त यूनियन तथा सहायक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) के बीच एक त्रि-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे : इस समझौते में ठेकेदारों के कामगारों को दी जाने वाली मज़ूरी की दरों और मजूरी के अभिकलन के तरीके का भीं उल्लेख किया गया है।

10 अगस्त, 1983 को कामगारों के एक वर्ग ने काम बन्द कर दिया और काम करने के इच्छुक कामगारों को काम पर जाने से रोका। इस झगड़े में ग्रुपों के बीच गोली चली और दो कामगारों की मृत्यु हो गई। ठेकेदारों के 2698 कामगारों में से 933 कामगारों ने काम करना बन्द कर दिया। ठेकेदारों, बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों और सहायक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा हड़ताल खत्म करवाने के लिए बार-बार कोशिश की गई है परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली है।

कामगारों का एक वर्ग 10 नवम्बर, 1983 को प्रधान मत्री से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था। उनकी मुख्य मांगें थीं :—

(1) न्यूनतम मजूरी दी जाए।

(2) सभी कार्यों का विभागीयकरण किया जाए।

(3) ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए रिहायशी मकानों की व्यवस्था की जाए।

(4) भविष्य निधि की राशि का समय पर भुगतान किया जाए।

इन मामलों के बारे में स्थिति के बारे में पुनः पता लगाया गया। त्रि-पक्षीय समझौते में ठेका श्रमिकों की मजूरी के भुगतान की दर कानून के अन्तर्गत निर्धारित दर से अधिक है। संथंत्र के अधिकारी राशि के भुगतान के बारे में नियमित रूप से जांच करते हैं और प्रभावित करते हैं कि राशि का भुगतान उनकी उपस्थिति में किया गया है। कम मजूरी देने का कोई मामला ध्यान में नही आया है। कार्यों के विभागीयकरण के बारे में इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति के साथ हुए समझौते मे स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर किए जाने वाले कार्यों में श्रम-ठेके को समाप्त करने की व्यवस्था है। सक्षम प्राधिकारी (खानों के बारे में श्रम मंत्रालय) स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर चलने वाले कार्यों का पता लगाता है और उन्हें अधिसूचित करता है। उपरिभार हटाने, ड्रिलिंग तथा ब्लास्टिंग के कार्यों को स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर चलने वाले कार्य घोषित किए गए हैं और उनका विभागीयकरण कर दिया

गया है। खान खोदने, माल के लदान तथा ढुलाई से सम्बन्धित कार्यों को स्थायी तथा वर्षानुवर्षी आधार पर चलने वाले कार्य घोषित नहीं किया गया है और उनका विभागीयकरण नहीं किया गया है। रिहायशी मकानों तथा अन्य सुविधाओं के बारे में यह पता लगाया गया है कि ठेकेदार ठेकाश्रमिकों को मकान बनाने के लिए सामग्री देते हैं और ठेकेदार कानून के अंतर्गत अन्य आवश्यक सुविधाएं भी देते हैं।

भविष्य-निधि की राशि का शीघ्र भुगतान करने के बारे में यद्यपि देरी से भुगतान करने का कोई विशिष्ट मामला ध्यान में नहीं आया है तथापि केन्द्रीय भविष्य-निधि के आयुक्त को राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों से भी कहा गया है कि अगर राशि का देरी से भुगतान करने का कोई मामला श्रमिकों के नेताओं अथवा यूनियन द्वारा उनके ध्यान में लाया जाए तो वे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से सम्पर्क करें।

27.1.1984 से काम पुनः शुरू हो गया है और इस समय 933 हड़ताली कामगारों में से 550 कामगर काम पर आ गए हैं।

बोकारो इस्पात कारखानों के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल ठेकेदारों के कामगारों को भुगतान, आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था तथा ठेकेदारों के श्रमिकों के बारे में अन्य दायित्वों के कार्यान्वियन की पुनः समीक्षा कर रहा है। यह कदम सतत समीक्षा और जांच से यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि ठेका श्रमिकों को देय राशि का पूरा-पूरा भुगतान किया जाए।

मुख्य श्रम आयुक्त ने 27 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी, जिसमें ठेकेदारों के प्रतिनिधियों तथा बोकारो इस्पात कारखाने के प्रबन्धकों को बुलाया गया था, जिन्होंने सही ढंग से भुगतान के बारे में अपनी संतुष्टि के लिए भवनाथपुर में काम कर रहे ठेकेदारों के सभी कामगारों के रिकार्डों की जांच करने का काम शुरू कर दिया है। "सेल" तथा बोकारो इस्पात कारखाना इस कार्य में सहायता दे रहे हैं।

गुजरात में कोयले की ढुलाई के लिए "स्लरि पाइप लाइन"

5277. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अधिकतर बिजली घर रेल द्वारा ढुलाई किये जाने वाले कोयले पर निर्भर हैं जोकि बहुत खर्चीला है;

(ख) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में प्रमुख बिजली घरों को कोयला पहुंचाने के लिए "स्लरि पाइप लाइन" स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है;

(ग) यदि हां, तो यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को कब भेजा गया था;

(घ) सरकार इस समय इस प्रस्ताव पर किस स्तर पर विचार कर रही है; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) गुजरात में स्थित अधिकांश तापीय विद्युत केन्द्रों को रेल द्वारा परिवहन किए गए कोयले की पूर्ति की जाती है। परिवहन के उपलब्ध वैकल्पिक साधनों की तुलना में रेल परिवहन की लागत मंहगी नहीं है।

(ख) से (ड) पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में प्रमुख जिला विद्युत केन्द्रों को कोयले के परिवहन के वास्ते गारे की पाइप लाइन (स्लरी पाइप लाइन) की स्थापना करने के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। लेकिन राज्य सरकार से नवंबर, 1980 में एक प्राप्त हुआ था जिसमें यह सुझाव दिया गया था कि योजना आयोग द्वारा गुजरात के विद्युत केन्द्रों को गारे की पाइप लाइन द्वारा कोयले के परिवहन के लिए व्यापक साध्यता अध्ययन किया जाए। जो गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की ओर से इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा पहले किए गए अध्ययन के क्रम में होगा। इसी बीच छठी पंचवर्षीय योजना में दिए गए नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार देश में कोयले के गारे की पाइप लाइन (स्लरी पाइप लाइन) द्वारा परिवहन की शुरूआत करने की संभावनाओं की जांच करने के लिए अक्तूबर, 1980 में अंतर-मंत्रालयीन कार्यकारी दल गठित किया गया था। कार्यकारी दल ने यह सिफारिश की कि देश के उत्तरी तथा पश्चिमी क्षेत्रों में स्थित तापीय विद्युत केन्द्रों को गारे की पाइप लाइन (स्लरी पाइप लाइन) द्वारा कोयले की परिवहन की व्यवस्था से संबंधित व्यापक साध्यता अध्ययन तैयार करने का कार्य मेसर्ज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को सौंपा जाए। गारे की पाइप लाइनों (स्लरी पाइप लाइन) द्वारा परिवहन से संबंधित तकनीकी आर्थिक साध्यता अध्ययन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड से प्राप्त हो गया है। इस रिपोर्ट की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। स्थिति की समग्र रूप में जांच करने के लिए और अंतर-रूपात्मक लागत तुलना अध्ययनों की भी आवश्यकता होगी।

गुजरात में "उद्योग विहीन जिले"

5279. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य में कुछ और जिलों को "उद्योग विहीन जिले" घोषित करने के लिए मानदंड में परिवर्तन किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने जिन जिलों की सिफारिश की है उनके नाम क्या हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) गुजरात सरकार ने सुझाव दिया है कि जिन जिलों में एक बड़ा अथवा मध्यम दर्ज का उद्योग हो उन्हें जिला रहित उद्योगों में सम्मिलित कर लिया जाना चाहिए अथवा इसके विकल्प में जिले के जिले की धारणा के बदले तालुक या खण्ड (ब्लाक) स्वीकार किया जाना चाहियें।

(ख) गुजरात सरकार ने निम्नलिखित जिलों को सम्मिलित करने का अनुरोध किया था :-

1. डांगस
2. साबरकंठा

3. गांधी नगर

4. अमरेली

5. बांसकंठा

इस अनुरोध पर विचार किया गया था और डांगस को "उद्योग रहित जिले" में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया था।

उद्योगों के विकास के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

5280. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की औद्योगिक पूंजी निवेश नीति के अनुसार राजस्थान के बारे में जैसलमेर जैसे पिछड़े जिलों पर केन्द्रीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक पूंजी निवेश के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान सरकार को ऐसी सहायता कब और कितनी दी जाएगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जैसलमेर जिले को श्रेणी "क" के अन्तर्गत एक "उद्योग रहित जिले" के रूप में चुना गया है जो अधिकतम 25 लाख रुपये की सीमा में 25 प्रतिशत तक की राज्य सहायता का पात्र है और बाड़मेर जिले को श्रेणी "ग" जिले के रूप में चुना गया है जो अधिकतम 10 लाख रुपये की सीमा में 10 प्रतिशत राजसहायता का पात्र है ।

ब्यौरों की घोषणा 27-4-1983 के प्रेस टिप्पण सं० 4/1/81 बी० ए० डी० (खण्ड-iii) में की गई थी। जिसकी प्रतियां संसद भवन के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

औद्योगिक लाइसेंस दिए जाने के मामले में जैसलसेर जिले को अतिरिक्त अधिमान दिया जाएगा और दोनों ही जिले अन्यों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रोत्साहन भी प्राप्त करेंगे :—

(1) करों में रियायत

(2) इंजीनियर उद्यमियों को ब्याज राजसहायता

(3) बीज/सीमांत धन सहायता

(4) किराया खरीद आधार मशीने खरीदने की सुविधाएं

(5) तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श

(6) केन्द्रस्थ संयंत्रों के अधीन रियायतें

(7) परिशिष्ट-1 से भिन्न ऐसे उद्योगों की स्थापना हेतु जो कि लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है घटे हुए निर्यात दायित्व सहित एम० आर० टी० पी/फेरा कम्पनियों को रियायतें।

राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर तथा पिछड़े हुए जिलों को वर्ष 1982 और 1983 में दिए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या अधोलिखित है :—

	1982		1983	
	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1. बाड़सेर	—	—	—	—
2. जैसलमेर	2	—	—	—
3. उद्योग रहित जिले	4	—	—	—
4. पिछड़े क्षेत्र	2**	—	—	—

'सी० के० डी० किट, का आयात

5281. श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'सी० के० डी० किट' के आयात की अनुमति है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि केवल कुछ चुनिंदा पुर्जों के आयात की आवश्यकता है क्योंकि अधिकांश पुर्जों का निर्माण देश में किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा बचाई जा सकती है; और

(ग) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं के हित में देश में बनाए जाने वाले या सी० के० डी० किट से निर्मित सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए न्यूनतम जांच प्रकिया निर्धारित की है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) वर्ष 1983-84 की आयात नीति के अन्तर्गत सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों जिसमें उपभोक्ता अथवा व्यावसायिक उपस्कर शामिल हैं, के लिए किटों/संयोजन के लिए तैयार सेटों, संयोजनों, माँड्यूलों तथा उनके मिले जुले उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध है। किन्तु, उपस्कर के किसी विनिर्माता के लिए अनुमोदित चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ किटों, संयोजनों तथा उप-संयोजनों के आयात की चुनिंदा आधार पर अनुमति दी जा सकती

*जैसलमेर में स्थापित किए जा सकते है
**बाड़मेर में स्थापित किए जा सकते है

है। तथापि, सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयात नीति के अन्तर्गत किए गए विभिन्न अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत जैसे प्रतिपूर्ति आयात लाइसेंस, अतिरिक्त लाइसेंस आदि, कुछ विनिर्मातागण ऐसे उपसंयोजनों तथा संयोजनों का आयात करते हैं जिनके लिए उन्हें अपने चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्यथा अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) जी, हां। मात्र स्वदेशी दृष्टिकोण से समीक्षा करने के बाद ही संघटक पुर्जों के आयात की अनुमति दी जाती है।

(ग) किसी पार्टी के विनिर्माण कार्यक्रम के सम्बन्ध में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए पूर्व-शर्त के रूप में जो नीति निर्धारित की गई है कि विनिर्मातागण द्वारा परीक्षण तथा उत्पादन के लिए आवश्यक न्यूनतम उपस्कर प्रतिष्ठापित करें, उसका अनुपालन रंगीन दूरदर्शन के विनिर्माण के लिए पहली बार किया जा रहा है। यह इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया गया है कि रंगीन दूरदर्शन एक उच्च लागत वाला उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी उत्पाद है। रंगीन दूरदर्शन उद्योग से प्राप्त होने वाले अनुभव के आधार पर इस नीति को देश में निर्मित अन्य उत्पादों के सम्बन्ध में लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

कच्चे लोहे का भण्डार

5282. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 फरवरी, 1984 के "इकनोमिक टाइम्स" नई दिल्ली में "सेल पिग-आयरन स्टाक माउंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कच्चे लोहे के आयात के क्या कारण हैं जबकि हमारा अपना उत्पादन ही बहुत अधिक है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कच्चे लोहे के देशीय उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन में हुई वृद्धि तथा स्टाक की संतोषजनक स्थिति को देखते हुए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० ने पहले से किए गए करारों के अनुसार कच्चे लोहे की शेष मात्रा, जिसका अभी पोतलदान नहीं हुआ है, के आर्डर भी रद्द कर दिए हैं। आज की तारीख में "सेल" के पास कच्चे लोहे का कोई आयात करार बकाया नहीं है।

उड़ीसा में वन्य जीवन परियोजनाएं

5283. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में कुछ वन्य जीवन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने अब तक ऐसी कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार को निम्नलिखित वन्य प्राणी स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता सुलभ की जा रही है ।

1. सिमलीपाल में बाघ परियोजना
2. सटकेसिया, टीकरपाश, भिटरकानिका, सिमलीपाल तथा नन्दनकानन में अभयारण्यों का विकास
3. नन्दनकानन में सफेद बाघ प्रजनन परियोजना
4. भिटरकानिका में समुद्री-कछुआ प्रबंध
5. नन्दनकानन प्राणी उद्यान का विकास

इन स्कीमों का कार्यान्वयन राज्य सरकार के प्रस्तावों पर आश्रित है, जिनकी जांच संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है। 1984-85 के लिए प्रस्ताव बजट के अनुरूप होंगे जिसे अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है ।

एल० पी० जी० सिलेण्डर संयंत्रों के लिए स्थल चयन

5284. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल० पी० जी० सिलेण्डर संयंत्रों की स्थापना के लिए स्थल चयन हेतु निर्धारित मानदंड क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नीति विषयक निर्णय किया है कि नये एल० पी० जी० सिलेण्डर संयंत्र केवल "उद्योग विहीन" जिलों में ही लगाये जायेंगे;

ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में उन "उद्योग विहीन" जिलों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1984-85 में नए एल० पी० जी० सिलेण्डरों संयंत्र स्थापित किये जाएंगे; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) एल० पी० जी० सिलेण्डरों का निर्माण करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है तकनीकी विकास महानिदेशालय में एकक को पंजीकृत कराकर निर्माण सुविधाएं उत्पन्न की जा सकती हैं । पहले से ही उत्पन्न/स्वीकृत क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि इस निर्माण क्षेत्र में और अधिक क्षमता उत्पन्न करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण केवल उद्योग-विहीन जिलों विशेष क्षेत्र के जिलों के सम्बन्ध में किया जाये । इन जिलों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

उद्योग विहीन जिलों और विशेष क्षेत्र के जिलों की सूची

1. बिहार	1. औरंगाबाद
	2. भोजपुर
	3. खागड़िया
	4. नालन्दा
	5. पूर्णिया
	6. दहरसा
2. गुजरात	7. डांग्स
3. कर्नाटक	8. बीदर
4. केरल	9. इदुक्की
	10. वानेड
5. मध्य प्रदेश	11. बालाघाट
	12. भिण्ड
	13. छतरपुर
	14. छिन्दवाड़ा
	15. दमोह
	16. दतिया
	17. धार
	18. गुना
	19. झबुआ
	20. मांडल
	21. नरसिंहपुर
	22. पन्ना
	23. राजगढ़
	24. सिवनी
	25. शिवपुरी
	26. सिधी

	27. सरगुजा
	28. टीकमगढ़
6. उड़ीसा	29. बालासोर
	30. बोलांगीर
	31. बौद्ध खोनोमलास (फूलबानी)
7. राजस्थान	32. जयसलमेर
	33. सिरोही
8. उत्तर प्रदेश	34. बांदा
	35. फतेहपुर
	36, हमीरपुर
	37. जालौन
	38. जौनपुर
	39. सुल्तानपुर
	40. कानपुर देहात
9. पश्चिम बंगाल	41. बांकुरा
	42. कूच बिहार
	43. जलपाईगुड़ी
	44. मालदा

विशेष क्षेत्र के जिले

1. असम	1. कछार
	2. गोलपाड़ा
	3. कामरूप
	4. कारबी एंगलौंग
	5. नौगांव
	6. नार्थ कछार हिल्स*
	7. लखीमपुर*

* उद्योग विहीन जिले ।

	8. दारांग
	9. डिगरूगढ़
	10. शिवसागर
2. हिमाचल प्रदेश	11. चम्बा*
	12. कांगड़ा*
	13. कुल्लू*
	14. किन्नौर*
	15. लाहौल-स्पिति*
	16. सोलन
	17. सिरमौर
	18. बिलासपुर
	19. हमीरपुर
	20. मण्डी
	21. शिमला
	22. ऊना
3. जम्मू तथा कश्मीर	23. अनन्तनाग
	24. बारामूला
	25. डोडा*
	26. जम्मू
	27. कथुआ
	28. लद्दाख*
	29. पूंछ*
	30. राजोरी*
	31. श्रीनगर
	32. उधमपुर*
	33. बड़गाम
	34. कारगिल

*उद्योग विहीन जिले ।

	35.	कुपवाड़ा*
	36.	पुलवामा*
4. मेघालय	37.	ईस्ट गारो हिल्स*
	38.	वैस्ट गारो हिल्स*
	39.	जयन्तिया हिल्स*
	40.	पूर्वी खासी हिल्स*
	41.	पश्चिमी खासी हिल्स*
5. मणिपुर	42.	मणिपुर केन्द्रीय*
	43.	मणिपुर पूर्व*
	44.	मणिपुर उत्तर*
	45.	मणिपुर दक्षिण*
	46.	मणिपुर पश्चिम*
	47.	तनगुपाल*
6. नागालैंड	48.	कोहिमा
	49.	मेकोकचुंग
	50.	तुएनसांग*
	51.	मीन
	52.	फेक
	53.	वीफा
	54.	जुनहबोटें
7. सिक्किम	55.	गंगटोक
	56.	ग्यालशिंग*
	57.	नगंन*
	58.	नामची*
8. त्रिपुरा	59.	त्रिपुरा नार्थ*
	60.	त्रिपुरा साउथ*
	61.	त्रिपुरा वेस्ट*

*उद्योग विहीन जिले।

9.	उत्तर प्रदेश	62. अल्मोड़ा
		63. चमोली*
		64. पौड़ी गढ़वाल
		65. टिहरी गढ़वाल*
		66. उत्तर काशी*
		67. पिथौरा गढ़
		68. देहरादून
		69. नैनीताल
10.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	70. अन्डमान द्वीप समूह
		71. निकोबार द्वीप समूह
11.	अरूणाचल प्रदेश	72. तिरप*
		73. पूर्वी कामेंग*
		74. पश्चिमी कामेंग*
		75. पूर्वी सियांग*
		76. पश्चिमी सियांग*
		77. लोअर सुबनसिरि*
		78. अपर सुबन सिरि*
		79. दुबांग घाटी
		80. लोहित
12.	दादरा और नगर हवेली	81. दादरा और नगर हवेली*
13.	लक्ष-द्वीप	82. लक्षद्वीप
14.	मिजोरम	83. आइजवल*
		84. लंगलेक्स*
15.	गोआ दमन और दीव	85. गोआ दमन और दीव
19.	पांडीचेरी	86. पांडीचेरी
17.	पश्चिम बंगाल	87. दार्जिलिंग*

* उद्योग विहीन जिले ।

जिलों की कुल संख्या 131

दिल्ली में पुलिस बल की संख्या में वृद्धि

5285. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पुलिस बल में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984 के दौराना पुलिस बल में विभिन्न स्तर के कितने पद बढ़ाने का विचार है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) जनशक्ति और उपकरणों की दृष्टि से दिल्ली पुलिस की विभिन्न अपेक्षाओं की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है। इस समय विचाराधीन प्रस्ताव में दहेज-विरोधी कक्ष, पुलिस नियंत्रण कक्ष, दिल्ली यातायात पुलिस, आदि को सशक्त करना शामिल है।

उड़ीसा में नेशनल पार्क की स्थापना

5286. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उड़ीसा में भिटार कनिका ही केवल ऐसी जगह है जहां बड़े पैमाने पर समुद्री कछुए घर बताते है;

(ख) क्या भिटार कनिका का जल मग्न वन पारिस्थितिक व्यवस्था का एक रूप है जिसमें मगरमच्छ और समाप्त होने की आशंका वाली अनेक किस्मों के जानवर हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस अनुभव पारिस्थितिक व्यवस्था और वन्य जीवों के अनुरक्षण के लिए नेशनल पार्क स्थापित करने के हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप मन्त्री (श्री दिग्विजयी सिंह) : (क) समुद्री कछुए आन्ध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु के तटीय वितानों पर बड़े पैमाने पर घर बनाते हैं। तथापि, उड़ीसा के भिटार कनिका में सबसे अधिक घर बनाने की रिपोर्ट मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) भिटार कनिका वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन पहले ही एक अभयारण्य है। केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को भिटार कनिका को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की सलाह दी है।

असम में अवैध प्रवासियों का पता लगाने के लिए नियम और मार्ग निर्देश

5287. **श्री एन० ई० होरो** :
श्री चित्त बसु :
श्री अर्जुन सेठी :
श्री वासुदेव आचार्य :
श्री जी० एम० बनातवाला : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम के अवध प्रवासियों से पूछताछ करने तथा उनका पता लगाने के लिए चार स्तरीय तंत्र और प्रक्रिया हेतु नियम और मार्ग निदेशक अधिसूचित किए है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) सरकार ने अवैध प्रवासी (न्यायाधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के अधीन नियम अधिसूचित किए हैं और न्यायाधिकरणों द्वारा अवैध प्रवासियों का निर्धारण करने के लिए जांच के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं। जांच की कार्यविधि नियमों में बनाई गई है जिसकी प्रतिलिपि पहले ही सदन के पटल पर रखी जा चुकी है। ये मार्गदर्शी सिद्धांत कार्यकारी अनुदेशों के रूप में हैं जो अधिनियम और नियमों के पूरक हैं और मुख्यतया निम्न प्रकार की व्यवस्था करते हैं :—

(1) नई कार्यविधि तथा पहले अपनाई कई कार्यविधि में अन्तर और नई कार्यविधि का आशय।

(2) वह साक्ष्य जिस पर निर्भर किया जा सके, जांच के दौरान जांच अधिकारी को मामले का निर्धारण करने के सभी संगत दस्तावेजों पर गौर करना होता है। यदि दस्तावेज खो जाएं तो गौण साक्ष्य को ध्यान में रखा जाएगा।

(3) यदि सम्बन्धित व्यक्ति सार्वजनिक दस्तावेज/रिकार्ड पर निर्भर करना चाहता हो और उसे प्रस्तुत करने में असमर्थ हो, तो जांच अधिकारी द्वारा संगत सार्वजनिक रिकार्ड को देखकर यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या व्यक्ति के स्टेट्स के बारे में कोई संदर्भ उपलब्ध है।

(4) किसी न्यायाधिकरण/अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध प्रवासी निर्धारित किए जाने के तुरन्त बाद, पुलिस अधीक्षक द्वारा उस व्यक्ति को निष्कासन आदेश तामील किया जाए जिसमें उसे 30 दिन के अन्दर-अन्दर देश छोड़ जाने का निदेश दिया जाए। यदि इस बीच कोई अपील दायर की गई हो या स्वीकार की गई हो तो निष्कासन आदेश स्थगित हो जाएगा।

विदेशियों का पता लगाने और घुसपैठ को रोकने के कार्य की सामान्य समीक्षा करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में राज्य सरकार से जिला स्तर की सलाहकार समितियां गठित करने को कहा गया है जिसमें जिले के उपायुक्त, सभी संसद सदस्य तथा विधायक और अन्य सरकारी नामजद व्यक्ति हों, जिनकी संख्या 6 से अधिक न हो।

दिल्ली में सहायक पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति

5288. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1974-75 के अब तक बड़ी संख्या में सहायक पुलिस आयुक्तों को, परीविक्षण सामान्य अवधि पूरी किए बिना और कुछ मामलों में नियुक्त व्यक्तियों पर्याप्त तौर पर वरिष्ठ नहीं होने पर भी नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रकार नियुक्त सहायक पुलिस आयुक्तों की पदवनति/प्रत्यावर्तित करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमन । परन्तु दिल्ली पुलिस के कुछ निरीक्षकों को, नियमित आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति किए जाने तक, स्थानापन्न तथा तदर्थ आधार पर सहायक पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बर्नपुर में इंडियन आयनन एण्ड स्टील कंपनी के कार्यों को बन्द करने का प्रस्ताव

5289. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्नपुर में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कार्यों को बन्द करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव किसने रखा और इसके औचित्य के क्या आधार हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से परामर्श किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

बेरोजगारी दूर करना

5290. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य कार्य बेरोजगारी दूर करना था;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) आज रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार कितने व्यक्ति पंजीकृत हैं ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी में उत्तरोत्तर कमी करना है।

(ख) ऐसा अनुमान लगाया गया है कि मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार अतिरिक्त रोजगार के लगभग 12 मिलियन मानक श्रम वर्ष छठी योजना के पहले 2 वर्षों में सृजित किए गए।

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जनवरी, 1984 के अंत तक रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर आवेदकों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

31-1-84 तक रोजगार कार्यालय के चालू रजिस्टर में नौकरी तलाश करने वालों की संख्या।

	राज्य	(लाख)
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.36
2.	असम	4.85
3.	बिहार	26.73
4.	गुजरात	5.89
5.	हरियाणा	4.47
6.	हिमाचल प्रदेश	1.92
7.	जम्मू और कश्मीर	0.70
8.	कर्नाटक	7.41
9.	केरल	23.37
10.	मध्य प्रदेश	10.68
11.	महाराष्ट्र	18.96
12.	मणिपुर	1.73
13.	मेघालय	0.11
14.	नागालैंड	0.11
15.	उड़ीसा	5.37

1	2	3
16.	पंजाब	5.28
17.	राजस्थान	4.71
18.	सिक्किम+	—
19.	तमिनाडु	15.83
20.	त्रिपुरा	0.84
21.	उत्तर प्रदेश	18.84
22.	पश्चिम बंगाल	39.30
संघ राज्य क्षेत्र		(लाख)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.10
2.	अरूणाचल प्रदेश F	
3.	चण्डीगढ़	0.83
4.	दादरा और नगर हवेली++	
5.	दिल्ली	3.95
6.	गोवा	0.34
7,	लक्षद्वीप	0.06
8.	मिजोरम	0.19
9.	पांडिचेरी	0.56
अखिल भारतीय जोड़		223.49

आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० कार्यक्रमों की उपलब्धियां

5291. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी दूर करने के आई० आर० डी० पी० और एन० आर० ई० पी० जैसे कार्यक्रमों के कोई परिणाम निकले हैं; और

टिप्पणी :—1. + इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

2. ++ इस संघराज्य क्षेत्र में एक रोजगार कार्यालय काम कर रहा है, परन्तु इनके आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

3. F कोई भी पूर्ण रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है कुछ रोजगार एकक / सैल काम कर रहे हैं परन्तु उनसे संबंधित आंकड़े अभी प्राप्त होने हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

मद	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (जनवरी, 84 तक)
1	2	3	4	5
1. राज्य शेअर सहित कुल व्यय (करोड़ रु० में)	158.64	264.64	359.59	236.60
2. जुटावा गया मियादी ऋण (करोड़ रु० में)	289.04	467.59	713.98	457.06
3. सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या (लाख में)	27.27	27.13	34.55	21.81

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

वर्ष	रोजगार श्रम दिवसों का सृजन (मिलियन में)
1980-81	413.58
1981-82	354.52
1982-83	350.01
1983-84 (जनवरी, 84 तक)	185.34

एल० पी० जी० सिलेण्डरों का निर्माण

5292. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० जी० सिलेन्डरों का निर्माण की वर्तमान क्षमता से देश में एल० पी० जी० सिलेन्डरों की मांग पूरी नहीं हो रही है;

(ख) यदि हां, तो और अधिक कारखाने स्थापित करके मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार एल० पी० जी० सिलेन्डरों के आयात पर प्रतिवर्ष खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए एल० पी० जी० सिलेन्डरों के निर्माण हेतु सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक एकक स्थापित करने पर विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम रेड्डि) : (क) से (घ) 50 लाख प्रति-वर्ष एल० पी० जी० सिलेन्डरों की अनुमानित मांग पर एल० पी० जी० सिलेन्डरों के निर्माण की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 2.85 लाख नग प्रतिवर्ष की है। यद्यपि वर्तमान मांग की तुलना में एल० पी० जी० सिलेन्डरों की सप्लाई में कमी आई है लेकिन स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है। एल० पी० जी० सिलेन्डरों का निर्माण करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है। तकनीकी विकास महा-निदेशालय में एकक को पंजीकृत कराकर निर्माण सुविधाएं उत्पन्न की जा सकती है। पहले से ही उत्पन्न/स्वीकृत क्षमता को ध्यान में रखते हुए इस निर्माण-क्षेत्र में और अधिक क्षमता उत्पन्न करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण केवल उद्योग-विहीन जिलों/विशेष क्षेत्र के जिलों के सम्बन्ध में किया जा सकता है।

देश में बेरोजगारी में वृद्धि दर पर रोक

5293. **श्री चित्त महाटो** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की वृद्धि दर दोषपूर्ण आयोजन अथवा देश में जनसंख्या में वृद्धि पर आधारित है; और

(ख) देश में बेरोजगार व्यक्तियों की वृद्धि दर पर रोक लगाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में संवृद्धि की दर अनेक उपादानों से प्रभावित होती है जिनमें जनसांख्यिकी, आर्थिक तथा सामाजिक उपादान शामिल हैं।

(ख) रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है। 20 सूत्री कार्यक्रम की एक मद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा उसका विस्तार करने से संबंधित है। हाल ही में सरकार ने ग्रामीण भूमिहीनों के

लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने की स्कीम शुरू की है। इन प्रयत्नों तथा सभी योजनागत कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन से आगामी वर्षों में रोजगार की संवृद्धि दर में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

राजभाषा अधिनियम, 1963 का कार्यान्वयन

5294. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित 14 मदों को देश के "क", "ख" और "ग" तीनों क्षेत्रों के राज्यों में द्विभाषी रूप में कार्यान्वित करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय और "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित उसके विभागों, सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों एवं उपक्रमों में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में धारा (3) की क्रियान्विति की प्रतिशतता का पृथक-पृथक क्षेत्रवार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के सभी तीनों क्षेत्रों में उक्त सभी 14 मदों सम्बन्धी कार्य की शत-प्रतिशत द्विभाषी रूप में क्या कठिनाइयां हैं; और

(घ) सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है या करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आशुलिपिक परीक्षा 1984 के लिए लिखित परीक्षा

5295. **श्री केशव राव पारधी** :क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 और 1983 में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रेड "घ" के आशुलिपिकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षाएं नहीं ली गई थीं;

(ख) यदि हां, तो आशुलिपिक परीक्षा, 1984 के लिए पुनः लिखित परीक्षा व्यवस्था आरम्भ किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार लिखित परीक्षा को समाप्त करने पर फिर से विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) कर्मचारी चयन आयोग सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा उक्त सेवा में सम्मिलित न होने वाले विभिन्न कार्यालयों में ग्रेड "घ" आशुलिपिकों के पदों पर भर्ती करता है।

सेवा में सम्मिलित न होने वाले कार्यालयों में ग्रेड "घ" पदों पर भर्ती केवल आशुलिपिक परीक्षा के आधार पर की जाती है। वर्ष 1982 तथा 1984 में ली गई परीक्षाएं गैर-सहभागी कार्यालयों के पदों को भरने के लिए ली गई थीं तथा इस कारण कोई लिखित परीक्षाएं निर्धारित नहीं की गई थीं।

केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में सम्मिलित होने वाले कार्यालयों में ग्रेड "घ" पदों पर भर्ती द्वि-मासिक विभागीय परीक्षा के आधार पर की जाती है जो कि केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में सेवारत अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों के लिए ही होती है। किन्तु, यदि इस ग्रेड में रिक्तियां द्वि-मासिक विभागीय परीक्षा के माध्यम से पर्याप्त संख्या में अर्हक उम्मीदवारों के न मिलने के कारण एकत्र हो जाती हैं तो संगत नियमों के समर्थ उपबंधों के अधीन खुली प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती है तथा लिखित परीक्षा इस परीक्षा का ही एक भाग होती है। ग्रेड "घ" आशुलिपिक परीक्षा 1984, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "घ" में इन पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए ली जा रही है और इस परीक्षा में लिखित तथा आशु-लिपि दोनों परीक्षाएं हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के लिखित भाग को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अवैध हथियार बनाने वाले कारखानों का पता लगाना

5297. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्य-वार अवैध हथियार बनाने के कितने कारखाने पकड़े गये;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश पुलिस द्वारा मारे गये एक सनसनीखेज छापे में आन्ध्र प्रदेश की सीमा के पास "चिकिती" में एक अवैध बन्दूक कारखाना पकड़ा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के बन्दूक कारखाने जम्मू तथा काश्मीर, उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में भी पाये गये हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अपराधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (च) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रानिक उद्योग का विकास

5298. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग के बीच इलेक्ट्रानिकी निक्स उद्योग के संभव दृष्टिकोण पर मतभेद रहे हैं;

(ख) क्या इलेक्ट्रानिक विभाग द्वारा यह बताया गया है कि निर्यातोन्मुखी नीति का तात्पर्य बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के माध्यम से प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर आयात कम होगा जिसमें घरेलू उद्योग के विकास तथा उपभोक्ताओं का अहित हो सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्यों उनका फार्मूले पर सहमति हो गई है कि योजना अवधि के दौरान बेहतर इलेक्ट्रानिक्स उद्योग को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जायेगा ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) इलेक्ट्रानिकी उद्योग की अभिवृद्धि तथा विकास के बारे में योजना आयोग और इलेक्ट्रानिकी विभाग के दृष्टिकोण में तनिक भी अंतर नहीं है। संसद में 18 अगस्त, 1983 को सरकार द्वारा घोषित नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार निम्नलिखित के बारे में अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें तर्कसगंत और उदार नीतियों पर बल दिया गया है लाइसेसिग तथा क्षमताओं का सृजन, तर्कसंगत शुल्क ढांचे के माध्यम से उद्योग के उपादान पर आने वाली लागत में कटौती, महत्वपूर्ण तथा सामरिक महत्व के क्षेत्रों में सरकारी इकाइयों द्वारा पूंजीनिवेश आशा की जाती है कि इलेक्ट्रानिकी उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने के उत्पादन को बढावा देने वाले इन उपायों के फलस्वरूप बड़े पैमाने के उत्पादन से मिलने वाले लाभ प्राप्त किए जा सकेंगे और साथ ही उच्च किस्म के उत्पाद किफायती मूल्यों पर उपलब्ध हो सकेंगे। और साथ ही मरम्मत तथा सहायक सुविधाएं मिल सकेगी उद्योग के उत्पादन के आधार को व्यापक बनाकर विशेषकर संघटक-पुर्जो, मनोरंजन इलेक्ट्रानिकी आदि के क्षेत्रों में बढती हुई स्वदेशी मांग को पूरा किया जा सकेगा और आशा की जाती है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 10,000 करोड़ रुपये का उत्पादन लक्ष्य प्राब्त करना संभव होगा। आज भारत, उन वस्तुओं का निर्यात करने की स्थिति में है जिनके लिए कुशल मानव शक्ति संसाधनों की जरूरत पड़ती है और वह उन क्षेत्रों में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा कर सकता है जिनमें निर्यात को प्राथमिकता दी गई हो। इलेक्ट्रानिकी उद्योग के उत्पादन में पूंजीनिवेश को बढावा देने और प्रौद्योगिकी विकास के लिए योजना आयोग द्वारा प्रदर्शित अभिरूचि के अनुसार इलेक्ट्रानिकी उद्योग में संभावित क्षेत्रों में निर्यात बढ़ावा संभव हो सकेगा। यह महसूस किया गया है कि कठोर गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पादन आधार को व्यापक बनाने के फलस्वरूप निर्यात की जा सकने योग्य इलेक्ट्रानिकी मदों का पता लगाया जा सकेगा। सातवीं योजना के दौरान इलेक्ट्रानिकी की अभिवृद्धि और इसके विकास का अध्ययन करने के लिए योजना आयोग द्वारा इलेक्ट्रानिकी पर एक कार्यकारी दल गठित किया गया है।

लघु कागज मिलों के वर्गीकरण का मानदण्ड

5299. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कागज निर्माता संघ द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार को लघु कागज मिलों का नाम देने अथवा उनका वर्गीकरण करने के मानदण्ड में परिवर्तन करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय 16,500 टन प्रतिवर्ष स्थापित क्षमता वाले कागज मिल लघु कागज मिलों की श्रेणी में आते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या संघ द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि लघु कागज मिल का नाम दिये जाने के लिये एक मिल की क्षमता को प्रतिवर्ष 20,000 टन तक बढ़ा दिया जाना चाहिए;

(घ) यदि हां, तो लघु कागज मिलों के मानदण्ड अथवा वर्गीकरण में परिवर्तन करने की मांग के क्या प्रमुख कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने उनके सुझावों को मान लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके प्रमुख कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से(ग) छोटी कागज मिलों के लिए क्षमता का कोई अधिकारिक दृष्टि से स्वीकृत वर्गीकरण नहीं है। फिर भी, छोटी कागज मिलों को खण्ड (स्लैब) के आधार पर उपलब्ध उत्पादन शुल्क में राहत पिछले वित्तीय वर्ष के 16,500 मी० टन के उत्पादन पर भी दी गई है । दिइंडियन पेपर मेकर्स ऐसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि "छोटी पेपर मिल" के रूप में निर्दिष्ट की गई मिल की क्षमता को बढ़ाकर 20,000 मी० टन प्रति वर्ष कर दिया जाना चाहिए।

(घ इस ऐसोसिएशन ने सुझाव दिया है कि क्षमता की सीमा बढ़ा देने से केमिकल रिकवरी सिस्टमों की स्थापना हो सकेगी और मात्रा के आधार पर उत्पादन में बचत हो सकेगी।

(ङ) और (च अधिकांश छोटी कागज मिलों की अधिष्ठापित क्षमता 10,000 मी० टन प्रति वर्ष है जिससे वे 16,500 मी० टन तक उत्पादन कर सकती है। अधिक अधिष्ठापित क्षमताओं वाली मिलों के लिए अपरम्परागत कच्चे माल के प्रयोग से संबंधित रियायती उत्पादन शुल्क की एक अलग योजना है।

एल्यूमिनियम का आयात

5300. श्री०बी० वी० देसाई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वर्ष 1984-85 के दौरान एल्यूमिनियम की मांग तथा देश में इसकी उपलब्धता के अन्तर को पूरा करने के लिए कुल 50,000 टन एल्यूमिनियम का आयात करेगी;

(ख) क्या एक उच्च-अधिकारी प्राप्त अन्तर-मंत्रालय बैठक में अगले वित्तीय वर्ष के लिए इस धातु के घरेलू उत्पादन तथा इसकी आवश्यकता के बारे में निर्णय किया गया है;

(ग) क्या चालू वर्ष में उत्पादन लक्ष्य को प्रारम्भ में 2.5 लाख टन निर्धारित किया गया था उसको एल्यूमिनियम उत्पादक राज्यों में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा की गई गंभीर बिजली कटौती के कारण बाद में कम कर दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 1984-85 में एल्यूमिनियम की मांग तथा पूर्ति के अन्तर को नियंत्रित रखने के लिए किन अन्य बातों पर विचार किया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) एल्यूमिनियम की मांग और उत्पादन के अन्तर को पूरा करने के लिए 1984-85 की प्रथम तिमाही में 15,000 टन एल्यूमिनियम का आयात करने पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है। परवर्ती आयात देश में उत्पादन और मांग के स्तर को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) लक्ष्य कम नहीं किया गया था, लेकिन बिजली कटौतियों के कारण उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ा।

वैज्ञानिकों की बेहतरी के लिए तैयार की गई योजनायें

5301. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने भारतीय वैज्ञानिकों को आश्वासन दिया है कि सरकार प्रशासनिक पहलुओं, परिलब्धियों और आवास से संबंधित नैराशय को दूर करने अथवा कम करने का प्रयत्न करेगी;

(ख) यदि हां, तो भारतीय वैज्ञानिकों की बेहतरी के लिए कौन सी योजनायें तैयार की जा रही हैं; और

(ग) उनकी सेवा सम्बन्धी शर्तों आदि के सुधार के लिए कार्यक्रम कब तक तैयार हो जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रॉनिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) प्रधान मंत्री ने रांची में जनवरी 1984 में हुए इण्डियन साइंस कांग्रेस के अपने उद्घाटन भाषण में कहा था कि सरकार अपनी संसाधन सम्बन्धी सीमाओं के भीतर रहते हुए, जहां तक संभव हो सकेगा, वैज्ञानिकों की प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित हताशाओं को दूर करने या कम करने का भरसक प्रयास करेगी।

(ख) और (ग) 1975-80 के अवधि के दौरान 1627 करोड़ रुपए के निवेश के मुकाबले में 3367 करोड़ रुपए का निवेश 1980-85 की अवधि के लिए किया जा रहा है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में वैज्ञानिकों को परियोजना समर्थन देने के लिए थ्रस्ट क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया है। नई योजनाएं, जैसे, उच्च प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अनुसंधान का तीव्रीकरण, सामान्य अनुसंधान योजना और एस० ई० आर० सी० के माध्यम से निधीयन, व्यवस्था चालू योजना में बनाई गई हैं। 4 क्षेत्रीय परिकृत यंत्रीकरण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया गया है और ऐसे 3 नये केन्द्र चालू योजना में स्थापित किये गये हैं। युवा वैज्ञानिकों से संबंधित उन योजनाओं ने, यथा अनुसंधान समर्थन के लिए सीधे आवेदन पत्र भेजने और उन्हें स्वीकृति प्रदान करने,

अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्टियों में हिस्सा लेने के लिए यात्रा सहायता उपलब्ध कराने और उत्कृष्ट अनुसंधानों के लिये पुरस्कार प्रदान करने जैसी योजनाओं ने चालू योजना में उल्लेखनीय प्रगति की है। विश्वविद्यालयों की अवसंरचना को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू० जी० सी०) ने सी० ओ० एस० आई० एस० टी० नामक एक योजना को आरम्भ किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधीयित परियोजनाओं में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों के लिये अधिछात्रवृतियों की राशि बढ़ा दी गई है। ऐसे वैज्ञानिकों के लिये चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव है।

कैरियर की प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति द्वारा एक सुस्थापित सावधिक मूल्यांकन प्रणाली के माध्यम से अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने वैज्ञानिक विभागों में प्रशासनिक पद्धति के सरलीकरण के लिए अनुदेश जारी कर दिए हैं, जिनके अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालयों/विभागों/एजेन्सियों के प्रमुखों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां बहुत अधिक बढ़ जाएंगी।

सरकार ने विभिन्न वैज्ञानिक विभागों/एजेन्सियों से, वैज्ञानिकों के लिए अच्छे कैरियर के लिए प्रोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए नम्य अनुपूरकता (फलैक्सीबल कम्प्लीमैंटिग) की योजना को आरम्भ करने के लिये कहा है। उत्कृष्ट कार्य को पुरस्कृत करने के लिए एक योग्यता संवर्द्धन योजना भी चलाई जा रही है। सरकार वैज्ञानिकों को आवास प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति सजग है और वह इस दिशा में पर्याप्त निवेश कर रही है। सी० एस० आई० आर० को अपने वैज्ञानिकों को आवास प्रदान करने के लिए दिए गए विनियोग के अतिरिक्त एच० यू० डी० सी० ओ० से धन लेने के लिए व्यवस्थायें की जा रही हैं। और विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सी० एस० आई० आर० के मुख्यालय में आवासीय स्थानों के निर्माण को हाथ में लिया जा रहा है।

घुसपैठ की संभावना वाले राज्य/संघ राज्य के

5302. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या गृह मंत्री घुसपैठ की गुंजाइश वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में 14 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3679 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में उन जिलों का ब्यौरा क्या है जिनमें घुसपैठ की संभावना है;

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक जिले में पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में कितने व्यक्तियों ने घुसपैठ की;

(ग) प्रत्येक राज्य में ऐसे घुसपैठियों की अनुमानित संख्या क्या है जिन्होंने संपत्ति/राशन कार्ड प्राप्त कर लिया है. अथवा मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवा लिया है;

(घ) क्या सुरक्षा के महत्व तथा मामले की तत्कालिकता को ध्यान में रखते हुए उन जिलों में मतदाताओं के लिए घरों का रजिस्टर, तथा फोटोग्राफ वाले पहचान पत्र बनाने की योजना तैयार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक स्पष्ट निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में कार्य कर रहे वैज्ञानिकों तथा टेक्नोलोजीविज्ञों के कार्य का मूल्यांकन

5303. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा विदेशों में इस समय कार्य कर रहे देश के वैज्ञानिकों तथा टेक्नोलोजीविज्ञों के कार्य के सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है कि वे बाहर क्यों जा रहे हैं तथा उन देशों की नागरिकता क्यों स्वीकार कर रहे हैं और विदेशों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) क्या भारत में सभी पदोन्नति योग्यता के आधार पर न कर वरिष्ठता के आधार पर की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों की संख्या के बारे में सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी एक मूल्यांकन के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऐसे कार्मिकों की संख्या 30,000 से अधिक होगी। विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की अधिकतम संख्या संयुक्त राज्य अमरीका में है और कुछ कम संख्या में वे यू० के०, जापान और एफ० जी० आर० में कार्य कर रहे हैं।

(ख) इस विषय पर कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया, परन्तु इस विषय पर विभिन्न मंचों पर विचार विमर्श किया गया है अधिकतर वैज्ञानिक उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु विदेश जाते हैं। जबकि उनमें से अधिकतर वापिस आ जाते हैं पर उनमें से कुछ काम करने की अधिक अच्छी सुविधाओं और भौतिक सुख सुविधाओं के विचार से वहीं रह जाते हैं। भारत में

अनुसंधान संस्थानों में, क्रमिक रूप से सुधार हो रहा है और भारत में वैज्ञानिकों को अपने उपयोगी विचारों के अनुसार कार्य करने के अधिकाधिक अवसर प्रदान किये जा रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग में प्रयुक्त आधुनिक प्रौद्योगिकी

5304. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खादी तथा ग्राम उद्योग के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रारम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग द्वारा खादी के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी की किस सीमा तक प्रयोग में लाया जा रहा है तथा उसके क्या परिणाम हैं;

(ग) देश में इस समय राज्य-वार खादी तथा ग्राम-उद्योगों के उत्पादों के उत्पादन तथा बिक्री के आंकड़ों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन उद्योगों में इस समय राज्य वार लगे हुए लोगों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों और अन्य संस्थानों के अध्यक्षों के अखिल भारतीय सम्मेलन द्वारा मई, 1982 में गठित तकनीकी समिति ने खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में सुधार करने व उसे उन्नत बनाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी संबंधी नीति में मुख्य रूप से ग्रामीण परिस्थितियों में प्रौद्योगिकी की उपयुक्तता, दक्षता में सुधार करने, उत्पादकता तथा उत्पादों की गुणवत्त, नीरसता को दूर करने, वर्तमान कच्ची सामग्री तथा उपोत्पादों का पूर्ण उपयोग करने उत्पादन का विविधीकरण करने के साथ-साथ गैर-परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने उत्पादन बढ़ाने, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने तथा श्रमिकों को हटाए बिना अतिरिक्त रोजगार देने पर बल दिया गया है।

इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग ने अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों का विकास करने के लिए मुख्यालय में एक इंस्ट्रूमेंटेशन अनुभाग तथा समग्र देश में अनेक अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की है। अनेक प्रकार के उन्नत औजारों, उपकरणों तथा मशीनों का विकास किया गया है तथा उन्हें अनेक चुनींदा उद्योगों में वितरित किया गया है।

(ग) और (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

वर्ष 1982-83 के उत्पादन, बिक्री और रोजगार के राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य	उत्पादन (करोड़ रु० में)		बिक्री (करोड़ रु० में)		रोजगार (लाख व्यक्ति)	
		खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग	खादी	ग्रामोद्योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	636.68	4044.69	512.48	4833.36	0.48	2.92
2.	असम	68.29	479.69	52.54	472.79	0.29	0.47
3.	बिहार	1159.46	4355.41	1142.69	4327.14	2.09	0.79
4.	गुजरात	1107.82	3809.17	1036.22	3085.58	0.85	0.39
5.	हरियाणा	261.69	2401.34	185.28	2326.37	0.23	0.41
6.	हिमाचल प्रदेश	70.54	1108.96	182.37	12011.29	0.10	0.37
7.	जम्मू और काश्मीर	165.51	1085.63	29.75	128.51	0.21	0.20
8.	कर्नाटक	810.53	4186.29	358.70	4038.29	0.41	0.76
9.	केरल	365.77	2807.70	386.05	2748.60	0.28	1.39
10.	मध्य प्रदेश	282.40	1157.73	442.41	1405.84	0.14	0.56
11.	महाराष्ट्र	364.99	7606.63	708.42	9076.53	0.15	1.83

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मणिपुर	8.57	532.94	4.74	544.63	*	0.13
13.	मेघालय	0.11	62.98	—	77.43	*	0.03
14.	नागालैंड	0.96	11.21	14.03	23.66	*	0.02
15.	उड़ीसा	60.36	951.15	46.50	928.29	0.06	0.83
16.	पंजाब	675.58	2272.86	415.40	2633.92	0.53	0.47
17.	राजस्थान	1462.27	4035.77	991.73	4761.74	1.34	0.94
18.	सिक्किम	3.46	4.44	3.28	5.65	*	*
19.	तमिलनाडु	2445.50	9165.10	1897.08	9774.85	0.92	4.90
20.	त्रिपुरा	2.48	537.75	2.07	571.61	*	0.19
21.	उत्तर प्रदेश	3073.07	9887.82	3634.96	10817.36	5.12	2.07
22.	पश्चिम बंगाल	958.48	1061.06	276.12	1137.39	0.36	1.03
	योग-I	14284 62	61575.32	12242.82	65933 83	13.56	20.70

*500 से कम

1	2	3	4	5	6	7	6
संघशासित क्षेत्र :							
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	0.49	—	0.57	—	—
3.	चण्डीगढ़	—	175.63	—	182.59	—	—
4.	दादरा और नागर हवेली	—	0.48	—	—	—	—
5.	दिल्ली	49.57	188.13	458.86	210.00	0.05	0.02
6.	गोवा; दमन व दीव	—	35.97	3.50	33.03	—	0.01
7.	मिजोरम	—	0.08	—	—	*	*
8.	पांडिचेरी	5.75	24.05	—	20.24	*	*
	कुल-II	55.32	424.83	462.36	446.43	0.05	0.03
विविध :							
1.	विभागीय	—	60.21	216.00	63.34	—	—
2.	अन्य योजनाएं	—	—	—	89.18	—	—
		—	60.21	216.00	152.52	—	—
	योग 1+2+3	14339.94	62060.36	12921.18	66532.78	13.61	20.73

*500 से कम

छोटी कारों, स्कूटरों आदि के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

5305. **श्री दया राम शाक्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों स्कूटरों तथा आटो-साइकिलों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) उन स्कूटरों तथा आटोसाइकिलों की संख्या कितनी है जिनका उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्रों से सरकारी क्षेत्रों में अन्तरित कर दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टभिराम राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) स्कूटरों और आटो-साइकिलों की उत्पादन क्षमता को गैर-सरकारी क्षेत्र से सहकारी क्षेत्र में हस्तान्तरित करने का कोई भी मामला नहीं है ।

आसूचना एजेंसी द्वारा पंजाब, असम तथा जम्मू और काश्मीर में अशांत परिस्थितियों के बारे में पूर्व सूचना न देना

5306. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, असम तथा जम्मू और काश्मीर में आसूचना तंत्र इन राज्यों को अशांत परिस्थितियों के बारे में सरकार को पहले से सूचना देने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नियमित किये गये नैमित्तिक मजदूरों का ब्यौरा

5307. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय और अधीनस्थ कार्यालयों में नैमित्तिक मजदूरों को कुछ निर्धारित दिनों तक काम करने के बाद, अपने आप नियमित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मंत्रालय में एक गत वर्ष के दौरान कितने नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया गया;

(घ) कितने नैमित्तिक मजदूर दो वर्ष से अधिक अवधि से काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने उन्हें नियमित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी नहीं। नैमित्तिक मजदूरों को, जो पूर्णतया अस्थाई/अनियमित/सामयिक कार्य के लिए रखे जाते हैं। अपने आप नियमित नहीं किया जाता है, फिर भी वे ग्रुप "डी" के उपलब्ध पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पात्र होते हैं बशर्ते उन्होंने निर्धारित न्यूनतम अवधि तक कार्य किया हो और आयु सीमा शैक्षिक योग्यता आदि जैसी अन्य शर्तें पूरी करते हों।

(ग) इस्पात और खान मंत्रालय में गत वर्ष के दौरान नियमित किए गए नैमित्तिक मजदूरों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) इस्पात विभाग (सचिवालय)	शून्य
(2) खान विभाग (सचिवालय)	शून्य
(3) खान विभाग	
(भारतीय खान ब्यूरें तथा भारतीय भू-सर्वेक्षण)	137
कुल :	137

(घ) इस्पात और खान मंत्रालय में दो वर्षों से अधिक अवधि से कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों की, जिन्हें नियमित नहीं किया गया है, संख्या इस प्रकार है :—

(1) इस्पात विभाग (सचिवालय)	3
(2) खान विभाग (सचिवालय)	3
(3) खान विभाग	
(भारतीय खान ब्यूरो तथा भारतीय भू-सर्वेक्षण)	2648
कुल :	2654

मंत्रालय के वेतन तथा लेखा कार्यालयों और लोहा तथा इस्पात संगठन के बारे में प्रश्न के भाग (ग) और (घ) से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) जी नहीं। नैमित्तिक मजदूरों को नियमित करने का मामला ग्रुप 'डी' के पदों पर नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता और उपलब्ध उपर्युक्त रिक्तियों पर निर्भर करेगा।

रायल सीमा क्षेत्र में उद्योग के लिए आश्रय-पत्र

5308 **श्री के० ओबुल रेड्डी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रायल सीमा क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र में स्थित बड़ी कम्पनियों की संख्या क्या है;

(ख) क्या कुछ गैर-सरकारी उद्यमियों ने खनिज पर आधापित उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिये आवेदन किया है;

(ग) गैर-सरकारी उद्यमियों को आशय-पत्र जारी करने के लिए क्या मार्ग-दर्शी सिद्धांत है; और

(घ) रायल सीमा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में जारी किये गये आशय-पत्रों की संख्या क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) रायलसीमा सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से विद्यमान उद्योगों के ब्यौरे उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते । किन्तु उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाईसेंसों के ब्यौरे रखता है । औद्योगिक लाइसेंसों के सभी आवेदनों पर विभिन्न तकनीकी आर्थिक कारकों जैसे कि मांग और आपूर्ति, पहले से लाइसेंसीकृत क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता, स्थापना-स्थल से संबंधित अवरोधों और योजना की जीव्यता आदि को ध्यान में रखते हुए उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

वर्ष 1979 से 1983 के बीच उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आंध्र प्रदेश में रायलसीमा क्षेत्र के चित्तूर, कुडप्पा, अनंतपुर और कुरनूल जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु 44 आशय-पत्र जारी किये गए थे । जारी किये गए आशय-पत्रों के ब्यौरे अर्थात् उपक्रम का नाम व पता, उत्पादन की वस्तु, क्षमता और स्थापना-स्थल आदि संबंधी ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उनके "मन्थली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जा रहे हैं । इस प्रकाशन की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही हैं ।

समुद्री पुरातात्विक अध्ययनों के लिए योजना

5309. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान एकादमी, दिल्ली तथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ द्वारा हिन्द-महासागर में समुद्री पुरातात्विक अध्ययनों के लिए एक संयुक्त परियोजना प्रारम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत हिन्द महासागर तल की खोज में लगे प्रशिक्षित वैज्ञानिकों तथा पुरातत्व वैज्ञानिकों की संख्या क्या है;

(ग) उनके द्वारा अब तक क्या अध्ययन किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिक और महासागर विकास विभागों मे राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटील) : (क) जी हां, श्रीमान । "भारतीय समुद्रों में समुद्री पुरातात्विक अन्वेषण" परियोजना जिसे भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली द्वारा धनप्रोषित किया जा रहा है वह जून, 1981 से राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

(ख) एक दल ने द्वारका और बेट द्वारका जल में जलगत गवेषणा संबंधी कार्य किया है । इस दल में एक वरिष्ठ समुद्री पुरातत्वज्ञ (मुख्य वैज्ञानिक), राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान के समुद्र-इंजीनियरी प्रभाग के प्रधान, एक जूनियर रिसर्च फेलो और एक फोटोग्राफर शामिल थे । गोता लगाने संबंधी कार्य, जलगत फोटोग्राफी और उत्खनन संबंधी कार्य का पर्यवेक्षण एक अनुभवी सिविल इंजीनियरिग -- व -- सर्वेक्षण फर्म द्वारा किया गया ।

(ग) और (घ)इस परियोजना में पूर्वेक्षण के लिए और प्राचीन पोत-अवेशषों का पता लगाने तथा समुद्र में जलमग्न हूए उन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन्दरगाहों के उत्खनन और गवेषण की परिकल्पना की गई है । समुद्र-पुरातत्व-विज्ञान का उद्देश्य समुद्रीय व्यापार, नौवहन और प्राचीन समय से वर्तमान समय तक के सांस्कृतिक विस्थापन के इतिहास का पुनर्निर्माण करना है । पोत-अवशेषों का पता लगाने में पहले उपाय के रूप में, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और गोआ स्थित राज्य अभिलेखागारों में समुद्रीय अभिलेखों की जांच की गई है और भारतीय समुद्र में 200 से अधिक पोत-अवशेषों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना एकत्र की गई है । पोत- अवशेषों के प्रधान क्षेत्रों का पता चल गया है और उनको ढूंढ निकालने के लिए जलगत सर्वेक्षणों के प्रारम्भ होने की संभावना है । खोज कार्य के अन्य महत्वपूर्ण उपाय के रूप में राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान की समुद्री पुरातत्व-विज्ञान यूनिट द्वारा जो कार्य हाथ में लिया गया है, वह जलमग्न बन्दरगाहों का अन्वेषण सम्बन्धी कार्य है और उन बन्दरगाहों में द्वारका, कावेरीपटनम और राजबन्दर (एली-फेन्टा) महत्वपूर्ण हैं बेट द्वारका द्वीप के तट पर और तट रे दूर अन्वेषण के परिणामस्वरूप 15 वीं शताब्दी ईसा-पूर्व के जलमग्न शहर के अवशेषों का पता चला है ।

दूरदर्शन उपस्करों के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना

5310. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक देश में कितनी दूरदर्शन ग्लास बल्ब फैक्ट्री को स्थापित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का देश में अधिक दूरदर्शन बल्ब एककों तथा दूरदर्शन निर्माण करने सम्बन्धी अन्य उपस्करों के एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिकपूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डॉ० एम० एस० संजीवी राव) : (क) शून्य ।

(ख) तथा (ग) जहाँ तक दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के लिए ग्लास बल्बों का संबंध है, सरकार ने 30 लाख ग्लास बल्बों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिए तीन आशय-पत्र जारी किए हैं। इनमें से एक इकाई अर्थात मेसर्स भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड प्रतिवर्ष 10 लाख ग्लास बल्बों का उत्पादन करने के लिए अपनी फैक्टरी स्थापित कर रहा है और इसमें अगले दो वर्ष की अवधि में उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है।

जहाँ तक दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन के लिए मशीनरी और दूरदर्शन रिसीवरों के उत्पादन के लिए परीक्षण तथा परिमापन उपस्कर का संबंध है, सरकार मुक्त रूप से औद्योगिक अनुमोदन जारी कर रही है और सभी प्रकार के प्रोत्साहन दे रही है इनमें से कुछ इकाईयों ने कुछ परीक्षण तथा परिमापन उपस्करो का निर्माण पहले से ही करना आरम्भ कर दिया है।

सरकारी क्षेत्र के खनन एककों का कार्य निष्पादन

5311. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्य कर रहे सरकारी क्षेत्र के खनन एककों की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1982-83 तथा वर्ष 1983-84 में उन सरकारी क्षेत्र के खनन एककों में से प्रत्येक का क्या कार्य-निष्पादन रहा है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) से (ग) माननीय सदस्य का आशय संभवत: खान विभाग के अधीन 6 सरकारी उपक्रमों के कार्य निष्पादन से है। इनमें से 5 चालू उपक्रमों का वर्ष 1982-83 का वास्तविक और 1983-84 का संभावित निष्पादन नीचे दिया गया है :—

	हि० का० लि०		हि० जि० लि०	बाल्को	भा० गो० म०	ख० ग० नि०	
	ब्लिस्टर जस्ता (टन)	तांबा (टन)	सीसा (टन)	एल्यूमिनियम (टन)	स्वर्ण (कि० ग्रा०)	ड्रिलिंग (मी०)	खनन (मी०)
उत्पादन							
1982-83	34,634	43,636	14,801	43,240	1370	189,371	9,842
1983-84 (आशातीत)	35,415	53,800	16,000	60,500	1200	215,000	11,500

उल्लेखनीय है कि विभाग के अनेक सरकारी उपक्रमों ने 1983-84 के दौरान अपने उत्पादन और लाभप्रदता में सुधार किया है। वस्तुत: 1982-83 में भारी घाटे वाले 5 उपक्रमों में

से 3 उपक्रमों ने 1983-84 में लाभ का रुख प्रदर्शित किया है और उनमें 4 उपक्रमों ने अपने उत्पादन में काफी वृद्धि की है।

विभाग के अधीन छठवां उपक्रम नेशनल एल्यूमिनियम कम्पनी है, जो उड़ीसा में बाक्साइट खान, एल्यूमिना संयंत्र/एल्यूमिनियम प्रद्रावक तथा ग्रहीत बिजलीघर के वहत कम्पलेक्स का निर्माण कर रही है। निर्माण का काम पूरे जोर है और स्थलों पर लगभग 12,000 मजदूर काम कर रहे हैं।

चूना पत्थर तथा डोलोमाइट खानों में हड़ताल

5312. **श्री ए० के० राय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड के अधीन चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खानों में पिछले एक वर्ष के दौरान हुई हड़तालों तथा कार्य बन्द की खान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक हड़ताल कितनी अवधि तक रही तथा प्रत्येक हड़ताल में कितने श्रमिकों ने भाग लिया;

(ग) क्या अभी भी कुछ हड़तालें चल रही हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) श्रमिकों की प्रमुख मांगे क्या-क्या हैं; और

(ङ) मांगों को पूरा करने के लिए तथा विवाद को समाप्त करने के लिए स्टील अथारिटी आफ इण्डिया द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) "सेल" की चूना-पत्थर और डोलोमाइट की रक्षित खानों के नियमित कर्मचारियों द्वारा कोई हड़ताल/काम रोकने की घटना नहीं हुई है।

इस्पात डोलोमाइट खान; बराद्वार पूर्णापानी की चूना-पत्थर और डोलोमाइट की खान, भवनाथपुर और कुटेश्वर की चूना-पत्थर की खानों में ठेकेदारों के कामगारों द्वारा और नन्दिनी की चूना-पत्थर की खानों और हिरी की डोलोमाइट की खानों में विभागीय तौर पर रखे गये उजरती कामगारों द्वारा हड़ताल करने/काम रोकने की कुछ घटनाएं हुई थीं। ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8048/84]

"टेल्को" के पास जमा धनराशि

5313. **श्री ए० के० राय :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि "टेल्को" ने अपने डीलरों के माध्यम से उपभोक्ताओं से 1 जनवरी, 1984 तक भारी धनराशि एकत्रित की है;

(ख) क्या "टेल्को" द्वारा न तो सामग्री की डिलीवरी दी जा रही है और न ही जमा-राशि को वापस किया जा रहा है, लेकिन उसे बिना ब्याज का भुगतान किये कार्यगत पूंजी के रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) टेल्को के पास वाहनों की सप्लाई के लिए 13 जनवरी, 1983 से पूर्व बुक किए गए आर्डरों पर 1-1-1984 को 7.65 करोड़ रुपये की जमा राशि बाकी थी। 13 जनवरी, 1983 से ग्राहकों को आग्रिम राशि बैंकों में जमा करानी पडती है और रसीदों को बुकिंग करते समय डीलरों के पास प्रस्तुत करना होता है।

(ख) और (ग) टेल्को ने समस्त ग्राहको को डिलीवरी देने और 12 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देने का प्रस्ताव किया है।

हां, यह बताया गया है कि टेल्को के दो भूतपूर्व डीलरों ने कुछ ग्राहकों से ली गई जमा-राशि को टेल्को के पास जमा कराने के बजाय उसका दुरुपयोग किया है।

(घ) जी, नहीं।

राजभाषा सेवा के वर्ग 'क' 'ख' तथा 'ग' के पदों पर भर्ती के लिए गैर भागीदार कार्यालयों की घोषणा

5314. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा सेवा के वर्ग "क" तथा वर्ग "ख" के पदों पर अधिकारियों को भर्ती के लिए गैर-भागीदार कार्यालयों के अधिकारियों को विभागीय उम्मीदवार के रूप में घोषित किए जाने की संभावना है;

(ख) उन कार्यालयों को जिनमें ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, संवर्ग योजना में सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन कार्यालयों के अधीनस्थ कार्यालय होने के कारण सरकार का इस प्रकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को उपर्युक्त नियमों के प्रयोजन हेतु विभागीय उम्मीदवारों के रूप में घोषित करने को रोकने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भारत के राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (1) में सा० का० नि० 696 के अन्तर्गत 24-9-83 को प्रकाशित

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "क" तथा समूह "ख" पद) नियम, 1983 के नियम 2 (ग) (2) के अनुसार, सेवा में भाग न लेने वाले किसी मंत्रालय/विभाग या कार्यालय का कोई ऐसा अन्य व्यक्ति, जो उस मंत्रालय/विभाग या कार्यालय से सेवा में सम्मिलित किसी हिन्दी पद पर प्रतिनियुक्ति व्यक्ति से ज्येष्ठ है, विभागीय अभ्यर्थी माना गया है और सेवा में समाहृत करने के लिए विचार में लाया जाएगा, यदि वह ऐसा विचार किए जाने के लिए सहमत है।

(ख) कुछ एक मंत्रालय/विभाग अपनी विशेष स्थिति या अपने हिन्दी स्टाफ के कार्य की प्रकृति भिन्न होने के कारण सेवा में शामिल नहीं हुए हैं। अधीनस्थ कार्यालय बतौर नीति सेवा में शामिल नहीं किए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त नियम 2 (ग) (2) को रद्द करने का प्रश्न विचाराधीन है।

तदर्थ हिन्दी अधिकारियों को वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति

5315 **श्री आर० एन० राकेश :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात तथा खान तथा नागरिक पूर्ति जैसे कुछ मंत्रालयों/विभागों आदि के द्वारा अपने तदर्थ हिन्दी अधिकारियों को 19 सितम्बर, 1981 को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के गठन पश्चात वरिष्ठ हिन्दी अधिकारियों के पदों पर नियुक्त/पदोन्नत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजभाषा के संवर्ग-प्राधिकार विभाग को इस प्रकार की नियुक्तियों पदोन्नतियों को करने से पूर्व परामर्श किया गया था;

(ग) इस प्रकार नियुक्त किये गये/पदोन्नति किये गये तदर्थ हिन्दी अधिकारियों को किन परिस्थितियों के कारण सेवा नियमों की अधिसूचना के बावजूद अभी तक भी उनके पदों पर वापस नहीं भेजा गया है; और

(घ) उपरोक्त सेवा में नियमित/स्थायी हिन्दी अधिकारियों के हितों की रक्षा के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 24 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (समूह "क" तथा समूह "ख" पद) नियम, 1983 में किए गए प्रावधान के अनुसार सेवा के आरंभिक गठन के सम्बन्ध में कार्यवाई की जा रही है। जब तक सेवा का आरंभिक गठन नहीं हो जाता, सेवा में सम्मिलित वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी तथा अन्य उच्च हिन्दी पदों में होने वाली रिक्तियों को सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा तदर्थ आधार पर भरा जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) सेवा के आरम्भिक गठन के पश्चात, संयुक्त वरीयता के आधार पर नियमित तौर पर नियुक्तियां की जाएंगी और 19-9-1981 के बाद की गई तदर्थ नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाएगा।

टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर में आरक्षण नियम

5316. **श्री त्रिलोक चन्द्र** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर में 100/40 प्वाइंट रोस्टर का रख रखाव करके, एक सम्पर्क अधिकारी नियुक्त करके और इस उद्देश्य के लिए एक कक्ष का गठन करके सभी आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ख) क्या टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर में सभी श्रेणियों के पदों में आरक्षण कोटा पूरा कर लिया गया है; और

(ग) क्या टेनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करते समय सभी आरक्षण नियमों का पालन किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों के लिए 40-प्वाइन्ट रोस्टर रखा जा रहा है। एक सम्पर्क अधिकारी नामित कर दिया गया है और कार्मिक विभाग द्वारा आरक्षण सम्बन्धी नियमों के कार्यान्वियन का कार्य किया जा रहा है।

(ख) वर्ग "ग" और वर्ग "घ" के पदों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का कोटा पूरा हो गया है। उपक्रम के कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत समग्र रूप से 40.84 है।

(ग) बताया गया है कि जुलाई, 1983 में तीन अध्यापकों की भर्ती करते समय आरक्षण सम्बन्धी नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया था और नियुक्त किए गए इन तीनों अध्यापकों में एक अध्यापक अनुसूचित जाति का था। इस विद्यालय में 18 अध्यापकों में से 3 अध्यापक अनुसूचित जातियों के हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

5317. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए आस्ट्रिया ने सहायता देने की पेशकश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) राउरकेला इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए प्रारम्भ की गई कुछ परियोजनाएं इस प्रकार है :—

विगंधकीकरण सुविधाएं	—	अक्तूबर, 1982 में चालू की गई ।
सेकेन्डरी स्टील रिफाइनिंग	—	जनवरी, 1983 से इसे चरणों में चालू किया जा रहा है ।
सिलिकन इस्पात का उत्पादन	—	चालू की जा रही है ।
पाइप के जोड़ों को बार्मलाइज करना	—	निर्माणाधीन
जस्तीकरण में जैट कोटिंग	—	निर्माणाधीन
60-60 मैगावाट के दो रक्षित विद्युत संयंत्र	—	स्थापित किए जा रहे हैं ।

उपर्युक्त योजनाओं पर लगभग 340 करोड़ रुपये खर्च होंगे । इसके अतिरिक्त कारखाने को प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने तथा आधुनिकीकरण से सम्बन्धित कुछ योजनाएं तैयार की गई हैं, जो सरकार के विचाराधीन हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ङ) जी, नहीं । आशा है कि कारखाने को प्रौद्योगिकीय दृष्टि से उत्कृष्ट बनाने तथा आधुनिकीकरण से सम्बन्धित और योजनाओं के कार्यान्वयन से उत्पादन में कोई बाधा नहीं आएगी ।

इंजीनियरिंग उद्योग द्वारा प्रत्येक उद्योग विहीन क्षेत्र में एक उद्योग लगाना

5318. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंजीनियरिंग उद्योग से देश में प्रत्येक उद्योग विहीन क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित करने को कहा है;

(ख) इस पर इंजीनियरिंग उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) 1984-85 के दौरान इस प्रकार के क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के एकक स्थापित करने सम्बन्धी सरकार की अपनी क्या नीति है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) एसोसिएशन आफ इण्डिया इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री (ए० आई० इ० टी०) के वार्षिक अधिवेशन में, यह सुझाव दिया गया था कि वे "उद्योग रहित" क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने पर विचार करें। ए० आई० ई० टी० चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार और एसोसिएशन आफ इण्डिया इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री के संयुक्त कृतिक दलों की स्थापना के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों से विचार विमर्श कर रही है ।

(ग) केन्द्रीय निवेश प्रमुखत: बड़ी औद्योगिकी परियोजनाओं में किया जाता है। किन्तु ऐसी परियोजनाओं का स्थापना स्थल मोटे तौर पर तकनीकी-आर्थिक आधार पर तय किया जाता है। सरकार की यह नीति है कि वह केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना स्थल के सम्बन्ध में तकनीकी आर्थिक आधार पर पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान देती है ।

राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उद्योग स्थापित करना

5319. **श्री ह रीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जिलों के नाम क्या हैं जहां सरकारी क्षेत्र में 10 मझौले या बड़े उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ख) इनमें कुल कितना पूंजी निवेश हुआ और उनमें कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों के उन जिलों के नाम क्या हैं जिनमें योजना अवधि में प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में दो या अधिक उद्योग लगाए गए हैं; और

(घ) उन जिलों के नाम क्या हैं जहां छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी/संयुक्त या गैर सरकारी क्षेत्र में न कोई मझौला और नहीं कोई बड़ा उद्योग लगाया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) देश के विभिन्न जिलों में बड़े तथा मंझौले उद्योगों की स्थापना और इस प्रकार के उद्योगों में निवेश की गई पूंजी तथा श्रमिकों की संख्या के ब्यौरे उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। किन्तु उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए जाने वाले औद्योगिक लाइसेंसों के राज्यवार ब्यौरे देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

देश में ऐसे 91 जिले हैं जिनमें मंझौला या बड़ा एक भी उद्योग विद्यमान नहीं है। इन जिलों का पता नवम्बर, 1981 में लगाया गया था और इन्हें (उद्योग रहित जिलों का दर्जा दिया गया है। वर्ष 1982 और 1983 के दौरान 268 आशय पत्र विशेष रूप से उन्ही जिलों में उद्योगों की स्थापना करने लिए जारी किए गए थे। ये आशय-पत्र इस समय क्रियान्वयन की विभिन्द अवस्थाओं में होंगे ।

"उद्योग रहित जिलों" में एककों की स्थापना के लिए जारी किए गए आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों सहित सभी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में उपक्रम के नाम व पते, उत्पादन की वस्तु, क्षमता एवं स्थापना स्थल सम्बन्धी ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लेटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जा रही है।

विवरण

वर्ष 1980 से 1983 के दौरान जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों का राज्य-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य	1980 औद्योगिक लाइसेंस	1981 औद्योगिक लाइसेंस	1982 औद्योगिक लाइसेंस	1983 औद्योगिक लाइसेंस
1.	आन्ध्र प्रदेश	42	36	29	63
2.	अण्डमार और निकोबार	—	—	—	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	2
4.	असम	5	4	1	22
5.	बिहार	4	10	9	29
6.	चंडीगढ़	1	1	3	3
7.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—
8.	दिल्ली	5	2	7	18
9.	गोआ दमन और द्विव	2	5	7	3
10.	गुजरात	85	79	69	115
11.	हिमाचल प्रदेश	2	1	6	5
12.	हरियाणा	20	21	21	59
13.	जम्मू व कश्मीर	1	3	3	10
14.	कर्नाटक	40	25	34	65
15.	केरल	11	15	9	22
16.	लक्षद्वीप, किनीकाय तथा अमी द्वीप समूह	—	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	18	15	9	22
18.	महाराष्ट्र	107	144	95	171
19.	मणिपुर	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
20.	मेघालय	—	—	—	—
21.	मिजोरम	—	—	—	2
22.	नागालैंड	—	—	—	—
23.	उड़ीसा	8	5	10	14
24.	पांडिचेरी	—	1	1	3
25.	पंजाब	18	17	14	169
26.	राजस्थान	15	20	13	25
27.	सिक्किम	—	—	—	—
28.	तमिलनाडु	37	30	41	76
29.	त्रिपुरा	—	—	—	—
30.	उत्तर प्रदेश	30	24	22	98
31.	पश्चिम बंगाल	23	34	27	71
32.	राज्य का नाम नहीं दिया गया/एक से अधिक राज्य	1	4	4	—
	योग	475	476	432	1075

अपने भवनों वाले जिला औद्योगिक केन्द्र

5320. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार ऐसे जिला औद्योगिक केन्द्रों की संख्या कितनी है जिनके अपने भवन हैं;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने जिला औद्योगिक केन्द्रों के लिए भवनों के निर्माण कार्य में सुस्ती दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो शेष जिलों में इन केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण कितने समय में हो जाने की आशा है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जिला उद्योग केन्द्र भवनों के निर्माण की राज्य-वार स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे जिला उद्योग केन्द्र भवनों का निर्माण यथाशीघ्र पूरा कर लें।

जिला उद्योग केन्द्र भवनों के निर्माण के बारे में 31.12.1983 तक की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	स्वीकृत जिला उद्योग केन्द्रों की संख्या	तैयार जिला उद्योग केन्द्र भवनों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	22
2.	असम	10	3
3.	बिहार	33	15
4.	गुजरात	17	15
5.	हिमाचल प्रदेश	12	10
6.	हरियाणा	12	6
7.	जम्मू तथा कश्मीर	14	13
8.	कर्नाटक	19	1
9.	केरल	12	1
10.	मध्य प्रदेश	45	39
11.	महाराष्ट्र	29	20
12.	मणीपुर	6	3
13.	मेघालय	5	3
14.	नागालैंड	7	7
15.	उड़ीसा	13	9
16.	पंजाब	12	12
17.	राजस्थान	26	24
18.	सिक्किम	1	1
19.	तमिलनाडु	14	14
20.	त्रिपुरा	3	2
21.	उत्तर प्रदेश	56	54
22.	पश्चिम बंगाल	15	7
23.	अरुणाचल प्रदेश	5	4

1	2	3	4
24.	मिजोरम	2	1
25.	पांडिचेरी	1	1
26.	गोवा दमन और द्वीव	1	जिला उद्योग केन्द्र ने कार्य करना
27.	दादरा एण्ड नागर हवेली	1	आरम्भ नही किया है शून्य
28.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	शून्य
29.	चंडीगढ़	1	शून्य
	योग	395	287

स्रोत: राज्य/संघ क्षेत्रों की सरकार से प्राप्त जानकारी ।

राजस्थान के लिए परिव्यय

5321. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने योजना आयोग से 1984-85 के लिए 800 करोड़ रुपए की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान को योजना खर्चे के लिए इसमें से केवल 401 करोड़ रुपए ही दिए गए हैं; और

(ग) क्या राजस्थान में लगातार तीन वर्षों से सूखा पड़ रहा है और इस वर्ष भी सर्दी के कारण फसलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं और यदि हां, तो क्या प्रभावित लोगों को सहायता देने तथा 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने 1984-85 की वार्षिक योजना के लिए 808.97 करोड़ रु० के परिव्यय का प्रस्ताव किया था जिसके मुकाबले उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप 387 करोड़ रु० के परिव्यय के लिए सहमति दी गई है ।

(ग) जी हां, । राजस्थान में 1981 से 1983 तक लगातार तीन वर्ष तक सूखा पड़ा । राजस्थान सरकार ने इस वर्ष शीत लहर के कारण फसलों में हानि के बारे में भी बताया है परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में नहीं बताया कि क्षति किस सीमा तक हुई है । इस क्षति से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता के वास्ते अभी तक कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

"भेल" द्वारा विद्युत उत्पादक टरबाइनों का निर्माण

5322. **श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने विद्युत उत्पादन करने वाले 500 मेगावाट के टरबाईन सेटों का निर्माण करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन्होंने इन सेटों का निर्माण करने हेतु विदेशी सहयोग प्राप्त किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) जी, हां।

(ख) बी० एच० ई० एल० अपने हरिद्वार संयंत्र में 500 मेगावाट की टरबाइनें और जनरेटर तथा अपने तिरूचि संयंत्र में समतुल्य बायलरों का निर्माण करता है। बी० एच० ई० एल० के भोपाल, हरिद्वार, हैदराबाद, तिरूचि और रानीपेट संयंत्रो में विभिन्न सहायक सामानों का निर्माण होता है।

(ग) जी, हां।

आगामी योजना अवधि में रोजगार योजना

5323. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : **क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगली पंचवर्षीय योजना में अभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की कुछ उपयुक्त'योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की तरह रोजगार गारंटी योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है।

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) योजना आयोग इस समय सातवीं योजना का नीति-पत्र तैयार करने में लगा हुआ है। अतः सातवीं योजना के मूल अण्यवों के बारे में टिप्पणी करना अभी संभव नहीं है।

जेलों में बाल अपराधियों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें

5324. **श्री नवल किशोर शर्मा** : **क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को लिखा है कि वे जेलों में और अन्य अभिरक्षण संस्थाओं में विशेषकर बाल अपराधियों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए समुचित निरीक्षण की व्यवस्था करें;

(ख) क्या सरकार को जेलों में बाल व किशोर अपराधियों के साथ दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के मुख्य सचिवों को उक्त निरीक्षण के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ग) जी हां, श्रीमान। सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि जेलों और अन्य अभिरक्षक संस्थाओं विशेष रूप से ऐसी संस्थाओं, जहां अपराधी बच्चों, युवा अपराधी और शोषण के लिए नाजुक अन्य वर्गों को रखा जाता है, का सख्ती से निरीक्षण किया जाय। उनसे इस मामले में की गई कार्यवाई के बारे में भारत सरकार को सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

(ख) कुछ मामले केन्द्र सरकार के ध्यान में आये थे। जेल प्रशासन राज्य का विषय होने के कारण ऐसे मामले राज्य सरकारों के ध्यान में लाये जाते हैं।

कैदियों के व्यवहार और जेलों की कार्य स्थिति के बारे में सर्वेक्षण

5325. **श्री जार्ज फर्नान्डीस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में कैदियों के व्यवहार और जेलों की कार्य स्थिति के बारे में हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या नेत्रहीनों बाल अपराधियों की स्थितियों तथा उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में भी सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या पूरे देश की जेलों में कैदियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में घृणाजनक रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस प्रकार का सर्वेक्षण कराने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ) "जेल" राज्य का विषय हैं और जेलों के प्रशासन तथा कैदियों के रख रखाव की जिम्मेवारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है। भारत सरकार ने जेल प्रशासन में सुधार और इसके लिए अपेक्षित उपायों की आवश्यकताओं के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में जेल प्रशासन का सुधार करने के लिए उपायों की सिफारिश करने और सुझाव देने के लिए एक जेल सुधार समिति भी बनाई गई थी। समिति ने विभिन्न राज्यों में कई जेलों का वहां विद्यमान स्थितियों का अध्ययन करने के लिए दौरा किया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में बच्चों, युवक अपराधियों, महिलाओं और विक्षिप्त व्यक्तियों आदि जिनका शोषण किया जा सकता है जैसे कैदियों के वर्गों के साथ किए जाने वाले व्यवहार सहित जेल प्रशासन के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में सिफारिशें की है। समिति का प्रतिवेदन विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को टिप्पणियों के लिए भेजा गया है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की अनुसंधान परियोजनाएं और प्रयोग

5326. **श्री जार्ज फर्नांडीस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद् की बहुत सी अनुसंधान परियोजनाएं और प्रयोग ताक पर रख दिए गए हैं;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाओं को राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास आयोग को भेजा गया है; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण में तथा परियोजनाओं को राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास आयोग को क्यों नहीं भेजा गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं में विकसित किये गये लगभग 1600 प्रक्रम नेशनल रिसर्च डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को अब तक भेजे गये हैं।

(ग) सी० एस० आई० आर० प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित किये गये प्रक्रमों को नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन (एन० आर० डी० सी०) को निर्दिष्ट करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। फिर भी, प्रायोजित परियोजनाओं के अन्तर्गत विकसित किये गये प्रक्रम, तकनीकें या डिजाइने उद्योग को सीधे प्रदान किये जाते हैं।

तिहाड़ जेल के मामलों की जांच

5327. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल के मामलों में विशेष कर कैदियों से अधिकारियों के घरेलू नौकरी के रूप में कार्य करना तथा बच्चों के वार्ड में विचाराधीन बाल अपराधियों के साथ बलात यौन सम्बन्ध स्थापित करने के मामलों में सरकार द्वारा इस बीच जांच की गई है और वह पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच की मुख्य-मुख्य बातें क्या-क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध इस बीच कोई कार्यवाई की है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि जेल महानिरक्षीक के माध्यम से की गई पूछताछ से यह देखा गया है कि किसी भी कैदी को किसी ऐसे कार्य में नहीं लगाया गया, जिसकी पंजाब जेल मैनुअल, जैसा कि यह संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लागू है, के उपबंधों के अधीन अनुमति न हो। जहां तक किशोर कैदियों

के साथ यौन, अपराध किए जाने का सम्बन्ध है, इस बारे में उच्चतम न्यायालय में दायर की गई एक रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के जिला तथा सत्र न्यायाधीश को मामले में जांच करने का निदेश दिया है। जिला तथा सत्र न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और मामला न्यायाधीन है।

तथापि, किसी भी पुलिस अधिकारी को किशोर कैदियों के साथ यौन अपराध करते नहीं पाया गया और इसलिए किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाई किए जाने का विचार नहीं है।

तमिलनाडु में धर्म परिवर्तन

5328. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों में धर्म परिवर्तन की एक लहर सी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितने व्यक्तियों को मुसलमान बनाया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार रामनाथपुरम जिले में आदि द्राबीदारों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया था। मालूम होता हैं कि आदि द्राबीदारों ने कुछ अरब देशों जिनमें मुसलमान श्रमिकों को तरजीह दी जाती है, में आकर्षक रोजगार के अवसरों से अधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं। सम्बन्धित जिला समाहर्ता और उप-पुलिस महानिरीक्षक ने इस प्रकार धर्म परिवर्तन के कारणों का अध्ययन करने के लिए गांवों का दौरा किया। इसके अतिरिक्त जिला प्राधिकारियों ने इस क्षेत्र में आदिद्रावीदारों की शिकायतों का पता लगाने और ऐसी शिकायतों का समाधान करने के लिए तुरन्त कार्यवाई करने हेतु एक विशेष अभियान चलाया है। समाहर्ता को स्थिति की गहराई पुनरीक्षण करने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों की पाक्षिक बैठकें करने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा निदेश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इस बात पर भी बल दिया है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन अपराधों को बिना किसी विलम्ब के दर्ज किया जाए और दोषसिद्धी को सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्यवाही की जाए। 1983 में तमिलनाडु में 241 व्यक्तियों ने इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया। अन्य दक्षिणी राज्यों में ऐसे धर्म परिवर्तन किया। अन्य दक्षिणी राज्यों में ऐसे धर्म परिवर्तन की कोई सूचना नहीं है।

घाटे में चल रहे एककों को बन्द करने की योजना

5329. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उनके मंत्रालय के अधीन घाटे में चल रहे कुछ सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बन्द करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पट्टाभिराम राव) : (क) तथा (ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में किराए के भवनों में स्थित कार्यालय

5330. **श्री के० वी० एस० मणि** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न कार्यालय दिल्ली में कब से किराए के भवनों में स्थित है;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है इन कार्यालयों द्वारा लिए गए प्रत्येक भवन का मासिक किराया कितना है;

(ग) प्रत्येक भवन को किराए पर लेने की तारीख से 29 फरवरी, 1984 तक उनके लिए कुल कितना किराया दिया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार अपने कार्यालयों के किराए के भवनों से सरकारी भवनों में बदलने के लिए उत्सुक नहीं है, यदि हां, तो उनके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा राजकोष पर पड़ने वाले भार को कम करने के लिए अपने कार्यालयों को किराए के भवनों में बदलने के लिए अब तक प्रभावकारी कदम न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) :

(क) योजना आयोग

(क) और (ख) दिल्ली में किराए के भवनों में आयोग के कोई भी कार्यालय नहीं हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

(ख) सांख्यिकी विभाग

(क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान द्वारा यूरेनियम परिष्करण तकनीक का विकास

5331. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान विश्व के उन 6 देशों में से एक है जिसने यूरेनियम परिष्करण की तकनीक का विकास कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यूरेनियम को समृद्ध बनाने की क्षमता हासिल करने के पाकिस्तान के प्रयास से सरकार अवगत है।

(ख) सरकार इस मामले में सतर्क है। भारतीय वैज्ञानिक आधुनिक और संगत टैक्नोलाजियों से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास कार्य के सभी पहलुओं की अद्यतन जानकारी रख रहे हैं।

गुजरात की पूर्वी क्षेत्र में उद्योग लगाने की योजना

5332. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगे गुजरात के पूर्वी क्षेत्र में अधिकांशतः अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं तथा औद्योगिक विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में लघु उद्योग लगाने के उद्देश्य से सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को, जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, रोजीरोटी कमाने के लिए रोजगार देने हेतु सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग लगाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) से (घ) सरकार द्वारा गुजरात के पूर्वी क्षेत्र के सभी चारों जिले अर्थात पंचमहाल, बांसकंठा, मेहसाना और साबरकंठा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए घोषित किये गए हैं। पंचमहाल को 15 प्रतिशत की दर से प्रति एकक अधिकतम 15 लाख रुपये केन्द्रीय निवेश राजसहायता के पात्र जिलों की श्रेणी (ख) में शामिल किया गया है जबकि अन्य तीनों जिलों को 10 प्रतिशत की दर से अधिकतम 10 लाख रुपये प्रति एकक केन्द्रीय निवेश राजसहायता के पात्र जिलों की श्रेणी (ग) में शामिल किया गया है।

पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने में उद्यमियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई प्रोत्साहन दिए हैं। इनमें अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया जाने वाला रियायती वित्त, अचल पूंजीगत निवेश पर सीधे ही राजसहायता देना, औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने की दिशा में अधिमान देना, कर सम्बन्धी रियायतें, मूल/सीमान्त (मार्जिन) धनराशि की सहायता, किराया-खरीद के आधार पर मशीनों की खरीद, तकनीकी सेवाओं के लिए परामर्श देना आदि शामिल है।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गए 25 ग्रामीण उद्योगों के विकास की देखभाल करता है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा गठित संस्थान को मशीनों, औजारों और उपकरणों के लिए

शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और व्यक्तिगत तौर पर 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण दिया जाता है। ग्रामीण उद्योगों के मामलों में कच्चे माल के लिए 4 प्रतिशत की ब्याज पर कार्यशील पूंजीगत ऋण दिए जाते हैं।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के उद्योग, सेवा और कारोबार उपांग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोग लघु एकक स्थापित करने के लिए परियोजना की पूंजीगत लागत के 50 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5000/- रुपये की राजसहायता के पात्र हैं।

गुजरात के पूर्वी क्षेत्र के चारों जिलों में स्थित जिला उद्योग केन्द्रों की गत तीन वर्षों की वास्तविक उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :—

	1980-81	1981-82	1982-83
पता लगाए गए उद्यमी सत्र	3196	5183	4205
स्थापित नये एककों की संख्या	621	549	3381
किये गए नये पंजीकरणों की संख्या	5194	4609	11242
प्रदान किया गया ऋण (लाख रु० में)	800.45	425.57	605.35

ग्रामीण और जनजातिय क्षेत्रों के लिए आरक्षित उद्योग

5333. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण और जनजाति क्षेत्रों के लिए कौन-कौन से उद्योगों का चयन और आरक्षण किया गया है; और

(ख) प्रत्येक राज्य में उक्त क्षेत्र में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितनी प्रगति हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) उद्योग मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन के अधीन खादी और ग्रामोद्योग आयोग और जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों का पता लगाते हैं तथा उनका विकास करते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी और खादी ग्रामोद्योग अधिनियम 1956 की अनुसूची में निर्दिष्ट 25 ग्राम उद्योगों का विकास कार्य देखता है। जिला उद्योग केन्द्र अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए मानव और भौतिक दोनों संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर योजनाएं तैयार करते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों द्वारा स्थापित संस्थान मशीनों, औजारों और उपकरणों के लिए शत प्रतिशत अनुदान प्राप्त करते हैं तथा व्यक्ति 75 प्रतिशत अनुदान तथा 25 प्रतिशत ऋण प्राप्त करते हैं। ग्राम उद्योगों के मामले में कच्ची सामग्री के लिए 4 प्रतिशत ब्याज दर पर कार्यकारी पूंजी ऋण प्रदान किए जाते हैं।

इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में "उद्योग, सेवा और व्यापार" उसका एक अंग है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्र पूंजीगत लागत की 50 प्रतिशत तक राजसहायता अर्थात् अधिकतम 5000/- रु० तक प्राप्त करने के पात्र है।

किन्तु, ग्रामीण अथवा आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु उद्योगों का कोई विशिष्ट आरक्षण नहीं हैं।

(ख) राज्य के उद्योग निदेशालय में वर्ष 1980, 1981 और 1982 के दौरान पंजीकृत लघु उद्योगों की प्रगति बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	निम्नलिखित तारीख को एन० आई० डी० ओ० एककों की इकट्ठी संख्या		
		31-12-1980	31-12-1981	31-12-1982 अनन्तिम
1.	आन्ध्र प्रदेश	22231	25047	33725
2.	असम	3677	4152	4228
3.	बिहार	20937	25046	29690
4.	गुजरात	27790	31676	35892
5.	हरियाणा	17685	23492	30755
6.	हिमाचल प्रदेश	5433	6087	5582*
7.	जम्मू और काश्मीर	5966	7824	9808
8.	कर्नाटक	17640	20174	23158
9.	केरल	16524	19418	21145
10.	मध्य प्रदेश	31302	39723	46000*
11.	महाराष्ट्र	35251	37250	32628*
12.	मणिपुर	3073	3422	3595
13.	मेघालय	327	393	308**
14.	नागालैंड	283	366	393**
15.	उड़ीसा	8036	9586	10761

*अनुमानित **राज्य उद्योग निदेशकों द्वारा संशोधित *** दिनांक 31-3-82 को

1	2	3	4	5
16.	पंजाब	33532	40735	50503
17.	राजस्थान	23930	30359	32872
18.	तमिलनाडु	30037**	36003*	39873
19.	त्रिपुरा	1126	1188	1241*
20.	उत्तर प्रदेश	33364	38853	49276
21.	पश्चिम बंगाल	100019	108135***	110613
22.	सिक्किम	25	36	42
23.	अंडमान और निकोबार	58	137	202
24.	अरूणाचल प्रदेश	168	189	210*
25.	चंडीगढ़	948	1090	1581
26.	दादर और नागर हवेली	114	132	122**
27.	दिल्ली	11006	12107	17081
28.	गोआ दमण और दीव	1409	1666	2619
29.	लक्षद्वीप	—	—	—
30.	मिजोरम	471	599	24
31.	पांडिचेरी	982	1150	065**
		453444	526035	595679

उत्तर प्रदेश के परिव्यय की तुलना में आवंटन

5334. **श्री जैनुल बशर** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 28 फरवरी, 1984 के नई दिल्ली से प्रकाशित "इंडियन एक्सप्रैस" में "मीगर एलोकेशन टू० हिट० यू० पी० हाइडाल प्रोजेक्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो योजना के लिए आवंटन करते समय उक्त लेख में उल्लिखित कठिनाइयों को ध्यान में रखा गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत परिव्यय की तुलना में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

*अनुमानित **राज्य उद्योग निदेशकों द्वारा संशोधित ***दिनांक 31.3.82 को

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य के 1665 करोड़ रु० के प्रस्ताव के मुकाबले योजना आयोग 1984-85 की वार्षिक योजना के लिए 1601 करोड़ रु० के परिव्यय के लिए सहमत हुआ है। क्षेत्रकीय ब्यौरे 1984-85 के वार्षिक योजना के दस्तावेज में दिए जाएंगे जिसे राज्य बजटों के प्रस्तुत होने के तत्काल बाद संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का निर्माण

5335. **श्री नवीन रावणी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति माह खाना पकाने की गैस के कितने सिलेंडरों का निर्माण होता है तथा 1982 और 1983 के वर्षों में इनका कितनी-कितनी संख्या में निर्माण हुआ;

(ख) देश में खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों की मासिक मांग कितनी है;

(ग) क्या मांग को पूरा करने के लिए खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का आयात किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार देश में खाना पकाने की गैस के सिलेंडर बनाने के और अधिक एकक लगाने पर विचार करेगी ताकि इनका आयात न करना पड़े; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) 1982 और 1983 में एल० पी० जी० सिलेन्डरों का वार्षिक उत्पादन जैसा कि बताया गया है, निम्न प्रकार हुआ है :—

1982	1983
14.66 लाख	19.33 लाख

(ख) तेल कम्पनियों ने प्रति वर्ष 50 लाख एल० पी० जी० सिलेन्डरों की मांग का अनुमान लगाया है।

(ग) तथा (घ) 1983 में 12.81 करोड़ रुपये मूल्य के 8 लाख सिलेन्डरों का आयात करने की अनुमति दी गई है और इसकी खेप जुलाई, 1984 से पहुंचनी शुरू हो जाएगी।

(ङ) तथा (च) देश में पहले ही अधिष्ठापित की गई क्षमता और अब अधिष्ठापित की जा रही है अतिरिक्त क्षमता से भविष्य में एल० पी० जी० सिलेन्डरों की मांग के स्वदेशी स्रोतों से ही पूरा होने की सम्भावना है।

गोआ में इस्पात संयंत्र लगाना

5336. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में लौह अयस्क की उपलब्धता और प्रमुख बंदरगाह के सामीप्य को देखते हुए वहां एक इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किए गए वायदों को देखते हुए इस समय गोआ में इस्पात कारखाना लगाने के प्रस्ताव पर विचार करना संभव नहीं है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा "मिक्स कोक" की बिक्री

5337. **श्री सत्य नारायण जटिया :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र ने "मिक्स कोक" की बिक्री में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के निर्देशों का पालन किया है;

(ख) "मिक्स कोक" कितनी मात्रा में बेचा गया तथा यह किसने खरीदा और यह किस कीमत पर बेचा गया;

(ग) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ने "मिक्स कोक" की बिक्री किस दर पर की;

(घ) क्या "मिक्स कोक" का बिक्री मूल्य 1981-82 वर्ष के मूल्य से कम है, यदि हां; तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित मूल्यों में अंतर के परिणामस्वरूप बोकारो इस्पात संयंत्र के "मिक्स कोक" की कुल कितने मूल्य की बिक्री कम हुए तथा इस हानि के लिए जिम्मेदार लोगों का ब्यौरा क्या है और इस हानि को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मिश्रित कोक की बिक्री के बारे में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने अपने कारखानों को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। प्रत्येक कारखाना मिश्रित कोयले की बिक्री से सम्बन्धित नीति तथा प्रणाली तैयार करने के लिए सक्षम है ।

(ख), (घ) और (ङ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा टेंडरों से बेचे गए मिश्रित कोक के भाव नीचे दिए गए हैं :—

19-3-1981 से लेकर	312.00 रुपए प्रति मीट्रिक टन सड़क से 322.00 रुपए मीट्रिक टन रेल से
17-3-82 से लेकर	312 रुपए प्रति मीट्रिक टन रेल तथा सड़क से
22-7-82 से लेकर	359.00 रुपए प्रति मीट्रिक टन सड़क तथा रेल से
9-9-82 से लेकर	312.00 रुपए प्रति मीट्रिक टन सड़क तथा रेल से
4-11-82 से लेकर	205 51 रुपए प्रति मीट्रिक टन सड़क तथा रेल से
21-11-83 से लेकर	444.00 रुपए प्रति मीट्रिक टन सड़क से 400 00 रुपए प्रति मीट्रिक टन रेल से

गौतमपुरी, दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में कारखाने

5338. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौतमपुरी, डाकखाना, मौजपुर, दिल्ली का क्षेत्र रिहायशी स्थान है अथवा औद्योगिक क्षेत्र है:

(ख) क्या यह सच है कि रिहायशी क्षेत्र में कारखाने बन रहे हैं और उस क्षेत्र में प्रदूषण के कारण वहां रहने वाले लोगों को असुविधा हो रही है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका का पुनर्गठन

5339. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका को किस वर्ष भंग किया गया था और उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या परम्परा के अनुसार जनता के लोगों को इस सिविल निकाय में शामिल कर इसका पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या इस सिविल निकाय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले महानगर परिषद् के सदस्यों को नई दिल्ली नगरपालिका में नामजद करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) उपराज्यपाल द्वारा नई दिल्ली नगर पालिका का पिछली बार भंग फरवरी 1980 में किया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि यह कानून के तहत इसे सौंपे गए कार्यों को करने में अक्षम रही है और उसने सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में लगातार त्रुटियां की हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है जिसके परिणामस्वरूप कई अवसरों पर म्यूनिसिपल के धन की बरबादी हुई है।

(ख) और (ग) सरकार ने नई दिल्ली नगर पालिका का फिर से गठन करने का अभी कोई निर्णय नहीं किया है और न ही नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले महानगर पार्षदों को नई दिल्ली नगरपालिका का सदस्य नामजद करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

जनजाति क्षेत्रों का पता लगाना

5340. **श्री भीखा भाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अत्यधिक पिछड़े जनजाति क्षेत्रों और जनजाति समुदायों का पता लगाने का कभी प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के जनजाति क्षेत्रों जनजाति समुदायों के क्या नाम हैं; और

(ग) उनकी परेशानियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले 72 जनजाति समुदायों का आदिम जनजाति के रूप में पता लगाया गया है। राज्यवार पता लगाये गए आदिम जनजातियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) उनकी परेशानियों और कठिनाइयों को दूर करने के लिए, प्रत्येक ग्रुप के लिए, उनकी आर्थिक प्रणाली को देखते हुए, एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

विवरण

	पता लगाए गए आदिम जनजातियों की सूची
1. आन्ध्र प्रदेश	1. बोंडो-गडाबा, 2. बोंडो-पोरोजा, 3. चनचू, 4. डूगरिया खोंड, 5. गुटोव-मडावा, 6. खोंड पोरोजा, 7. कोलम, 8. कोंडा रेड्डी, 9. कोंडा सवारास, 10. कुट्टा खोंड, 11. परेंगी पोराजा, 12. घीटी

2. बिहार	13. असुर, 14. बिरहोर, 15. बिरजिया, 16. हिल कड़िया, 17. कोरबास, 18. मालपहाड़िया, 19 पडहैयास, 20. सौरिया पहाड़िया, 21. सबार
3. गुजरात	22. कथौड़ी, 23. कटिवालिया, 24. पड़हार, 25. सोंदी, 26. कोलघास
4. कर्नाटक	27. जेनू कुरूबा, 28. कोरगा,
5. केरल	29. चोलानायकयन् (कट्टानायकन की एक शाखा) 30. कडार, 31. कट्टनायकन, 32 कुरूम्बास
6. मध्य प्रदेश	33. अभुज भांडिया, 34. बैगास, 35 भारियास, 36. हिल्ल कोरबा, 37. कमार, 38. सहरिया
7. महाराष्ट्र	39. कटकडिया (कठोडिया), 40. कोलम, 41. माडियागौंड
8. मणिपुर	42. भारमनागा,
9. उड़ीसा	43. बिरहोर, 44. बोडो, 45. डिड़ायी 46 डोगरिया खोंड, 47. जोग, 48. खडिया, 49. कुटिया खोंड, 50. लंजिया सौरा, 51. लौधास, 52. मंकीडियास, 53. पोदी-भुंयान, 54 सौरा
10. राजस्थान	55. सहरिया
11. तमिलनाडु	56. कट्टूनायकन, 57. कोटास, 58. कुरूम्बास, 59. इरूला, 60. यनियान, 61. टोडास
12. त्रिपुरा	62. रिंगस
13. उत्तर प्रदेश	63. बुक्सा, 64. राजी
14. पश्चिम बंगाल	65. बिरहोर, 66. लोधा, 67. टोटो
15. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	68. ग्रेट अण्डमानी, 69. जुखा, 70. ओंग 71. सैंनतेनलीज, 72. शोंपन ।

उड़ीसा में जनजाति क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

5341. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और अन्य राज्यों में जनजाति क्षेत्रों में कर्मचारियों को प्रतिकर भत्तें का भुगतान करने हेतु आवंटित पूरी राशि खर्च हो गई है;

(ख) यदि हां, तो अगले आबंटन के कब तक किए जाने की आशा है; और

(ग) क्या आठवें वित्त आयोग ने इस सम्बन्ध में कोई सिफारिशें की हैं, यदि हां तो उन्होंने प्रचुर जनजाति आबादी वाले विभिन्न राज्यों के लिए कितना आवंटन किये जाने का सुझाव दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सातवें वित्त आयोग द्वारा जनजाति क्षेत्रों में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ते का भुगतान करने के लिए 11 राज्यों को आवंटित 2352 लाख रुपए की राशि में से उड़ीसा और अन्य 10 राज्यों को अभी तक 2135.50 लाख रुपए दिए गए हैं। शेष 216.50 लाख रुपए की धनराशि असम और बिहार राज्यों को नहीं दी जा सकी क्योंकि वहां से उपयोग रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी।

(ख) और (ग) आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों की अभी प्रतीक्षा है।

पेंशन भोगियों के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना

5342. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेंशन भोगियों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : संविधान के अनुच्छेद 323-क के अधीन जिस प्रशासनिक न्यायाधिकरण को गठित करने का प्रस्ताव है वह सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी उन मामलों पर कार्यवाई करेगा, जो कि संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयक में शामिल किए गए हैं। यह भी प्रस्ताव है कि यह न्यायाधिकरण सिविल पेंशन से सम्बन्धित नियमों की वैधता, उनका निर्वचन और/अथवा उनको लागू करने सम्बन्धी मामलों के बारे में सेवानिवृत्त हो रहे या सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों से व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर भी कार्यवाई करेगा। इस सम्बन्ध में विधेयक के मसौदे को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

छः महीनों के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की घटनाएं

5343. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सारे देश में पिछले छः महीनों के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचार की राज्य-वार कितनी घटनाएं हुई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

———

1 जुलाई, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों की घटनाओं की संख्या का विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के मामलों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	80
2.	बिहार	615
3.	गुजरात	250
4.	हरियाणा	57
5.	हिमाचल प्रदेश	24
6.	जम्मू तथा कश्मीर	18
7.	कर्नाटक	93
8.	केरल	58
9.	मध्य प्रदेश	2852
10.	महाराष्ट्र	327
11.	उड़ीसा	81
12.	पंजाब	23
13.	राजस्थान	845
14.	तमिलनाडु	140
15.	उत्तर प्रदेश	1885
16.	पश्चिम बंगाल	10

टिप्पणी :—1. अन्य राज्यों के बारे में सूचना "शून्य" है।

2. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बारे में सूचना नवम्बर, 1983 तक की है, जबकि बिहार और केरल के बारे में अक्तूबर, 1983 तक की है।

स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े राज्यों के विधेयक

5344. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**

श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा पारित कितने विधेयक अभी भी राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़े हैं तथा वे विधेयक किस प्रकार के हैं;

(ख) विधेयक-वार लम्बित पड़े रहने की अवधि क्या है; और

(ग) उन विधेयकों को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) 26 मार्च, 1984 को राष्ट्रपति के विचारार्थ 41 विधेयक लम्बित थे। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8049/84]

पक्षियों और पशुओं की नस्ल की समाप्ति

5345. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षियों और पशुओं की उन नस्लों के बारे में जो समाप्त हो गई हैं और जो समाप्त होने को हैं; कोई अध्ययन किया गया है।

(ख) यदि हां, तो उनके समाप्त होने के विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) इस प्रकार उनकी समाप्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या मानव द्वारा प्रकृति के दुरुपयोग के कारण पक्षियों और पशुओं की कुछ नस्लें समाप्त हो रही हैं ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वन्य पशुओं तथा पक्षियों की 122 जातियों तथा उप-जातियों को वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इनमें से चीता, पहाड़ी बटेर, जरडन्स नुकरी, गुलाबी सिर वाला बत्तख जंगली चित्तीदार खूसट विलुप्त हुए सूचित किए गए हैं। शेष दुर्लभ तथा संकटापन्न हैं।

(ख) से (घ) इन जातियों की संख्या में कमी तथा विलुप्ति का मुख्य कारण बास-स्थल की क्षति है। वन्य प्राणी बास-स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों जैसे सुरक्षित क्षेत्रों के रूप में सक्षम घोषित करने के लिए कदम उठाए गए है तथा उठाए जा रहे हैं। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए हाल के वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वन्य प्राणी संरक्षण के लिए हाल के वर्षों में किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है :—

1. वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 जो अब सम्पूर्ण देश में लागू है भारत के वन्य जीवों का शिकार करने तथा उनका व्यापार करने की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम अब जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर जिसका केन्द्रीय अधिनियम पर आधारित जम्मू तथा काश्मीर वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1978 नामक अपना अधिनियम है अब देश भर में लागू है।

2. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में व्यवस्था है कि बिना केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से वन भूमि की सुरक्षा करते हुए जो वन्य प्राणियों का प्राकृतिक आवास है, जो गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ।

3. देश भर में 47 राष्ट्रीय उद्यानों तथा 210 अभ्यारण्यों के एक तन्त्र (नेट-वर्क) की स्थापना की गई है जिसके अन्तर्गत 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है ।

4. हाल ही में एक राष्ट्रीय वन्य प्राणी कार्यवाही योजना को अपनाया गया है। इसमें वन्य प्राणी जातियों के संरक्षण और उनके वास-स्थलों तथा स्वैच्छिक संगठनों के साथ जन सहयोग प्राप्त करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की व्यवस्था है ।

5. वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जन जागरुकता पैदा करने तथा जन सहयोग प्राप्त करने के लिए भारतीय वन्य बोर्ड द्वारा गठित किए गए कृतिक बल द्वारा विशिष्ट उपायों की सिफारिश की गई है जिनपर संबंधित विभागों तथा अभिकरणों के सहयोग से आगामी कार्यवाही शुरू की जा रही है ।

6. पांचवीं पंच-वर्षीय योजना (1974-79) में वन्य प्राणी संरक्षण से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्तीय परिव्यय 664.00 लाख रुपये से बढ़ाकर छठी पंच-वर्षीय योजना (1980-85) में । 1,244.00 लाख रुपये बढ़ाए गए हैं ।

7. कुछेक संकटापन्न जातियों के लिए विशेष स्तर के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं तथा विशेषरूप से उनकी उत्तरजीविता तथा विकास को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण उपाय किए जा रहे हैं । प्राणि उद्यान तथा संकटापन्न जातियों के लिए बंधी प्रजनन किए जाने पर बल दिया जा रहा है ।

8. बाघ परियोजना जिसके अन्तर्गत 10 राज्यों में 11 बाघ रिजर्व थे, को और बढ़ा दिया गया है जिसके अन्तर्गत 4 अतिरिक्त रिजर्व सहित 15 रिजर्व आते हैं ।

9. वन्य प्राणी तथा इसके उत्पादों के आयात-निर्यात नीति को और अधिक कठोर बनाया गया है ।

10 राज्य सरकारों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे वन्य प्राणी संरक्ष विशेष-रूप से वन्य प्राणी खण्डों, वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को सुदृढ़ करने तथा वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जन सहायता तथा सहयोग प्राप्त करें ।

1984-85 में रंगीन टेलीविजन सैटों के लिए निर्धारित लक्ष्य

5346. **श्री विरदा राम फुलवरिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रंगीन प्रसारण शुरु होने के बाद फरवरी, 1983-84 तक कितने रंगीन टेलीवीजन सेटों का निर्माण किया गया;

(ख) रंगीन टेलीविजन सेटों के मूल्य कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) 1984-85 में रंगीन टेलीवीजन सेटों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (डॉ० एस० **एस० संजीवी राव**) : (क) देश में रंगीन दूरदर्शन का निर्माण अभी शुरू होने ही जा रहा है । अतः यह बताना संभव नहीं है कि फरवरी, 1984 तक कितने रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण हुआ ।

(ख) 18 अगस्त 1983 को संसद में घोषित "इलेक्ट्रॉनिकी के द्रुत विकास में तेजी लाने के संबंध में किए गए उपायों" के आर्थिक अंश का उद्देश्य मूलतः देश में विनिर्मित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के मुख्य में कमी करना था । अतः इसमें दूरदर्शन रिसीवरों से संबधित अन्य तत्वों को शामिल किया गया था; उदाहरण के तौर पर रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों, एकीकृत परिपथों, प्रतिरोधकों (रेजिस्टरों), संधारित्रों (केपेसिटरों) आदि जैसे आयातित संघटक-पुर्जों पर लगने वाले सीमा शुल्क को 158 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया है; रंगीन दूरदर्शन सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत उपस्करों पर लगने वाले सीमा-शुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है तथा रंगीन दूरदर्शन पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क को 51 से. मी. के आकार के पर्दे वाले सेटों पर 25 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। संघटक-पुर्जों की थोक खरीद से, खासकर इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिक विकास निगम (ई. टी. टी. डी. सी.) द्वारा रंगीन दूरदर्शन ट्यूबों की खरीद से लागत में भी लाभ होने की संभावना है। जैसे-जैसे अधिकाधिक विनिर्माता थोक उत्पादन करना तथा बड़े पैमाने पर विपणन का काम शुरू करेंगे वैसे-वैसे रंगीन दूरदर्शन सेटों की कीमतों में आगे गिरावट आएगी ।

(ग) तथा (घ) सरकार ने कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है किन्तु यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1984-85 में रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग बढ़कर लगभग 2 लाख सेट हो जाएगी। यह मांग किस सीमा तक बन पाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें वास्तविक रूप से उत्पादन करने वाले विनिर्माताओं की संख्या कितनी है; रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों की उपलब्धता की स्थिति क्या है तथा विनिर्माताओं ने किस पैमाने पर और कितने प्रभावी रूप से विपणन तथा बिक्री उपरान्त सेवा सुदृढ़ करते है, वर्ष 1984 के दौरान दूरदर्शन की विशेष विस्तार योजना के अन्तर्गत कितने अतिरिक्त क्षेत्र को और किस गति से दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत लाया जाता है आदि ।

महाराष्ट्र में ढलवां की छड़ो के निर्माण की एक परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव

5347. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक और निवेश निगम ने निरंतर ढलवां तांबे की छड़ों के निर्माण की एक परियोजना स्थापित करने के लिए आशयपत्र हेतु एक प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड महाराष्ट्र के बजाय मध्य प्रदेश में इस प्रकार का एकक स्थापित करने पर विचार कर रहा है जिससे बम्बई बन्दरगाह से मध्य प्रदेश तक "कैथोड" के लाने ले जाने के अतिरिक्त परिवहन लागत के कारण मूल्य ढांचे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस मामले में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) महाराष्ट्र के राज्य औद्योगिक और निवेश निगम के आवेदन पत्र पर विचार किया गया तथा इसे अस्वीकृत कर दिया गया था ।

(ख) से (घ) खान विभाग के अधीन सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लि० का. अनंत लम्बे कास्ट कापर बायर राड के निर्माण हेतु आशय पत्र जारी करने के पूर्व प्रस्ताव का लाइसेंस-कमेटी ने अनुमोदन कर दिया है । हिन्दुस्तान कापर लि० ने जर्मनी के मै० स्टोलवर्ग को प्रस्तावित परियोजना की साध्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु लगाया है, जो संयंत्र स्थल के लिए विभिन्न वैकल्पिक स्थानों पर भी राय देंगे । प्रौद्यो-आर्थिक विचारों के आधार पर कालांतर में एक समुचित स्थान का चयन किया जाएगा । इस परियोजना के सातवीं योजना अवधि में चालू हो जाने की आशा है ।

राजस्थान में ग्रेनायट पत्थर की रायल्टी दर में वृद्धि

5348. **श्री विरदा राम फुलवरिया** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के जालौर जिले में खानों से निकाले जा रहे ग्रेनायट पत्थर पर रायल्टी की दर इस बीच बढ़ा दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि छोटे स्तर पर ग्रेनायट उद्योग में लगे व्यक्तियों को रायल्टी की दर में वृद्धि के कारण काफी वित्तीय हानि होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या रायल्टी दर में कमी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां । राजस्थान सरकार की सूचना के अनुसार ग्रेनाइट की रायल्टी की दरें 19 नवम्बर, 1983 से

27.50 रु० प्रति टन से बढ़ाकर 60.00 रु० प्रति टन कर दी गयी थी, और राज्य सरकार की ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

1983 में सोने का उत्पादन

5349. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न सोना खानों में 1983 में सोने का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) अन्य कौन सी सोना खानों में 1984 में सोने का उत्पादन होने की आशा है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारत गोल्डन माइन्स लि० (केन्द्र सरकार का उपक्रम) और हट्टी गोल्डन माइन्स लि० (कर्नाटक सरकार उपक्रम) देश की दो सोना उत्पादक कम्पनियां हैं। इसके अलावा केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रम हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा अपने घाटसिला संयंत्र में उपोत्पाद के रूप में सोना पैदा किया जाता है। कलेंडर वर्ष 1983 में इन तीनों कम्पनियों ने 2163 किलो सोना पैदा किया।

(ख) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में येप्पामाना (रामगिरि) प्रोजेक्ट में 1984-85 में स्वर्ण उत्पादन शुरू हो जाएगा।

(ग) येप्पामाना खान से 1984-85 में 161 किलो स्वर्ण और उसके बाद हर साल 287 किलो स्वर्ण उत्पादन की आशा है।

उड़ीसा में 20-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

5350. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कार्यान्वित किए जा रहे 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो मयूरभंज जिले में 1983-84 में 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों में क्या प्रगति हुई है और क्या उपलब्धि प्राप्त हुई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा समीक्षा की गई है।

(ख) और (ग) अप्रैल-अक्तूबर, 1983 की अवधि के लिए उड़ीसा के मयूरभंज जिले में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की उपलब्धियां दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1983-84 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति

सूत्र सं०	यूनिट	लक्ष्य	उपलब्धि (अप्रैल-अक्तूबर)
1.	2.	3.	4.
1. (क) सिंचाई क्षमता (एम० और एम०)	000 हेक्टेयर	4.00	2.60
(ख) लघु सिंचाई	000 हेक्टेयर	शून्य	1.46
2. उत्पादन			
(क) दालों का	'000 टन	27.4	20.85
(ख) तिलहनों का	'000 टन	14.2	8.62
3. (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संख्या	परिवारों	15600	12972
(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	000 श्रम दिवस	1540	572.8
4. वेशी भूमि	एकड़	145	36
5. न्यूनतम मजदूरी	निरीक्षण किए	792	593
6. बंधुआ मजदूरी	संख्या	500	139
7. (क) अनुसूचित जाति परिवार	संख्या	4557	1091
(ख) अनुसूचित जनजाति परिवार	संख्या	20813	5968
8. पेय जल	गाँवों की संख्या	258	53
9. (क) आवास-स्थान	संख्या	600	231
(ख) निर्माण सहायता	संख्या	133	28
10. (ख) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास	संख्या	20	10
11. (क) बिजली लगाए गए गांव	संख्या	98	27
(ख) बिजली चलित किए गए पम्पसेट	संख्या	550	47

1	2	3	4
12. (क) लगाए गए पेड़	संख्या (लाख में)	63.59	17.09
12. (ख) बायो-गैस संयंत्र	संख्या	250	45
13. परिवार नियोजन नसबंदियां	संख्या	15280	7445
14. (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	1	1
(ख) उप केन्द्र	संख्या	41	शून्य
16 (क) प्राथमिक शिक्षा	'000 संख्या	232	202
(ख) प्रौढ़ साक्षरता	'000 संख्या	13.05	11.25
17. उचित दर दुकानें	संख्या	11	3
19. ग्राम और लघु उद्योग इकाइयां	संख्या	4255	2277

हिन्दुस्तान मशीन टूसल द्वारा कलाई घड़ियों का उत्पादन :

5351. **श्री बिरदा राम फुलवरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा कितनी कलाई घड़ियों का वार्षिक उत्पादन किया जाता है;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान घड़ियों से कितनी आय हुई; और

(ग) देश में कितने उद्योग कलाई घड़ियों के उत्पादन में लगे है और इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) एच० एम० टी० ने 1982-83 में 42.30 लाख कलाई घड़ियों का उत्पादन किया ।

(ख) 1983-84 में एच० एम० टी द्वारा बनाई गई घड़ियों की बिक्री का अनुमानित मूल्य 106.24 करोड़ रुपये हैं ।

(ग) देश में संगठित क्षेत्र में घड़ी बनाने वाले 11 एकक और लघु क्षेत्र में घड़ी बनाने वाले 79 एकक हैं । इन एककों में एच० एम० टी० लि० द्वारा विकसित 12 कैपटिव असेम्बली एकक सम्मिलत नहीं हैं ।

विभागीय पदोन्नित समिति के निर्णय की पुनरीक्षा

5352. **श्री अनवार अहमद** : क्या गृह मंत्री विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा चयन पदों की चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित वर्गीकरण श्रेणियों के बारे में 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1664 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन तकनीकी त्रुटियों के आधार पर किसी विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय की पुनरीक्षा की जा सकती है और उस निर्णय को रद्द किया जा सकता है;

(ख) क्या विभागीय पदोन्नति समिति "अत्युत्तम" (वेरी गुड) और "उत्कृष्ट" (एक्सीलेंट) के बीच के ग्रेड की कोई नई श्रेणी बना सकती है;

(ग) यदि विभागीय पदोन्नति समिति "उत्कृष्ट" अथवा "विशिष्ट" के बीच "अत्युत्म" और "उत्कृष्ट" जैसी कोई नई श्रेणी बना देती है तो क्या उस मामले में इस प्रकार की किसी विभागीय पदोन्नति समिति के निर्णय की पुनरीक्षा की जा सकती है और किसी तकनीकी त्रुटि के आधार पर उसे रद्द किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) एतद् विषयक अनुदेशों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति सिफारिश करने वाली एक संस्था होती है और उसके द्वारा की गई सिफारिशें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के अध्यधीन होती हैं। उन परिस्थितियों को बता पाना संभव नहीं है, जिनके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों से सहमत न होना आवश्यक समझें।

(ख) तथा (ग) विभागीय पदोन्नति समिति क्रम-निर्धारण की कोई नई श्रेणी नहीं बना सकती। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार अधिकारियों को उत्कृष्ट, बहुत अच्छे और अच्छे के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाना होता है जो कि अधिकारियों के अपने-अपने सेवा रिकार्डों द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाता है। जिन-जिन परिस्थितियों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नत समिति की सिफारिशें रद्द कर सकता है, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करते हुए उन परिस्थितियों के मामले में निर्णय लेना उक्त प्राधिकारी का काम है।

(घ) जहां नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं होता हो वहां उक्त नियुक्ति प्राधिकारी को असहमति के कारणों का उल्लेख करना चाहिए और संपूर्ण मामले को विभागीय पपदोन्नति समिति को भेजना चाहिए जिससे कि समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिशों पर पुनर्विचार कर सकें। यदि विभागीय पदोन्नति समिति अपनी पूर्ववर्ती सिफारिशों के समर्थन में कारण बताते हुए उन्हें ही दुहराए तो नियुक्ति प्राधिकारी उन सिफारिशों को स्वीकार कर लेगा बशर्ते कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए कारण विश्वसनीय हों, लेकिन यदि उक्त प्राधिकारी विभागीय शदोन्नति समिति की सिफारिश स्कीणार न करे तो वह अपनी सिफारिशों सहित उक्त मामला अगले उच्चतर प्राधिकारी के समक्ष रख सकता है। ऐसे मामलों में अगले उच्चतर प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाना चाहिए।

(ङ)भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रंगीन टेलीविजन ट्यूब्स का निर्माण

5353**श्री हरिहर सोरन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रोनिक्स विभाग को 1983-84 के दौरान रंगीन टेलीविजन ट्यूब्स के निर्माण के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) रंगीन टेलीविजन ट्यूब्स के निर्माण हेतु कितने आवेदकों को इलेक्ट्रोनिक्स विभाग ने अब तक स्वीकृति दे दी;

(ग) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के उक्त आवेदकों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने उक्त वर्ष में रंगीन टेलीविजन ट्यूबों के निर्माण हेतु लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया है; और

(क) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डॉ० एम० एस० संजीवी राव : (क) रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने के उद्देश्य से औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग को वर्ष 1983-84 में6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए अब तक तीन आशय-पत्र जारी कि गए हैं ।

(ग) तथा(घ) वर्ष 1983-84 में रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण करने के लिए जिन आवेदकों ने आवेदन पत्र दिए थे उनके नाम, औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय में उनके आवेदन पत्र के पंजीकरण की तारीख, प्रस्तावित वार्षिक क्षमता, प्रस्तावित स्थापना स्थल और सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :—

क्रम सं०	आवेदक का नाम	औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय के पंजीकरण की तारीख	वार्षिक क्षमता	प्रस्तावित स्थापना-स्थल	सरकार का निर्णय
1	2	3	4	5	6
	सरकारी/राज्य क्षेत्र				
1.	मैसर्स जम्मू और कश्मीर राज्य औद्योगिक विकास निगम (एस० आई० डी० सी०) लिमिटेड	4.6.83	4,00,000 संख्या	जिला बडगाम जम्मू व कश्मीर	अस्वीकृत

1	2	3	4	5	6
2.	मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाड	1.11.83	10,00,000	जिला पाडुकोटलोई तमिलनाडु	अस्वीकृत
	निजी क्षेत्र				
1.	श्री राजकुमार अग्रवाल	3.9.83	5,00,000	जिला साजपुर मध्य प्रदेश	अस्वीकृत
2.	मेसर्स लासरेगैस वीडियो फिल्म्स	21.9.83	20,00	जिला रिवाड़ी हरियाणा	अस्वीकृत
3.	मेसर्स एसकोर्ट्स लिमिटेड (एम० आर० टी० पी० कंपनी)	23.11.83	5,00,000	फरीदाबाद हरियाणा	अस्वीकृत
4.	मेसर्स सैमटेल (इंडिया) लिमिटेड	21.2.84	7,00,000	जिला अलवर राजस्थान	विचाराधीन

इस्पात का आयात

5354. **श्री हरिहर सोरन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास मध्यम (माइल्ड) इस्पात छड़ों, राड्स, स्क्वायर्स, जे० वी० इस्पात, टिन प्लेटों और जंगले का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा 1984-85 के विभिन्न वर्ष के दौरान उपरोक्त प्रस्तावित प्रत्येक मद का कितनी मात्रा में आयात किया जाएगा; और

(ग) किस वर्ष तक भारतीय इस्पात प्राधिकरण के इन मदों के बारे में आत्मनिर्भर होने और आयात के बन्द करने की संभावना है ?

कर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात के आयात की योजना पर विचार किया जा रहा है और वर्ष 1984-85 की आयात नीति की घोषणा होने के बाद ही इस पर निर्णय लेने की सम्भावना है।

(ग) उत्पादन की सुविधाओं का विस्तार करके तथा प्रॉडक्ट- मिक्स में विविधता लाकर उत्पादन को मांग के अधिक अनुरूप करके आत्म-निर्भरता की दिशा में उत्तरोत्तर प्रगति की जा रही है। आशा है कि अगले कुछ वर्षों में आयात विशिष्ट प्रकार के इस्पात की, जिसे मांग की कम मात्रा को देखते हुए तैयार करना मितव्ययी नहीं होगा, थोड़ी मात्रा तक ही सीमित रहेगा।

मारुति कारों का उत्पादन

5355. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अब तक कितनी मारुति कारें दी गई है;

(ख) मद्रास में कितनी कारें दी गई हैं;

(ग) अब तक कुल कितनी कारों का निर्माण हुआ है और कितनी दे दी गई हैं;

(घ) अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए कितनी कारें बिना बारी के दी गई हैं; और

(ङ) कितनी कारें संसद सदस्यों को दी गई हैं तथा जिन सदस्यों को दी गई हैं, उनके नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) 29-2-1984 तक दिल्ली में 328 कारें दी गई थीं।

(ख) मार्च, 1984 के अन्त तक मद्रास में कारों की डिलीवरी शुरू करने का कार्यक्रम है।

(ग) 29-2-1984 तक बिक्री के लिए 496 कारें दी गई थीं।

(घ) 29-2-1984 तक निर्माताओं के स्वैच्छिक कोटे में से 20 कारें दी गई थीं।

(ङ) मारुति उद्योग लिमिटेड तथा इसके ग्राहकों के बीच लेन-देन के ब्यौरे का बताया जाना एक उचित वाणिज्यिक प्रथा नहीं होगी।

अन्तर्जातीय विवाह

5356. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सवर्ण पिता यदि किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला से विवाह करता है तो इनसे उत्पन्न होने वाली संतान अनुसूचित जाति/जनजाति की संतसि होगी या स्वर्ण समुदाय की;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को स्पष्टीकरण भेजा है;

(ग) यदि कोई अनुसूचित जनजाति का पिता सवर्ण महिला से शादी करे तो उससे उत्पन्न संतान अनुसूचित जाति/जनजाति की होंगी या सवर्ण;

(घ) क्या पिछड़ी जाति का पिता यदि उच्च जाति की महिला से शादी करे तो उससे उत्पन्न संतान को पिछड़ी जाति की माना जाएगा या ऊंची जाति की;

(ङ) क्या उच्च जाति का पिता यदि पिछड़ी जाति की महिला से शादी करे तो उससे उत्पन्न संतान को उच्च जाति की माना जाएगा या पिछड़ी जाति की; और

(च) सरकार ने अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने तथा सवर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ग) कानूनी स्थिति यह है कि जहां बच्चे का पालन-पोषण, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि पिता अथवा माता अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य है, अनुसूचित जाति समुदाय में ऐसे समुदाय के एक सदस्य के रूप में होता है, तो उसे (स्त्री/पुरुष) अनुसूचित जाति समुदाय का सदस्य माना जाता है। जहां तक अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी सदस्य और बाहर के किसी व्यक्ति के बीच विवाह से उत्पन्न बच्चों के बारे में समाज की मान्यता तथा स्वीकृति, जो इस बात पर विचार किए बिना कि अनुसूचित जाति मातृक है अथवा पैतृक हैं, मुख्य निर्णायक तत्व है। अंतिम निष्कर्ष इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या बच्चे को अनुसूचित जन-जाति का सदस्य स्वीकार कर लिया गया अथवा नहीं।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा पिछड़े वर्गों की सूची राज्य सरकारों द्वारा रखी जाती है, जो अलग-अलग राज्य की अलग-अलग है।

(च) राज्य सरकारों ने अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देने और सवर्ण व्यवस्था को समाप्त करने के लिए नकद पुरस्कार, पदक आदि जैसे कुछ लाभ दिए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की हत्या के मामले

5357. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1983 से 10 मार्च, 1984 की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं की हत्या के राज्यवार कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य वार अपहरण के कितने मामले दर्ज किए गए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

(ख) यह सूचना नहीं रखा जाती है।

———

विवरण

1 जनवरी, 1983 से 29 फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान महिलाओं सहित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की हत्याओं के मामलों की संख्या

क्रम सं०	राज्य का नाम	अनुसूचित जाति के सदस्यों की हत्या के मामले		अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की हत्या के मामले	
		1983	1984 (29-2-84 तक)	1983	1984 (29-2-84 तक)
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	उ० न०	शून्य	उ० न०
2.	बिहार	59	उ० न०	06	उ० न०
3.	गुजरात	20	01 (फरवरी)	07	01 (फरवरी)
4.	हरियाणा	01	शून्य (फरवरी)	शून्य	शून्य (फरवरी)
5.	हिमाचल प्रदेश	02	शून्य (जन०)	शून्य	शून्य (जन०)
6.	जम्मू तथा कश्मीर	01	उ० न०	शून्य	उ० न०
7.	कर्नाटक	15	उ० न०	02	उ० न०
8.	केरल	06	उ० न०	शून्य	उ० न०
9.	मध्य प्रदेश	108	उ० न०	116	उ० न०
10.	महाराष्ट्र	17	उ० न०	13	उ० न०
11.	उड़ीसा	09	शून्य (जन०)	01	शून्य (जन०)
12.	पंजाब	08	उ० न०	शून्य	उ० न०
13.	राजस्थान	35	शून्य (फर०)	09	04 (फर०)
14.	तमिलनाडु	13	उ० न०	शून्य	उ० न०
15.	उत्तर प्रदेश	202	15 (जन०)	शून्य	शून्य (जन०)
16.	पश्चिम बंगाल	04	उ० न०	शून्य	उ० न०

टिप्पणी :—1. अन्य राज्यों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है ।

2. 1983 के लिये बिहार और केरल के सम्बन्ध में सूचना अक्तूबर तक और तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में सूचना नवम्बर तक है ।

3. उ० न०—उपलब्ध नहीं ।

4. कोष्ठक में दिखाए गए महीने यह बताते हैं कि वर्ष 1984 के लिए किस अवधि तक सूचना प्राप्त हुई है ।

इन्जीनियरी और डाक्टरी परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्नातकों को विदेश भेजने की योजना

5358. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध उन छात्रों को विदेश भेजने की कोई योजना तैयार की है, जिन्होंने प्रथम श्रेणी (आनर्स) में इंजीनियरी और डाक्टरी परीक्षाएं पास की हों :

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1980 से 1983-84 तक की अवधि के दौरान उच्च अध्ययन के लिए विदेशों को कितने छात्र भेजे गए; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) राष्ट्रीय समुद्रपार छात्रवृत्ति स्कीम के अधीन छात्रों को विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए भेजा जाता है। इस स्कीम के अधीन मेडीकल छात्रों को नहीं भेजा जा रहा है क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालयों की मेडीकल डिग्रियों की मान्यता, विदेशी विश्वविद्यालयों ने 1978 से समाप्त कर दी है। 1980 से 1983 की अवधि के दौरान 20 इन्जीनियरी छात्रों को उच्चतर अध्ययन के लिए विदेशों में भेजा गया है।

स्टेनलेस स्टील से सम्बन्धित आयात नीति का पुनरीक्षण

5359. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयंत्रों में स्टेनलेस-स्टील उत्पादन के बारे में आयात नीति का पुनरीक्षण करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में सुधार करने और इससे बढ़ावा देने के लिए इस सम्बन्ध में हितकारी समझे गए आधुनिकीकरण के पहलू तथा अन्य घटकों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार बेदाग इस्पात की आयात नीति का पुनरीक्षण नहीं कर रही है, परन्तु मिश्र इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है) के सर्फिस्टिकेटेडों ग्रेडों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(1) दुर्गापुर के मिश्र इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण/विस्तार कार्यक्रम।

(2) विद्युत चाप भट्टियों को मिश्र इस्पात (बेदाग इस्पात भी शामिल है) का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है।

(3) ठंडी बेलित चादरों, पत्तियों तथा क्वालयों की वर्तमान लाइसेंसीकृत इकाइयों को कार्बन तथा मिश्र इस्पात (बेदाग इस्पात की चादरें, पत्तियों तथा क्वायल भी शामिल हैं) का उत्पादन करने की भी अनुमति दी गई है।

"शिकार" करने के संदेह में किसानों को बंदी बनाना

5360. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और नए वन्य अधिनियम के अंतर्गत वन अधिकारियों को, ये अधिकार दिए गए है कि वे किसानों से शिकार के लिए आने का संन्देह होने पर बन्दी बना सके;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह पता है कि ऐसे किसानों पर भी जो वन्य जीवों से अपनी फसल की रक्षा करने के उद्देश्य से जंगल में आये होते हैं, इस अधिनियम को कड़ाई से लागू करके, किसानों को परेशान किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो किसानों को अपनी फसल की रक्षा के लिए विन-विन सुरक्षा पालन की अनुमति प्रदान की गई है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वन अधिकारियों को दिए गए अधिकारों का कोई दुरुपयोग न हो ऐसे मामलों में अधिकारों के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के विरुद्ध कार्यवाही की जाए?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वन अधिकारियों तथा अन्य प्राधिकृत अधिकारियोंको वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1972 दोनों के अन्तर्गत अपराधों के निवारण और पता लगाने के अधिकार हैं।

(ख) अभी तक ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत राज्यों के मुख्य वन्य प्राणी वार्डनों को पूर्ण अधिकार हैं कि वे ऐसी स्थिति में कार्यवाही करें, जहां वन्य पशु फसलों सहित जीवन तथा सम्पति को लगातार क्षति पहुंचाते हैं। इसके अलावा, भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड की सलाह पर राज्यों के वन्य प्राणी सगठनों को सलाह दी गई है कि वे राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों के आसपास के अधिक प्रभावित क्षेत्रों में फसल सुरक्षा उपायों को उठाने में मार्गदर्शन करें। फसल सुरक्षा उपयों में घेराबन्दी सहित पटाखों, प्रकाश, टार्चो तथा खाइयों का उपयोग शामिल है। कुछ क्षेत्रों में विद्युत घेराबन्दी का भी प्रदर्शन किया गया है।

(घ) वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम, 1977 में सम्पत्ति अभिग्रहण से संबंधित अधिकारों के दुरुपयोग के लिए अधिकारियों को दण्ड देने का प्रावधान है।

मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में वन पर आधारित उद्योग

5361. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में बन पर आधरित उद्योगों को स्थापित करने की संभावना का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने की क्या संभावना है;

(ग) शिवपुरी जिले में वन पर आधारित उद्योगों को शीघ्र स्थापित करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभिराम राव) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के शिवपुरा जिले में वनों पर आधारित लघु उद्योगों का विकास करने की विभव सम्पन्नता है। शिवपुरीं के जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 1979-83 के लिए तैयार की गई कार्य योजना में जिले में वनों पर आधारित लगभग 63 लघु उद्योग स्थापित करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

5362. **श्री हरिहर सोरन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में क्योंझर जिला वनों पर आधारित उद्योग 'स्थापित करने के लिए आदर्श जगह है;

(ख) यदि हां, तो क्योंझर जिले में वर्ष 1984-85 में वनों पर आधारित कितने उद्योग खोले जायेंगे;

(ग) क्योंझर जिले में केन्द्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र ने उपरोक्त वित्तीय वर्ष के दौरान वनों पर आधारित उद्योग खोलने के लिए क्या कार्यवाही कीं है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में वनों पर आधारित लघु उद्योगों का विकास करने की क्षमता है।

(ख) से (घ) क्योंझार के जिला उद्योग केन्द्र की कार्य योजना से पता चलता है कि 1979-80 से 1982-83 के दौरान जिलों में वन, लकड़ी और कृषि पर आधारित लगभग 236 नये

लघु उद्योग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव था। 1984-85 के संबंध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई राज्य सरकार को करनी होती है।

उत्तर प्रदेश में चरखों और करघों का बन्द होना

5363. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के धारचूना, मंसयारी, डीडीहाट आदि खण्डों के अनुसूचित जनजातियों के शिल्पकारों के चरखे और करघे नेपाल से भारत आने वाली ऊन के न पहुंचने के कारण बंद पड़े है;

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से ऊन नेपाल से भारत में नहीं आ रही है और उनके मंत्रालय द्वारा इस बारे में अब तक क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है;

(ग) इस ऊन की अनुउपलब्धता के कारण कुल कितनी हानि हुई है और हानि की क्षति-पूर्ति करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या बुनकरों के लिये समय पर ऊन की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए उनका मंत्राबव स्थायी व्यवस्था करेगा; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधि ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव : (क) से (ड़) नेपाल के जरिये आने वाली तिब्बती ऊन की सप्लाई इस कारण कम हो गई है कि नेपाल सरकार अब कुछ समय से निर्यात लाइसेंस इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत नहीं कर रही है कि रोएंदार गलीचे के धागा बनाने वाले एकक नेपाल में ही स्थापित हो गए हैं। अतएव, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने कारीगरों को सप्लाई करने के लिए अन्य साधनों से ऊन खरीदने की व्यवस्था कर ली है। हमें इसकी कोई सूचना नहीं है कि पिथौरागढ़ के अदिवासी हस्तशिल्पकारों के चरखे और करघे ऊन न मिल पाने के कारण बंद पड़े हैं। वास्तव में, हमारी जानकारी के अनुसार वर्ष 1983-84 में मोटे तौर हर 6.5 लाख रुपये की ऊनी खादी का उत्पादन हुआ होगा, जबकि वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में क्रमश: 5.59 लाख रुपये 4.61 लाख रुपये और 5.52 लाख रुपये की ऊनी खादी का उत्पादन हुआ था।

रुग्ण एककों को विलय करने के संबंध में सत्यपाल समिति की सिफारिशें

5364. **श्री सुनील मेत्रा** :

श्री मोहनलाल पटेल :

श्री वसुदेव आचार्य :

श्री ईरा अनाबारासु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुग्ण औद्योगिक एककों का समृद्ध तथा स्वस्थ एककों के साथ विलय करने के संबंध में सत्यपाल समिति की सिफारिशें क्या है; और

(ख) उन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रमों की जीवन क्षमता में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु तत्कालीन सचिव (तकनीकी विकास) की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने इसके द्वारा अध्ययन किए गए कुछ उपक्रमों के सम्बन्ध में रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी है, और कुछ मामलों में कुछ एककों के विलय के सुझाव दिए गए हैं। इस संबंध में सरकार द्वारा पूर्ण प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं।

पोर्ट ब्लेयर के बम्बू फ्लैट जैट्टी के समीप नौका दुर्घटनाएं

5365. श्री अजित बाग : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पोर्ट ब्लेयर के बम्बू फ्लैट जैट्टी के समीप दिनांक 8 जनवरी, 1984 तथा 13 जनवरी, 1984 को हुई नौका दुर्घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि एम० एल० प्रोवा जिले बंदरगाह नौका सेवा के लिए प्रयोग किया जा रहा था 13.1.1984 की रात को लगभग 40 यात्रियों को बम्बू फ्लैट जैट्टी को ले जा रहा था। रास्ते में यह वन विभाग की एक नौका से टकरा गया और इसके क्रू का एक कर्मचारी समुद्र में गिर गया और डूब गया था। स्थानीय पुलिस दुर्घटना की जांच कर रही है।

तथापि 8 जनवरी, 1984 को बम्बू फ्लैट के नजदीक कोई दुर्घटना नहीं हुई थी।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में योजना आयोग द्वारा किया गया अध्ययन

5366. श्री कमल नाथ : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि छठी योजना के अन्त में उद्योग, ऊर्जा, परिवहन और संचार जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के न तो निर्धारित लक्ष्य ही प्राप्त किए जा सकेंगे और सरकारी क्षेत्र में वास्तविक निवेश का आयोजनकर्ताओं द्वारा परिकल्पित निवेश की तुलना में लगभग आधा रह जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

———

(व्यवधान)

21.02 म० प०

प्रो० रूप चन्द पाल : मुझे यह कहना है कि श्री हिरेन मुकर्जी···

अध्यक्ष महोदय : हमने उसका ध्यान रखा है। आप इसकी चिन्ता न करें।

वह सब चीज हो गई। हम पहले ही यह कर चुके हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव रखा है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) इससे पहले कि आप इस सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी करें कि आंध्र प्रदेश में संवैधानिक संकट पर वाद-विवद शुरू किया जा रहा है अथवा नहीं, कृपया हमारी बात सुनें।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, थोड़ा सा एक मिनट में कुछ कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि सारा हाउस खड़ा था तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं ? मेरी बात सुनिए।

एक माननीय सदस्य : आप खड़े हो गए, सब को बैठना पड़ा।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए न। मेरी बात सुन लीजिए। आप क्या कर रहे हैं। मैं आप से सिर्फ एक विनती कर रहा हूं, अगर आप ने कानून पढ़ा है तो जानते होंगे, मैं एक-एक की बात तो सुन सकता हूं लेकिन आप सारों की बात मैं अकेले कैसे सुन सकता हूं। बारी-बारी से सुन लूंगा। एक आदमी आप चुन लें कि कौन आपकी बात करेगा, एक इनकी बात कर ले मैं दोनों की बात सुन लूंगा। मैं डिस्कशन भी करूंगा तो एक हिसाब से करूंगा, सोच कर करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : हमने सूचना भेजी है। मुझे पता नहीं कि उन्होंने कार्य स्थागन प्रस्ताव रखा है अथवा नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐडजर्नमेंट मोशन कोई होता नहीं।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है ।··· **(व्यवधान)**····

(व्यवधान)

12 बजे म० प०

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई चर्चा तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक कानून मंत्री इस मामले पर सदन को विश्वास में ले कर बताएं नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सारी बात बताऊंगा । ऐसे मैं नहीं करना चाहता । मैं आप से अपील करना चाहता हूं ।

श्री इन्द्र जीत गुप्ता (बसीरहाट) : आप कहिए न ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कृपया आप अभी अपना निर्णय न दें ।

अध्यक्ष महोदय : आप कितने उत्तेजित हैं, मैं जानता हूं । मेरे पास आप का भी है, इन का भी लिख कर आया है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बैया · आप उसके बारे में परेशान क्यों है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल जानकारी हेतु यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कोई स्थगन प्रस्ताव रखा है ।

अध्यक्ष महोदय : वह स्थगन प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं । आप इसे जानते हैं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : हम लोगों ने ऐडजर्नमेंट मोशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, आप गुस्सा मत किया करिए, नाराज मत हुआ करिए ।

मेरे कहने का मतलब यह है कि सारे हाउस का माइन्ड इस बात पर एजिटेटेड है लेकिन यह आज की समस्या नहीं है, बहुत दिनों की है । इस मसले पर आफहैण्ड कुछ नहीं करना है, बल्कि इस पर बहुत शांति से सोचना है । मेरी आपसे अपील है कि इससे पहले कि हाउस में आप चर्चा करें, मैं सारे पार्टी लीडर्स के साथ बैठकर एक दफा बात करना चाहता हूं और वहां पर ला मिनिस्टर और संसदीय कार्य मंत्री को भी बुलाना चाहता हूं ।

जबसे हमारा विधान बना है प्रभु सत्ता लोगों की है और इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती है । सवा चार साल से जबसे आपने मुझे इस कुर्सी पर बिठाया है, मेरा जितना अनुभव है उस हिसाब से मैं बार-बार कहता रहा हूं कि लेजिस्लेचर और जुडीशियरी का जो रोल है वह सप्लीमेन्टरी और कांप्लीमेन्टरी टु ईच अदर है । हम एक गाड़ी के दो पहिए हैं, हम उनको ठीक ढंग से मिलकर चलाना चाहते हैं ताकि गाड़ी सुचारू रूप से चल सके । हम न तो उनके काम में कोई दखल देना चाहते हैं और न हम चाहते हैं कि हमारे काम में दखल हो ।

स्पीकर्स कांफ्रेन्स में भी इस मामले पर चर्चा हुई थी और वहां यूनानिमसली, इरैस्पेक्टिव आफ पार्टी एफीलिएशन्स फैसला हुआ था कि गाड़ी के दोनों पहियों को बराबर समता से मिलकर चलना चाहिए और इसमें किसी प्रकार का व्यवधान डालना देश के हित में नही है। इस हाउस में भी कई बार यह प्रश्न उठा है और हमेशा मैंने वही रूलिंग दी है जैसा कि पहले कहा कांप्लीमेन्टरी और सप्लीमेन्टरी टु ईच अदर हमारा रोल है। जुडीशियरी का हम आदर करते हैं। वे भी अपने अफेयर्स में सुप्रीम है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दोनों मिलकर प्रेस की आजादी का भी ख्याल रखें।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद आजतक यह रिकार्ड है कि हमने कभी अनधिकार चेष्टा नहीं की है बल्कि जहां मामला उठाया जा सकता था वहां भी दरियादिली से काम लेकर छोड़ दिया है। इसलिए में कहना चाहता हूं कि पहले हम इस बात पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें।

संसद की सर्वोच्चता न कभी संदिग्ध रह सकती है और न रहेगी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया हमें एक-एक करके अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अलग से बात करना चाहता हूं। मैं आप सब लोगों से बाद में बता करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : प्रक्रिया सम्बन्धी मामले पर मुझसे कुछ कहना है। यदि आप इस सदन के विभिन्न पिछले निर्णयों को देखें .....

अध्यक्ष महोदय : हम उन्हें देखेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आप मुझे एक वाक्य भी पूरा नहीं करने दे रहे हैं। नियमानुसार यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

मैं आपको यह सुझाव दे रहा हूं कि आप इस सदन के पिछले निर्णयों पर विचार करें.....

अध्यक्ष महोदय : हम हर बात पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : ऐसे मौके पर जब कि सदन में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठते हैं तो तो उन मुद्दों को निर्धारित करने के लिए सदस्यों को अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान की जाती है तकि समूचे सदन को इन मुद्दों का पता लगा सके.....

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में परामर्श करने के बाद, मैं आपको पूरी चर्चा की अनुमति दूंगा मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मेरा यही कहना है। कृपया हमारी बात को ताक पर न रख दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि इस बात पर शांति पूर्वक-विचार किया जाए। हम मिलकर अपनी नीति निर्धारित करेंगे।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं आपकी मदद के लिए एक सुझाव रखता हूं। सरकार द्वारा राष्ट्रपति से उच्चतम न्यायालय से अपना मत व्यक्त करने के लिए कहा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं इसी लिए कहता हूं कि हम इस पर विचार करेंगे। तब मैं आपसे सलाह लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : हम विचार करेंगे और कार्यवाही करेंगे।

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : राष्ट्रपति इस मामले को अपना मत व्यक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : राष्ट्रपति इस मामले को उच्चतम न्यायालय भेज सकते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने की अनुमति दे रहा हूं। इस सुझाव पर भी उस बैठक में विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह विषय अब समाप्त हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसद की सर्वोच्चता संदिग्ध नहीं हो सकती है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कृपया हमें बोलने दें। संसद की सर्वोच्चता तो सदैव होती है। यह एक गंभीर संविधानिक संकट है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी तरह की चर्चा की अनुमति नहीं देता। इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ''....

प्रो० मधु दंडवते : आपने अपना निर्णय बदल दिया है। आप कार्यवाही वृतांत देखिये। शुरू में आपने कहा ''मैं विपक्ष के कुछ सदस्यों तथा सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों से अपनी बात कहने के लिए कहूंगा।'' आपने तुरन्त ही अपनी बातें बदल दी। आपने इसे बदल दिया है। मुझे आपत्ति नहीं है। आप इसे बदल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं हितों को सर्वोपरि मानकर ऐसा कर सकता हूं। मैंने इस लिए आपसे यह कहा है। अब इस परियोजना में....कुछ नहीं। मैं इस विषय पर आपको कुल बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संसद सर्वोपरि है। अब कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैंने डा० स्वामी को कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी है वह मेरी अनुमति के बगैर बोल रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप गुस्सा हो रहे हैं। क्यों ?

श्री इन्द्र जीत गुप्ता : मुझे आशा है कि यह आपका आश्वासन है कि आपके द्वारा दल के नेताओं से परामर्श करने के बाद हम सबको अपनी बात करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : जो बात करनी है, वहां कर लेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : उसके बाद आप बोलने देंगे या नहीं। बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक वाद-विवाद हो।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात को गलत मत समझिये। मैं किसी तरह की चर्चा को रोकना नहीं चाहता। मैंने आपसे कहा है बैठ कर सलाह कर लेंगे। जैसा कहोगे, फार्मूलेट करके, डिसकशन करवा देंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : यह आपके मेंबर तक सीमित नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब आप कहोगे, आपने फैसला कर लिया। वही फैसला मेरे ऊपर भी लागू होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उस पर चलूंगा मैं आपके कथनानुसार चलूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जब यह विवाद चल रहा है तो आप नाराज क्यों होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बाद में .....

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम जानते हैं कि आपके चेंबर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारे देश की जनता को यह पता होना चाहिए कि सदन क्या सोच रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कह रहा हूं। बाद में करेंगे। आप क्या कर रहे हैं।

आप किसी बात को अनावश्यक रूप से क्यों कहे जा रहे हैं मैंने दरवाजे खुले रखे हैं। हम इस पर चर्चा करेंगे तथा इसे निर्धारित करेंगे। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो ऐसा किया जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप इसे महसूस क्यों नहीं करते। यह भी जरूरी है कि हम अपना मत व्यक्त करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं सदन के नियमानुसार कार्य करूंगा। मैं जन इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सदन का प्रतिनिधित्व करता हूं। सामूहिक रूप से आप जो कुछ करेंगे, मैं वही करूंगा। (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संसद पूर्वत: सर्वोपरि नहीं है। यह भी समझना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने संविधान बनाया है।

.. (व्यवधान) ...

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है ...

अध्यक्ष महोदय : कल तो करवा दिया फिर कर लेते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पंजाब में रेल मार्ग उड़ाने की चेष्टा हो रही है। अखिल भारतीय सिक्ख छात्र संघ ने कहा है 4 अप्रैल क परीक्षायें नहीं होने दी जायेंगी। गृह मन्त्रालय पर चर्चा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : तो कीजिए।

श्री राजेश कुमार सिंह : मेरा आप से अनुरोध है कि पंजाब के बारे में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि, न्याय और कंपनी कार्य-मंत्रालय के 1984-85 के अनुदानों की विस्तृत मांगे

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की बजटबार मांगों की एक प्रति तथा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8022/84)

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा ब्रेथवर्ट एंड कंपनी लि० के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं निम्नलिखित पत्रों सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 132(अ), जो फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स मालाबार स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, कालीकट, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 133 (अ), जो 28 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स कोट्टायम टैक्सटाइल्स लि०, कोट्टायम, के प्रबंध ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 134 (अ), जो 28 फरवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स प्रभुराम मिल्स लि०, चेंगनपुर के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पाँच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में हैं।

(ग्रंथालय में रखे गये/देखिए सं० एल० टी० 8023/84)

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत,पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) ब्रेथवेट एंड कंपनी लि० कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ब्रेथवेड एंड कंपनी लि०, कलकत्ता को वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 8024/84)

(ख) (एक) जेसप एंड कंपनी लि०, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण

(दो) जेसप एंड कंपनी लि०, कलकत्ता, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए सं० एल० टी० 8025/84)

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० हैदराबाद के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की पुनरीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा स्पंज आयरन इंडिया लि०, हैदराबाद के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा पत्रों को सभापटल पर देर से रखने के कारण बताने वाले दो विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :— मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०, हैदराबाद, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि०, हैदराबाद, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पटियां।

(ग्रंथालय में रखे गये/देखिए सं० एल० टी 8028/46)

(ख) (एक) स्पंज आबरन इंडिया लि०, हैदराबाद, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पंज आयरन इंडिया लि०, हैदराबाद, का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये/देखिए संख्या एल० टी०8027/84)

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्रालय की मांगों पर विचार किया जा रहा है। आप गृह मंत्रालय से संबंधित कोई भी मामला उठा सकते हैं यहां तक कि शांति और व्यवस्था के बारे में भी पूछ सकते हैं। ऐसा होना चाहिए आप मामला क्यों नहीं उठाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लेकिन हम लोग तो बोल चके हैं। अब जो नई घटनाएं हुई हैं, उनको कैसे रखें?

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे कामों को बन्द कर दूं, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : आप हमारी बात को सुन लीजिये····

अध्यक्ष महोदय : कोई फायदा नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह : भिण्डवाले को क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता है ? रोजाना लोग मारे जा रहे हैं। मंत्री जी बार-बार हाउस को एशोर कर देते हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है ·····

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती **····

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता। इसकी अनुमति उन्हें नहीं दी गई है।

व्यवधान**

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष जी, मैंने आपको नोटिस दिया है—
आन्ध्र प्रदेश···· **

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। लिख कर दे दीजिये।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मैंने लिख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : फिर चिन्ता करने की क्या जरूरत है ?

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, मैंने भी आकाशवाणी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव भेजा है, उसका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। आपने जो भी कहा वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल कर लिया गया है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने शब्द वापस नहीं ले रहा हूं। जो मैंने कहा है, मैं उस पर अटल हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने सांविधानिक स्थिति के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने इस बात पर जोर देने के लिए लगातार अपने विनिर्णय दिए हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : संसद प्रभुसत्ता संपन्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह भारत की सर्वोच्च संस्था है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, जी नहीं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : संविधान सर्वोच्च है। इसलिए मैं कहता हूं कि उच्चतम न्यायालय की राय ली जानी चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : ब्रिटिश पार्लियामेंट प्रभुसत्तासंपन्न है, भारतीय संसद नहीं।

अध्यक्ष महोदय : बहस नहीं करिए। मैंने कोई विनिर्णय तो नहीं दिया है। मैंने केवल यही कहा है तथा मैं फिर से यही कह रहा हूं कि हम अपने संविधान की मर्यादा बनाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा हमें ऐसे करते रहना चाहिए। मैंने कहा है कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों की पूरक और अनुपूरक भूमिका है। मैंने यह बात कही थी और अब भी कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप यह क्यों नहीं समझते कि संविधान के अन्तर्गत संसद सर्वोच्च है। संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत हम सर्वोच्च हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी नहीं, महोदय।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इसे गलत मत समझिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक हमारे संविधान का सम्बन्ध है यह सही कहा गया है कि यह त्रिस्तरीय है। सरकार का चुनाव करने के लिए जनता संप्रभु है, कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने के लिए संसद सर्वोच्च है परन्तु संसद द्वारा बनाये गए कानून और संशोधन संविधान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं या नहीं इसकी व्याख्या करने में उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। (व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : संविधान के अन्तर्गत हमारी संसद सर्वोच्च है। संविधान के अन्तर्गत हम सर्वोच्च हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आज ही आया है। मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन), नियम, 1984

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं जो 3 मार्च 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० सा० का० नि० 220 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए एल० टी० सं० 8028/84]

केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल० टी० सं० 8029/84]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 72 वां प्रतिवेदन

श्री जी० लक्ष्मणन (मद्रास उत्तर) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 72 वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8029/84]

लोक लेखा समिति

सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 184 वां और 186 वां प्रतिवेदन

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :....

(1) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को प्राप्तियां—बिक्री कर—एक व्यापारी द्वारा जाली कागजात तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समिति के 142 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 148 वां प्रतिवेदन।

(2) सीमा शुल्क प्राप्तियां विमोचन जुर्माने की अदायगी करने पर छोड़ी गई जब्त कार पर सीमा शुल्क न लगाये जाने के सम्बन्ध में समिति के 155वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफ़ारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 186वां प्रतिवेदन।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : महोदय श्री चक्रवर्ती गलत कह रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने 1964 में संसद की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली थी तथा एक निर्णय भी दिया था। मैं चाहता हूं कि प्रो० चक्रवर्ती उसे पढ़ें।

अध्यक्ष महोदय : आप को भी सुनेंगे और जब मीटिंग होगी तो आपको भी बुलाऊंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अलग निर्णय दिया है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में और आगे चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं मैंने इस पर चर्चा की अनुमति नहीं दी है।

श्री मनी राम बागड़ी : आपने एक सांप छोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने नहीं छोड़ा।

श्री मनी राम बागड़ी : किसी को इजाजत दे दी और किसी को नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : किसी को नहीं दी। इस पर डिस्कशन की इजाजत किसी को नहीं दी।

श्री मनी राम बागड़ी : फिर डिस्कशन किस को कहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जोर-जबर्दस्ती, कोई डिस्कशन कहता है, तो वह दूसरी बात है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मनी राम बागड़ी : मैंने एजोर्नमेंट मोशन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : स्टेटमेंट आ रहा है ।... (**व्यवधान**) आप नोटिस दे दीजिए ।... (**व्यवधान**) ..

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली और चण्डीगढ़ में मिलावटी खाद्य पदार्थों और मसालों की कथित बिक्री

अध्यक्ष महोदय : अब श्री हरीश रावत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : महोदय मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें ।

"दिल्ली और चण्डीगढ़ में मिलावटी खाद्य पदार्थों और मसालों की कथित बिक्री तथा सरकार द्वारा इस मामले में की गई कार्यवाही ।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द)

अध्यक्ष महोदय, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों को राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाता है । केन्द्रीय सरकार खाद्य मानक निर्धारित करती है और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम तथा नियमों के प्रभावी कार्यान्वियन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह देती है ।

राज्यों से कहा गया है कि वे अलग से खाद्य सेल स्थापित करें जिनमें तकनीकी दृष्टि से अर्हता-प्राप्त और अनुभवी कार्मिक हों और साथ ही उपकरणों से पूरी तरह लैस प्रयोगशालाएं भी स्थापित करें जिनमें सुप्रशिक्षित और सक्षम स्टाफ हो । सात राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र ने अलग खाद्य सेल पहले ही स्थापित कर लिए हैं । देश में चार केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 70 खाद्य प्रयोगशालाएं भी कार्य कर रही हैं । केन्द्रीय सरकार ने इन प्रयोगशालाओं को उपकरणों से लैस करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी है और खाद्य संबंधी कानूनों को कार्यान्वित करने में लगे विभिन्न कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया है ।

12.26 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

1982 के दौरान, देश में 29595 नमूनों की जांच की गई (बिहार और पांडिचेरी को छोड़कर), और उनमें से 16765 मिलावटी पाये गये । मुकदमे चलाये गये हैं और 1981 में 4,588 मामलों में दण्ड दिया गया । बहुत से मामले अभी तम लम्बित पड़े हैं । केन्द्रीय सरकार खाद्य

पदार्थों में मिलावट को रोकने और उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के बारे में लोगों को जानकारी देने के महत्व पर भी बल देती रही है। लोगों में जागरुकता पैदा करने की दृष्टि से उपभोक्ता संगठनों को समुचित मान्यता दी जा रही है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वियन में अनेक समस्याएं पेश आई हैं। नमूने भरने संबंधी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने, प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार करने तथा गश्ती-प्रयोगशालाएं शुरू करने, जांच की विश्वसनीयता और विधि-मान्यता को बढ़ाने नमूने भरने और उनका विश्लेषण करने के बीच की अवधि को कम करने और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए अपराधियों के बचने के रास्तों को बन्द करने हेतु कानूनी सेलों की व्यवस्था करने की जरूरत है। इस उद्योग, व्यापारी संगठनों, उपभोक्ता एजेन्सियों और केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से उक्त अधिनियम और नियमों के उपबन्धों में संशोधन करने के लिए सुझाव मिले हैं।

1976 तक, दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जाता था और उसके बाद इसे कार्यान्वित करने का कार्य दिल्ली प्रशासन के अंतर्गत लाया गया। इस समय 26 खाद्य निरीक्षक कार्य कर रहे हैं। 1978 में 887 नमूनों की जांच की गयी थी। जबकि 1982 में 1930 नमूनों की जांच की गयी। 1978 में लिए गये नमूनों में से 16 प्रतिशत और 1982 में लिए गये नमूनों में 13.5 प्रतिशत नमूने मिलावटी पाये गये और उनके बारे में संबंधित कानून के अंतर्गत कार्यवाई की गई। अक्तूबर, 1983 में कार्यकारी पार्षद (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में एक खाद्य सलाहकारी समिति गठित की गयी है। उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने और उक्त अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वियन के लिए 9 सितम्बर, 1983 को स्वास्थ्य मंत्रालय में दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों और उपभोक्ता संगठनों की एक बैठक हुई।

चंडीगढ़ में एक सलाहकार समिति गठित की गई है जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य हैं। उक्त प्रशासन अखबारों, सिनेमा स्लाइडो, पर्चों, आदि के जरिये कार्यान्वियन के संबंध में पर्याप्त प्रचार कर रहा है। 1981 में 200 नमूने लिए गये थे जबकि 1983 में 302 नमूने लिये गये हैं और मुकदमे चलाए गए हैं।

खाद्य पदार्थों में मिलावट करना समाज के विरुद्ध एक अपराध है। बेईमान और समाज विरोधी तत्व लोगों के स्वास्थ्य की कीमत पर अपना घर भर रहे हैं। उन पर सख्ती और निर्दयता से कार्यवाही की जानी चाहिए। उपभोक्ता आन्दोलन एक तात्कालिक आवश्यकता है। सरकारी यह महसूस करती है कि लोगों के सक्रिय सहयोग से खाद्य मानकों को बनाए रखना संभव होगा।

श्री हरीश रावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में मिलावट के विषय में अपने मंत्रालय की गतिविधियों का जो जिक्र किया है, उससे तो हम सहमत हैं। वास्तव में इस विषय में एक्ट बनाना उनकी सीमा के अन्तर्गत है मगर उसका एन्फोर्समेंट राज्यों के हाथ में है। परन्तु यह बीमारी जिस सीमा तक बढ़ती जा रही है, उसमें आम आदमी इससे अफैक्टेड

है। इसको देखते हुए हम लोग इस विषय की गहराई और महत्व को नकार नहीं सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इस समय स्थिति यह है कि कोई भी वस्तु बाजार में ऐसी नहीं है जिसमें मिलावट न हो। रीमोट एरियाज में, दूर दराज के रूरल एरियाज में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं बिकती जिसमें मिलावट न हो।

पिछले दिनों अहमदाबाद की एक समाज सेवी संस्था ने सर्वेक्षण किया। उसके आधार पर उसने बताया कि मूंगफली के तेल के 90 प्रतिशत सेंपल ऐसे थे जिनमें मिलावट पाई गई। दिल्ली में भी हाल में एक सोसायटी द्वारा सेमीनार किया गया। उसमें भी वक्ताओं ने दिल्ली में व्याप्त मिलावट के बारे में बताया। आज छोटे वैंडर्स की बात तो छोड़िए बड़े-बड़े आर्गनाइजेशंस मिलावट में संलग्न हैं। वे अपने विज्ञापनों के द्वारा अपने प्रोडक्ट को पापूलर बनाते हैं। जिस वस्तु का जितना परसेंटेज उसमें बताया जाता है, उतना उसमें नहीं होता। सरकार इस पर कंट्रोल करने में असमर्थ है।

आज बाजार में दाल, तेल, दूध, मिठाई, बीज, काली मिर्च, कोई भी चीज आपको शुद्ध नहीं मिल सकती। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इतने व्यापक पैमाने पर जो मिलावट हो रही है, इसके लिए जो हमारा कानून है, उसमें कहीं कोई लूफोल तो नहीं है जिसके कारण हम इसको रोकने में असमर्थ हैं। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के प्रासीक्यूशन विंग ने आपके मंत्रालय को लिखकर भेजा है कि उनके इंस्पेक्टर जो इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट भेजते हैं उसको कोर्ट में नही माना जाता। वे लोग सेंपल कलेक्ट करते हैं, उसको पब्लिक एनालिस्ट के पास भेजते हैं। वे उसको 45 दिन तक अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद वह सैंपल सेंट्रल लेबारेट्री में आता है। वहां भी उसको 45 दिन तक रखा जा सकता है। इतने समय में सेंपल खराब हो सकता है। इसलिए जैसा कि अखबारों में पढ़ा है कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के प्रासीक्यूशन विंग ने आपके मंत्रालय से मांग की है कि एक्ट में ऐसा प्रावीजन किया जाए कि इंस्पेक्टर की रिपोर्ट का कोर्ट में कोई अर्थ हो सके।

दूसरा जो एक्ट है वह अपने आप में अभी पूरा नहीं है। उसमें यदि कुछ सुधार करने की बात की भी गई है, लेकिन उसके बावजूद लेबोरेट्रीज का जो फंक्शन है वह अपने आप में क्वेश्चनेबल है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक एनेलिस्ट के पास कोई अप्रोच नहीं कर सकता। सेंपल पर पार्टी का नाम लिखा होता है। पार्टी को भी डायरेक्टरेट से पता चल जाता है कि किसके पास मेरा सेंपल चैक होने के लिए गया है। वह अप्रोच करके वहां से क्लीन चिट ले लेता है कि उसका सेंपल ठीक है।

मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोई ऐसी अलग से बाडी बनाने के प्रश्न पर वे विचार करेंगे जो बाडी सारे सेंपल को चैक करे। दो तरह की व्यवस्था न हो कि पहले पब्लिक एनालिस्ट के पास जाए, उसके बाद सेंट्रल लेबोरेट्री में जाए। दोहरी व्यवस्था की बजाय एक ही सेन्ट्रल बाडी होनी चाहिए जो इसको चैक कर सके। सैम्पल में पार्टी का नाम नहीं होना चाहिए। सिर्फ नम्बर होने चाहिए जिससे वे लोग डायरेक्टोरेट के पास अप्रोच न कर सकें। हमारी जो लॉ की एजेन्सी

है, उसकी हाफ-हार्टेड अप्रोच होती है। जिसके कारण ज्यादातर गड़बड़ी होती है। अधिकांश मामले ऐसे होते हैं जबकि एनालाइसिस रिपोर्ट और सेन्ट्रल लेबोरेटरी से रिपोर्ट आ जाने के बाद भी कि इसमें मिलावट है, प्रासीक्यूशन नहीं हो पाता। कोर्ट में मामला नहीं जाता और जब जाता है तो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। यह भी देखने में आता है कि काफी लम्बे समय तक कोर्ट में केसेज पेन्डिंग रह जाते हैं, जिसकी वजह से उसका असर खत्म हो जाता है। इसलिए, मिलावट करने वाले को टाइमली पनीशमेंट देना चाहिए। जो हमारी लॉ एन्फोर्सिंग एजेन्सी है, उस पर कोई अथारिटी होनी चाहिए। समय निर्धारित होना चाहिए कि सैम्पल कलैक्ट होने के बाद इतने समय तक रिपोर्ट आ जाए और इतने टाइम तक कोर्ट में मुकदमा दाखिल हो जाना चाहिए। उसके बाद उस केस को ठीक से परस्यु किया जाना चाहिए। अभी आपने यह बताया कि दिल्ली के एन्फोर्समेंट विंग में केवल 26 इन्सपैक्टर्स हैं। आप कैसे यह उम्मीद कर सकते हैं कि केवल 26 इन्सपैक्टर्स दिल्ली में जितना एडल्टरेशन हो रहा है, उसको चैक कर पायेंगे ? जब दिल्ली में यह हालत है तो हमारे जो रूरल एरियाज हैं, वहां क्या स्थिति होगी ? जब केन्द्र में यह स्थिति है तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या हालत होगी ? इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इन्सपैक्टर्स की संख्या को बढ़ाने के लिए यूनियन टैरीटरीज और राज्य सरकारों से भी बातचीत होनी चाहिए। बहुधा, प्रोसीक्युशन विंग ही बचा रहता है इसलिए इसमें भी सुधार करने की जरूरत है। एन्फोर्समेंट विंग को ही हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है जबकि प्रोसीक्युशन विंग को कभी भी नहीं किया जाता। लेबोरेटरीज की जांच के आधार पर ही मिलावट करने वाले को सजा मिलती है। लेकिन वहां पर कोई भी आदमी अप्रोच कर सकता है। मैं पूछना चाहूंगा कि आप इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? ड्रग कंट्रोल एक्ट की तरफ भी माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें संशोधन के बावजूद भी नकली दवाओं को अभी तक नहीं रोका जा सका है। इस समय भी मार्किट में बहुत बड़ी संख्या में नकली दवाएं चल रही हैं और इनकी आड़ में नाना प्रकार की ऐसी वस्तुएं बिक रही हैं जिनसे लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कई जगह अलकोहलिक कंटैंट मैडीसिज के नाम पर आयुर्वेदिक औषधियों के नाम पर कई प्रकार की सुरा, कई प्रकार की लिक्विड्ज निकली हैं जिनको खाने से लोगों की मौतें तक हो रही हैं और टी० बी० की बीमारी लोगों में आम हो गई है। इस वास्ते कम से कम ड्रग कंट्रोल एक्ट में सुधार तो होना ही चाहिये ताकि इस तरह की चीजों को रोका जा सके।

इस समय बेबी फूड्ज बिकते हैं। इनके बारे में कई प्रकार की बातें अखबारों में छपती हैं। डब्ल्यू० एच० ओ० ने इसके बारे में कुछ गाइड लाइंज दी हैं। वे फालो क्यों नहीं हो पा रही हैं ? साथ-साथ लोगों को हमें प्रापरली एजुकेट भी करना चाहिये, मदर्ज को एजुकेट करने की कोशिश करनी चाहिये ताकि बच्चा जो भविष्य का नागरिक है, उसको प्रापर फीड मिल सके। इस समय बड़ी-बड़ी कम्पनियां, मल्टी नैशनल कम्पनियां विज्ञापनों के जरिये हाय तोबा मचाए हुए हैं और लोग समझ रहे हैं कि मां के दूध के बजाय बेबी फूड्ज ज्यादा फायदेमन्द हैं। यह जो भ्रम लोगों में फैला हुआ है, जिसको यहां बैठ कर हमारी हैल्थ मिनिस्ट्री काउंटर नहीं कर पा रही है, उनके इस प्रापेगंडे को काउंटर करने की कोशिश भी हमें करनी चाहिये।

मैं मानता हूं कि मंत्री जी की इस मामले में एक सीमा है। लेकिन इस सीमा में रहते हुए भी जवाबदेही पार्लिमेंट के प्रति उनकी है। ऐसे मामले होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तो निश्चित रूप से लोगों की नजरें स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ जाती हैं। यह कह कर मामले को टाला नहीं जा सकता है कि एन्फोर्समेंट राज्यों का मामला है, लॉ एनफार्सिंग एजेंसीज उनकी है। उनके ऊपर हमें इतना दबाव डालना पड़ेगा ताकि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रापरली वे काम कर सकें। साथ-साथ राज्यों के जरिये और लॉ एनफोर्सिंग एजेन्सीज के जरिये जो एक्ट में कमियां नजर आई हैं उनको दूर करने की भी कोशिश आपको करनी चाहिये।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा खाद्य सामग्री के मानक आदि के बारे में की गई पूछताछों का उत्तर देने से पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने कृत्रिम दवाईयों, औषध नियंत्रण अधिनियम, शिशु आहारों आदि का भी उल्लेख किया है, जिसे मैं नहीं समझता कि वह आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की विषय वस्तु है।

श्री हरीश रावत : लेकिन आपका इससे पर्याप्त सम्बन्ध है।

श्री बी० शंकरानन्द : जी हां, उनका सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय से है और उस सीमा तक वे संगत हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मोहन तथा सत्येन्द्र, कृपया पीठासीन सभापति और किसी सदस्य अथवा किसी मंत्री महोदय, जब वह भाषण दे रहा हो, के बीच से मत गुजरिए।

श्री बी० शंकरानन्द : खाद्य सामग्री में मिलावट के मुख्य प्रश्न के बारे में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है कि बेईमान लोग, वे लोग जो आसानी से धन कमाना चाहते हैं, यह सब कार्य कर रहे हैं, वे ऐसा समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर कर सकते है और लोगों की जान से खेलकर धन कमा रहे हैं। मिलावट उत्पादन के स्रोत से ही शुरू हो जाती है और लोगों को अंतिम रूप से वितरित होने तक चलती रहती है। मिलावट भण्डारण की स्थिति में वितरण स्तर पर तथा अंतिम रूप से दुकानों पर बिक्री के स्तर पर भी होती है। यह वास्तव में एक समस्या है, और सदन पिछले चार वर्षों में कई अवसरों पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर चुका है। माननीय सदस्य ने कानूनी कठिनाइयों, खाद्य प्रयोगशालाओं में उपयुक्त सुविधाओं और अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण तथा अत्यन्त महत्वपूर्ण तत्व अर्थात् उक्त मामलों में अन्तर्विष्ट व्यक्तियों की ईमानदारी का उल्लेख किया है। खाद्य सामग्री में मिलावट की जांच करने के लिए चाहे कितनी भी सुविधाएं प्रदान की गई हों, जब तक कोई व्यक्ति ईमानदार नहीं है, अकेली मशीन इस समस्या को नहीं सुलझाएगी, अकेला कानून इस समस्या को नहीं सुलझाएगा।

इसीलिए, मेरे मुख्य वक्तव्य में मैंने यह कहा है कि जनता द्वारा अन्तर्विष्ट हुए बिना तथा उनके सक्रिय सहयोग के बिना अकेली सरकार समाज के ऊपर इस कलंक की समस्या को नहीं

सुलझा सकती है। मैंने यह भी पाया है कि इस देश में उपभोक्ता आन्दोलन और व्यापक शिक्षा अनावश्यक रूप से, अन्ततोगत्वा खाद्य सामग्री में मिलावट को कम करने में सहायता करेंगे।

माननीय सदस्य ने कहा है कि इस कार्य के लिए केवल 26 इंस्पेक्टर हैं। मैंने कहा है कि 26 इंस्पेक्टर कार्य कर रहे हैं। दिल्ली की स्वीकृत संख्या 50 है, 26 कार्य कर रहे हैं जिनमें वे छः इंस्पेक्टर भी शामिल हैं जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण कार्मिकों के बिना हम नमूनों का उचित ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की समस्या को नहीं सुलझा पाएंगे और इस प्रकार, सम्बन्धित अधिनियम के उपबन्धों को लागू नहीं कर पाएंगे।

किसी भी पर्यवेक्षी कर्मचारियों के बिना अकेले इंस्पेक्टर अपना कार्य उपयुक्त रूप से कर पाने में समर्थ नहीं हो रहे हैं। इसलिए पर्यवेक्षकों के अर्थात्, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी अथवा सहायक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के ये पद भरे जाते हैं, और यह प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि ये संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने है। जब शहर के विभिन्न भागों में छापाकार दल भेजे जाते है, आवश्यक रूप से यह परिकल्पना की जाती है कि उनके साथ कुछ पर्यवेक्षी कर्मचारी भी होने चाहिए। और इस बारे में वास्तविक प्रवर्तन में यह एक मुख्य अड़चन है। निस्सन्देह दिल्ली प्रशासन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पदों को नियमित रूप से भरे जाने तक स्थानीय प्राधिकारियों के रूप में कतिपय लोगों को नियुक्त किया है अर्थात्, दो डाक्टर, उप-प्रभागीय अधिकारी तथा पर्यवेक्षी प्राधिकारियों के रूप में अन्य अधिकारी।

माननीय सदस्य द्वारा बताए गए अनुसार अधिनियम तथा तदाधीन नियमों में संशोधन करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। विभिन्न त्रुटियों को सरकार के ध्यान में लाया गया है और उन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। मुझे यह कहना चाहिए कि 1980 से अब तक लिए गए नमूनों की संख्या तथा उन मामलों की संख्या, जिनमें अभियोग चलाया गया है, के तथ्यों को देखते हुए चीजों में सुधार हो रहा है, लेकिन उस ढंग से अथवा उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम करने की आशा करते हैं।

खाद्य प्रयोगशालाओं के बारे में राज्य सरकारों की उनकी खाद्य प्रयोगशालाओं में सुधार लाने के लिए सहायता करने हेतु निश्चित योजना थी और केन्द्र सरकार ने प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए तथा उन्हें उपकरणों से लैस करने के लिए राज्यों को ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए प्रतिराज्य लगभग 18 लाख रुपए तथा उपकरणों के लिए लगभग 3 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। जैसा कि मैंने कहा है लगभग 7 राज्यों को पहले ही आवश्यक खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित कर चुके हैं और उन्हें पूर्णतया उपकरणों से लैस कर लिया है, और अन्य राज्य ऐसा कर रहे हैं। स्वतंत्र खाद्य प्रकोष्ठ, कानूनी प्रकोष्ठ, प्रवर्तन प्रकोष्ठ तथा अन्य समन्वित प्रयास स्थापित किए जाने की आवश्यकता है, ताकि हम इस समस्या को एक समन्वित ढंग से सुलझा सकें, ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। निस्सन्देह, जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, विभिन्न कारणों से न्यायालय में निलम्बित पड़े मामलों में कुछ विलम्ब हुआ है, जैसा कि हमने आशा भी की थी विभिन्न कारणों से हम दोष सिद्ध नहीं कर सके हैं। इसके लिए, जैसा कि मैं पहले ही

बता चुका हूं, इसके लिए कानून मौजूद है, जैसा कि कई व्यक्तियों द्वारा सुझाव दिया गया है, व्यापार, उद्योग, खाद्य मानक समिति तथा अन्य कानून के इस उपबन्ध अथवा पी० ए० एफ० अधिनियम अथवा नियमों की समीक्षा की जाती है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार इस खतरे की सचाई से बेखबर नहीं है कि ये लोग ऐसी समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होकर आसानी से पैसा कमा कर के समाज को नुकसान पहुंचा रहे हो इस समस्या को सुलझाने का केवल एक ही रास्ता है कि लोगों द्वारा इस बारे में पूर्ण रूप से भाग लिया जाए तथा सहयोग दिया जाए, इस देश में बड़े आकार में उपभोक्ता आन्दोलन और लोगों को उन खतरों तथा गतिविधियों से अवगत कराना, जो समाज विरोधी तत्वों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करके की जाती है। इस बारे में मुझे जनता के सहयोग की आवश्यकता है और मैं यह भी कहता हूं कि हमने राज्य सरकारों को भी पत्र लिखे हैं जिनमें उनसे इन सुविधाओं का उपयोग करने और अपनी प्रयोगशालाओं में सुधार करने और निरीक्षण, पर्यवेक्षण तथा कानूनी कार्यवाही करने, जैसा मामला हो, के लिए आवश्यक पदों के लिए नियुक्ति करने तथा उन्हें भरने के लिए कहा है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर इस सदन में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। और चर्चा होने के बाद हमेशा ही सरकार की तरफ से यह आश्वासन मिलता रहा कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और अपराध करने वाले लोगों को दंड दिया जाएगा और कानून और कठोर बनाया जाएगा। यह आश्वासन हमेशा ही मिलता रहा है। लेकिन बार-बार हम आश्वासन के दोहराये जाने से समस्या का समाधान नहीं होता।

अभी मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है :

"खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के कार्यान्वयन में अनेक समस्यायें पेश आई हैं। नमूने भरने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने, प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार करने तथा गश्ती-प्रयोगशालाएं शुरू करने, जांच की विश्वसनीयता और विधि-मान्यता को बढ़ाने, नमूने भरने और उनका विश्लेषण करने की बीच की अवधि को कम करने और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और नियमों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए अपराधियों के बचने के रास्तों को बन्द करने हेतु कानूनी सैलों की व्यवस्था करने की जरूरत है।"

तो मेरा पहला प्रश्न तो यह होगा जिन समस्याओं के बारे में माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है उन समस्याओं के समाधान के लिए वह कब तक और क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? हम तो चाहते हैं कि बजाय इसके कि हम कोई दूसरा डिस्कशन इसी विषय पर 2 महीने बाद फिर लायें, अगर यह पार्लियामेंट बच गई मई और जून में डिजोल्यूशन की जैसी बात चल रही है उससे, और अगला सैशन कहीं आया तो फिर हो सकता है कि यह मामला हम लोग फिर लायें। तो बार-बार हम लाते रहें और मन्त्री जी आश्वासन देते रहें···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस पर पुनः चर्चा की जाती है तो किसी प्रकार आपको मौका मिलता है। उनको हमेशा मौका संसाधना का प्रस्ताव में मौका मिलता है। ये बहुत ही प्रभावशाली माननीय सदस्य है।

श्री हरिकेश बहादुर : इसलिए मान्यवर, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन समस्याओं के समाधान के लिए कारगर कदम उठाये जायें, और यह समस्यायें जिनके कारण अपराधियों को दंड मिलने में दिक्कत हो रही है उनको दूर किया जा सके।

2 मार्च, 1984 का "इंडियन ऐक्सप्रैस" मेरे पास है जिसमें इस प्रकार का समाचार निकला था और उस समाचार के आधार पर प्रश्न भी पूछा गया था दूसरे सदन में, उसकी एक कौपी मेरे पास है। जिससे साफ जाहिर है कि दिल्ली में इस प्रकार की तमाम मिलावटें हो रही हैं। इसी सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपने 23 जनवरी, 1984 के अंक में लिखा है कि—

> "भोजन में मिलावट का कलंक : दन्तमंजन, कपड़े धोने का साबुन, केकों तथा चेहरे पर लगाने की क्रीम जो लाखों रुपये मूल्य के हैं, जैसी कृत्रिम उपभोक्ता वस्तुओं का पुलिस ने हाल ही में पुरानी दिल्ली शापिंग काम्पलैक्स से पता लगाया गया है जो इस बात को पर्याप्त रूप से सिद्ध करता है।"

दिल्ली के अन्दर तो इन सब चीजों में मिलावट शुरू हो गई है, वैसे देश के विभिन्न भागों में दवाओं में जिस तरह से मिलावट होती है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि बेबी-फूड, मक्खन, घी, आइस-क्रीम, खाने के तेल, चाय, काफी, मसाले, फूड-प्रोडक्ट्स वगैरह सब चीजें पकड़ी गई हैं।

मदर-डेरी के दूध में मिलावट के सम्बन्ध में पैट्रीयाट में समाचार छपा था जिसके बारे में माननीय मन्त्री जी ने दूसरे सदन में बताया था कि इसमें सिर्फ पानी की मिलावट का मामला समझ में आया है। दूध में पानी की मिलावट होती है। काली मिर्च में पपीते के बीज, खाने के तेल में सत्यानाशी का बीज मिलाने के बारे में हमने यहां पर विस्तार से चर्चा की थी और कहा था कि इससे कितने लोगों की मौत हो गई है।

स्टेट्समैन में 15 दिसम्बर, 1980 को एक आर्टिकल निकला था

"मिलावट के तेलों से स्वास्थ्य को खतरा।"

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें। इसमें लम्बे एनेलिसेज के बाद सारी चीजें दी गई हैं जिनको विशेषज्ञ देखें और उसके हिसाब से ठीक करने की दिशा में कदम उठायें।

मैं हिन्दुस्तान टाइम्स के 23 जनवरी, के अखबार में से फिर कोट करना चाहता हूं—

"**भोजन मिलावट का कलंक** : प्रशासन के अधिकारी खुले रूप से यह स्वीकार करते हैं

कि केन्द्रशाशित प्रदेश की विशालता तथा समस्या की महत्ता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए यह संभव नहीं हो पाया था कि इस अपराध में अन्तर्ग्रस्त बेईमान तथा असामाजिक तत्वों को करके कोई प्रस्ताव उत्पन्न किया जाए। शुद्ध परिणाम यह है कि यह समस्या प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होकर गम्भीर होती जा रही है।"

अगर यह बात सही है कि समस्या प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होकर गंभीर होती जा रही है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। क्या माननीय मन्त्री जी स बात से सहमत हैं कि समस्या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्ट्रोल में नहीं रह गई है, यानी की सरकार के नियंत्रण के बाहर है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है ? आगे इसमें कहा गया है—

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, सुगठित लूट-पाट करने वाले वस्तुतः लोगों को पत्थर, पत्ते चार कोल मिली हुई हवाले की वास्तुएं खिलाकर मानव की जिन्दगियों को तबाह कर रहे हैं। जीवन-रक्षक औषधियां झूठे व्यापार चिन्हों के अन्तर्गत खुले रूप से उत्पादित की जा रही है।"

मेरे पास हिन्दू अखबार है मद्रास का। यह अपने 26 जनवरी, 1984 के एडिटोरियल में लिखता है—

सर्वेक्षण से पता चलता है कि विक्रेताओं द्वारा खरीदार के खर्च पर मंहगे मूंगफली के तेल में मिलावट के लिए कम मूल्य के पामोलियन तेल का मुक्त रूप से प्रयोग किया जाता है। इससे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि खाद्य सामग्री में मिलावट की रोकथाम अधिनियम के अन्तर्गत पामोलियन की विद्यमानता का पता नहीं लगाया जा सकता है यद्यपि इसका अनुमान जो मूंगफली के तेल के रूप में स्वीकृत किया जाता है अधिक से अधिक 40 प्रतिशत है।

यह कितनी खतरनाक बात है कि मूंगफली के तेल में पामोलियन मिलाया जा रहा है और उसका डिटैक्शन ही मुश्किल है जब तक वह 40 फीसदी के स्तर तक न पहुंच जाये। इस तरह से सारे देश के लोगों को जहर खिलाया जा रहा है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सारी बातें सरकार के ध्यान में आई हैं, यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है।

बटर में एनीमल टैलो की मिलावट के बारे में अनस्टार्ड क्वैश्चन 923 के जवाब में इस सदन में 1 मार्च, 1984 को कहा गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पशु की चर्बी किस श्रेणी के अन्तर्गत आती है।

श्री हरिकेश बहादुर : यह मिलावट की श्रेणी के अन्तर्गत आती है पशु की चर्बी मक्खन में मिलाई जा रही है।

इस बारे में इस सदन में काफी चर्चा हुई है और सरकार ने देश की जनता को तरह-तरह की बातों द्वारा गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन आज तक इसका सही समाधान नहीं निकला है।

दूसरे सदन में मन्त्री महोदय ने बताया कि एडल्ट्रैशन के लिए 1980 में 17,041, 1981 में 16,400 और 1982 में 15,006 लोगों के खिलाफ प्रासीक्यूशन लांच किए गए। लेकिन कितने लोगों को सजा मिली ? होता यह कि अपराधी हमेशा छूट जाते हैं और ये अपराध तेजी से बढ़ते जाते हैं। जब तक सम्बद्ध कानून में व्यापक संशोधन नही किए जाएंगे और सारी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट्स पर डालने की कोशिश की जाएगी, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस लिए केन्द्रीय सरकार स्वयं इस मामले में दिलचस्पी ले और प्रभावशाली कदम उठाए।

प्रायः देखा जाता है कि गांवों में मिठाई बनाने वाले जैसे छोटे-छोटे लोगों के खिलाफ तो कार्यवाही की जाती हैं, लेकिन ग्लूकोस और दूसरी दवाओं में मिलावट करने वाले बड़े-बड़े रैकेटियर्ज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सरकारी अधिकारी छोटे-छोटे लोगों को परेशान करते हैं। इस विभाग में जो बहुत अधिक घूंसखोरी होती है, उसको भी रोकने का प्रबन्ध करना चाहिए। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पैसा ले कर एडल्ट्रेशन करने वाले लोगों को छोड़ दिया जाता है और बड़े प्रभावशाली लोगों का अपराधियों को संरक्षण मिलता है। बहुत से जहरीले पदार्थ रंगों के रूप में खाने-पीने की चीजों में मिलाये जाते हैं। सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के पास इच्छा-शक्ति विल-पावर, का अभाव है, वर्ना इस समस्या का समाधान हो जाता। सरकार अपनी कमजोर इच्छा-शक्ति के कारण कमजोर कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं कर पा रही है। मैं चाहता हूं कि एडल्ट्रैशन के लिए जिम्मेदार लोगों को स्पेशल कोर्ट बना कर ट्राई किया जाए और उनको मृत्यु-दंड की सजा दी जाए। इससे कम सजा के द्वारा इस अपराध को रोका नहीं जा सकता। क्या मंत्री महोदय उस दिशा में कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, माननीय सदस्य ने मिलावट के मामलों मिलावट के स्वरूप आदि के बारे में बताने तथा उनका विवरण देते हुए यह कहा कि स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है, जिसे मुझे कहना चाहिए कि यह न केवल अतिशयोक्ति है बल्कि कुछ ऐसा है जो सच नहीं है। कोई भी चीज सरकार के नियंत्रण से बाहर नहीं हुई है और सरकार के पास इन समाजविरोधी तत्वों से निपटने के लिए आवश्यक इच्छा शक्ति, सक्षमता तथा समर्थता मौजूद है।

माननीय सदस्य ने साधारण रूप से इन बातों का वर्णन किया है जो विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। लेकिन अंत में केवल एक प्रश्न पूछा है कि क्या सरकार इनसे निपटने के लिए कुछ करने जा रही है। मुझे कहना चाहिए ··(व्यवधान)।

श्री हरिकेश बहादुर : विशेष न्यायालय भी ।

श्री बी० शंकरानन्द : विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। चार केन्द्रीय प्रयोगशालाओं के अलावा देश में लगभग 67 प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। इन मामलों से निपटने के लिए प्रत्येक राज्य में कानूनी प्रकोष्ठों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है। कई राज्यों ने इन मामलों के लिए सलाहकार समितियां नियुक्त की है और इन राज्यों की सलाहकार समितियां बिल्कुल सही ढंग से काम कर रही हैं ।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी राज्यों को प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना है और खाद्य तथा औषधि प्रयोगशाला के सम्मिलित भवन का निर्माण करने के लिए प्रत्येक राज्य को 18.68 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की व्यवस्था है। इसके अलावा उपकरणों के लिए 66 लाख रुपये के अतिरिक्त अनुदान की भी व्यवस्था है। कुछ राज्यों को ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए अतिरिक्त अनुदान भी स्वीकृत किया गया था और इनमें से प्रत्येक प्रयोगशाला को अपनी प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण खरीदने हेतु एक लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये स्वीकृत किए गए थे ।

हम जानते हैं कि जब तक हमारे पास इंस्पेक्टरों, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों और अन्य पर्यवेक्षी कर्मचारियों के रूप में प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं होंगे तब तक हम इन प्रयोगशालाओं का सर्वोत्तम उपयोग नहीं कर पायेंगे। इसलिए हमने कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित की हैं।

हमने वृत्तचित्र के उद्देश्य से शैक्षिक गतिविधियों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी लगभग 65,000 रुपये स्वीकृत किए हैं ताकि लोगों को खाद्य सामग्री में मिलावट की बुराइयों के खिलाफ शिक्षित किया जा सके। खाद्य सामग्री तथा औषधियों के बारे में "छुपे दुश्मन" नाम का एक वृत्तचित्र केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इस चित्र को मेरे साथी उप मन्त्री ने देखा है। उन्होंने कतिपय सुझाव दिए हैं और इन सुझावों को इसी क्षण कार्यान्वित किया जा रहा है।

मेरे साथी उप मन्त्री द्वारा निर्मित संगठनों, जिसमें मदर डेयरी भी शामिल है, के साथ लगातार बैठकें की गई हैं और मुझे यह कहना चाहिए कि मदर डेयरी में स्रोत पर कोई मिलावट नहीं की जा रही है। सम्भव है कि खुदरा बिक्री केन्द्रों पर कुछ ऐसे मामले पाए गए हों लेकिन उन मामलों के लिए मदर डेयरी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है ।

जैसा कि मैंने कहा है, यह शिक्षा का मामला है। जब तक हम इस देश में जनता को शिक्षित नहीं करेंगे और उपभोक्ता आन्दोलन नहीं करेंगे अकेले सरकार के प्रयासों से हमारी आशा के अनुरूप अधिक सफलता नहीं मिलेगी ।

श्री मनीराम बागड़ी : आप हंसिएगा नहीं । कम से कम आप कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी की कदर करिएगा । बड़ा महत्वपूर्ण मामला है । आप हंसते हैं तो महत्व को कम करते हैं । इसलिए गंभीरता से सुनिए ।

देश के 70 करोड़ लोगों को खाना, दवाई और जीवन की जो जरूरी चीजें हैं, उनमें अगर जहर मिले और उस जहर को रोकने में सरकार असमर्थ हो, चाहे कारण कुछ भी हो, तो वह समाज रद्दी है जो ऐसी गन्दी सरकार को बर्दाश्त करता है । 70 करोड़ आदमियों के लिए कितनी लेबार्टरीज हैं जांच करने के लिए और कितने नमूने भरे गए हैं ? बुनियादी तौर पर तो यह बात निकम्मी, पाजी और घटिया दिमाग की उपज है । पांच नमूने ही क्यों भरे गए ? जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जिनके नमूने भरने चाहिए सभी के नमूने क्यों नहीं भरे गये ? यह बेईमानी और यह मिलावट गंगोत्री और यमुनोत्री से चलती है छोटे-छोटे गिलासों से नहीं । आखिर यह चीजें बनती कहां हैं ? कहां तेल बनता है, कहां चीनी बनती है, कहां शराब बनती है और कहां मसाले पिसते हैं ? नारियल के तेल की शीशी पर लेबल लगा होता है "शुद्ध नारियल का तेल" और नीचे बहुत ही महीन अक्षरों में लिखा रहता है कि यह खाने के काबिल नहीं है, इसको खाने में उपयोग न किया जाए । वह इतने महीन अक्षरों में लिखा रहता है जिसको मैं और कमलापति जी जैसे बड़ी उम्र के लोग पढ़ ही नहीं सकते हैं । यही बात शराब और सिगरेट के पैकेट पर भी लिखी रहती है ।

हमारे यहां हरियाणा में सौ आदमी सरकारी ठेके की शराब पीकर मर गए । आपने अक्सर यह भी पढ़ा होगा जिस स्कूल में सरकार भोजन देती है, वहां पर भी सैकड़ों बच्चे भोजन खाकर बीमार पड़ गए । इस प्रकार के मामलों में सजा का उतना महत्व नहीं हैं । सजा देना तो एक मामूली बात है । डकैती क्यों पड़ी- असली सवाल यह होता है । डकैत को आपने पकड़ लिया इसका उतना महत्व नहीं है । अच्छा समाज वही है जिसमें क्राइम्स न हो । मुजरिम को पकड़ लेना दूसरी बात है । असल सवाल यही है कि क्राइम होता क्यों है ?

सौ में से 70 लोग जो मिलावट से प्रभावित है वे ही हैं जो कि झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं । सौ में 40 वे हैं जोकि गांवों में रहने वाले हैं । सौ में जो सफेदपोश हैं वह 10-12 ही हैं लेकिन बचे हुए वे भी नहीं हैं । किसी न किसी रूप में वे भी मिलावट से प्रभावित होते हैं । कुमारी कुमुदबेंन जोशी ने मिलावट के बारे में आंकड़े दिए है, आप कहें तो में पढ़कर बता दूं कि घी, दूध, मक्खन, आटा और तेलों में कितनी मिलावट है । स्वास्थ्य मंत्री जी बुद्धिमान हैं, वे मिलावट को जानते है लेकिन घर मंत्री कितने सुस्त हैं कि मिलावट करने वालों को पकड़ नहीं रहे हैं । मैं ऐसा नहीं मानता कि सजा देने से ही मिलावट समाप्त हो जायेगी । सवाल यह है कि समाज का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है । आप इस बात को समझ लीजिए, यह बहुत खतरनाक बात है । आप पूंजीवाद मुल्क की व्यवस्था को ले लीजिए, और साम्यवाद और समाजवाद जनतन्त्र को ले लीजिए, किसी मुल्क में खाने-पीने में मिलावट नहीं मिलेगी । हमारे साथ आपके एक मंत्री अमरीका में थे ; कहने लगे कि दवाइयां यहां से ले जायेगें क्योंकि यहां अर मिलावट नहीं है । रूस से ले जायेगें, क्योंकि मिलावट नहीं है । सिद्धातों में फर्क हो सकता है, लेकिन खान-पान में

जहर के सौदागरों के साथ रियायत नहीं होनी चाहिए। आप कहते हैं कि 1600-1700 नमूने भर लिए- यह बात बेबुनियाद सी प्रतीत होती है। आपने क्यों 1600 भरे, सब क्यों नहीं भरे। आपने चण्डीगढ़ केन्द्रशासित प्रदेश की एक मसाला बनाने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है। कमलापति जी पूजा करके सोचते हैं कि शुद्ध हो गये और गंगाजल पीते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है मसालों में गधे की लीद मिलाई जाती है। इस प्रकार से उनकी शुद्धताई कहां तक रह जाती है। ऐसी-ऐसी दालें हैं, जिन पर पाबन्दी लगा दी गई है, फिर इन दालों को मध्य प्रदेश में खिलाया गया है। वहां बीमारी फैल रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसी प्रकार बंगाल में जहां प्रोग्रेसिव सरकार है, वहां तेल को खा करके लोग पंगू और आंखों से अन्धे हो गए हैं। लकुवा मार गया है, जिस प्रकार से इस सरकार को लकुवा मारा हुआ है।

मैं आपके सामने तीन-चार बातें रखना चाहता हूं। पहली यह कि जिस प्रकार फैमिली प्लानिंग का हफ्ता मनाते हैं, मंत्रियों के उद्घाटन का और आने वाले नेताओं का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार देशव्यापी स्तर पर किस प्रकार से मसालों खाद्य पदार्थों को शुद्ध रखा जाए, इसका हफ्ता मनाना चाहिए। यह आपने अभी तक नहीं मनाया है। जीवन एक धर्म है, इन धर्मों को कायम रखने का आपने कभी हफ्ता मनाया है-नहीं। स्वास्थ्य के लिए कुछ हट्टे-कट्टे आ गए होंगे' बहन जी जैसे और हफ्ता हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे देश के अन्दर लोगों के अन्दर पहुंच कर आपको मनाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे सुन्दर चेहरे देखने से हर भारत-वासी को खुशी होती है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसके लिए अनुमति नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : अपनी बहन-बेटियों के सुन्दर चेहरे देखने से खुशी नहीं होती है। मुझे तो तुम्हारा चेहरा देखने से भी खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे में से काला ढंक निकलता है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ काम करना चाहिए। यह ठीक है कि आपके बस की बात नहीं है। ईमानदारी से यदि आप इस काम को करें, चुनाव का झंझट छोड़ दे, कमलापति जी पार्टी का संगठन छोड़ कर स्वास्थ्य संगठन बनाएं, तब कुछ काम हो सकता है। गांधी जी, डॉ० लोहिया, विनोबा भावे, जयप्रकाश जी ने कुछ काम समाज में किया है। ऐसा रास्ता लोगों को अपनाना चाहिए। खैर, मैं सरकार मे कहना चाहता हूं कि आप देशव्यापी हफ्ता मनायें। दूसरे-आप चैकिंग इन्सपैक्टर की तादाद को बढ़ायें। एक करोड़ पर एक इन्सपैक्टर है, इससे काम नहीं होगा। इन इन्सपैक्टरों की छोटी तनख्वाह है, लेकिन इनकी आमदनी बड़ी है। अगर इनकम टैक्स वाले गलती से इनके यहां रेड कर दें तो मंत्रियों से भी ज्यादा इनके पास मिलेगा। बन्धे हुए हैं, घरों पर दे जाते हैं अपने आप। हर दुकानदार से बन्धा हुआ है। सीधा आता है। किसी किसी रहीस की बीवी के पास इतने सुन्दर कपड़े नहीं होंगे जितने कि इनकी बीवियों के पास मिलेंगे।

कारपोरेशन में जो अधिकारी इस काम के लिए होते हैं, उनके पैसे बंधे हुए हैं, अपने आप पैसे उनके पास पहुंच जाते हैं, सारे देश में इस तरह का माध्यम बन चुका है, किसी तरीके से इस को रोकिये।

चौथी बात आप ने इसके प्रचार के लिए 65 हजार या 66 हजार रुपये मंजूर किये हैं। कोई फिल्म बनाई है या बनाने के लिए रुपया मंजूर किया है। कितना रुपया मंजूर किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : फिल्म बनाई है।

श्री मनी राम बागड़ी : कितने रुपये में ?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : यह पता नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : इतने रुपयों में तो एक अच्छी तस्वीर भी नहीं बनती है। यह तमासा है-हिन्दुस्तान के लोगों पर. आप उनको पेट भर रोटी भी नहीं दे सकते, वे भूखे और नंगे लोग जिनको आधा टुकड़ा रोटी का मिलता है तो वह भी मिलावट का और सड़ा हुआ है, यह उन लोगों के साथ मजाक है। फिल्म बनाने के लिए एक लाख या उस से कम रुपया खर्च कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एशियाड गेम्ज पर दो हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया-आपको शर्म महसूस नहीं होती है ? हिन्दुस्तान के लोगों की जिन्दगी से जो मौत के व्यापारी खेल खेलते हैं, उन को पकड़ने के लिए, उनकी जिन्दगी को बचाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। ये घर मंत्री बैठे हैं, बम और पिस्तौल वाले आप के काबू से बाहर हैं, उन से आपको भी डर लगता है मुझ को भी डर लगता है, लेकिन इन लोगों के पास तो बम- पिस्तौल नहीं है, इनके पास चांदी की गोली हो सकती है, उन से आप क्यों डरते है ? इन कारखानेदारों को पकड़ो, गंगोत्री और जमुनोत्री पर हाथ डालो। मैं यह नहीं कहता कि दवन्नी वालों को छोड़ दो, लेकिन सिर्फ दवन्नी वालों को पकड़ लो और दो करोड़ वालों छोड़ दो, यह नहीं चलेगा। गांधीं जी कहते थे-चमार की चवन्नी पकड़ी जाती और पंडित का करोड़ों का डाका बच जाता, हम चमार की चवन्नी नही बक्शवाना चाहते, लेकिन करोड़ वाला भी नहीं बक्शा जाय .....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने पंडित जी का नाम क्यों लिया ?

श्री मनी राम बागड़ी : कमलापति जी हैं, इस लिए।

मैं चार बातें रख रहा हूं- हिन्दुस्तान के अन्दर एक लाख की आबादी पर एक इंस्पैक्टर होना चाहिए और दस लाख की आबादी पर एक लैबोरेट्री होनी चाहिए। क्या आप हर कारखाने की जांच और हर दुकान का सैम्पिल भरने की क्षमता वाला महकमा बनाने के लिये तैयार हैं ?

दो—जन-जागरण के वास्ते क्या आप देश-व्यापी सप्ताह मानने के लिए तैयार हैं ?

तीन—आपके जितने इंस्पेक्टर हैं-क्या इनकम टैक्स के महकमे के माध्यम से उन की सम्पत्ति की जांच करवायेंगे ?

चार—ऐसे फैक्ट्री वाले जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं उनके उदघाटनों में आप नहीं जायेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने इन समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों के सम्बन्ध में टिप्पणी करते हुए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों का प्रस्ताव रखा था। माननीय सदस्य ने स्वयं भी सरकार की आलोचना करने में अपने विचारों को राजनीति से दूर नहीं रखा है।

आप भी इन गतिविधियों में से कुछ के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सरकार जिम्मेदार है। मैंने यह कहा था कि सरकार जनता के प्रतिनिधियों को साथ लिए बगैर अकेले इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं निन्दा गवर्नमेंट की नहीं करूंगा तो क्या नत्थू नाई की करूंगा। इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : सरकार अपने पास उपलब्ध साधनों से उन व्यक्तियों को दबाने उनको नियन्त्रित करने उन्हें सजा देने के लिए सभी आवश्यक कार्यवाहियां करेगी जो समाज की कीमत पर रुपया कमा रहे हैं। हम उन्हें भी दंड देंगे।

श्री मनी राम बागड़ी : सजा से आपका क्या अभिप्राय है ?

इस्तीफा दे दो, अगर तुम यह मानते हो कि गवर्नमेंट इसको करने में सक्षम नहीं है। यदि किसी सरकार का कोई मंत्री यह कहने की हिम्मत रखता है कि हम इस अन्याय को नहीं रोक सकते, तो मैं यह कहूंगा कि यह मंत्री एक क्षण के लिए भी पद रहने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। तत्पश्चात अन्त में यदि आप कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : जब आप मामले को राजनैतिक रंग देते हो तो इससे आपको कुछ कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आपके सुझावों का महत्व वास्तव में घट जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : निःसंदेह उन्होंने बहुत ही अच्छे सुझाव दिये हैं। मैं उन्हें श्रेय दे रहा हूं। लेकिन उन्होंने उन सुझावों को अपनी राजनैतिक विचारधारा के रंग में रंग दिया और इसलिए उनका महत्व समाप्त हो गया है।

श्री मनी राम बागड़ी : यह सब पालीटीकल नहीं हैं तो क्या है। हुकूमत राजनीति के बगैर कैसे चलेगी। राजनीति क्या कोई पाप है या कोई जुर्म है। राजनीति से सारे काम चलने वाले हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : इस देश की जनता ने हमारे कार्य निष्पादन को देख लिया है। और जनता ने हमें फिर शक्ति दे दी है क्योंकि आप सरकार चलाने में असमर्थ थे और हम सरकार चलाने में समर्थ है। आपको यह नहीं भूलना चाहिए ···(व्यवधान)· मैं आपके सुझावों का आदर करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने 4 या 5 महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्होंने समुनोत्री और गंगोत्री के सम्बन्ध में कहा है जो पूर्णतः सत्य नहीं है क्योंकि मिलावट उत्पादन के स्रोत पर ही उत्पन्न नहीं होती है बल्कि यह भंडारण ढुलाई खुदरा बिक्री केन्द्रों के स्थानों पर भी होती है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। अतः मिलावट को विभिन्न स्थानों पर रोकना होगा।

निःसंदेह निरीक्षणालय को को मजबूत किया जाना है। प्रयोगशालाओं को मजबूत किया जाना है, तथा आवश्यक प्रशिक्षित कार्मिक तथा आवश्यक उपकरण उपलब्ध किये जाने है। हम कार्यवाही कर रहे हैं और हमने इस सम्बन्ध में आंकड़े दिये है कि इस देश में कितनी प्रयोगशालाएं कार्य करती है और राज्य सरकारों को अपने राज्यों में अपनी-अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने तथा अपने-अपने निरीक्षणालय के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में सहायता देने के लिए शुरू की गई हमारी योजनाओं की संख्या क्या है। मैंने ऐसा कहा था। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने केवल असफलता के सम्बन्ध में ही टिप्पणी की है। सरकार की जो कुछ भी विचारधारा है उसे सभा की जानकारी में लाया गया है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि केवल वह बात जिसे हम करते रहे हैं। हम जो भी आवश्यक जोर डालना चाहते हैं, वह यह है कि इस देश में उपभोक्ता अभियान पर है और वह जनता द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए मैं आप से यह कहता हूं कि आप भी इन बातों के लिए उतने ही जिम्मेदार है जितने हम हैं।

श्री सनी राम बागड़ी : पीपुल पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। क्या यह ठीक है।

समितियों के लिये निर्वाचन

(एक) **प्राक्कलन समिति**

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अन्य मदों समितियों के चुनावों के लिए प्रस्तावों को लेते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1984 से प्रारम्भ होने वाले कार्य-काल के लिये, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 311 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1984 से प्रारम्भ होने वाले कार्य-काल के लिये, प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मेरे रखे गये प्रस्ताव को पहली बार स्वीकृत किया गया है।

(दो) लोक लेखा समिति

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सुनील मैत्रा : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवे और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवें और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(तीन) सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

श्री मधु सूदन वैराले (अकोला) : श्रीमन मैं प्रस्ताव रखता हूं :—

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्य-काल के लिये, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 312ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मधु सूदन वैराले : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवें और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यो के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये, इस सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवें और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(चार) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि इस सभा के सदस्य, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचलन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने हेतु अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अनादि चरण दास : श्रीमन, मैं प्रस्ताव रखता हूं।

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा से दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवें और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, 1 मई, 1984 से आरम्भ होने वाले कार्यकाल के लिए, इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के साथ सहयोजन हेतु राज्य सभा के दस सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिये सहमत होवें और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को लेते हैं।

(एक) किसानों के सहायतार्थ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और नवीन वन अधिनियम में ढील दिया जाना

प्रो० नरायणचंद पराशर (हमीरपुर) : श्रीमन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और नये वन अधिनियम की सख्ती ने सामान्यतया देश के विभिन्न भागों तथा विशेष रूप से पहाड़ी राज्यों में किसानों को पर्याप्त परेशानी हुई है। वे उन जंगली जानवरों से भी अपनी फसलों की रक्षा करने में इसे पूर्णरूप से कठिन समझते हैं जो पास के ही जंगलों से उनके खेतों में आकर घूमते हैं। नये विनियमों किसानों को बारूद भरे हथियार लेकर घूमने से भी किसानों को रोकते हैं और हवा में गोली चलाकर भी जंगली जानवरों को भगाने में पूर्णरूप से परेशानी आती है। अतः यह अनुरोध है कि भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने यह अनुरोध है कि

वह फसलों की रक्षा करने तथा अपनी सुरक्षा के संबंध में इन विनियमों के लागू करने में शिथिलता देने की अनुमति दे।

(दो) **विदेश स्थित भारतीय दूतावासों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना**

श्री चिंतामणि जेना (बालासोर) श्रीमन्, भारतीय दूतावासों में सुरक्षा प्रबंधों के पुनः लागू करने की तत्काल आवश्यकता है इसके लिए उन्हें आधुनिक औजार तथा छोटी तथा बड़ी दोनों आधुनिक संचार प्रणाली उपलब्ध की जानी चाहिए क्योंकि उनको उपलब्ध किये गये संचार उपकरण तथा औजार पुराने हो गये हैं। इंग्लैंड में श्री महात्ते की हत्या को ध्यान में रख कर ऐसा तत्काल करना आवश्यक हो गया है।

एक वर्ष पहले भारतीय दूतावासों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने को ध्यान में रखकर एक सेवा-निवृत्त राजदूत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। लेकिन समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया हैं। उचित सुरक्षा प्रबंधों के न होने से दूतावासों के उन कार्मिकों का जीवन खतरे में है जो विषमताओं के बावजूद भी हमारे देश के हितों की रक्षा करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं और विदेशों में हमारे देश का अच्छा नाम कमा रहे हैं। हजारों की संख्या में उनके परिवार के सदस्य तथा रिश्तेदार चाहे वे उनके साथ वहां दूतावासों में रह रहे हैं या भारत में रह रहे हैं उनकी चिन्ता का विषय है।

इस स्थिति को ध्यान में रखकर मैं इन दूतावासों के सभी सदस्यों चाहे वे उच्च स्तर के हों या छोटे स्तर के हों के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने तथा उन्हें आधुनिक औजार तथा उपकरण उपलब्ध करने के लिए संघीय सरकार से अनुरोध करता हूं। दूतावासों में सेवा करने वाले सुरक्षा गार्डों को अपने परिवार के सदस्यों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाये और इसके लिए जो भी खर्च आये उसे सरकार सहन करे।

(तीन) **केरल में छोटे तथा मझोले बन्दरगाहों का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता**

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : श्रीमन् देश में बड़े पत्तनों को छोड़कर सभी पत्तनों के विकास करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। देश के विभिन्न भागों में ऐसे बड़े तथा मध्यम पत्तनों की संख्या बहुत अधिक है जिनका उपयोग नहीं हो रहा है और फलतः वे बेकार होते जा रहे हैं। ये पत्तन उपयोग न किये जाने वाली श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि वे आधुनिक पोतों को सम्भाल नहीं सकते हैं और वहां वे आधुनिक सुविधाएं नहीं हैं जो एक पत्तन के लिए आवश्यक है।

लेकिन अपने-अपने राज्यों के आर्थिक विकास में छोटे तथा मध्यम पत्तनों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। केरल में विजलिंगम, आजीक्कल, वेपोर, नदिक्कारा, तथा एल्लेप्पी पत्तनों के विकास की बहुत अधिक संभावना है। लेकिन इन पत्तनों की पूर्णरूप से उपेक्षा की गई है। इन पत्तनों में आधुनिक पोतों को खड़ा करने तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए बहुत धनराशि की आवश्यकता है। चूंकि केरल सरकार की इतनी धनराशि जुटाने की

क्षमता नहीं है अतः केन्द्रीय सहायता बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम केन्द्रीय सरकार को उस 50 प्रतिशत सहायता को पुनः देना चाहिए जिसे कुछ समय पहले बंद कर दिया गया था। इसी प्रकार भारतीय नौवहन कम्पनियों को इन पत्तनों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए निर्देश दिये जायें तथा भारतीय खाद्य निगम जैसे संगठनों को इस संबंध में सहयोग देने के लिए पूछा जाये।

मैं सरकार से इन प्रश्नों पर विचार करने तथा इस मामले में उचित निर्णय लेने के लिए अनुरोध करूंगा।

(चार) नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले गिरोह

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सूटकेश, अटेची केस व अन्य सामान उठाने वालों के भारी गिरोह काम कर रहे हैं। शायद ही कोई दिन जाता हो जिस दिन 10-20 यात्रियों का सामान उठाईगीरे न ले जाते हों। यात्रियों का कहना है कि रेलवे पुलिस इस सब के बारे में जानकारी रखती हुई भी मौन दर्शक बनी रहती है। कुछ दिनों पहले त्रिपुरा के एक माननीय संसद सदस्य का सामान उठा लिया गया तथा 11.2.84 को। बजे दिन मेरा सूटकेस उठाईगीरे उठा ले गए। थाने में रिपोर्ट करने के बाद भी आज तक कुछ पता नहीं चला। यात्रा में सामान व नकदी गायब हो जाने से यात्रियों को जो अपार कष्ट होता है उसे कोई भुक्तभोगी ही जानता है। माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि वे इस संबंध में ठोस कार्यवाही करें।

(पांच) बिहार में शिक्षित युवकों को ऋण दिए जाने में बैंकों द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : प्रधान मंत्री ने 15-8-83 को लाल किले के प्राचीर से घोषणा की थी कि, शिक्षित बेरोजगारों को काम देने के लिए एक योजना चालू की जाएगी जिसका नाम होगा "शिक्षित बेरोजगार-स्व-नियोजन योजना" जिसमें शहरों एवं देहातों के बेकार नौजवानों को लघु उद्योग चलाने तथा छोटे-मोटे कार्यों को शुरू कर अपनी जीविकोपार्जन के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से उदारता के साथ ऋण दिए जायेंगे। इस योजना को प्रारम्भ हुए अभी लगभग आठ माह हुए है। परन्तु, बिहार के पटना जिले में इस योजना की बिल्कुल ही असंतोषजनक स्थिति है।

पटना जिला परिषद की उद्योग समिति की बैठक की रिपोर्ट से ऐसा लगा कि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबंधक इस योजना का खुलकर भीतर घात कर रहे हैं। पटना जिले से स्व-नियोजन योजना के लिए कुल 12,302 शिक्षित बेरोजगारों ने आवेदन किया था। उसमें से ऋण देने के लिए 1700 नौजवानों का चयन करना था, परन्तु जिला उद्योग विभाग ने 2007 शिक्षित बेरोजगारों के नामों का चयन किया जिनमें से 1498 नौजवानों के नाम बैंकों के पास ऋण स्वीकृति के लिये भेजे गए। परन्तु, दुख है कि, 23 फरवरी, 1984 तक केवल 92 नौजवानों को ही ऋण

प्राप्त हो सका है। ऐसे नियम के अनुसार बैंकों को प्राप्त आवेदन-पत्रों का निस्तार 14 दिनों के अन्दर कर देना है।

ज्ञात हुआ है कि, बैंकों में बिना पैसा लिये ऋण नहीं दिया जाता। इसके कई उदाहरण मेरे पास मौजूद हैं। अत मेरा सरकार से अनुरोध है कि, वह देखे कि स्व-नियोजन योजना की ऐसी दुर्गति न होने पाए।

(छः) बकिंघम एण्ड कर्नाटक मिल्स, मद्रास का सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास सेंट्रल) : श्रीमन विख्यात बकिंघम और कर्नाटक मिल्स को वर्ष 1981 में बंद कर दिया गया था तथा बड़ी कठिनाइयों के बाद इसे भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री तथा वर्तमान वित्त मंत्री की सहायता से पुन चालू किया गया था। मिल्स के पुन: चालू होने से 10000 मजदूरों में से 7400 को और 1000 कर्मचारियों में से 660 कर्मचारियों को रोजगार मिला। मजदूरों को बड़ी मुश्किल से तथा परेशानी से अवास्तविक मानदंडों को स्वीकार करके उत्पादन को बढ़ाने के लिए सहमत हुए। उस समय यह वचन दिया गया था कि उत्पादन बढाने के लिए मिल को आधुनिक रूप देने के लिए कार्यवाही की जाएगी। लेकिन आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में आज तक कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की गई है। यहाँ तक कि खराब पड़ी मशीनों से भी प्रति-1 लाख और 1.35 लाख मीटर कपड़ा के मध्य औसत उत्पादन हुआ। पिछले करार के दौरान संसद सदस्यों के साथ मिलकर तीन महीनों में एक बार मिल के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के लिए सहमति हुई थी। यह प्रबंध भी प्रबंध द्वारा नहीं किया गया था। मिल को बंद करने के परिणामस्वरूप गत 60 दिनों के लिए अव्यवस्था हुई।

इन परिस्थितियों में मैं वाणिज्य मन्त्री महोदय से तत्काल हस्तक्षेप करने तथा अविलंब या बिना किसी हिचकिचाहट के बी० एंड० सी० विख्यात मिल्स का अधिग्रहण करने का अनुरोध करता हूं जिससे 8000 मजदूरों को भूखे मरने से बचाया जा सके और मेरे चुनाव क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था के व्यवधान को रोका जा सके।

(सात) बिरला मिल्स, दिल्ली का अधिग्रहण किए जाने की आवश्यकता

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दमान) : श्रीमन, 11 जनवरी, 1984 से बिरला मिल्स में तालाबंदी होने के कारण इसके 6000 मजदूर बेकार हो गए हैं। बुनाई विभाग तथा इससे संबंधित का विभागों को बंद करने की प्रबंध की योजना का तालाबंदी भी एक अंग है।

पिछले प्रबंधकों ने जो तालाबंदी की जो घोषणा की भी वह लगातार 3 सप्ताह तक रही। जब मिल्स खुला तब प्रबंधकों ने बुनाई विभाग को हमेशा के लिए बंद करने की अपनी मंशा व्यक्त की और मजदूरों को मजबूरन छुट्टी पर भेजना शुरू कर दिया बुनाई तथा इससे सम्बद्ध विभागों को बंद करने का एक नोटिस जारी किया गया। इसी बीच मिल्स का टैक्समाको द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया।

17 मई, 1983 को सी० आई० टी० यू० तथा सूती वस्त्र मिल्स मजदूर कांग्रेस की दो यूनियनों के साथ एक करार किया गया। प्रबंध बुनाई विभाग के बंद करने के नोटिस को वापस लेने तथा उपर्युक्त विभाग के सभी मजदूरों को राहत देने के लिए सहमत हुआ। इसके साथ ही साथ प्रबंध ने बुनाई विभाग के कार्यकरण तथा अन्य विभागों में सामान्य रूप से कार्य करने को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए अपनी स्वीकृत दी।

तथापि प्रबंधकों ने प्रारम्भ से ही करार का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। मजदूर संघों ने बार-बार प्रदर्शन किए और सरकार हस्तक्षेप की मांग की। विशेषज्ञ समिति ने यह स्वीकार किया कि बिरला मिल्स में कार्यों का कार्यकरण कुल मिलाकर अन्य मिल्सों की तरह ही था। विशेषज्ञ समिति की निर्धारित अगली बैठक से एक दिन पहले प्रबंधकों ने अचानक ही तालाबंदी की घोषणा कर दी। विशेषज्ञ समिति की बैठक मजदूरों के प्रतिनिधित्यों के बिना हुई और उसने एक पक्षीय रिपोर्ट दी जिस में मजदूरों पर दोष लगाए गए तथा बुनाई विभाग को बंद करने की स्वीकृति दी।

इस प्रकार की स्थिति में सरकार के लिए मिल्स का अधिग्रहण करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है।

(आठ) मध्य प्रदेश में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का विस्तार करने की आवश्यकता

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : मध्य प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण सेवा को व्यापक बना कर स्तर में वृद्धि की जाए। मध्य प्रदेश में जहां साक्षरता का प्रतिशत कम है आकाशवाणी और दूरदर्शन को प्रदेश के लोगों को अद्यतन जानकारी देने का प्रभावी माध्यम बनाया जाना चाहिये। जहां अन्य प्रदेशों में आकाशवाणी केन्द्रों की समाचार इकाइयों का स्तर बढ़ा कर वहां समाचार सम्पादक के पद की स्थापना की गई है वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आकाशवाणी केन्द्र को इससे वंचित कर दिया गया है। आवश्यकता इस बात की है कि मध्य प्रदेश के व्यापक विस्तारित क्षेत्रफल और विभिन्न सांस्कृतिक परम्पराओं के आधार पर प्रत्येक राजस्व संभाग केन्द्र पर आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जायें। मन्दसौर जिले को दूरदर्शन प्रसारण कार्यक्रम में सम्मिलित किया जावे। इसी प्रकार भोपाल स्थित क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में भी सक्षम अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय से आग्रह है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आकाशवाणी केन्द्र में समाचार सम्पादक का पद स्थापित कर समाचार बुलेटिनों की संख्या में वृद्धि की जाए। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में प्रादेशिक अधिकारी नियुक्त किया जावे। प्रदेश के उज्जैन सहित सभी संभाग केन्द्रों पर आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना की जावे तथा मन्दसौर जिले में उच्च क्षमता का दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित किया जावे।

(नौ) महाराष्ट्र में प्रस्तावित इंटीग्रल कोच फैक्टरी स्थापित किये जाने की आवश्यकता

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) श्रीमन, रेल मंत्रालय देश में रेलवे यात्री कोचों के सम्बन्ध में मांग में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए कोच निर्माण क्षमता के विस्तार पर

सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। रेलवे सर्वेक्षण दल ने प्रतिवर्ष 400 कोचों की क्षमता वाली एक नयी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना करने का सुझाव दिया है और इसके लिए प्रारम्भ में 40 करोड़ रुपए निवेश करने का भी सुझाव दिया है।

बाद में प्रतिवर्ष 750 कोचों तक क्षमता बढ़ा दी जायेगी।

एस० आई० सी० ओ० एस० पहले ही महाराष्ट्र में इस प्रकार की परियोजना के स्थापित करने की व्यवहार्यता के बारे में अध्ययन करने के लिये कहा गया है। व्यवहार्यता रिपोर्ट रेल मंत्री महोदय को भेज दी गई है और मंत्रालय से इस राज्य में परियोजना के लिए स्थान पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 6 मई, 1981 को रेल मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था। इसके पश्चात् इस मामले को फिर महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने 30 अगस्त 1983 को प्रधान मंत्री के साथ उठाया था तथा उनसे सरकारी क्षेत्र में इस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए नागपुर के पास एक उपयुक्त भूखण्ड को छांटने का अनुरोध किया गया था।

रेल मंत्री महोदय ने 13 अक्तूबर, 1983 को यह बताया है कि एक नयी रेलवे कोच उत्पादन एकक की स्थापना करने के लिए एक प्रस्ताव को योजना आयोग ने फरवरी, 1982 में सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। रेलवे बोर्ड ने अभी-अभी एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आर० आई० टी० ई० एस० को प्रतिनियुक्त किया है।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि यह नयी प्रस्तावित कोच फैक्ट्री महाराष्ट्र में स्थापित की जाये।

(दस) **विभिन्न पन-बिजली परियोजनाओं तथा बांधों के लिए धन की व्यवस्था करना**

श्री हरीश रावत : उत्तर प्रदेश की नदियों में जल विद्युत उत्पादन की असीम क्षमता है। इस असीम क्षमता का दोहन नहीं हो पा रहा है। काली, गोरी, धौली गंगा, अलकनन्दा, भिलंगना एवं भागीरथी आदि नदियों पर कई बहुद्देश्यीय बांध प्रस्तावित है। राज्य सरकार धनाभाव में इन पर कार्य प्रारम्भ नहीं कर पा रही है। कुछ बांधों जिन पर निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है धनाभाव के कारण कार्य प्रगति बहुत धीमी है। मनेली, भाली, टिहरी, विष्णु, प्रयाग आदि परियोजनाएं इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं समस्त उत्तर भारत के हित में इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य वह अपने हाथ में ले तथा शारदा भेली की जल क्षमता के उपयोग के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार कर उस पर अमल प्रारम्भ किया जाए। पंचेश्वर बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो सके, इस हेतु नेपाल सरकार से उच्च स्तर पर बातचीत की जानी चाहिये। इस क्षेत्र की कई लघु जल विद्युत योजनाएं सर्वेक्षण के उपरान्त केन्द्रीय सरकार के सम्मुख आई हैं। उन्हें शीघ्र स्वीकृति दी जानी आवश्यक है।

लम्बे समय से भिंडर घाटी परियोजना के नाम से एक जल विद्युत उत्पादन योजना के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मुख लम्बित है। इस कार्य का सर्वेक्षण भी किया जा चुका है।

अतः इस परियोजना की तात्कालिक स्थिति की जानकारी लेकर एन० एच० पी० सी० को इस पर कार्य प्रारम्भ करना चाहिये।

धन्यवाद।

(ग्यारह) उड़ीसा में जल की कमी को पूरा करने के लिए उड़ीसा सरकार को नलकूपों के लिए रिंगों की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : श्रीमन, एक दीर्घकालीन सूखा पड़ने के कारण एक गम्भीर तथा अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गयी है जो नवम्बर 1983 से सारे उड़ीसा राज्य में बराबर बनी हुई है और इससे चंदबाली बासुदेवपुर तथा विशेष रूप से बालासोर जिले के थिही डी० सी० डी० खण्डों में जिले की लवणग्रस्त पट्टी में जनता के लिए पेय जल की अत्यंत कमी हो गयी है। चूंकि पानी का स्तर नीचा हो गया है, गर्मी शुरू होने पर अधिकांश नलकूप या तो सूख गये हैं या उनमें खारी पानी है। वर्ष 1982 के दौरान सूखा के पश्चात् आये विनाशकारी तूफान के बाद जनता को पेयजल उपलब्ध करने में सहायता देने के लिए क्षेत्र में लगभग 33 गहरे नलकूपों की स्वीकृति दी गई थी क्योंकि अधिकांश नलकूप लवणीय जल में डूब जाने से समाप्त हो गये थे।

लेकिन ये 33 नलकूप आज तक नहीं खोदे जा सके इसका आंशिक कारण उपकरणों की गैर उपलब्धता और आंशिक कारण ठेकेदारों द्वारा प्रतिस्थापन प्रभारों की संशोधित दरें मांगना जो दुर्भाग्यवश अभी तक तय नहीं हो सकी है। केन्द्रीय सरकार की प्रसार पेयजल योजना के अन्तर्गत जितने भी नलकूप स्वीकृत किये गये थे उन्हें उपकरणों आदि के गैर-उपलब्धता के कारण पूरा नहीं किया जा सका। गहरी बोरिंग, पानी की लवणीयता, तथा जल भराव, की कठिनाइयों से बचने को ध्यान में रखकर, 'दनीदा' विशेषणों को इस स्थिति का हल करने में सहायता देने के लिए क्षेत्र आवंटित कर दिये गये थे। लेकिन 'दनीदा' योजना ने समस्या के सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं की है यद्यपि योजना वर्ष 1982 से कार्य करती आ रही है।

अतः मैं केन्द्रीय सरकार से आपातकालीन आधार पर स्वीकृत नलकूपों को खोदने में उड़ीसा राज्य सरकार को अधिक से अधिक उपकरण देने का अनुरोध करता हूं। तथा सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह लोगों को जिन्दा रहने के लिए 'दनीदा' योजना की तत्काल क्रियान्विति में भी सहायता करे।

———

अनुदानों की मांगें (सामान्य)—1984-85

गृह मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब यह सभा गृह मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाली अनुदानों की मांगों पर और आगे चर्चा करेगी तथा मतदान करेगी। श्री रवीन्द्र वर्मा ...

श्री रवीन्द्र वर्मा : (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र गृह मंत्री का तथा उनके प्रिय साथियों का बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए, मैं समीक्षाधीन वर्षा के दौरान उनके मंत्रालय द्वारा लिए गये कार्यों की सहायता करते हुये अपनी बात शुरु करना चाहता हूं। परन्तु महोदय, यह वर्ष राष्ट्र के लिये आघातों का वर्ष रहा है। यह एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें हमने भीषण किस्म का नरसंहार देखा हैं जो देश के विभाजन के बाद पहली बार हुआ है। यह एक ऐसा वर्ष रहा रहा है जिसमें इस नरसंहार ने देश के लोगों की रीढ़ की हड्डी तक को कंपा दिया है।

महोदय, मैंने गिद्धों को शवों का मांस खाने की प्रतीक्षा करते हुये स्वयं देखा है। गॉव के गांव जला कर राख कर दिये गये हैं। वीरान गांवों में छोटे छोटे बच्चे बिलखते फिर रहे हैं अपने घरों में अपनी माताओं की छाती से चिपटे हुये अबोध बच्चों को छुरों से मारा गया। बूढे लोगों ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि विभाजन के चार दशाब्दियों बाद हमें अपने देश में ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। हममें से अधिकांश को यह विश्वास था कि विभाजन के दिनों की वीभत्सता एवं पागलपन के बाद हमारे लोगों ने साम्प्रदायिकता को जड़ मूल से ही नष्ट कर दिया होगा और महात्मा गांधी की शहादत ने हमारे देश के लोगों के दिलों में साम्प्रदायिकता एवं जातिवादि से ऊपर उठकर सोचने की अमिट भावना पैदा कर दी होगी और उन्होंने हिंसा एवं संघर्ष के मार्ग को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे दी होगी।

महोदय, इस वर्ष में अनेकों ऐसी घटनायें घटित हुई हैं जिन्होंने हमारे देश के लोगों के मस्तिष्क हमारे राष्ट्रवाद के मूल आधार के बारे में ही शंका पैदा कर दी है इसलिए, ऐसे वर्ष की समीक्षा आत्म विश्लेसी होनी चाहिए न कि आत्म तुष्टि वाली अथवा इसको औचित्य ठहराने वाली। इस विषय में इस वर्ष घटित कुछ घटनाओं के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं और अपने माननीय मित्र गृह मंत्री से अपील भी करता हूं। महोदय मुझे आशंका है कि इस सरकार ने अंग्रेजों के साम्राज्यवादी शासन के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को यह विश्वास है कि शासन करने की बेहतरीन नीति यही है कि फूट डालो और राज्य करो जो अंग्रेजों ने अपनाई हुई थी। फूट डालो और राज्य करो की इस सिद्धान्त के प्रति उनका लगाव इतना हो गया है कि सरकार की आत्मा तक उसमें डूब गई है। ऐसे पागलपन का दो मुही बातों का अस्पष्ट विचारों का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता जिन का सहारा लेकर सरकार ने इस वर्ष के दौरान हुये लोक प्रिय आन्दोलनों से निपटने का प्रयास किया है। महोदय, इस वर्ष के दौरान, हमने अत्यंत भावुकतापूर्ण मसलों पर विशाल आंदोलन भीषण संघर्ष, भारी मात्रा में धर पकड़ देखी है और साथ ही इस सरकार की भारी असफलता भी सामने आई है। मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करता हूं

कि वे आत्म विश्लेषण करें और यह देखें कि सरकारी नीति की इतनी भारी एवं भयानक असफलता क्यों हुई है। इस सरकार ने लोकप्रिय आन्दोलन में से निपटने के लिए साम्राज्यवादी तरीका अपनाया है ब्रिटिश तरीके को कौन नहीं जानता। उनका तरीका था आन्दोलन के उद्देश्यों को गलत ढ़ग मे पेश करना इसके लक्ष्यों को बदनाम करना, इस बात से इन्कार करना कि उस आन्दोलन को जनता का समर्थन प्राप्त है, यह दावा करना कि ये आन्दोलन, वास्तव में गुमराह लोगों द्वारा चलाये जा रहे हैं, यह धारणा पैदा करना कि यह आन्दोलन जनता के अन्य वर्गों के लिये हनिकारक है, आन्दोलन के समर्थकों में फूट डालना, आन्दोलनों को विस्तृत करना चाहे उनका रूप उग्रवादी ही क्यों न बन जाये और उत्तेजना पैदा करने वाले एजेन्टों को उन आन्दोलनों में शामिल करना। इसलिये लोकप्रिय आन्दोलनों के प्रति सरकार का रवैया धूर्ततापूर्ण तरीके से उन्हें समाप्त करने और उन्हें कुचलने का रहा है। यही क्रम लगातार चलते आ रहे हैं जो हमने उस समय देखे थे जब अंग्रेज यहां थे। और मुझे लगता है कि मेरे मित्र ने इस कुचक्र से निकलने का कोई ठोस प्रयास नही किया है। महोदय, पंजाब और असम में आपने क्या देखा है ? मैं इन दोनो राज्यों में घटित घटनाओं के ब्यौरे में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि इस बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं इस विषय में इधर-उधर बात न करके मूल बात पर ही चर्चा करूंगा।

महोदय, यह तरीका एक परम्परागत तरीका है, राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रभावित क्षेत्रों को उपद्रवग्रस्त अंग घोषित करना सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अधिनियम लागू करना, 1861 के पुलिस अधिनियम की प्राचीन धाराओं को प्रवृत करना, सरकार द्वारा किसी भी अधिकारी को कार्यवाही मजिस्ट्रेट का दर्जा देकर उसे शक्तियां प्रदान करना और उसे भारतीय दण्ड संहिता के अधीन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने और उन्हें सजा देने की शक्तियां प्रदान करना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक सेवा बनाये रखने सम्बन्धी कानूनों का इस्तेमाल करना, बिना मुकदमा चलाये किसी को भी बन्द रखना, संक्षिप्त अदालती कार्यवाही पर जोर देना तथा बिना वारंट के गिरफ्तारी करना, धारा 144 लागू करना सेवा तथा अर्द्ध सेनाओं का इस्तेलाल करना। एक दिन मेरे मित्र उस समय कुछ हद तक चिढ़ गये थे जब किसी ने मार्शल ला की स्थितियों का उल्लेख किया था। मार्शल ला में मार्शल ला के लिए तर्क दिया जा सकता है और उसमें एक जिम्मेदारी होती है। यदि वह इन स्थितियों को जो वहां व्याप्त हैं। मार्शल ला की स्थिति बताये तो मैं उनकी बात ये एक दम सहमत हो जाऊगा। मजिस्ट्रेट का अधिकार प्राप्त किये बिना ही अधिकारियों को गोली चलवाने की छूट देना मामले को पेचीदा बना देता है। असम और पंजाब में हम वही कुचक्र देख रहे है। मैं असम के मामले के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। जाधवपुर से चुने गये मेरे माननीय मित्र के कान हमेशा उस समय खड़े हो जाते हैं। जब मैं असम के बारे में बात करता हूं। हमने असम का हत्या काण्ड देखा है। प्रश्न यह है कि क्या यह हत्या काण्ड अपरिहार्य था। इस प्रश्न के बारे में मैं नहीं समझता कि बारसात से आये मेरे मित्र या जाधवपुर से आये मेरे मित्र को इसमें कोई आपत्ति होगी जो कभी कुज हुआ उसे रोका जा सकता था। क्या यह बाढ़ या भूकम्प जैसी कोई प्राकृतिक आपदा थी यह इस हत्या काण्ड के लिए मानव समाज जिम्मेदार था ? इसमें आपका असूचना विभाग असफल हुआ, आपका प्रशासन असफल हुआ

आपकी राजनीति असफल रही और सरकार ने यह निर्णय किया कि विदेशी नागरिकों का मामला हल किये बिना, मतदाता सूचियों को संशोधित किये बिना वे जनता पर चुनाव का बोझ लाद दें। हालांकि विपक्ष इस बात को सुनिश्चित करने में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार था कि संविधान के अपेक्षित संशोधन किये जायें और उन्होंने मुख्य मसले के दल की प्रतीक्षा की थी। जो कि अर्द्ध सैनिक बलों को वहां भेजकर उनके बल पर चुनाव कराये गये। परन्तु इस चुनाव ने इस देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता को ही झकझोर डाला है। उन्होंने ऐसी सरकार की स्थापना की है जिसके पीछे जनमत का कोई आधार नहीं है। इसके बावजूद मैं समझ नहीं पाता कि मेरे सामने बैठे हुये मेरे मित्र विपक्ष को सदन के भीतर और बाहर कैसे बदनाम करते हैं। जहां तक पंजाब और असम का सम्बंध है, विपक्ष ने बेहतरीन भूमिका निभाई है।

2.00 म० प०

उन्होंने जनमत का पता लगाने में एवं समस्याओं के हल को खोजने में सरकार एवं आन्दोलनों के नेताओं के साथ सहयोग किया है। उन्होंने तनाव कम करने में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने में अपने प्रभाव का प्रयोग किया है कि उग्रवादी तत्व आन्दोलन की बागडोर न संभाल लें। उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल यह देखने के लिए भी किया है कि समझौते एवं सहमति के सिद्धान्त का पालन हो। इसके बावजूद सरकार सदन के भीतर और बाहर दोनों ही जगह विपक्ष को बदनाम कर रही है।

2.01 म० प०

(श्री एन० के० सेजवलकर पीठासीन हुए)

विपक्ष ने जांच की मांग की है। विपक्ष ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। यह जांच क्यो हो ? क्योंकि जब ऐसा भीषण नरसंहार हो जो राष्ट्र के लिए एक कलंक है तो यह जरूरी है कि इनकी जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाये। इन दिनों केन्द्रीय सरकार पर असम के प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस बात का पता लगाने के लिए कि डी० एस० पी० ने या पुलिस महानिरीक्षक ने क्या किया है। मजिस्ट्रेट के अधीन जांच कराने की कोई तुक नहीं है राजनीतिक निर्णय तथा प्रशासनिक निर्णय दिल्ली में लिए जाते हैं। उस समय राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी दिल्ली की थी और इसलिए जो भी जांच की जाये और यदि उसे विम्वसनीय बनाना हो, उद्देश्य-पूर्ण बनाना हो तो वह ऐसी जांच होनी चाहिए जो दिल्ली की जिम्मेदारी की जांच करें। जहां तक प्रचार विभाग का सम्बंध है, राजनीतिक निर्णयों का सम्बंध है, प्रशासनिक क्षमता का सम्बंध हम सब की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। अब उन्होंने तिवारी आयो स्थापित किया है। यदि मेरे पास समय होता तो मैं आपको यह बताता कि यह आयोग कितना निरर्थक हो चुका है। उस आयोग के सामने भी अपना सरकार के सचिव श्री बरुआ ने इस तथ्य की गवाही दी थी कि गुप्तचर रिपोर्टों में यह कमी रही है कि उपभोक्ताओं की उपेक्षा की गई, लोगों को कहां से लाकर पदों पर बैठा दिया गया था तथा प्रशासन के सामान्य पहलुओं की पूर्णतया उपेक्षा कर दी गई थी, और ऐसे लोगों के हाथों में शान्ति का संचय हो गया था जो यह भी नहीं जानते थे कि वहां

क्या हो रहा है। मैं इस सम्पूर्ण ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। परन्तु यह प्रतीत होता है कि सरकार यह धारणा पैदा करना चाहती है कि असम में सर्वत्र शान्ति है और समस्या का समाधानहो चुका है। परन्तु मेरे माननीय मित्र यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बात सही नहीं है। चुप्पी समस्या का समाधान नहीं प्रकट करती है। आपने अब गैर कानूनी आप्रवासी निर्धारण अधिनियम बनाया है। कुछ ट्रिब्यूनलो की स्थापना की गई है। हममें से कितने ट्रिब्यूनल कार्य कर रहे हैं। आपको इनमें नियुक्त करने के लिए न्यायाधीश ही नहीं मिलते। जो नियुक्त भी किये गये हैं वे यह कहते हुए वापस लौट रहे हैं कि कोई शिकायत ही दर्ज नहीं की जा रही है। क्यों ? क्योंकि आपने ऐसी धारायें उनमें भर दी है कि वे शिकायत करने के पात्र ही नहीं रह जाते। इन ट्रिब्यूनलों के सामने किसी के लिए भी कोई शिकायत लेकर जाना सम्भव ही नहीं रहा है। इसलिए जब हम यह कहते हैं कि ये ट्रिब्यूनल निरर्थक है, धोखा है, लोगों की आँखों में धूल झोंकने का एक प्रयास है तो आप कहते हैं कि हम कटुभाषा का इस्तेमाल कर रहें हैं। अब आप इस बात से सहमत होंगे ही कि इन ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति के प्रयास की अक्षमता, अकुशलता एवं निरर्थकता साफ-साफ दिखाई देती है। मैं तो माननीय मंत्री महोदय से केवल यह कहना चाहता हूं कि वह उदासीनता एवं आत्मसंतुष्टि की भावना से बचे रहें और ऐसी स्थिति पैदा होने दें कि उदारवादी तत्व पीछे रह जायें और यह प्रतिरोध ऐसे हाथों में चला जाये जिसे मैं और वह दोनों ही अवांछनीय समझते हैं''।

पंजाब की स्थिति भी वैसी ही है। पहले तो वहां धार्मिक मांगों के बारे में प्रतिरोध किया गया। यह एक ऐसा प्रमाण था जिसमें यह दलील दर गई कि यदि हमने इन मांगों को माना तो और भी धार्मिक समूह ऐसी ही मांग करने लगेंगे, यह भावना पैदा करने का प्रयास किया गया कि यह समस्या कुछ हद तक साम्प्रदायिक है। इन मांगों पर शुरू में ही पंजाब के निवासियों की मांगों के रूप में विचार करने के प्रयासों के बजाय इसे हिन्दुओं और सिखों में फूट डालने वाला आन्दोलन बताया गया यदि क्षेत्रीय मागों तथा नदी के जल और स्वायत्तता के बारे में वार्त्ता हुई होती तो इसका कुछ न कुछ परिणाम जरूर निकलता। विपक्ष ने मतभेदों को कम करने में और ऐसे सुझाव देकर के सरकार के साथ सहयोग किया है जिन पर कार्यवाही की जा सकती थी। किन्तु उसमें काफी देर हो गई, इस तर्क के आधार पर टाला गया था, गोल-मोल बात की गई थी कि दूसरों से परामर्श किए बिना सरकार वचन नहीं दे सकती। इस शक्तिशाली सरकार को अंतिम रूप से निर्णय लेने से पहले हरियाणा या अन्य राज्यों की सरकारों से विचार-विमर्श करने से किसने का रोका था ? पैकेजडील का अनुरोध कर, उसमें और देर लगा कर और जब काफी देर हो चुकी थी उस समय धार्मिक मांगों को मंजूर कर उन्होंने ऐसी स्थिति बना दी जबकि पहले ही काफी देर हो चुकी थी। उन्होंने फिर से संघर्ष करने और संघर्ष से काम लेने वालों पर नपुंसकता का आरोप लगाने की विधि अपनायी थी और अतिवादियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रोत्साहन दिया था।

अनेक माननीय सदस्यों ने अनेक अवसरों पर संत भिंडरावाले का हवाला दिया है। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने वालों का मजाक बना दिया, उन्होंने सरकार की

असहायता और अक्षमता का मजाक बना दिया, उन्होंने सरकार और संतुलित विचारधारा वालों के बिना पर अपनी महत्ता बनाई है। सरकार और सत्ताधारी दल को आरोप मंजूर करना ही होगा क्यों कि भिंडरावाले को प्रोत्साहित करना उनकी ही जिम्मेदारी क्यों कि उन्होंने ही उसे हौआ (फ्रैंकेंस्टीन) बनाया है, जैसा कि मेरे माननीय मित्र जादवपुर से निर्वाचित संसद सदस्य ने कल अपनी विशिष्ट मुहावरे द्वारा शैली में विचार से ब्यौरा दिया है।

सरकार ने ऐसी स्थिति पनपने दी है जिसके कारण पंजाब और हरियाणा में दोनों में भाई-भाई से भिड़ गया है, साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति जड़ जमा बैठी है जिसमें लोग उन्मुक्तता से साम्प्रदायिक कृपा का उपदेश देते हैं यदि उनकी शर्तों को नहीं माना जायगा तो आम जनता के संहार की धमकी देते हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे हत्या करने वाले की तारीफ की जाती है और बचाए जाते है। हम इस बात के साक्षी हैं कि गिरफ्तार करने से आनाकानी की गयी, दंड न देने के बहाने खोजे गए, जब लोग बिल्कुल आखों के सामने ही जन सामान्य को भडका रहे हैं, हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उन्हें रोकने और कानूनी कार्यवाही करने में आनाकानी की जा रही है। आपने अपनी ऐसी छवि जमा ली हैं कि जिसकी भी आप सुरक्षा करते हैं वही इस देश में कानून की सीमा से परे है। पंजाब में अतिवादियों ने नरसंहार तांडव नृत्य खेला किन्तु आप उसे साम्प्रदायिक संस्पर्श दिया जा रहा हैं और उसके परिणाम हमें हर सभा में देखने को मिले हैं। इस सभा और इस सभा के आदमियों ने हर भाषा सरकार के इस स्पष्ट दोष के खिलाफ जोरदार राय जाहिर की है क्योंकि ऐसी स्थिति को भड़कने देने का ही यह परिणाम है।

हमने बार-बार इस बात को स्पष्ट किया है कि हम पृथकतावाद, हिंसा, आतंकवाद, पवित्र स्थानों को शास्त्रागार में बदलने या संविधान की अवमानना करने या संविधान के जलाने-सभी के खिलाफ हैं। आज पंजाब में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि साम्प्रदायिक मेल-जोल और अहिंसा की रक्षा की जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि शीघ्र से शीघ्र समाधान ढूंढ लिया जाए।

मेरे माननीय मित्र भली-भाँति जानते हैं कि बातचीत के बावजूद समाधान नहीं हो पाया, क्यों ? मैं चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें। बातचीत के बारे में सरकार का बड़ा विचित्र रवैया है। आपके मन में क्या है, ये आप नही बातांते, आप चाहते हैं कि समस्या का समाधान कोई और बताए। आप विकल्पों के बारे में जनता की प्रतिक्रिया का पता लगाते हैं और तब आप चाहते हैं कि विभिन्न सुझावों के प्रति क्रिया स्वरूप पीछे हटने वालों या भिन्न रवैया अख्तियार करने वालों पर आरोप लगाने की आजादी आप ही को मिले, मैं जानता हूं कि यदि मेरे माननीय मित्र को यदि स्वयं ही निर्णय लेने का अधिकार दिया जाए तो वे अधिक स्पष्टवादी होते, सीधे-साधे तरीके अपनाते, बहुत ज्यादा लागत लगाकर जीत के लिए चालाकी करने के लिए ज्यादा उत्युक नहीं होते, किन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें आँशिक जिम्मेदारी ही मिली है वे पूरे ग्रीन रूम के प्रभारी नहीं है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : तो ग्रीन रूम का प्रभारी कौन है।

श्री रवींद्र वर्मा : क्या आप उसमें झांकना चाहते है। यह तभी सम्भव है जब या तो चाबी सही हो या ठीक की-होल में आप झांक रहे हैं।

अब मैं अपराध सम्बन्धी स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। देश में स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि प्रशासन एक मजाक बन गया है। लोगों में व्यक्तिगत रूप से हथियार रखने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि यहां गृह युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है प्रशासन नकारा हो गया है, मैं जानता हूं कि पुलिस का काम बहुत कठिन हो गया है। इसी लिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह उनकी निन्दा करने के लिए नही, उनका काम कठिन तो है ही। वे अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में अपना काम कर रहे हैं। उन्हें अत्यंत जटिल स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद की जाती है, और सरकार ने उनकी भरती, योग्यता, प्रशिक्षण आदि में सुधार के लिए राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट को कार्य रूप नहीं दिया है।

महोदय आप ही के राज्य में और माननीय मंत्री के राज्य में भी एक दिन मैंने सुना था कि चार वर्षों के दौरान 14000 पुलिस कर्मचारियों की भरती की गई थी और उन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। यह तो प्रशिक्षण की स्थिति है। पुलिस आयोग ने अपराध के खिलाफ कार्यवाही करने और भीड़ पर नियंत्रण करने, उपकरणों, काम करने की परिस्थितयों-इन सभी का हवाला दिया है, किन्तु दुर्भाग्यवश मेरी सरकार आदतन पुलिस आयोग के प्रतिक्रिया स्वरूप बहुत धीरे-धीरे कार्यवाही कर रही है क्योंकि पुलिस आयोग महापाप का परिणाम है। इसका गठन दूसरी सरकार द्वारा किया गया था।

अब तो इसके और भी प्रमाण मिलने जा रहे हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है और सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सेना को ही बुलाया जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र खड़े हों वे और इस बात से इंकार करें कि वर्ष 1980 में सिविल प्राधिकरणों ने 46 बार सेना बुलाई थी। इसके बाद के आंकड़े सरकार ने सभा में पेश नहीं किए हैं, किन्तु यह सभी जानते हैं कि असम में, गुजरात में आरक्षण समाप्त करने सम्बन्धी आंदोलन के दौरान, मिजोरम में, बम्बई में पुलिस हड़ताल के दौरान तथा अन्य अनेक स्थानों पर भी मदद के लिए सेना बुलाई गई थी।

एक बात और सामने आई है कि सेना के अलावा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्द्ध सैनिक संगठनों से सहायता लेने की प्रवृति बढ़ती जा रही है, परिणाम-स्वरूप के० रि० पुलिस बल तथा स्थानीय पुलिस के बीच तनाव पैदा करने में आप सफल हो गए हैं और राज्य पुलिस और रक्षीदलों में विश्वास कम हो गया है। भारत में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां से पुलिस की अक्षमता, पक्षपात पूर्ण रवैये, असम्बद्धता लापरवाही और अमानवीय

कृत्यों तथा असामाजिक तत्वों, माफिया गैंगों और राजनैतिक दलों के नेताओं से गठजोड़ के किस्से सुनने में नहीं आते हैं।

पुलिस में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैल गया है। वे उनकी नकल कर रहे हैं। सम्भवतः उनके राजनैतिक अगुआओं की तारीफ करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। धन संरक्षण धन का इस्तेमाल होता ही है और उनसे काम लेने के लिए भी धन का इस्तेमाल होता है।

पिछले चार वर्षों में गोली चलाए जाने सम्बन्धी आंकड़े की संख्या से आपको सदमा लगेगा। मैंने ब्रिटिश शासन के दौरान गोली चलाए जाने के बारे में आंकड़े एकत्र किए हैं मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ और धक्का भी लगा कि बिटिश शासन के अधिकांश वर्षों में केवल 1942, 1930-32 और 1920-21 को छोड़कर जब देश में व्यापक स्तर पर आंदोलन चल रहे थे—केवल 40 या 50 बार ही गोलियां चलाई गई होंगी। किंतु आज कल इतनी बार गोलियां चलाई जाती हैं कि चिड़ियां मारने तक के लिए भी शायद गोलियां चलाई जाती हैं। किसी भी समय और लगभग प्रत्येक अवसर पर सरकार ने बंदूक का ही सहारा लिया है। पिछले तीन चार वर्षों में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने के परिणामस्वरूप मरने वालों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े बताने के लिए मैं समय नहीं लेना चाहता।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जो बच गए हैं उन्हीं की संख्या बता दीजिए।

श्री रवींद्र वर्मा : ये जनगणना आयोग का काम है। अपराध से बचाव करने और अपराध का पता लगाने सम्बन्धी कुशलता में बहुत ज्यादा कमी आई है प्रथम सूचना रिपोर्ट (एच० आई० आर०) दर्ज नहीं की जाती हैं, थाने में शिकायत करने के लिए जाने वालों को ही सजा दे दी जाती है। निर्दोष नागरिकों को परेशान किया जाता है। और जिन मामलों के अपराधियों को दण्डित किया जा रहा है और अपराधियों का अपराध सिद्ध किया जा रहा है-ऐसे मामलों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। साक्षी सामने नहीं आते। वे साक्षी देना नहीं चाहते क्योंकि पुलिस अब उनकी रक्षा नहीं कर सकती और अब तो पुलिस ने सामान्य समाधान खोज लिया है, जहां वे अपराधी का पता नहीं लगा पाते वहां उन्होंने स्थिति के निराकरण के लिए एक आम उपाय खोज निकाला है। यह नयी विधि है-मुठभेड़। मेरे मित्र केवल एक ही राज्य में-मैं जानता हूं कि आपके सीने में भी दिल है इसलिए अपील करता हूं और जानकारी देता हूं कि मुठभेड़ के परिणामस्वरूप 5,000 मामलों में लोग मारे गए हैं। और ऐसा केवल एक ही राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ है। जिसके गोरखपुर क्षेत्र से मेरे माननीय मित्र आए हैं।

श्री चित्त बसु : इसके बारे में एक श्वेत पत्र की मांग करता हूं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस देश में मुठभेड़ों में हुई मौतों की संख्या 10,000 से भी अधिक होगी।

अतः यह पुलिस की अक्षमता को छुपाने और सभी संशयों अपराध तथा कानून द्वारा निर्धारित सुरक्षापायों से बचते हुए बदला लेने का एक रूरल और नया तरीका है। पुलिस कस्टडी

में रखे लोगों से बलात्कार करने, मारने, अंधा करने और बदला लेने में अपराधियों से भी आगे बढ़ गयी है। विचाराधीन कैदियों की बन्दी संख्या और जेल की दुर्दशा ये है मित्र की सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है।

देश के पूरे वातावरण में असुरक्षा जड़ जमा बैठी है। लूटपाट डकैतियों, हमलों, बलात्कारों की संख्या के बारे में सभी जानते हैं। मैं आंकड़े पेश करना नहीं चाहता। इस असुरक्षा का शिकार होता है आम आदमी या गरीब आदमी। विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को ही तो सुरक्षा मिल रही है। अनेक राज्यों के विधायकों और संसद सदस्यों के निजि रक्षक हैं और सरकार ने भी रक्षकों की व्यवस्था की है। एक राज्य के 50 प्रतिशत विधायकों को पुलिस संरक्षण दिया गया है। एक रेस्त्रां में बैठे हुए हैं वे खुद देखा कि वहां जो विधेयक आए उनके रक्षक शस्त्रों से भली भांति सज्जित थे किन्तु इससे मदद क्यों नहीं मिली, क्योंकि अभी हाल ही मेरे मित्र श्री शास्त्री इस बात का हवाला दिया था कि राजनैतिक हत्याओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यहां तक उन्होंने बताया कि एक राज्य बिहार में 100 से भी अधिक राजनैतिक हत्याएं हुई हैं वह एक नयी संस्कृति है। उनके दल के सदस्य श्री नगीना राय भी बम विस्फोट के शिकार हुए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है ? ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस द्वारा कानून लागू किए जाने सम्बन्धी अक्षमता बिल्कुल स्पष्ट है। कानून उपहास की वस्तु बन गया है। सामाजिक भेद-भाव अस्पृश्यता के खिलाफ बने कानूनों न्यूनतम मजदूरी, भूमि सुधार, बंधुआ मजदूरों सम्बन्धी कानून का उल्लंघन किए जाने के ही सम्माननीय माना जाता है। यदि पुलिस रक्षा नहीं करती, यदि पुलिस कानून लागू नहीं करती और यदि कानून और व्यवस्था के संरक्षक सामंती जमींदारों के एजेंटों के रूप में काम करते प्रतीत होते हैं, यदि ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबों की रक्षा करना राज्य का काम ही नहीं है, यदि पुलिस के प्रति विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तो क्या होगा ? कानून के संरक्षकों के प्रति नफरत पैदा हो जाएगी, कानून के संरक्षकों के प्रति अविश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा।

खासतौर से कमजोर वर्ग के लोगों को अपने लिए स्रोत जुटाने होते हैं। उन्हें अपनी रक्षा खुद ही करना जरूरी जान पड़ता है क्योंकि राज्य के एजेंट तो निहित स्वार्थों जमींदारों, अमीरों शोषकों और डाकुओं से गठजोड़ किए जान पड़ते हैं। प्रत्येक जाति और सम्भवतः उप-जाति के लिए भी एक-एक निजि सेना गठित हो गई है—भूमि सेना, आजाद सेना, श्री कृष्ण सेना, ब्रह्म सेना, शोषित सेना, इससे क्या अभिप्राय है ? पुलिस भी जाति प्रणाली से बची हुई प्रतीत नहीं होती। यदि देश में आपके लिए निजि सेवाएं हैं, पुलिस असंगत हो गई है, यदि अपनी रक्षा के लिए और एक दूसरे से बदला लेने के लिए जनता को अपनी सेना गठित करनी पड़ती है तो क्या आप देश में गृह युद्ध की स्थिति को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ? यदि पुलिस का होना बेमानी हो गया है और नागरिकों को अपनी सेवाएं गठित करनी पड़ती हैं तो फिर राज्य की भूमिका क्या है ? यही सरकार हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों को अराजकता की नर्सरी बनाने और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनाने के लिए जिम्मेदार होगी।

उन्होंने जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली संस्कृति पैदा कर दी है। महोदय, आपके राज्य सहित अधिकांश ऐसे राज्य हैं जो डाकुओं के गिरोह के शिकार बने हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। डकैतियों की आशंका हमेशा बनी रहती है और ऐसा लगता है कि सरकार आदमियों को ठगों और पिण्डारियों के युग में ले जाना चाहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ राज्य ठगों और पिन्डारियों को सौंप दिए गए हैं। गरीब और बेरोजगार, डाकू तथा लुटेरे और पैट्रन-संत सभी जातियां अपने डकैतों के गिरोह बना रही हैं।

हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि डकैती ग्रस्त क्षेत्रों के अधिकांश राजनीतिज्ञ डाकुओं से अपने सम्पर्क रखे हुए हैं। एक राज्य में 32 विधान सभा सदस्यों के अपराधिक रिकार्ड मौजूद हैं। बेलची हत्या कांड का मुख्य अपराधी लोगों का प्रतिनिधि चुना गया है। उन्हे टिकट कौन देता है ? धनबाद में पालामाउ में, गोरखपुर में माफिया शासन यदि आपके पास ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो उनके लिए बूथ पर काबू करने बाहूबल वाले पहलवान पर निर्भर होते है उनकी छोटी-छोटी रन्जिशों का बदला लेने के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उनके संदूकों तत्पश्चात्···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कृपया आप बैठ जाएं श्री पनिका उनका समय बर्बाद मत करें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। मैं इन व्यवधानों का बुरा नहीं मानता। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों के अन्तः करण में दुःख होता है। लेकिन जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ता अथवा दोषमुक्त नहीं करता इसीलिए शुरू से ही मैंने यह कहा कि हमें अपनी अन्तर्आत्मा को छूकर इस बुराई से लड़ना चाहिए। मैं किसी भी डाकू अथवा माफिया के किसी भी सदस्य का खुलासा नहीं रखता हूं और मैं यह नहीं जानता कि वह वही बात कह सकता है। इसलिए यदि आपके पास राजनीतिज्ञ है··· (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह उचित नहीं है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जब मैं आपका उल्लेख करूंगा तो मैं शालीन बनने का प्रयास करूंगा।

इसलिए, यदि आपके पास ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो उनके लिए चुनाव बूथ पर अधिकार करने, उनकी पुरानी रंजिशों का बदला लेने, उनके सन्दूकों के लिए धन एकत्र करने के लिए पहलवानों पर निर्भर करते हैं, वे समाज विरोधी तत्वों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे और उनके द्वारा कानून का उल्लंघन करने के लिए उन्हें प्रतिरक्षा प्रदान करेंगे। यह आगे जाने और यह कहने के लिए एक सामान्य सा कदम है कि "बाहुबल व्यक्ति का चुने जाने का बेहतर अवसर है और इसलिए टिकट उन्हें ही दिए जाने चाहिए।" अब मैं दूसरे विषय पर बोलना चाहता हूं।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं—जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर जी से, मैं एक बात पूछना चाहता हूं—जब माफिया-किंग को एरेस्ट किया गया तो धनबाद को स्टेटमैन्ट दिया था कि यदि ऐसे लोगों को पकड़ा जाएगा तो ब्लड-बाथ हो जाएगा।

सभापति महोदय : आप बैठ जाइये, जब आप भाषण करें, तब इसके बारे में कहिएगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अब मैं जनजातीय लोगों के बारे में बोलूंगा। संवैधानिक दायित्वों, जनजातीय उप-योजनाओं तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के बावजूद गोली चलाने की आगजनी तथा लूटपाट हत्याओं तथा तनाव की स्थितियों की संख्या बढ़ती जा रही है। छोटा नागपुर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, धुले, महाराष्ट्र में थाणे तथा भावनगर जिले के भागों में गोली चलाने के मामले सामने आए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्र अराजकता तथा उग्रवादियों का घर बनता जा रहा है। क्यों ? आदिवासी को उसके प्राकृतिक पर्यावरण से निकाला जा रहा है और भूखा मरने, शोषण करने वेश्यावृत्ति के लालची आदमियों के लिए तथा दमन के लिए छोड़ दिया गया है। वह महसूस कर रहा है कि उसे उसके पर्यावरण से बाहर निकाला जा रहा है, ऐसे स्थानों से निकाल कर बाहर किया जा रहा है जहां इसे रोटी और रोजी प्राप्त करने के लिए अन्य स्थानों पर जाना पड़ा है। आदिवासी भूमि का अन्तरण, आदिवासी अर्थव्यवस्था तथा आदिवासी संस्कृति को अव्यवस्थित करना जारी है। आदिवासी अर्थव्यवस्था तथा आदिवासी संस्कृति को आदिवासी लोगों के पर्यावरण के साथ परस्पर जोड़ दिया गया है। लेकिन अब उसके पर्यावरण को निर्भयता से नष्ट किया जा रहा है, उसकी भूमि परियोजनाओं, बांधों, फैक्टरियों तथा यहां तक कि खेल गृहों अथवा मयूरभंज में शेर-बाघ जैसे जंगली जानवरों के संरक्षण के लिए लिया जा रहा है। उसकी जमीन को डिक्री द्वारा अथवा बलपूर्वक कब्जे के सामान्य तरीके से भी ले लिया जाता है। कभी-कभी वह यह भी नहीं जानता कि उसे बेदखल कर दिया गया है। उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, उसका कोई पुनर्वास नहीं किया जाता है, मुकदमेबाजी की कोई क्षतिकर प्रक्रिया नहीं की जाती जिसकी उसे कोई जानकारी नहीं होती है। परिणाम यह होता है कि कुछ क्षेत्रों जैसे छोटा नागपुर तथा कोल्हान में एक विरोधी सरकार की स्थापना करने के प्रयास किए गए हैं। यदि मेरे पास समय हुआ होता तो मैं इसकी गहराई में गया होता। लेकिन आदिवासियों का जीवन यापन उसके पर्यावरण खेती बाड़ी, भोजन, माहना तथा साल जैसे पेड़ तक उसकी पहुंच, खेती बाड़ी करने का उसके अधिकार अथवा रेशम उद्योग आदि के लिए रेशम के कीड़े उत्पन्न करने से जुड़ा है। अब भूमि का अधिग्रहण करने तथा मुआवजे का भुगतान न करने, वन की कटाई करने तथा नए वन कानून आने, परदलित परिणामों के रूप में बताए गए व्यक्तियों को गिफ्तार करने के लिए पुलिस को अधिकार दिए जाने तथा परेशान करने और खानों और परियोजनाओं में रोजगार प्राप्त करने के लिए वन क्षेत्रों को छोड़ने की आवश्यकता के साथ वे ठेकेदारों उद्योगपतियों तथा उत्पीड़न देने में फलने-फूलने वाले व्यक्तियों के शिकार बनते जा रहे हैं।

20 सूत्री कार्यक्रम में बन्धुआ मजदूर एक सूत्र है। यदि मेरे पास समय हुआ होता तो मैंने उन लोगों की संख्या जिन्हें पुनः बसाया गया है तथा उन लोगों की संख्या जिन्हें बन्धुआ मजदूरी से आजाद किया गया है के बारे में सदन में दिए गए उत्तरों को पढ़ लिया होता।

मुझे विश्वास है कि जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध हैं आप वियोग के अन्तरण के वातावरण को देखते हैं। उसे इस बात का डर बना हुआ है कि उसके सांस्कृतिक संस्थानों का

मूलोच्छेदन किया जा रहा है, उसे डर है कि उसे जड़ से उखाड़ा जा रहा है और प्रतिस्पर्धा के खुले समुद्र में फेंका जा रहा है। आप उनकी संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, यदि आप उन्हें उनके पर्यावरण से निकाल देते हैं, उन्हें बिखेर देते हैं और निरक्षर तथा भोले-भाले आदिवासियों को लालची आदमियों के झांसे में छोड़ देते हैं। क्या यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे लोग खतरनाक तथा अतिवाद के षड़यंत्र के शिकार हो जाते हैं। क्या इससे मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री को कोई चिन्ता नहीं है ?

अब मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले केन्द्र राज्य सम्बन्धों का उल्लेख करूंगा। केन्द्र राज्य सम्बन्धों को प्राचीन दोहरे मापकों, जिनमें सरकार विश्वास रखती है, द्वारा वर्णित किया गया है। इस बारे में मेरा काम जादवपुर से आए माननीय सदस्य द्वारा कल दिए गए प्रतिभाशाली भाषण से आसान बन गया है। महोदय केन्द्र की शक्तियों का प्रयोग राज्य की स्वायत्तता को कम करना तथा संघीय व्यवस्था की खिल्ली उड़ाना है और राज्य की शक्तियां तथा विकेन्द्रीकरण की धारणा वास्तव में शोचनीय है। सरकार तथा सत्ताधारी दल ने सत्ता पलटने के दिव्य अधिकार, फूट डालो और राज करो के दिव्य अधिकार का दावा किया है। और राज्यपाल उसका भक्त बन गया है कल मेरे माननीय दोस्त ने राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया था। अतः मेरे विचार में वे एक बहुत ही प्रमुख कारक को छोड़ गए अर्थात चेतना की मूल सापेक्षता तथा प्राचीन लचीलापन। जिस ढंग से कल राज्यपालों का स्थानान्तरण किया गया था उससे बिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि सरकार राज्यपालों का अपने चाटुकर बनाने के अपने इरादों को लागू करने के लिए व्यापार का अर्थ लेती है। श्री० बी० के० नेहरू को क्यों स्थानान्तरित किया गया था ? क्योंकि उन्होंने उनकी इस रिपोर्ट कि वे जम्मू और कश्मीर की सरकार को बरखास्त करना चाहते हैं, को नहीं माना था। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता। परन्तु ये उनकी सामर्थ्य की बात नहीं है।

गृह मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : यह उचित नहीं है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि यह उचित नही है तो मैं इसे वापस लेता हूं। लेकिन यदि मुझे सन्देह हो तो क्या मैं आपसे पूछने का हकदार नहीं हूं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : आप पूछ सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यदि आप यह कहते हैं कि यह सही नहीं है, मुझे इसके लिए खेद है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन, शायद आप इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ अन्य कारण देंगे।

अब केन्द्र राज्यों को भूखा मारने, संसाधनों को समाप्त करने, जिनसे उनका मतभेद है उनकी प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए अपनी वित्तीय शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है। राजनैतिक विचारों के आधार पर सहायता निश्चित की जाती है। कभी-कभी इसे ऐसा बना दिया जाता है कि वह ऐसी दिखाई देती है जैसे कि वह दान है। मेरे माननीय दोस्त ने कल केन्द्र के संसाधनों तथा उस धनराशि जिसे केन्द्र एकत्र करता है के बारे में बात की थी।

मुझे प्रायः इस बात पर आश्चर्य होता है कि क्या भारत में परियों का देश है जहां से केन्द्र द्वारा धन इकट्ठा किया जाता है। वे नागरिक जो केन्द्र सरकार के संदूकों के लिए करों का भुगतान करते हैं राज्यों में रहते हैं। यह बात नहीं है कि केन्द्र त्रिशंकु स्वर्ग से कुछ ऊपर है आपको कुछ उसी प्रकार का है लेकिन जब आपदाओं के संकटकाल से पिटने के लिए मांग की जाती है, तब केन्द्र के पास कभी-कभी यह कहने की व्यवहार कुशलता होती है कि "आप हमारी आलोचना करें और तब आप हमारे पास भिखारियों का कटोरा लेकर आएं।" क्या यह किसी की बपौती है कि आप वहां पर उसको निपटाने के लिए बैठे हैं ?

अल्प संख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस सरकार का एक चुनाव वायदा यह था कि जनता को उनके शासन में उचित व्यवहार मिलेगा। जब बेलची में नरसंहार हुआ था तो बहुत से आंसू बहाए गए थे। मुझे संदेह है कि उस अवसर पर इतने आंसू बहाए गए थे कि उसके बाद आंखें सूख गई थी। कफालता, पिपरा, देवली, रामपुर—मैं ऐसे नाम बताना जारी रख सकता हूं, लेकिन आप ये सब नाम जानते हो।

नारायणपुर में, जब कुछ हुआ तो आपने उचित रूप से चुनी गई सरकार को बरखास्त कर दिया। यदि वही मानक सम्भवतः राज्यों में लागू किया जाता है तो मैं नही जानता कि कितनी राज्य सरकारें बनी रहेंगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : न्यायिक जांच से पता चला है कि वहां कोई अत्याचार नहीं हुए हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इसके अलावा, मेरे माननीय मित्र का दल, जो सत्ता में है को एक उदाहरण कायम करना है। लेकिन जिस ढंग से वे पश्चिम बंगाल, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक में बात को गलियारों में ले जा रहे हैं और आन्ध्र में वे जिस प्रकार की धमकी दे रहे हैं, वह देश के लिए अच्छे शकुन नहीं हैं, क्योंकि वह दल, जो केन्द्र में शासन करता है, अराजकता और घबराहट उत्पन्न करने के लिए गलियों की कार्यवाही की वकालत करता है और केन्द्रीय हस्तक्षेप के लिए क्षमायाचना प्रदान करता है, तब वह एक बहुत ही गम्भीर स्थिति पैदा करता है। मुझे आशा है कि मेरे माननीय मित्र उस बहाने से बाज आएंगे।

मैं अल्पसंख्यकों का उल्लेख कर रहा था।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजायाबाद) : जो कुछ आप कह रहे हैं सही नहीं है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ठीक है, यह उन्हें ऐसा कहने के लिए एक अवसर दिया गया है। उन्हें अपने तर्क देने दीजिए।

यहां एक मुख्य बात यह है कि मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। जहां तक अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, उन्हें जो आश्वासन दिए गए हें, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। मैं साम्प्रदायिक घटनाओं की संख्या की गहराई में नहीं जाना चाहता लेकिन यह जाहिर है कि सरकार में

विश्वास घटता जा रहा है। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि यदि अल्पसंख्यकों की यह भावना बन जाती है कि वे पुलिस से संरक्षण प्राप्त नहीं कर सकते है, यह कि स्वयं पुलिस अपने बात से भ्रष्ट हो सकती है साम्प्रदायिकता के बल से भ्रष्ट हो सकती है, तो हमारी बहुत बुरी स्थिति होगी। गोपाल सिंह समिति की रिपोर्ट अभी कार्यान्वित नहीं की गई है, अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्टें कार्यान्वित नहीं की गई हैं। मैं ऐसी और भी रिर्पोटें गिना सकता हूं लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं उनसे केवल यही पूछना चाहता हूं कि वे इस बात को सोचें कि इस प्रकार के भ्रम-निवारण तथा अल्पसंख्यकों की आशाओं के प्रति विश्वासघात करने के क्या परिणाम होंगे।

अंत में, मैं गैर कानूनी हथियारों के व्यापार का उल्लेख करूंगा। एक कारण यह है जिसकी वजह से इस देश में हिंसा का वातावरण है, हिंसा की संस्कृति है, जिसके लिए मेरे माननीय मित्र का दल समवेक्षी रूप से तथा आग्रही रूप से जिम्मेदार है, क्या यह सच है कि लाइसेंस प्राप्त तथा गैर कानूनी हथियारों के ज़माव तथा परिचालन में वृद्धि हो रही है। शस्त्र अधिनियम लागू है। यदि परिचालित गैर कानूनी हथियारों की मात्रा में वृद्धि हो गई है, तो ये हथियार कहां से आ रहे हैं? क्या ये जमीन से निकल रहे हैं अथवा क्या ये सीमाओं के पार से आ रहे हैं? ऐसी रिर्पोटें प्राप्त हुई हैं कि ये सीमाओं के पार से इनकी तश्करी की जा रही है और हमारे लम्बे समुद्र तट के साथ-साथ भी तश्करी की जा रही है जिनकी चौकसी करना मुश्किल है। गोली मारने वाले गिरोह है। बिना लाइसेंस के चलाई जा रही अनेक फैक्टरियों का पता चला है इसमें से बिहार में नालंदा और जहानाबाद, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित मझोली में, पंजाब के अमृतसर में आंध्र प्रदेश के चिकिता में हैं अगर इजाजत हो तो मैं क्या आपसे एक और प्रश्न पूछ सकता हूं एक जगह तो यह पता चला है कि फैक्टरी का मालिक ब्लाक यूथ कांग्रेस का प्रेजीडेंट था, राजस्थान के गंगानगर और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के कोल्हार गांव में भी ऐसी फैक्टरियां हैं, उस पवित्र योगी की तो बात ही करना बेकार है जिसके बारे में अवैध आयात अवैध निर्माण और अतिवादियों के अवैध रूप में बिक्री के बारे में रिपोर्टें मिली हैं। क्या मेरे माननीय मित्र इस स्थिति से चिंतित नहीं हैं? मैं सभा का और समय नहीं लेना चाहता किन्तु मैं विद्रोह के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा ...(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : अब कृपया इसे समाप्त कीजिए ना।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी हां मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। वस्तुतः मैं अब अन्त में आपकी दायादान की शक्ति को परखना चाहता हूं :—

मेरे माननीय सदस्य की रिपोर्ट में निश्चितता की भावना विद्यमान है किंतु मैं भीलभांति जानता हूं कि वहां उत्तर-पूर्व में विद्रोह के फिर फैल जाने से बहुत ज्यादा चिंतित हैं। उस क्षेत्र में हमारी स्थल सेना के बारह से भी अधिक ब्रिगेड हैं। मणिपुर में भूतपूर्व मुख्य मंत्री शैजा की हत्या से स्पष्ट है कि नैशनालिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागाज़ के लम्बे हाथ मणिपुर के काफी अन्दर तक पहुंच सकते हैं उनकी गतिविधियां बढ़ गई हैं और वे तेंगुरवुल नागा प्रदेश से ताकत पाने की उम्मीद करते हैं। ऐसी अफवाह है कि एक विदेशी सरकार ने उन्हें

नागा के डरल ग्रुप से गठजोड़ करने के लिए कहा है और परिणाम स्वरूप कोशिशें की जा रहीं हैं कि उत्तर-पूर्व के सभी विभिन्न विद्रोही समूहों की गतिविधियों में समन्वय स्थापित किया जाए। इस नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागाज़ को अवैध करार क्यों नहीं दिया गया। मेरे माननीय मित्र क्या इस सभा को यह बताएंगे ? एम० एस० सी० एन० एक पृथकतावादी संगठन है। इसने स्वतंत्रता घोषित कर दी है। इसने अपनी तथाकथित सरकार भी बना ली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री इस सरकार से इस एन० एस० सी० एन० को अवैध करार देने के बारे में पूछने के लिए दिल्ली आए थे किन्तु अभी तक इसे अवैध करार नहीं दिया गया है। एक निकाय है जो यह घोषित करता है कि वह प्रतिद्वन्द्वी सरकार है समानांतर सरकार है, राज्य के खिलाफ लड़ाई करता है और आप इसे अवैध करार नहीं देते। मैंने यह अफवाह सुनी है कि आप एन० एस० सी० एन० को अवैध करार नहीं दे रहे क्योंकि उसने नागालैंड में हुए निर्वाचन के दौरान नागाओं को कांग्रेस (आई) का समर्थन के लिए सर्कुलर जारी किए थे। मैं चाहता हूं कि वह इसका खंडन करें क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता कि उस क्षेत्र में वे इस तरह आग से खेलेंगे। त्रिपुरा में जमटिया और चुनी कोलाई ने आत्म समर्पण कर दिया है किंतु ह्मागखल- कार्तिक कोलाई अभी क्रियाशील हैं और उन्होंने राज्य सरकार के कार्यालयों, पुलिस थानों, के० रि० पु० और सी० सु० ब० आदि पर अनेक आक्रमण किए हैं। बड़ी अजीब बात है कि इनमें से कुछ विद्रोही जब समर्पण करते हैं—तो मुझे मालूम नहीं किंतु मेरे माननीय मित्र निश्चयतः जानते होंगे कि कुछ शर्तें निश्चित रूप से निर्धारित की जाती होंगी और इन शर्तों से यही स्पष्ट होता है कि विद्रोही ये शर्तें आप पर थोप रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि जब जमटिया और चुनी कोला ने आत्म समर्पण किया था, तो 15 शर्तों में से कोई भी शर्त हथियारों के समर्पण के बारे में नहीं थी ? क्या इससे बात साफ नहीं हो जाती। यदि आप हथियारों के समर्पण के बिना या हथियारों का समर्पण सुनिश्चित किए बिना ही उसका आत्म समर्पण स्वीकार करते हैं तो स्पष्ट हैं कि आप ही उन्हें खुली छूट देते हैं। विद्रोहियों के संबंध में कार्यवाही करने में दृढ़ मन से काम नहीं किया जा रहा है।

अब मैं कुछ एसोसिएशनों को अवैध घोषिय किए जाने के बारे में चर्चा करूंगा, त्रिपुरा में एक तथाकथित पीपुल्स गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा है। केन्द्र अपेक्षित रूप में सक्रिय क्यों नहीं है ? त्रिपुरा के मुख्य मंत्री वे शिकायत की है कि केन्द्रीय सरकार सशस्त्र विद्रोहियों द्वारा सीमाओं के आर-पार आने-जाने को रोकना सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्त्तव्य नहीं निभा रही है।

एक और बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा कि जब ये विद्रोही आत्म-समर्पण करते हैं या गिरफ्तार किए जाते हैं तो सरकार चार्जशीट दायर करने में कठिनाई महसूस करती है। मेरे माननीय मित्र को यह जानकर आश्चर्य होगा कि मणिपुर के श्री विश्वेश्वर सिंह को दो साल तक जेल में रखा गया और जब उच्च न्यायालय ने उन्हें रिहा करने के आदेश जारी किए तो सरकार ने उस पर जो अभियोग लगाया वह शस्त्र कानून और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी पर हमले से संबंधित था। कोई अपनी स्वतंत्र सरकार बना लेता है,

समानांतर सरकार चलाता है, शस्त्र भंडारों पर हमला करता है, जनसामान्य की हत्या करता है एक विद्रोही के सभी काम करता है, फिर भी आप उस पर केवल सरकारी ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप लगाते हैं। इसका मतलब यहां कहीं पर किसी चीज की कमी है।

महोदय ऐसे और मामलों का ब्यौरा देने के लिए मैं आपका समर्थन नही लूंगा किंतु आखिर में मैं यह जरूर कहूंगा कि जब विद्रोहियों को आत्म समर्पण करने के लिए कहा जाता है तो लगातार निगरानी और पुनर्वास तथा विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों के समाधान के लिए लगातार प्रयास भी करने की आवश्यकता है। केवल प्रशासनिक और सैनिक माध्यमों से ही विद्रोहियों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। केन्या, मलेशिया और नागालैंड में यह सिद्ध हो चुका है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार स्थिति की गम्भीरता को समझे और उत्तर-पूर्व में विद्रोह के कारणों के निराकरण के लिए राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साधनों का पता लगाए।

* **श्री एम० अरुणाचलम** (टेंकासी) : भसापति महोदय, मैं वर्ष 1984-85 के लिए गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं यह चर्चा नहीं करूंगा कि हमारे देश में विरोधी दलों की क्या भूमिका है और वे किस तरह से वे अपने को राजनैतिक दृष्टि से समृद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। किंतु संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि वे जनसाधारण की तकलीफों से लाभ उठा रहे हैं।

वे जनसामान्य के आंतरिक मतभेदों को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के खिलाफ जनता में जो भी असंतोष है उसे भड़का रहे हैं। उनका ख्याल है कि किसी दिन जन असंतोष के ज्वालामुखी में विस्फोट होगा उस दिन वे सत्ता हथिया लेंगे। वह समय ऐसा है जबकि उन्हें रुककर सोचना चाहिए। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि जनता के क्रोध की आग की लपेट में वे भी आ जाएंगे। उन्हें यह जानना ही चाहिए कि यदि वे ऐसी हवा को बहने देंगे तो उन्हें तूफानी हवा का सामना करना पड़ेगा। किसी भी विरोधी दल ने नेता में पंजाब में हुए हत्याकांड की निंदा नहीं की है। इसी प्रकार उन्होंने असम में हुई हत्याओं का भी विरोध नहीं किया है। फिर भी वे राष्ट्रीय स्तर के मतभेदों के बारे में सरकार को सुझाव देने से नहीं चूकते।

महोदय, सहमति और असहमति दोनों ही प्रजातांत्रिक सिक्के के दो पहलू हैं। केवल असहमति पर ही किसी राजनैतिक विचारधारा को आधारित करना गलत है। नकारात्मक नीतियों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। जब हमारी आदरणीया प्रधान मंत्री कहती हैं कि राज्य योजना निधियों को योजनेत्तर स्कीमों में खर्च कर रहे हैं तो सभा में रोष की लहर दौड़ जाती है। मुझे आश्चर्य है कि केन्द्र और राज्य का संबंध बराबरी के आधार पर कैसे स्थापित होगा। मेरा उनसे निवेदन है कि वे राष्ट्र को दलगत राजनीति से ऊपर उठायें। तभी देश में प्रजातंत्र की जड़ें गहरी होंगी। उन्हें इस बात का एहसास होना ही चाहिए कि देशभक्ति मात्र

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

उनका ही विशेषाधिकार नहीं है। यदि वे अराजकता और हिंसा को प्रोत्साहित करके प्रजातंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को नष्ट करने के बजाए जनता की शिकायतों को सामने लाने के रचनात्मक रवैये को अपनाते हैं तभी वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों का पालन कर पाएंगे।

महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त की नियुक्ति की व्यवस्था करने संवैधानिक दृष्टि से उनके कल्याण की गारंटी दी गई है। मुझे खेद है कि संविधान के अधिनियम 338 के अंतर्गत काफी समय से इस पद पर नियुक्ति नहीं की गई है। इस समय वहां उपायुक्त ही कार्यभार सम्भाये हुए है। महोदय आप जानते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों संबंधी समिति इस आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट की संमीक्षा कर सभा के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं जब आयुक्त ही नहीं है तो न जाने कौन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। केन्द्र में जनता सरकार को अचानक ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक आयोग गठित करने की प्रेरणा मिली। इस निकाय को संवैधानिक स्वीकृति देने से पहले ही अपनी बेखबरी के कारण वह सरकार समाच्युत हो गई। अब इस आयोग की चेयरमैन श्रीमती यशगायम चंद्रशेखर हैं। किन्तु इस आयोग को कोई कानूनी समर्थन प्राप्त नहीं है। यह सरकार की दृष्टि-मात्र हैं। इन परिस्थितियों में इस बात की आशंका है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृति संवैधानिक विशेषाधिकार और अन्य अधिकार से वे वंचित न हो जाएं क्योंकि अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त जैसा संवैधानिक प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है।

वर्ष 1983 में अनुसूचित जाति के 509 और अनुसूचित जनजातियों के 155 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। अनुसूचित जाति की 613 और /अनुसूचित जनजाति की 118 महिलाओं से बलात्कार किया गया था बहुत खेद की बात है कि अधिकांश हत्याएं और बलात्कार उसी राज्य में हुए हैं जहां से माननीय मंत्री आए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन हत्याओं और बलात्कारों के बारे में तहकीकात अनु० जातियों और अनु० जनजातियों सम्बन्धी आयोग करेगा या अनु० जाति और अनु० जनजाति से लिए नियुक्त उपायुक्त करेगा। अनिश्चय की ऐसी स्थिति को यथाशीघ्र समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अनु० जातियों/अनु०, जनजातियों के लिए आयुक्त जैसे संवैधानिक अधिकारी की नियुक्ति करें मुझे विश्वास है कि वे शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करेंगे।

हमारी आबादी की 20% आबादी अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियाँ है तथा 40.% पिजड़ी जातियां हैं। अपनी आबादी के 60% लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकार को चाहिए कि एक पृथक विभाग का गठन करे। कुल 17 राज्यों ने अनुसूचित जाति विकास निगम की स्थापना की है। वर्ष 1984-85 में भारत सरकार ने इन निगमों की सहायता के लिए सरकार ने 16 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। इसके साथ ही यदि पृथक् विभाग भी स्थापित किया जाएगा तो इन दलित लोगों का आर्थिक दृष्टि से उद्धार सुनिश्चित हो जाएगा।

देश में पिछडी जातियों के नामों का ब्यौरा देने संबंधी अखिल भारतीय विधेयक के न होने के कारण देश में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। तमिलनाडु से दिल्ली आने वाले पिछड़ी जाति के लोग वे विशेषाधिकार और रियायतें नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जो उन्हें तमिलनाडु में प्राप्त हैं। उसका कारण यही है कि दिल्ली प्रशासन उन्हें पिछड़ी जाति का नहीं मानता है। इसी तरह की विचित्र स्थिति अन्य अनेक राज्यों में भी उत्पन्न हो गई है। वहां कानून कुछ वर्षों से विचाराधीन है। मैं निवेदन करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसी सत्र के दौरान इसे कानून का रूप दे दे। ताकि पूरे देश के पिछड़ी जाति के लोग लाभों को प्राप्त कर सकें।

कुछ राज्यों में धोबियों को पिछड़ी जाति का माना गया है। पिछले वर्ष दिल्ली में अखिल भारतीय धोबी एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ था जिसमें उन्होंने सभी राज्यों में अपनी जाति के पिछड़ी जाति घोषित किए जाने की मांग की थी। उन्होंने प्रधान मंत्री से भी भेंट की थी और उनके सामने एक ज्ञापन पेश किया था। मेरा निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री उनकी समुचित शिकायतें दूर करें।

अब में धर्म परिवर्तन के अप्रिय मुद्दे का जिक्र करना चाहूंगा। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मीनाक्षीपुरम क्षेत्र में जो धर्म परिवर्तन हुआ है उससे पूरे देश को गहरा सदमा पहुंचा है। पूरे देश के समाचारपत्रों ने इस धर्म परिवर्तन का समाचार दिया। विभिन्न पत्रों में अनेकों लेख निकले। तथा इन सबका यह मत था कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोग धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुसंख्यक समुदायों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार इस धर्म परिवर्तन के लिए इतना उत्तरदायी नहीं है जितना आर्थिक तंगी है।

उदाहरण के तौर पर केन्द्रीय योजना-आयोग के अनुसार हमारी जनता का 40% भाग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है जिसमें पिछड़े वर्ग, अनु० जातियों और अनु० जनजातियों के व्यक्ति हैं। हमारी प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम में उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने को प्रमुखता दी गई है। तथा जैसा कि हमारे महा-सचिव श्री राजीव गांधी तथा माननीय प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई निधियों का प्रयोग कुछ राज्य अन्य उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं। इस सभा की लोक लेखा समिति ने भी इस पर टिप्पणी की है। एन० आर० ई० पी, आई० आर० डी० पी० तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए प्रदान की गई निधियां जिनसे पिछड़े वर्ग, तथा अनु० जाति/अनु० जनजाति के निर्धन व्यक्तियों का उद्धार किया जाना चाहिए था, उन निधियों को राज्य सरकार अन्य स्कीमों पर व्यय कर रही है। इसका यह अर्थ है कि इन लोगों की गरीबी बरकरार है इससे वे लोग अन्य धर्मों की ओर आकर्षित होते हैं जहां आर्थिक समानता सुनिश्चित हैं यदि होने वाले हमारे समाज में ऐसे-धर्म परिवर्तनों पर रोक लगाते हैं तो सभी राज्य सरकारों को, चाहे वे किसी दल के हों, पिछड़े वर्ग, अनु० तथा अनु० जनजातियों के आर्थिक उन्नयन को वरीयता देनी होगी।

यहां मैं श्री देवराजन, जोकि संसद सदस्य हैं, के चुनाव मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का जिक्र करना चाहूंगा। उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने स्पष्ट

रूप से यह कहा है कि धर्म परिवर्तन करने से किसी मनुष्य की मूल जाति बदल नहीं जाती। अनु० जाति/अनु० जनजाति के जो व्यक्ति ईसाई या बौद्ध बन गए हैं उनके लिए इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सरकार को इन्हें वह सब सुविधाएं दी जानी चाहिए जो हिन्दू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को दी जाती हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री इस सम्बन्ध में आवश्यक विधान लाएंगे।

अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों के लिए केन्द्र सरकार शत प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। दुर्भाग्यवश अनु०जाति और अनु० जनजाति के छात्रों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाया है। मैं माननीय गृह मंत्री का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि संबद्ध अधिकारियों द्वारा इन नियमों का गलत प्रयोग किया जा रहा है। मैं एक ऐसे मामले का जिक्र कर रहा हूं जिसकी मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। मेरे संसदीय चुनाव क्षेत्र शेनकोट्टाह में राज्य सरकार का हायर सैकेण्ड्री स्कूल है। प्रत्येक अनु० जाति के छात्र को छात्रवृत्ति के रूप में 600 रु० की छात्रवृत्ति दी जाती है। हैडमास्टर 200 रु० अपने लिए रख लेते हैं तथा 400 रु० अनु० जाति के छात्र को मिलते हैं। ऐसी कई शिकायतें मुझे मिली हैं। मैंने यह सब शिकायतें कलैक्टर को भेज दी हैं तथा यह मांग की है कि हैडमास्टर के खिलाफ वाणिज्य कार्यवाही की जाए। कलैक्टर ने इस संबंध में कार्यवाही करने का आदेश दिया है। परन्तु यह हैडमास्टर राज्य के उच्च पुलिस अधिकारी का सम्बन्धी है। इसलिए वह वाणिज्य कार्यवाही से बच गया है। चूंकि इस हैडमास्टर के सम्पर्क शिक्षा विभाग में भी हैं इसलिए इस कदाचारी हैडमास्टर को हटाने के बजाए यह कोशिश की जा रही है कि दो स्नातकोत्तर अनु० जाति के अध्यापकों का तबादला कर दिया जाए। माननीय गृह मंत्री के पास ऐसा कोई तंत्र होना चाहिए जिससे यह देखा जा सके कि अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों के लिए मंजूर की गई छात्रवृत्ति उन तक पहुंच रही हैं अथवा नहीं। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि छात्रवृत्ति की राशि कई वर्ष पहले निर्धारित की गई थी अब चूंकि मूल्यों में काफी वृद्धि हो गई है इसलिए यह आवश्यक है कि अनु० जाति/अनु० जनजाति के छात्रों को ही दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाई जानी चाहिए।

मेरे चुनाव क्षेत्र में मनचोलई पर्वत श्रेणी में चाय बागान हैं जहां के 95% कामगार अनु० जाति और पिछड़े वर्ग के हैं। उन्हें जीवन की आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी तथा सफाई आदि उपलब्ध नहीं है। जन-सुविधाओं का वहां कोई प्रबन्ध नहीं है। मेरा सुझाव है कि माननीय गृह मन्त्री यह सुनिश्चित करें कि अनु० जातियों के बागान मजदूरों को जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं सुलभ हों आई० आर० डी० पी, एन० आई० ई० पी० स्कीमों के लाभ इन दूर-दराज के चाय बागानों के मजदूरों को मिलने चाहिए।

अपना वक्तव्य समाप्त करने से पहले मैं यह भी कहना चाहूंगा कि क्या ऐसा कोई सुझाव है कि अनु० जाति रेलवे कर्मचारी संघ की मदत मान्यता वापस ले ली जाए। महोदय आप जानते है कि इस निकाय के जरिए अनु० जाति रेलवे कर्मचारियों की समस्याएं रेलवे बोर्ड के समक्ष आती

हैं। मेरी यह मांग है कि अनु० जाति रेलवे कर्मचारी संघ की मान्यता वापिस नहीं ली जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मन्त्रालय की मांगों का पूर्ण समर्थन तथा विरोध पक्ष द्वारा रखे गए कटौती प्रस्तावों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं प्रारम्भ में ही गृह मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने जो पिछले कई वर्षों से हमारे देश में शांति व्यवस्था की कठिन परिस्थितियां थीं उसको गम्भीरता से, दृढ़ता से और दूरदर्शिता से हल किया, उसका मुकाबला किया। मुझे याद है जब श्री सोम नाथ चटर्जी इनिशिएट कर रहे थे इस डिबेट को तो उन्होंने—वैसे मैं उनका बड़ा आदर करता हूं—असम के बारे में या पंजाब के बारे में ऐसे तथ्य प्रस्तुत किये जो सत्य से बिल्कुल परे हैं। आपको याद होगा कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संवैधानिक दृष्टि से उत्तरदायित्व राज्यों और संघ राज्यों का है। हमारी केन्द्र सरकार या गृह मंत्रालय केवल निर्देश देता है, और राज्यों से जब सहायता की मांग की जाती है तो वह सहायता प्रदान करती है, और कुछ केन्द्रीय फोर्सज हैं उनको कंट्रोल करती है विरोध पक्ष के माननीय सदस्य ऐसा मान कर यहां बोले जैसे सारी शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय पर ही है। यदि वह चाहते हैं तो पहली मांग करनी चाहिए इस सदन को कि केन्द्रीय सरकार को या गृह मंत्रालय को ला एण्ड आर्डर देश में स्थापित करने के लिए अधिक ताकत देने की जरूरत है। यही नहीं, यदि आप देखें तो पिछले दिनों, खासकर मैं पंजाब के इशू पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि इस पर विभिन्न अवसरों पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है, लेकिन दो, तीन बातें मैं कहना चाहता हूं। क्या यह बात सही नहीं है कि जितनी भी अकालियों की धार्मिक मांगें थीं उनको हमारी प्रधान मंत्री जी ने मान लिया है। क्या यह सही नहीं कि जो टैरिटोरियल मामला था यह निश्चित हो गया था कि चंडीगढ़ पंजाब को और अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को जाए? केवल पानी का विवाद रह गया था, उसकी भी एक ट्राइब्यूनल की देने की बात थी। इन परिस्थितियों में भी हमारी प्रधान मंत्री ने बाइपार्टाइट और ट्राइपार्टाइट डिस्कशन के लिए दरवाजा हमेशा खुला रखा था।

अभी फरवरी, में वार्ता हुई थी, लेकिन वहां पर ऐसी घटनाएं घटीं जिनसे वार्ता समाप्त हो गई। तो इस नाजुक मामले को शुरू से ही सरकार ने दूरदर्शिता से लिया। अभी कह रहे थे कि असम में ऐसी परिस्थितियों के बावजूद चुनाव कराया गया। माननीय वर्मा जी को मालूम है कि यदि चुनाव नहीं कराया जाता तो संवैधानिक संकट हो जाता। सरकार ने चुनाव से पहले प्रस्ताव रखा कि आप संशोधन लाने के लिए तैयार हो जायें। लेकिन उसके लिए विरोधी दल तैयार नहीं हुए। तब मजबूर हो कर केन्द्रीय सरकार को चुनाव के आदेश देने पड़े। तब विभिन्न पार्टियों से राजनीतिक उद्देश्य से मांगें आने लगीं। इसलिए माननीय वर्मा जी जो कह रहे थे कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने चुनाव कराए, वह बिल्कुल निराधार है। उन्होंने जो परिस्थितियां विद्यमान थीं, उनका जिक्र नहीं किया।

यही नहीं आप देखें कि आम तौर पर देश में शांति व्यवस्था बनी रही। यदि बिगड़ी भी तो वहीं जहां विरोध पक्ष की सरकारें हैं। पिछले साल हैदराबाद में साम्प्रदायिक दंगे हुए, इसी तरह से बंगाल में भी साम्प्रदायिक दंगे हुए। मैं नहीं कहता कि साम्प्रदायिक दंगों की संख्या में कमी हुई, लेकिन जो वारदातें हैं उनमें जरूर कमी हुई है।

हमारा औद्योगिक फ्रन्ट भी शांति से जीता है। आप जानते हैं कि बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल थी जिस पर धीरे-धीरे हमने काबू पाया और मजदूर काम पर वापस आ गये। तो ऊत्तरोत्तर ला ऐंड आर्डर व्यवस्था में सुधार हुआ। और यही नहीं यदि पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति देखें तो मणिपुर, नागलैंड में उपद्रवियों की संख्या जो पहले थी उसमें भी कमी हुई है।

असम में चुनाव के बाद जो लोकप्रिय सरकार स्थापित हुई उसके बाद वहां की स्थिति में भी सुधार हुआ है। लोगों को बसाने, उनको सहायता देने का कार्य सरकार सुचारु रूप से कर रही है। यहां तक कि विदेशी नागरिकों के सम्बन्ध में भी कई निर्णय लिये हैं। और पंजाब में बहुत से विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य किये हैं। इन सब से स्पष्ट है कि पिछले 2, 3 साल में सरकार ने विकट परिस्थितियों में बहुत ही सावधानी और दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लिये हैं जिनके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

इसी तरह से पंजाब में एक के बाद एक जब मांग उठती है राजनीतिक उद्देश्यों से, जैसे संविधान की 25वीं धारा में संशोधन करने की बात आ गई आप जानते हैं कि राजनीतिक उद्देश्य है।

मैं गृह-मंत्री जी का ध्यान एक मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो कि बरसों से विचाराधीन है। आपको याद होगा कि 1967 में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज अमैन्ड-मैंट बिल लाया गया-था जो कि अभी पैंडिंग है। उस पर जयंइन्ट कमेटी बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी थी लेकिन 1976 में आपने केवल एरिया डिस्ट्रिक्यूशन बिल पास किया जिसमें कई जातियों की मत थी जैसे मध्यप्रदेश की आदिवासी जाती पंचा है और भी जातियां हैं जिन्हें आपने जिले में ही रखा जो कि पूरे प्रदेश में होनी चाहिये थी छत्तीसगढ़ इलाके में उनकी हालत बहुत खराब है, उनको पूरे प्रदेश में मान्यता नहीं दी गई।

उत्तरप्रदेश की सरकार 1964 से लिख रही है। जब पहली लिस्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज की बनी थी तो बहुत से शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स में आ गये, उनके अमैंडमैंट के लिए सरकार ने लिखा जैसे कि बियार जाति के लोग हैं जो मिर्जापुर में पचासों की संख्या में हैं। माननीय सदस्य श्री राबत ने भी अल्मोडा की कई जातियों के बारे में कहा जैसे कुठलिया है, अनवल, गंधर्व आदि वह पहाड़ी एरिया में शिड्यूल्ड ट्राइब्ज में हैं लेकिन हमारे मिर्जापुर में अभी भी नहीं हो सके हैं। आपने इसके लिए प्रयास किया है, मुझे इसकी कोई शिकायत नहीं है, आपने विभिन्न राज्यों में सम्पर्क किया है। फरवरी, 1981 में आपने निर्णय किया कि विस्तृत सुधार इस लिस्ट में किया जाये, लेकिन लगातार 1981 से मांग रहे हैं, लेकिन

आपके पास ऐसी शक्ति नहीं है। आपने 16 राज्यों से और कुछ संघ राज्यों से लिस्ट मांगी, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक सूची नहीं भेजी है। आपने अपनी टीम भी भेजी, मंत्री जी गये, डी० ओ० लिखे लेकिन वह राज्य लिस्ट नहीं दे रहें हैं। हमारी मांग है कि केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी ताकत होनी चाहिएं कि अगर सरकार स्वयं कोई कार्यवाही न करें तो निश्चित तौर से आपकी तरफ से इसको इम्पलीमैंट कराया जाये। ला एंड आर्डर व हरिजन आदिवासियों की तरक्की का उत्तरदायित्व हम आप पर लादते हैं, लेकिन आपके पास वह शक्ति नहीं है मैं मांग करता हूं कि अगले सैशन में इसके लिए बिल लाया जाये। जैसा मैंने कहा है कि मिर्जापुर में बियार, उत्तरप्रदेश में मल्लाह आदि जातियों हैं जिन्हे दिल्ली में शिड्यूल्ड कास्ट कहतें हैं लेकिन हिन्दुस्तान में उनकी काफी आबादा विभिन्न जगहों में हैं और लोग उन्हें वहां विभिन्न नामों से जानते हैं जैसे बंगाल में केवट, कैवर्त, उत्तरप्रदेश में माझी, मल्लाह केवट और धीवर कहते हैं। इनके पचासों नाम हैं लेकिन आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से ये कोमें पिछड़ी हुई हैं। मैं चाहता हूं कि सारे शिड्यूल्ड कास्ट का व्यवस्थित ढंग से ऊंचा उठाने का प्रयास करें तभी काम चलेगा।

हम केन्द्रीय सरकार के बड़े आभारी हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजा में जो धन दिया गया था उसका कई गुना धन इनके लिए दिया लेकिन उसका इम्पलीमैंटेशन जिस तरह से राज्यों में हो रहा है वह बिल्कुल असंतोषजनक है। मेरा सुझाव है कि हर राज्य में मानिटरिंग के लिए कोई सैल केन्द्रीय सरकार भेजे। जो पैसा आप देते हैं वह पूरी तरह खर्च नही होता है। उसमें कई शर्तें होती हैं जैसे 50 परसैंट स्टेटगवर्नमैंट व्यवस्था करें और 50 परसैंट सैंट्रल गवमेंर्नट दे। नतीजा यह हो रहा है कि 50 परसेंट गवर्नमेंट न जुटा पाने के कारण उस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रही हैं।

आई० आर० डी० पी० आदिवासियों को उठाने के लिये है, मोर और लैस 50 परसैंट इसका उपयोग हो गया है लेकिन सन् 80 से अब तक देखें तो 1-3 भी इसका उपयोग पूरे देश में नहीं हो पाया है। मेरी मांग है कि आदिवासी और हरिजनों के विकास के लिए जितने कार्यक्रम हैं, चाहे शिड्यूल्ड कास्ट कार्पोरेशन की बात है चाहे स्पेशल एसिस्टैंस दिया गया है या स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है इनके कार्यान्वियन को देखने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, आप प्रदेश सरकार को धन आवंटित करते हैं, लेकिन वह खर्च नहीं कर सकती हें। जब राज्य खर्च नहीं करते हैं, तो केन्द्र के पास कोई ताकत नही है कि वह उन्हें खर्च करने के लिए बाध्य करें। हरिजन-आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के उत्थान की जिम्मेदारी सैंट्रल गवर्नमेंट की है, इसलिए उनसे सम्बन्धित योजनाओं के क्रियान्वयन की ताकत भी उसी के पास होनी चाहिए। अगर केन्द्र के पास इसके लिए स्टाफ नहीं है, तो वह स्टाफ की नियुक्ति करें और गृह मंत्रालय में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए अलग मंत्रालय खोलें, ताकि इन कार्यक्रमों की मानीटरिंग हो सके।

केन्द्र की ओर से राज्यों को जो धनराशि दी जाती है, उसमें थोड़ा बहुत आबादी का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे, उत्तर प्रदेश में देश की शिड्यूल्ड कास्ट्स की आबादी का पांचवां

हिस्सा रहता है और वहां पर लगभग 25 प्रतिशत आबादी शिड्यूल्ड कास्ट्स की है। लेकिन धन के आवंटन में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है। इस सम्बन्ध में तीन चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह देखना चाहिए कि कोई राज्य आर्थिक दृष्टि से कितना कमजोर है, उसकी पर-कैपिटा इनकम कितनी है। बिहार को छोड़कर उत्तर प्रदेश की पर-कैपिटा इनकम देश में सब से कम है। दूसरे, उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पहाड़ी जिले और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां राज्य की 47 प्रतिशत आबादी रहती है। उत्तर प्रदेश के लिए धन का आवंटन करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, इसकी वजह से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। एक तरफ तो वे समाज के कोप-भाजन बनते हैं—लोग कहते हैं कि सारी नौकरियां यही लोग लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ वास्तव में उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हर एक स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक विभाग में टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया जाए और जो एपायंटिंग एथारिटी उसका पालन न करे, उसको कुछ पनिशमेंट देने की व्यवस्था की जाए। पहले कहा गया था कि रिजर्वेशन के प्रावधानों की पूर्ति न करने वाले अधिकारी के कैरेक्टर रोल में एन्ट्री की जाएगी, लेकिन हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कोटे की पूर्ति न करने पर किसी अधिकारी के कैरेक्टर रोल में एन्ट्री की गई हो। जिस तरह यह कहा जाता है कि साम्प्रदायिक दंगों और हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों के लिए जिलाधिकारी और एस० पी० को जिम्मेदार बनाया जाए, उसी तरह विभिन्न नौकरियों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कोटे को पूरा करने के लिए सम्बद्ध अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

यह बहुत ही गम्भीर मामला है कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन के मामले में तीन चार साल तक तो सम्बन्धित व्यक्ति के कैरेक्टर रोल में "सैटिसफैक्टरी," "गुड" और "वैरी गुड" लिखा जाता है, लेकिन जिस साल उसके प्रोमोशन का नम्बर आता है, उस साल लिखा दिया जाता है "नाट सेटिसफैक्टरी," जिससे उसके प्रोमोशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जहां तक जातिवाद और छुआछूत का सम्बन्ध है, क्या यह सही नहीं है कि महाराष्ट्र विधान सभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया गया कि डा० अम्बेडकर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी खोली जाए लेकिन जातीय भावना इतनी बढ़ती जा रही है कि सरकार के लिए इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं हो सका है। जब देश के दूसरे महापुरुषों के नाम पर कालेज और यूनिवर्सिटियां खोली जाती हैं, तो डा० अम्बेडकर के नाम पर यूनिवर्सिटी खोलना कोई गलत बात नहीं है।

होम मिनिस्ट्री को यह आदेश देना चाहिए कि डा० अम्बेडकर के जन्म-दिन पर छुट्टी की जाए।

आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के लिए प्री-एग्जामिनेशन ट्रेनिंग की व्यवस्था हर एक राज्य और हर एक बड़े जिले में की जाए, ताकि क्लास वन सर्विसिज में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की कमी न हो।

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए स्कालरशिप्स की संख्या काफी कर दी गई है। यद्यपि स्कालरशिप्स के लिए धनराशि में वृद्धि की गई है, परन्तु बढ़ती हुई मंहगाई को ध्यान में रखते हुए प्रति-छात्र धनराशि को नहीं बढ़ाया गया है। इसी तरह विदेशों में उच्च टैकनिकल और साइंटिफिक शिक्षा के लिए भेजे जाने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के छात्रों की संख्या नहीं बढ़ी है। मंत्री महोदय को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए।

हरिजन आदिवासियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के सफल होने में दो तीन बाधाएं हैं। एक तो शिड्यूल्ड बैंकों का सहयोग नहीं मिलता है, और अगर सहयोग मिलता भी है, तो वहां पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। दूसरे, जो सामान मिलता है, वह घटिया होता है। प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है कि यह जनता के विकास का कार्यक्रम है, इसलिए इसके लिए जन सहयोग होना चाहिए। लेकिन मैंने जानकारी प्राप्त की है कि हिन्दुस्तान भर में ग्राम सभाओं और ग्रामों की इच्छा जाने बगैर, सरकारी अधिकारी जिस व्यक्ति में रुचि लेते हैं, उसी को सहायता देते हैं। तो जो कमियां और खामियां हैं उनके विकास में आप उनको दूर कीजिए।

एक बात अन्त में कह कर समाप्त करूंगा कि इन सारे कार्यक्रमों में तभी सफलता मिलेगी जब आप इम्पलीमेंटेशन की मशीनरी को तेज करें। आप जब उत्तर दें तो दो बातों का उत्तर जरूर दें कि शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट में परिवर्तन करेंगे और दूसरी बात यह जरूर करें कि डिपार्टमेंट अलग बनाएं और इम्पलीमेंटेशन के लिए अगर जरूरत पड़े तो राज्य सरकार को जो ताकत है वह अपने हाथ में लेकर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यल्ड ट्राइब्ज को आगे लाने का काम करें। एट्रासिटीज की बात को देखें।

मंडल कमीशन के बारे में बहुत सी बातें कही गई। मैं आप से कहूंगा कि जब तक सामाजिक पिछड़ापन है तब तक रिजर्वेशन देना पड़ेगा। कान्स्टीट्यूशन में जो क्षमता दी है उसके कोई माने नहीं हैं। जब तक देश में अवसर प्राप्त करने की समता नहीं होगी तब तक कोई बात नहीं बनेगी। आज हमारे देश में अवसर प्राप्त करने की समान सुविधा नहीं है। वृद्धि के मामले में मैंने एक बार पहले भी कहा था कि किसी जाति या किसी विशेष कबीले की यह बपौती नहीं है। यदि हम लोगों को, हरिजन और आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को अवसर मिले तो वे भी उसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। मैं जानता हूं कि मंडल कमीशन में कुछ बातें ऐसी हैं जो स्वीकार करने लायक नहीं हैं। लेकिन जो स्वीकार करने लायक हैं जिन से लोगों का कल्याण होता हो, जल्दी-जल्दी राज्यों से मंगा कर के उन बातों को स्वीकार करें। जब तक देश में बराबरी की हालत न हो जाय, उन लोगों को जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको आप विशेष सुविधा दीजिए ताकि यह बीमारी ठीक हो जाय और भारतवर्ष का सारा समाज स्वस्थ हो जाय, उनमें एक राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न हो। धन्यवाद।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय क्या माननीय गृह मंत्री चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं।

सभापति महोदय : मैंने पहले माननीय गृह मंत्री से बोलने के लिए कहा था। परन्तु उन्होंने कहा कि आपको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं इस बारे में विस्तार से नहीं जाना चाहता क्योंकि कई मुद्दों पर बहस हो चुकी है। मैं अपनी ओर से गृह मंत्रालय से कुछ प्रश्न पूछूंगा।

मेरा यह विचार है कि इस देश में शासन की स्थिति खराब हो रही है, जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय का कार्य निष्पादन संतोषजनक नहीं है।

मैं केवल कुछ समस्याओं के बारे में ही कहूंगा।

सरकारी पक्ष के कई माननीय सदस्यों ने श्री साइकिया की प्रशंसा की है कि उन्होंने असम के लोगों को बेहतर सरकार दी है।

व्यक्तिगत रूप से यह मेरा यह विश्वास है कि श्री साइकिया की प्रशंसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वहां की बिगड़ती हुई स्थिति में वह इतना ही कर सकते थे। परन्तु जनता की सरकार नाम की वहां कोई सरकार नहीं है क्योंकि जनता ने चुनाव में भाग नही लिया है। परन्तु जो संसद सदस्य वहां से चुन कर आए है मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उनमें से कितनों का चुनाव हुआ है।

परन्तु मैं आपको तथा आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि सरकार यह भूल गई है कि असम में असंतोष व्याप्त है तथा भय का वातावरण बना हुआ है तथा असम की जनता को यह महसूस नहीं होता कि समस्या का समाधान हो चुका है। दिल्ली में उस समस्या के बारे में बातचीत करना एक बात है तथा असम में उसे सुलझाना दूसरी बात है।

यह देखते हुए कि असम की समस्या का समाधान करने में सभी विपक्षी पार्टियां, असम के चुने हुए नेता तथा छात्र नेता केन्द्र सरकार तथा कांग्रेस पार्टी को सहयोग देना चाहते है पर अभी तक भारत सरकार असम की समस्या का समाधान नहीं कर पाई हैं इससे यही साबित होता है कि भारत सरकार तथा सत्तारूढ़ दल असम की समस्या का समाधान करना नहीं चाहती क्योंकि असम की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं।

पंजाब में लोग कहते हैं कि वे हिन्दुओं में प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध की भावना पैदा करना चाहते हैं परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या यह उचित है, ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी को यह हक है कि वह जनता से वोट ले परन्तु उन्हें हिन्दुओं में प्रतिक्रिया स्वरूप विरोध की भावना नहीं जगानी चाहिए। पंजाब में निश्चित रूप से निष्क्रियता की नीति रही

है। हर बार जब उन्होंने त्रिपक्षीय बैठकें आयोजित की, उन्हें बिल्कुल भी प्रोत्साहन नहीं दिया गया।गृह मन्त्री उसमें विश्वास पैदा नहीं कर सके। मैंने पंजाब के विभिन्न लोगों से बातचीत की थी। उनमें से कुछ तो मूल समस्याओं, याने चण्डीगढ़ को पंजाब के देने अथवा क्षेत्र सम्बन्धी विवाद अथवा जल के बटवारे की समस्याओं को भूल चुके हैं। वे अब अपनी रोजमरा की जिन्दगी के बारे में सोचते हैं। वह बहुत भय व्याप्त है। दैनिक मजूरी कमाने बाले लोगों, जैसे रिक्शा चालकों, टैक्सी ड्राइवरों, फलविक्रेताओं को जीने के लिए रोज कमाई करनी होती है। धर्म से पहले वे अपने पेट भरने की फिक्र करते हैं। उस भय के वातावरण में वे उन वास्तविक समस्याओं को भूल चुके हैं जिनको लेकर आन्दोलन शुरू हुआ है और वे हमेशा क्षुब्ध होकर केन्द्रीय सरकार की ओर देखते रहे हैं।

कांग्रेस (ई) के मेरे मित्र ने कल अपनी आत्मा की बात कही थी। वे जानना चाहते थे कि पंजाब में क्या किया जाये। ये एक ऐसा प्रश्न है जो वे श्रीमती गांधी से पूछ सकते थे क्यों कि इसका समाधान उनके पास हैं। पिछले वर्ष 26 जुलाई, के अपने प्रथम भाषण के अन्त मैंने अपनी सरलता वश यह सोचा था कि इसका समाधान श्रीमती गाँधी के पास है और मैंनेउनसे अपील की थी कि वे इस मौके पर सामने आयें और वे अपने मान को त्याग कर अकाली नेताओं को आमत्रित करें और इस मामले को सुलझायें। उस समय अपने भोलेपन में मैंने जो सोचा था, अपने कुछ अनुभव के बाद भी मैं समझता रहा था कि श्रीमती गांधी के पास समाधान है, किन्तु वे इस समस्या का समाधान नहीं करना चाहतीं हैं। अन्यथा मैं नहीं समझता की इसमें किसी प्रकार की बाधायें हैं।

जहां तक अकालियों का प्रश्न है, उस समय मेरी यह धारणा थी कि वे खालिस्तान नहीं चाहते। किन्तु कुछ लोग इस शब्द को बोलते रहना चाहते हैं। वे अलग से राष्ट्र नहीं चाहते। उन्हें अलग राष्ट्र नहीं दिया जा सकता। वे एक सामान्तर राष्ट्र नहीं बना सकते। किन्तु वे एक समुदाय के रूप में एक उप पृथक राष्ट्र चाहते हैं। जो भी हो राष्ट्र बनाने की किसी भी विचारधारा को इस देश में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किन्तु उनकी कुछ मांगे न्योचित है। केन्द्रीय सरकार ने उन मांगों प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है और उसने सभी सिक्खों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। पंजाब में ध्रुवीकरन की स्थिति बनी हुई है और यह ध्रुवीकरण खतरनाक है। सत्ताधारी कांग्रेस यदि अगली बार चुनाव लड़ती है और उसमें सभी हिन्दुओं के मत प्राप्त कर लेती है, फिर भी हमसे वे कोई मोर्चा नहीं मार लेंगे। यह युद्ध जीतने का कोई प्रश्न है; वे एक मोर्चा भी नही जीत सकेंगे हिन्दुओं और सिक्खों में इस किस्म का ध्रुवीकरण देश में हमेशा के लिए एक खतरनाक स्थिति होगी। केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार ने यही किया है और गृह मंत्रालय यही कर सका है। वे एक निष्क्रिय दर्शक बन गये हैं। पिछली बार वार्त्ता असफल हो जाने पर हमारे गृह मंत्री फिर से विश्वास पैदा नहीं कर सके। वहां अव्यवस्था फैली हुई थी। अकाली वापस जा रहे थे। विरोधी पक्षों को इसकी कोई जानकारी नही थी, वे विरोधी पक्षों का कोई दृष्टिकोण नहीं था क्योंकि उन्होंने यह पाया था कि मन्त्रियों के पास भी कोई जानकारी नहीं थी न ही उनका कोई दृष्टिकोण था और गृह

मंत्री श्री पी० सी० सेठी० के व्यक्तव्य से यह पता चलता था कि उन्होंने अस्पष्ट सी जानकारी दी है और वे कोई आश्वासन नहीं दे सकते, अतः वे वर्त्ता जारी नहीं रख सकते। दूसरी ओर हरियाणा में हिंसा शुरू हो गई। इस बार भी श्रीमती गांधी सामने आई क्योंकि वे इसके लिए जिम्मेदार थी और उन्होंने इसमें दिलचस्पी ली और हरियाणा में भड़की हुई इस आग को बुझाने की कोशिश की। इसलिये पंजाब की गरीब और दलित मजूरी कराने वाली जनता धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक कारणोंवश भी पंजाब समस्या का समाधान चाहती है। टैक्सी वाला हो अथवा रिक्शा चालक, और तो और व्यापारी भी कुछ न कुछ करके जीना चाहता है। मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली राजधानी पंजाब से बाहर जा रही है। व्यापारी समुदाय बहुत संवेदनशील समुदाय है और यह ऐसी पूंजी नहीं लगाना नहीं चाहता जहां सुरक्षा न हो। अब राजधानी पंजाब से बाहर जा रही है और इसमें व्यापारी समुदाय के हितों को हानि पहुंचेगी। में नहीं जानता कि इस देश में चुनाव कब होंगे।

इस प्रकार महोदय कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है और इस बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है तथा में समझता हूं कि गृह मंत्रालय को रिपोर्ट से कुछ विश्वास पैदा होना चाहिए था। उसे तनावग्रस्त लोगों में कुछ आशा पैदा करनी चाहिए थी। जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, इस रिपोर्ट में कुछ भी आशाजनक नहीं है। रिपोर्ट में इतना भी नहीं कहा गया है कि यदि स्थिति आज अच्छी नहीं है, कि तो कल यह पूर्णतः ठीक हो जायेगी, कल का दिन आशामय होगा। इसमें यह बहुत कम स्पष्ट किया गया कि इस देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति क्यों खराब हो गई है।

अब मैं थोड़ा केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के बारे में कहूंगा। मैंने श्री वम की बात सुनी। उन्होंने केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में बोल था। श्री सोमनाथ चटर्जी ने पिछली बार केन्द्र और राज्यों के सम्बनों के बारे में विस्तारपूर्वक कहा था और मुझे उससे कुछ अधिक नहीं कहना है। किन्तु मैं एक बात कहना चाहता था, वह यह कि केन्द्र और राज्यों में दृढ़ सम्बन्ध बनाना गृह मन्त्रालय की जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी निधियन कार्य भी नहीं हे किन्तु इसे स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। इसने कुछ नहीं किया है। जहां तक केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों का प्रश्न है। मन्त्रालय ने केवल एक छोटे से पैरा में इसका उल्लेख किया है—सरकारिया आयोग, जैसे कि यही रामवाण है, ऐसी भी लोग हैं जिनका सरकारिया आयोग में कोई विश्वास नहीं है। जब इस आयोग की रिपोर्ट आयेगी तब भी लोगों को इसके पक्ष और विरोध में कहना होगा। इस रिपोर्ट में केवल सरकारिया आयोग का उल्लेख किया गया है। जहां तक केन्द्र और राज्यों के बीच में अत्यन्त सुदृढ़ सम्बन्ध स्थापित करने का प्रश्न है, हम रिपोर्ट में इस विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है।

गृह मन्त्रालय को जम्मू और कश्मीर का ध्यान रखना चाहिए था। मैं अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा किन्तु में गृह मंत्री श्री पी० सी० सेठी० और उनके साथियों के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर में राजनीतिक समस्याओं के अलावा कुछ आर्थिक कठिनाइयां भी हैं और जब तक गृह मन्त्रालय को इनका ज्ञान नहीं होता,

इनका समाधान नहीं किया जा सकता, गृह मन्त्रालय को आर्थिक समस्याओं का भी ध्यान होना चाहिये जहां तक देश के औद्योगिक विकास का प्रश्न है जम्मू और कश्मीर में सबसे कम औद्योगिक विकास हुआ है। जहां तक संगठित क्षेत्र का प्रश्न है। इसमें इस राज्य का भाग 0.06 प्रतिशत है। पिछले 30 वर्षों से अधिक अवधि में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में 25,550 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। इसमें मेरे राज्य का अंश 0.06 प्रतिशत है। ये वित्त मन्त्रालय के आंकड़े हैं। देश के रेलवे मानचित्र में मेरा राज्य नहीं हैं। जहां तक हमारी पन बिजली उत्पादन की क्षमता का सम्बन्ध है, मैं यह पिछली बार भी बता चुका हूं कि हमारे राज्य में 20,000मेगावाट पन बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। यदि पाकिस्तान में व्यर्थ जा रहे सारे जल का उपयोग किया जाये तो इससे हम देश के कल्याण में काफी योगदान कर सकते हैं। यदि गृह मन्त्रालय ने इस ओर जरा भी विचार किया होता, तो वह इन कार्यक्रमों को बेहतर दिशा प्रदान कर हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता था। किन्तु सारा कोष केन्द्र हड़प कर जाता है और फिर राज्यों, खासकर गैर कांग्रेस (ई) सरकार वाले राज्यों को केन्द्र के समक्ष गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर देता है। जैसा कि श्री पालकीवाला ने बताया, इस देश में राज्यों राज्यों से दूसरी श्रेणी के देशी राज्यों की तरह व्यवहार किया जाता है। जैसा कि ब्रिटिश राज्य में किया जाता था-पश्चिम बंगाल, कर्नाटक अथवा अन्य किसी राज्य, खासकर जम्मू एवं कश्मीर को अवश्य ही केन्द्र के पास भिक्षा के लिए आना चाहिए। यह देश का धन है। गैर कांग्रेस (ई) सरकार वाले राज्यों को अपना न्यायोचित भाग मांगने पर भी अपमानित किया जाता है।

महोदय, इस सभा में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के बारे में वाद-विवाद किये जाने की आवश्यकता है। गृह मन्त्रालय ने हमारी कठिनाइयों को समझने की बजाय, हमारे राज्य में कांग्रेस (ई) के कार्यकर्ताओं को इनके सुनियोजित आन्दोलनों में सहायता दी हैं। उन्होंने कभी जनमत को स्वीकार नहीं किया है। चुनाव परिणाम आने के तत्काल बाद उन्होंने मतदान में धांधलेबाजी करने का निर्णय कर लिया। पहले उन्होंने चुनाव में धांधलेबाजी होने की बात की और बाद में वे कहने लगे कि जम्मू और कश्मीर की जनता पृथक्तावाद के रास्ते पर चल रही है। हर बार उन्होंने किसी न किसी बहाने सरकार को हटाना चाहा। मेरे राज्य में कांग्रेस (ई) के कार्यकर्त्ताओं ने निकृष्टतम किस्म की हुड़दंगबाजी की है। अध्यक्ष महोदय हमारी पार्टी ने अपनी रिपोर्ट में यह ब्यौरा दिया हुआ है कि कांग्रेस (ई) के कार्यकर्त्ताओं द्वारा कितने हिंसात्मक आन्दोलन आयोजित किये गये। मेरे राज्य के विभिन्न भागों में 300 बार दंगे किये गये। उन्होंने जन सम्पत्ति को जलाया और कानून और व्यवस्था बनाये रखने वाली एजेंसियों पर हमला किया और फिर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा की जिससे कि सरकार को हटाया जा सके। एक दिन ऐसा भी हुआ कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी और बहुत से लोग मारे गये। यह सबसे हिंसात्मक दंगा था। एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया और पुलिस को गोली चलानी पड़ी किन्तु इस पर इन्होंने यह झूठा विवरण

दिया कि 14 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई हैं। मैं विस्तृत ब्यौरा नहीं दे रहा हूं। एक सुप्रतिष्ठित पत्रिका 'सण्डे' ने इस सम्बन्ध में एक सर्वेक्षण किया था और इसने उक्त विवरण को असत्य ठहराते हुये श्री मोपनार को सच्चाई जानने के लिये कहा। जिन व्यक्तियों को मरा बताया गया था 'सण्डे' ने उनके नाम बताये हैं और इस बात पर जोर दिया है कि वे जीवित है। मैं ये बातें यहां इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मैं पूर्णतः राष्ट्रवादी हूं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस (ई) ने केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों को बिगाड़ दिया है। मुझे यह कहते हुये दुख होता है कि उन्होंने हमें एक ओर धकेलना चाहा किन्तु हमने यही निर्णय किया कि हम अपनी जनता के निर्णय पर विश्वास करें। उन्होंने हमारी सरकार को हटाने के सम्बन्ध में भारत के राष्ट्रपति के पास एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजा जिसमें दो मन्त्रियों, श्री आरिफ मुहम्मद खान और श्री गुलाम नबी आजाद ने भाग लिबा। जहां तक मुझे याद है किसी अन्य राज्य में कभी भी ऐसी बात नहीं हुई है। क्या सरकार के मन्त्री प्रधान मन्त्री को छोड कर सीधे भारत के राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं? ऐसा इसलिये हुआ क्तोंकि उन्होंने सोचा कि इस बारे में भारत के राष्ट्रपति की भी राय होगी और उन्हें भी इस मामले पर कुछ कहना है। उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया था कि हमारे राज्य में पाकिस्तान से घुसपैठिये आये हैं और पृथक्तावादी गतिविधियां बढ़ गई है। मैं, मेरे साथी और हमारे मुख्य मन्त्री कह चुके हैं कि राज्य में पृथक्तावादी जैसी कोई बात नहीं है। यदि अलगाववादी प्रवृत्ति का कोई ग्राफ है, तो मुझे यह कहते गर्व है कि अलगावबादी प्रवृत्ति में कमी हुई है। 1965 में जब मेरे राज्य में कांग्रेस (ई०) सत्ता में थी तो घुसपैठिये श्रीनगर तक पहुंच गए थे। उस समय केन्द्रीय सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया था। घुसपैठ का सवाल नहीं था। अंततः चुनावों में हमारी जीत हुई तथा डा० फारुख अब्दुल्ला पुरस्कार प्राप्त करने के हकदार थे। आज वह कम से कम सत्तारूढ़ दल को अलंकृत करने वाले लोगों के सुखद अभिवादन के पात्र हैं। ऐसा करने की बजाए उन्होंने बदला लेने की सोची। महोदय, मेरे राज्य में कांग्रेस (ई०) छोटी पार्टी है तथा इसने कोई सेवा नहीं की है। हमने नेशनल कान्फ्रेंस के कठोर परिश्रमी कृषक के हल युक्त लाल रंग के झंडे तले आजादी की लडाई लड़ी है। हमने पीड़ित जनता के उद्धार के लिए काम किया है। हमने क्रांति की है तथा भूमि सुधार किया है। लोकतांत्रिक समाजवाद को इस कांग्रेस (इ०) से बेहतर जानते हैं। हमारे राज्य में कांग्रेस पार्टी 1965 में बनायी गई। गांधी तथा जवाहर लाल नेहरू ने यहां कांग्रेस पार्टी की शाखा खोलने के बारे में कभी नही सोचा क्योंकि वे समझते थे कि उस समय कांग्रेस जिन लक्ष्यों को लेकर चल रही थी नेशनल कांफ्रेस भी उन्ही सराहनीय लक्ष्यों के लिए कटिबद्ध थी। विडम्बना यह है कि कांग्रेस (इ)हमारे खिलाफ दिन-ब-दिन नए-नए आरोप लगाती रही है। उसका कहना है कि डॉ० फारूख अब्दुल्ला का जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चे से संबंध था। इस संगठन का आधार-सेना पाकिस्तान है। हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है। जब कुछ नासमझ कांग्रेस जनों ने सदन में उठकर कुछ फोटोग्राफ प्रस्तुत किये तो मैंने कहा कि वे नाटक कर रहे हैं। यह देश के हित में कतई नहीं है। महोदय, सच बात तो यह है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की जनता का इस संगठन से कोई संबंध नहीं है तथा वह यह भी सिद्ध नहीं कर सके कि इस संबंध में पकड़े गऐ व्यक्तियों के पास अपने देश का पास-पोर्ट था।

महोदय, मैंने जम्मू तथा काश्मीर मुक्ति मोर्चे का जिक्र इसलिये किया क्योंकि जब मकबूल बट्ट को 11 फरवरी को फांसी पर लटकाया गया और 12 फरवरी को शोपुर में एक प्रदर्शन हुआ था । जबकि श्रीनगर में कोई प्रदर्शन या 'बंद' नहीं था । मैं इसका जिक्र करके आपको यह बताना चाहता हूं कि वह प्रदर्शन एक कांग्रेस युवक के नेतृत्व में किया गया । मैं × × × का नाम आपको बता रहा हूं वह शोपुर कमेटी के अध्यक्ष हैं और जम्मू तथा काश्मीर प्रदेश कांग्रेस (आई) के उपाध्यक्ष × × × के बरदईन ला हैं वह कांग्रेस शासन के दौरान जम्मू तथा काश्मीर में मन्त्री भी थे। उनके पुत्र इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे तथा उन्हें गिरफ्दार कर लिया गया। यह कोई संयोग या दुर्घटना नहीं थी। अलगाव वादी प्रवृतियों वाले कुछ लोगों ने सुनियोजित ढंग से राज्य में कांग्रेस (इ०) के पद हासिल किये हैं तथा वह देश के हितों को नुकसान पहुंचाना तथा केन्द्र से जम्मू काश्मीर के संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी भूमिका निभाई है।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता था, परन्तु चूंकि आपने पूछा है, इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने पालिटिकल कान्फ्रेंस से शुरूआत की थी। वह एक पाकिस्तान समर्थक संगठन है। कांग्रेस (ई०) कार्यकर्ताओं ने जम्मू तथा काश्मीर तथा शेष भारत के मध्य संबंधों को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। परन्तु मैं यहां अपने उन लोगों का अभिवादन करना चाहता हूं जिन्होंने भारी विपत्तियों के समय डा० फारुख अब्दुल्ला का साथ दिया। महोदय दूसरी बात यह है कि फरवरी 1984 में जब कांग्रेस (ई०) का आन्दोलन चरम सीमा पर पहुंच गया तो देश की जनता ने महान उद्देश्य के प्रति चट्टान की तरह अडिग रही। राष्ट्रीय विपक्षी दलों में नेतृत्व में इस देश की जनता ने विधिवत चुनी हुई सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा सत्ता से हटाने के प्रयास को रोका। मैं भारत की जनता का अभिवादन करता हूं। इसके बाद समाचार पत्रों को इस बार यह श्रेय जाता है कि उन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया। हो सकता है कुछ मामलों पर उनसे मतभेद रहे हो, पर जब सत्ता से हटाने की चाल सामने आई तो समाचार पत्रों की आवाज ऐसे अवसर पर मुखरित हुई तथा दो माह की अवधि के भीतर अग्रणी अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रों तथा हिन्दी दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रों में लगभग 52 संपादकीय प्रकाशित हुए जिनमें केन्द्रीय सरकार को उसकी सत्ता से हटाने की चाल के विरुद्ध आगाह किया गया। अत; इस बात का श्रेय उन्हें जाता है कि केन्द्रीय सरकार, विधिवत चुनी हुई सरकार को गिराने में सफल नहीं हुई। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि अपने तुच्छ राजनीतिक हित के आगे राष्ट्रीय हित की बलि नहीं देनी चाहिए। हम उनके हमले का सामना करने में इसलिए सफल हुए हैं कि हमारा एक मजबूत राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष आधार है। हम भारत की एकता के हिमायती हैं। सभापति महोदय कलकत्ता, बंबई, दिल्ली तथा कुरुक्षेत्र में कांग्रेस सत्र में बांटे गए उन पर्चों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिनमें संवैधानिक तथा विधिवत चुनी गई सरकार के प्रति दुर्भावना फैलायी गई है। संभवत: अब उन्होंने यह स्वीकार किया है कि उनकी

× × × कार्यवाही वृत्तात में सम्मिलत नहीं किया गया।

कोई चाल कामयाब नहीं हुई क्योंकि इस देश की जनता यह जानती है कि डा० अब्दुल्ला और उनकी पार्टी भारत की एकता और अखण्डता के पक्षधर हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : सभापति महोदय, मुझसे पहले भाषण करने वाले माननीय सदस्य ने कई मामलों का जिक्र किया तथा उनमें से कुछ में में अर्ध सत्य और असत्य बातें थी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा आरोपों का उत्तर देंगे। मैं इस समय उनकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप बताएंगे कि इसमें गलत बयानी क्या है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं ऐसी 101 बातें बताऊंगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी आपको इसकी जानकारी देंगे। महोदय, उन्होंने पंजाब के बारे में कहा। उन्होंने सारा दोष सरकार पर थोपा है। कभी-कभी विद्वता मूर्खता बन जाती है और अज्ञानता सुखकर पंजाब के मुद्दे पर सरकार का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। मैं उन मामलों का उल्लेख नहीं करना चाहता। मैं केवल कतिपय उन बातों का जिक्र करूंगा जो कि इस मामले से संबंधित हैं। अन्य मामलों पर मेरे सम्मानीय वरिष्ठ सहयोगी वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

कई माननीय सदस्यों ने गृह मंत्रालयों की अनुदान मांगों सम्बन्धी वाद-विवाद में भाग लिया है तथा हमें अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं। गृह मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जहां मामले के प्रत्येक पहलू पर विचार किया जाता है तथा यह स्वाभाविक है कि माननीय सदस्यों ने अपना मूल्यवान योगदान दिया है तथा सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कुछ आवश्यक उपायों का सुझाव दिया है।

मैं उन संघ राज्य क्षेत्रों का जिक्र करूंगा जो केन्द्रीय सरकार की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी के तहत आते हैं।

3.33 म० प०

श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए

संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन तथा उनके विकास के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय समग्र समन्वय का मुख्य दायित्व निभाता है। योजना आयोग ने 9 संघ राज्य क्षेत्रों की छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 1646.13 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया है। वार्षिक योजना 1983-84 के लिए परिव्यय 480 करोड़ रुपये का और प्रत्याशित व्यय 511 करोड़ रुपये हैं। वार्षिक योजना 1984-85 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 557 करोड़ रुपये है। योजना परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कई योजनाऐं शुरू की गई है और सरकार का यह प्रयास है कि इन संघ राज्य क्षेत्रों के विकास को अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्यों के समतुल्य लाया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह तर्क दिया कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक पूर्ण लोकतांत्रिक ढांचे की स्थापना की जोरदार मांग की गई थी। मैं सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने केपहले कदम के रूप में अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (प्रशासन) विनियम 1979 के अधीन इस संघ राज्य क्षेत्र में एक प्रदेश परिषद गठित की गई। इस प्रदेश परिषद में जिसका उद्घाटन 20 जून, 1981 को हुआ था तीन पदेन सदस्य, दो मनोनीत सदस्य तथा अंडमान समूह में पंचायत प्रधानों निकोबार समूह में आदिवासी मुखियों तथा उनमें से पोर्टब्लेयर नगर बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने गए 25 सदस्य हैं। परिषद को प्रशासन राज्य तथा समवर्ती सूची तथा योजना प्रस्तावों से संबंधित विधायी प्रस्तावों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श तथा सिफारिशें करने का अधिकार है। प्रदेश परिषद के पांच सदस्य पार्षदों के रूप में भी नियुक्त किये गए हैं जो कि प्रशासन सम्बन्धी मामलों पर उप-राज्यपाल को सलाह देते है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह की खास स्थिति को देखते हुए प्रदेश परिषद योजना के अधीन लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व मौजूदा समय में पर्याप्त है। इसी तरह चंडीगढ़ लक्षद्वीप तथा दादर तथा नागर हवेली जैसे गैर-विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों में जन-प्रतिनिधित्व का तत्व सलाहकार समिति के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। एक सलाहकार समिति प्रशासक से संबद्ध होती है तथा दूसरी गृह मंत्री से। कानून बनाने, योजनाओं तथा बजट अनुमानों के प्रस्तावों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण मामलों पर सलाहकार समितियों से परामर्श किया जाता है। लक्षद्वीप में अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रदेश परिषद के ढांचे के अनुरूप एक प्रदेश परिषद स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है।

संघ राज्य क्षेत्र दादरा तथा नगर हवेली में जिला परिषद प्रणाली शुरू करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव पर भी हम विचार कर रहे हैं।

इस सम्बन्ध में, मैं संघ राज्य क्षेत्रों से चुने गए सभी संसद सदस्यों की प्रशंसा करना चाहूंगा। वे सभी सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बहुत रुचि लेते रहे हैं। जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है वे उन सभी कार्यालयों में सक्रिय सहयोग देते रहे हैं।

अब दिल्ली के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा। दिल्ली जो कि एक महानगर है और देश की राजधानी है माननीय सदस्यों द्वारा कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठाने के माध्यम से तथा इस सभा में चर्चा के माध्यम से दिल्ली में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के बारे में बार-बार चिंता प्रकट की गई। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है मैं इसके बारे में विभिन्न जटिल समस्यों पर केवल बल देना चाहूंगा।

महोदय, अपराध संबंधी आंकड़ों को देखते हुए, हमें दिल्ली की आबादी में हुई बहुत अधिक वृद्धि और इस शहर की बहुत तेजी हुई प्रगति को ध्यान में रखना होगा। बहुत तेजी से बढ़ने वाले महानगरों और उनकी दूर-दूर तक फैली हुई कलोनियों में अपराधों की संख्या में उतार-चढ़ाव सभव है इसे सामान्य बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था तथा अपराध की स्थिति का घोतक नहीं माना जाना चाहिए। इस पृस्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, मैं सदन को यह

सूचित करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उठाए गए विभिन्न कदम क्या हैं और किए जा रहे कुछ अपराधों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले सभी सम्भव उपाय कौन-कौन से हैं ।

महोदय, मैं माननीय सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि 198 में इस सरकार द्वारा सत्ता सम्भालने के बाद, कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने और अपराधों की संख्या जो कि वर्ष 1979 में बहुत अधिक हो गई थी, को कम करने को उच्च प्राथमिकता दी गई । कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के तथा दिल्ली के नागरिकों में सुरक्षा की भावना, जो कि 1980 से 2-3 वर्ष पहले नहीं रही थी, उत्पन्न करने के लिए सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाये हैं । अब दिल्ली की दूर-दराज की कालोनियों में पुलिस स्टेशनों तथा पुलिस चौकियों की स्थापना की गइ हैं तथा पुलिस कर्मियों की संख्वा भी काफी बढ़ा दी गई है । पांच और सशस्त्र पुलिस बटालियनों की स्वीकृति दी गई है । 1980 के प्रारम्भ में दिल्ली पुलिस कर्मिकों, की कुल संख्या 23,750 थी और अब 1983 के अन्त तक पुलिस कार्मियों की यह संख्या बढ़कर 31 000 तक पहुंच गई है। पुलिस को अपेक्षाकृत अधिक क्रिय और उन्हें आसान संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए बहुत से वाहन खरीदे गए हैं और दिल्ली पुलिस को आधुनिम बेतार संचार उपस्कर से सुसज्जित किया गया है। दिल्ली पुलिस पर व्यय जोकि 1980-91 में 3.3 करोड रु० था वह चालू वर्ष के दौरान यह व्यय बढ़कर 45 करोड़ रु० से अधिक हो गया । दिल्ली पुलिस से एशियाई खेलों, निर्गुट सम्मेलन तथा राष्ट्र मण्डल राजाध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान कानून और व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने के बारे में प्रशंसनीय किया है ।

जबकि वर्ष 1980 से बाद के वर्षों में समग्र रूप से अपराधों की संख्या में धीरे-धीरे कमी हुई है, परन्तु कुछ शीर्षों के अन्तर्गत इनमें सीमान्त वृद्धि हुई है । सरकार इससे अवगत है और इसे रोकने लिए सभी प्रयास कर रही है । इसका यह मतलब नहीं कि हम वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं । कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने, दिल्ली के नागरिकों को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो कुछ सम्भव है, उसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है और यह एक सतत प्रक्रिया है ।

दिल्ली पुलिस के सतत प्रयासों से राजधानी में हुई बैंक लूटने और बम विस्फोट के बहुत से मुख्य मामलों के सुराग मिले हैं ।

अन्य मामला जिस की ओर संसद का ध्यान आकर्षित किया गया है वह है दिल्ली में दहेज के कारण होने वाली मौतें । यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सभी सदस्यों के लिए गम्भीर चिंता का विषय है ।

दहेज संबन्धी मौतों की बढ़ती हुई संख्या, विशेषकर दिल्ली में, सरकार के लिए गम्भीर चिंता का कारण है । यह समाजिक बुराई है जिसका मुकाबला केवल चतुर्मुखी सामाजिक जागृति से किया जा सकता है । दहेज विरोधी अधिनियम जैसाकि इस समय प्रवृत्त है, बहुत असरदार

सिद्ध नहीं हुआ है। सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है। अपराधिक कानून को और अधिक प्रभावकारी बनाया गया है ताकि विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने के मामले में अनिवार्य शव-परीक्षा का उपबन्ध किया जा सके। सदस्य अधिनियम में संशोधन किया गया है कि न्याय को यह मान लेने की अनुमति दी गई है किसी महिला को जिसे आत्महत्या करने से पहले निर्दयता का शिकार दिखाया गया है, पति द्वारा या पति के रिश्तेदार द्वारा आत्महत्या करने के लिये उकसाया गया।

जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, दहेज के कारण होने वाली मौतें और दहेज के कारण ताड़ना संबन्धी मामले जो कि इस कक्ष को अन्तरित किये जाते हैं की जांच शुरू करने के लिए एक दहेज विरोधी कक्ष की स्थापना की गई है जिसकी अध्यक्षा एक महिला पुलिस उपायुक्त हैं तथा इसमें 27 कर्मचारी हैं। ऐसे मामलों में मरते समय दिए गए ध्यान रिकार्ड करने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं और ऐसे मामलों की जांच के लिए एक विशेष न्यायालय भी बनाया गया है।

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं।

(1) महिलाओं के प्रति अपराधों सम्बन्धी सभी रिपोर्टों को शीघ्र और स्वतन्त्र रूप से दर्ज किया जाता है और उनकी विस्तृत जांच की जाती है।

(2) ऐसे अनुदेश जारी किये गए हैं कि महिला संबंधी अपराधों की जांच वरिष्ठ अधिकारी के स्तर पर की जानी चाहिए।

(3) महिलाओं से छेड़-छाड़ सम्बन्धी मामलों को रोकने के लिये कन्या महाविद्यालयों और विद्यालयों तथा अन्य मुख्य बाजारों तथा अन्य स्थानों पर भी जहां महिलाएं बहुधा-आती जाती है, पुलिसकर्मी तैनात किए जाते हैं।

(4) महिला महाविद्यालयों के प्रिंसिपलों के साथ आवधिक बैठक होती है तथा स्थिति से निपटने के लिए उनके सुझाव और उनसे सहयोग मांगा जाता है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजे गए महिलाओं के साथ छेड़खानी सम्बन्धी विधेयक पर अलग से विधि मन्त्रालय तथा इस मन्त्रालय के न्यायिक विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है। इसमें महिलाओं के साथ छेड़खानी के दोषी पाए गए व्यक्तियों पर संक्षिप्त मुकदमे की कार्य-वाही और न्यूनतम का प्रावधान सजा किया गया है।

अब मैं अगले विषय स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना पर आता हूं। इसका श्रेय हमारी प्रधान मन्त्री जी को जाता है जिन्होंने यह योजना शुरू की ताकि, उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को मानदेय दिया ला सके जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया। पहली बार उनको मान्यता मिली है और यह योजना उनकी उन सेवाओं को, जोकि उन्होंने इस देश के उत्थान के

लिए की हैं, मान्यता प्रदान करने के लिए शुरू को गयी है । इस योजना को शुरू करने का श्रेय प्रधान मन्त्री को ही जाना चाहिए ।

यह योजना 15 अगस्त, 1972 को शुरू हुई थी और 1 अगस्त, 1980 को इस योजना को कुछ उदार ब-ा दिया गया था । इस योजना का नाम अब स्वयंत्रता सैनिक सम्मान योजना है । इस योजना के अन्तर्गत लोगों को पेंशन देने की व्यवस्था की गई है जिन्होंने स्वयं तथा जिनके परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया । परिवार में विधवा । विधुर, अविवाहित पुत्रियां, माता तथा पिता शामिल हैं। पहले इसके लिए जो 5000/रु० प्रति वर्ष की अर्हता की शर्त की न्यूनतम सीमा थी उसे अब हटा दिया गया है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति के लोगों और महिला स्वतंत्रता सेनानियों के संबन्ध में छह महिने की जेल यातनाओं को कम करके तीन मास की जेल यातनाएं कर दिषा गया है । जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मासिक पेंशन की राशि 200/-रु० से बढ़ाकर 300/-रु० प्रति मास कर दी गई है तथा पात्र आश्रितों के लिए 100-से बढ़ाकर 200/-रु० प्रतिमास तथा अविवहित पुत्रियों के लिए 50 रु० प्रतिमास की वृद्धि की हैं परन्तु कुल मिलाकर यह एक अधिकतम सीमा या 300/रु० की राशि तक सीमित होगी ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए इसे बढ़ाने के लिए हमने जो मांग की है उसका क्या हुआ ? क्या इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री० पी० वेंकटसुब्बय्या : माननीय सदस्य वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं और इस योजना सम्बन्धी गैर-सरकारी परामर्शदात्री समिति के सदस्य भी हैं जो कुछ भी वे कहते हैं उस पर यथोचित सम्मान से विचार किया जायेगा ।

इसके बाद, भूमिगत यातनाओं के मामले में सरकारी प्रलेख न होने पर पांच वर्ष की यातनाओं वाले प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों की व्यक्तिगत जानकारी से दिया गया प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाता है ।

1 अगस्त, 1980 से इसे और उदार बना दिया गया है । किन्ही दो स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने एक वर्ष से अधिक की यातनाएं भोगी थीं और जिन्होंने सम्मान पेंशन और ताम्रपत्र प्राप्त किए हैं, के साथ इकट्ठे जेल में रहने सम्बन्धी प्रमाण पत्र स्वीकार करने का उपबन्ध है ।

(2) पुलिस के कोड़े खाने वाले और डण्डे खाने की सजा को मान्यता ।

(3) कर्नाटक में अरण्य सत्याग्रह को मान्यता

(4) होवेल स्मारक हटाओ आन्दोलन, 1940 (पश्चिम बंगाल) को मान्यता

आवेदन पत्रों को निपटाने संबंधी स्थिति

अब तक प्राप्त हुए कुल 4,24,160 आवेदन पत्रों में से, 1,28,836 स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है । विभिन्न कारणों से 1,56,805 आवेदन पत्र स्वीकृत किये गए हैं । जोरदार

अभियान के परिणामस्वरूप हर मास 3,000 से 4,000 मामलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए किये गए उपाय

(1) आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष कक्षों की स्थापना;

(2) दावों के सत्यापन तथा जांच के मामले में राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए जिला राज्य स्मर पर समितियों की स्थापना;

तथा (3) सम्मान पेंशन योजना सम्बन्धी मुख्य समस्याओं पर विचार करने तथा सरकार को परामर्श देने के लिए केन्द्रीय स्तर पर एक गैर-सरकारी परामर्शदात्री समिति का गठन।

केन्द्रीय स्तर पर विशेष समितियों का गठन

नई समितियां गठित की गई हैं :

(1) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों पर विचार करने के लिए गैर-सरकारी जांच समिति;

(2) हैदराबाद की पुरानी निजाम रियासत के स्वतन्त्रता सेनानानियों पर विचार करने वाली समिति;

तथा (3) न्यू गिनी और निकटवर्ती द्वीपसमूहों में भेजे गए भूतपूर्व आजाद हिन्दफौज के जवानों सम्बन्धी जांच समिति।

विधवाओं को पेंशन का स्वत:अन्तरण

(1) स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन का अंतरण स्वत: बना दिया गया है चूंकि पेंशन की स्वीकृति के समय परिवार के सदस्यों का ब्यौरा दिया जाता है ताकि स्वतन्त्रता सेनानी की मृत्यु हो जाने पर उन्हें पेंशन का स्वत; अंतरण किया जा सके।

(2) वर्तमान स्वतन्त्रता सेनानियों को अपने आश्रितों के बारे में शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए कहा गया है ताकि उनकी मृत्यु होने पर शपथ-पत्र के आधार पर उनकी पेंशन को उसकी विधवा/आश्रितों के नाम अन्तरित किया जा सके।

महाराष्ट्र से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों के आवेदनों की स्थिति

एक अन्य माननीय सदस्य श्रीमती सालिनी पाटिल ने महाराष्ट्र से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों के बारे में पूछा है। इन आवेदन पत्रों को यथाशीघ्र निपटाने

के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात से प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी आवेदन पत्रों से निपटने हेतु अलग से एक अनुभाग खोला गया है तथा इस कार्य का प्रभार एक अलग अवर सचिव को सौंपा गया है। 24 मार्च, 1984 को केवल 831 मामले अनिर्णीत के जिनमें राज्य से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इन मामलों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। इनमें से अधिकतर पर राज्य सरकार से पत्राचार किया जा रहा है। 29-2-1984 को महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति कुल मिलाकर इस प्रकार है :—

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र		18,247
स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र		14,170
	योग	32,417
मंजूर किए गए मामले		11,514
रद्द किए गए मालले		9,268
अनिर्णीत पड़े मामले		11,635

श्री उत्तम राठौर द्वारा दो मुद्दे उठाए गए हैं। एक तो अनावश्यक पूछताछ द्वारा स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग द्वारा विलम्ब के बारे में है यह बताया गया है कि हम मामलों का निपटान शीघ्रता से करने का प्रयास करते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों को परेशानी न हो इसलिए छोटे-मोटे मुद्दों को नजनअंदाज कर दिया जाता है। छोटे-मोटे मुदों की अपेक्षा करने के लिए मेरे पास आमतौर पर मामले प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी-अभी कहा है हमने मामलों को निपटाने की गति तेज कर दी है।

दूसरा मुद्दा भुगतान की तातीख के बारे में है। दो तारीखें हैं जिनसे आमतौर पर पेंशन की मंजूरी दी जाती है यानी 15-8-1972 और 1 अगस्त, 1980 देय तारीख से पहले प्रस्तुत किए गए आवेदनों के बारे में पेंशन उक्त दोनों तारीखों में से किसी एक तारीख से दी जाती है जो कि उस मामले विशेष में लागू होती हो और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि किस तारीख को मामले पर निर्णय लिया गया है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में, आवेदन पर विलम्ब से निर्णय लिए जाने के कारण विलम्बित तारीख से पेंशन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मैं मंत्री महोदय के ध्यान में एक छोटा सा नुद्दा लाना चाहता हूं जो कि काफी कठिनाई प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने एक तारीख को अन्तिम तारीख निर्धारित कर दिया जिससे पहले कुछ स्वतंत्रता सेनानी किन्हीं कारणों से अपना आवेदन पत्र नहीं भेज सके यानी उस निर्धारित तारीख से पहले। उनमें से एक कारण यह है कि अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अधिकार का

प्रयोग करते हुए उन कुछ लोगों को ढील दे दें जो अपने आवेदन पत्र को विलम्ब से भेजने के सही स्पष्टीकरण दे दें ताकि मंत्री जी के लिए उन्हें पेंशन मंजूर करना सम्भव हो सके।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : इससुविधा का लाभ पहले ही उन स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध है जो 1972 की मूल योजना के अधीन आते हैं और जहां उनके पास छः महीने अथवा उससे अधिक के कारावास का दस्तावेजी सबूत है और जहां यह साथी कैदीप्रमाणपत्र द्वारा विधिवत प्रमाणित हो। उदार पेंशन के बारे में जहां कि हम स्वतंत्रता सेनानियों, भूमिगत स्वतंत्रता सेनानियों से सम्बन्धित कार्य करते हैं, ऐसा करना काफी कठिन है। यदि आप विलम्ब को माफ करने के इस स्वविवेकाधिकार का प्रयोग करते चले जायेंगे तो वह हमारी कठिनाई है। जहां तक 1972 की योजना के अधीन स्वतंत्रता सेनानियों का सम्बन्ध है, ऐसे मामलों में विलम्ब को माफ किया जा रहा है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उचित मामलों में जहां कि मंत्री स्वयं सन्तुष्ट हो, उनके पास विलम्ब को माफ करने की शक्ति होनी चाहिए।

डा० बी० कुलनदईवेलु (चिदम्बरम) : ग्रामीण क्षेत्रों में, निर्धन लोग यह जानने की स्थिति में नहीं होते कि सरकार ने पेंशन मंजूरी के आदेश जारी किए हैं। अतः समय सीमा निर्धारित नहीं होनी चाहिए।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : हम इस मामले में कत्तई कठोर नहीं हैं। जहां तक उचित मामलों का सम्बन्ध है जो कुछ भी सम्भव होता है, निश्चय ही सरकार के पास शक्ति प्रयोग करने का स्वविवेक है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उचित मामलों में जहां वह सन्तुष्ट हो, मंत्री के पास इतनी शक्ति होनी चाहिए।

सभापति महोदय : जहां कहीं उचित मामले हों, आप उन पर उसी दृष्टि से विचार करें।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : हमारे पास विलम्ब को माफ करने की शक्ति हमेशा रहती है। मैंने पहले ही कहा है कि जो उचित मामले हमारे ध्यान में लाये जाते हैं। स्वविवेकाधिकार का प्रयोग हमेशा किया जा रहा है और यह जारी रखा जायेगा।

विभिन्न द्रुत संवर्धनात्मक उपायों और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नियमों को उदारता से शिथिल करने के परिणामस्वरूप सेवाओं में 1-1-1982 को अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कुल मिलाकर, वर्ग क, ख, ग और घ सभी का, 16.67% था। वर्ग 'घ' पदों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 23.4% और 7.45% तक बढ़ गया। वर्ग 'ग' के मामलों में, अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 13.39%

तक बढ़ गया जो कि लक्ष्य के लगभग निकट ही है। वर्ग ख में भी, प्रतिशत बढ़कर 9.02% हो गया। सिविल सेवाओं में, हमारे यहां अब 6,70,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं। जबकि 1965 में यह संख्या 3,50,000 थी। इस प्रकार इनमें 3,20,000 की वृद्धि हुई। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की सरकार में कुल संख्या में वृद्धि वर्गवार अथवा श्रेणीवार भी काफी प्रभावी है। वर्ग क में 1965 में केवल 318 अनुसूचित जाति अधिकारी के जो कि 1982 में बढ़कर 2980 हो गये जो कि 9 गुनी वृद्धि बढ़ती है। वर्ग ख में उसी अवधि में 864 बढ़कर 5970 हो गए जो 7 गुनी वृद्धि बनती है। वर्ग ग में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या 96114 से बढ़कर 2,55,730 हो गई जो कि लगभग 3 गुनी वृद्धि है। वर्ग 'घ' में भी संरकात्मक वृद्धि काफी आश्चर्यजनक है। कुल मिलाकर, यह कहा जा सकता है कि, सरकार द्वारा किए गए विशेष प्रयासों से केन्द्र में सिविल सेवाओं/पदों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की कुल संख्या में 1965 और 1982 के बीच लगभग दोगुनी हो गई है और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या उसी अवधि में तिगुनी हो गई है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय वर्ग क जैसी अखिल भारतीय सेवाओं में, जिनमें नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होती है, अब अनुसूचित जातियों/जनजातियों का पूरा कोटा लेना सम्भव हो गया है और आरक्षण को आगे ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

भा० प्र० से० में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1960 में भा० प्र० से० में अनुसूचित अधिकारियों की संख्या 12 थी जो कि बढ़कर 1983 में 404 हो गई। इसी प्रकार, 1960 में अनुसूचित जनजाति अधिकारियों की संख्या केवल 4 थी जो कि 1983 में बढ़कर 183 हो गई। इससे प्रतीत होता है कि उनमें शिक्षा के विस्तार की हमारी नीति और आरक्षण योजना के अन्तर्गत उपलब्ध अवसरों का उचित प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की नीति के अच्छे लाभ मिले हैं।

वर्ग क और ख में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में और सुधार लाने हेतु काफी कदम उठाये जा रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अ० जा०/अ० ज० जा० के उम्मीदवारों को तैयार करने हेतु 62 कोचिंग और प्रशिक्षण केन्द्र हैं। यह प्रशिक्षण उन्हें उपलब्ध आयु (5 वर्ष), फीस (आम फीस से एक-चौथाई), उपयुक्तता के मानकों में शिथिलता, प्रत्यक्ष साक्षात्कार में अनुभव अर्हता में शिथिलता, अलग बैठकों में अलग से साक्षात्कार लेना आदि जैसी रियायतों के अतिरिक्त दिया जाता है। इसलिए, यह मानना होगा कि सरकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व पर कड़ी निगरानी रख रही है।

कई बार संसद में तथा अन्य स्थानों पर यह जोर दिया जाता रहा है कि सरकार अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण की योजना के लिए वचनबद्ध है तथा सरकार यह देखने के अथक प्रयास करेगी कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सदस्यों को सिविल सेवाओं और पदों में न केवल पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले अपितु अन्य मामलों में भी उन्हें उचित लाभ मिले।

बहस के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया था। एक माननीय सदस्य, श्री दलबीर सिंह ने वन क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को पट्टे जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया। कृषि मंत्रालय द्वारा बनाये गए नीतिपरक मार्गनिदेशों में वन क्षेत्र के गांवों में भूमि के दखलकारों को दीर्घकालीन पट्टे देने की बात कही गई है। यह आशा की जाती है कि इससे वनों में रहने वाले जनजातीय लोगों के सामाजार्थिक विकास की समस्या हल करने में दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

एक अन्य माननीय सदस्य श्री प्रधानी ने बड़ी संख्या में भूमि अपवर्तन के मामले जनजातीय लोगों के विरुद्ध जाने का उल्लेख किया है। राज्यों के भूमि सुधार और भूमि अपवर्तन कानूनों को संविधान के नौवीं अनुसूची में शामिल करने का निर्णय पहले ही ले लिया गया है। इससे मुकदमेबाजी कम होने की सम्भावना है और अधिक शक्तिशाली वर्गों द्वारा जनजातीय लोगों को सिविल अदालतों में खींचने से भी बचाया जा सकता है। महाराष्ट्र, राजस्थान और त्रिपुरा के ऐसे भूमि कानूनों को नौवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। ऐसे कानूनों को नौवीं सूची में शामिल करने के बारे में 11 और राज्य सहमत हो गए हैं तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय इस दिशा में आगे की कार्यवाही कर रहा है।

"लैम्पस" के विभिन्न क्षेत्रों में अक्षम कार्यकरण का भी श्री प्रधानी ने उल्लेख किया है। 'लैम्पस' के कार्यकरण में सुधार हेतु मूल्यांकन अध्ययन किए गए हैं जिनमें उनके कार्यकरण की कमियों और कमजोरियों का पता लगा है। गृह मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय के साथ परामर्श करते हुए उक्त संस्थाओं के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए काफी कदम उठाये हैं और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से लैम्पस की सहायता करने की विभिन्न स्कीमें शुरू की गई हैं। लैम्पस द्वारा तथा जनजातीय विकास सहकारी संघों, जिनके साथ वे सम्बद्ध हैं, खरीदी जाने वाली फालपू कृषि उत्पादों और छोटे-मोटे वानिकी उत्पादों के विपणन में सुधार हेतु, जनजातीय विपणन परिसंघ नामक एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन का गठन का निर्णय लिया गया है। यह आशा की जाती है यह संघ निकट भविष्य में स्थापित कर दिया जायेगा।

माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा भी उठाया कि देश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने के लिए सक्षम अधिकारियों को आकर्षित किया जाये। मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि देश के जनजातीय क्षेत्रों में सेवारत अधिकारियों को वित्तीय व गैर वित्तीय दोनों ही किस्म के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। वित्तीय प्रोत्साहनों में विशेष भत्ता देना शामिल है और गैर वित्तीय प्रोत्साहनों में अतिरिक्त रिहायशी मकान देना शामिल है। सातवें वित्त आयोग ने इस प्रयोजन के लिए राज्यों को 42 करोड़ रु० दिये हैं। गृह मंत्रालय ने इस प्रोत्साहन योजना को जारी रखने के लिए आठवें वित्त आयोग को पहले ही लिख दिया है। यह आशा की जाती हैं कि आठवें वित्त आयोग का पंचार शीघ्र ही आ जायेगा और वह जनजातीय क्षेत्रों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

4.00 म० प०

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों की स्थापना के बारे में, जिससे कि न्यायालयों पर काम के बोझ को कम किया जा सके जिनके पास के सरकारी कर्मचारियों की

सेवा सम्बन्धी मामलों से सम्बन्धित बहुत से मामले पड़े हुए हैं और जिससे कि सरकारी कर्मचारियों को तेजी से न्याय सुनिश्चित किया जा सके, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 323क के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकारों को भी उनके अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे ही ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए अधिकार दिया है। प्रस्तावित ट्रिब्यूनल सरकारी कर्मचारियों की सेवा से सम्बन्धित सभी मामलों जैसे वेतन, छुट्टी, स्थाई किये जाने, पदोन्नति, वरिष्ठता, अनुशासनात्मक मामलों आदि तथा सेवा निवृत्त होने वाले अथवा सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों की सिविल पेन्शन से सम्बन्धित नियमों की वैधता, व्याख्या लागू होने के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों को निपटायेगें। उन सभी मामलों के बारे में जो ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकार में आएंगे, उन्हें सभी सिविल न्यायालयों सभी उच्च न्यायालयों तथा सभी सर्वोच्च न्यायालय (उन मामलों को छोड़कर जो संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत आते हैं) के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जाएगा, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 323क में व्यवस्था की गई है किन्तु प्रस्तावित ट्रिब्यूनल सरकारी कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी सामान्य शिकायतों को प्रकट करने के लिए मंच नहीं होगा। यह केवल एक ऐसा निकाय होगा जो व्यक्तिगत कर्मचारियों ने सरकार के अंतर्गत उनकी सेवा-शर्तों से सम्बन्धित मामलों के बारे में अभ्यावेदनों पर न्याय-निर्णय करेगा। प्रस्तावित ट्रिब्यूनल की स्थापना करने सम्बन्धी एक मसौदा विधेयक को राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रखने के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह आशा की जाती है कि उसे यथाशीघ्र संसद के समक्ष लाया जाएगा।

एक और शिकायत यह की गई है कि विभिन्न राज्यों द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे गए विधेयकों के बारे में जानबूझ कर विलम्ब किया गया है। यह सच नहीं है। मैं सदन को यह सूचित करना चाहूंगा कि सामान्य प्रथा के अनुसार राज्य को विधान मण्डलों द्वारा पारित किए गए तथा राष्ट्रपति की सहमति के लिए मंत्रालय को भेजे गए विधेयकों की सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके जांच की जाती है। सामान्य किस्म के मामलों में जिन विधेयकों में किसी प्रकार अस्पष्ट तथा विवादास्पद उपलब्ध नहीं होते हैं, इन्हें लगभग एक मास अथवा लगभग उतने समय में अनुमति दे दी जाती है। किन्तु कुछ मामलों में जिनमें विधेयक के कुछ उपबन्ध या तो अस्पष्ट होते है अन्यथा संविधान के प्रतिकूल होते हैं अथवा भारत सरकार द्वारा अपने विभिन्न विभागों में तैयार की गई नीति के अनुरूप नहीं होते हैं, ऐसे मामलों में केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकार के बीच प्रति संदर्भ होता है और स्थिति को अंतिम रूप से स्पष्ट करने से पहले कुछ समय लग जाता है। यहां तक कि ऐसे मामलों में सभी विधेयकों को शीघ्रता से अनुमति देने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं।

माननीय सदस्य ने पश्चिम बंगाल भूमि सुधार विधेयक, 1981 का भी उल्लेख किया है। यह विधेयक जुलाई, 1981 में प्राप्त हुआ था और विधेयक की विस्तृत जांच करने के बाद अप्रैल, 1982 में राज्य सरकार से कतिपय स्पष्टीकरण मांगे गए थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त, 1982 में उत्तर भेजा था और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच मतभेदों को

दूर करने के लिए अगस्त, 1983 में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के भूमि सुधार मंत्री के बीच एक बैठक की गई थी। उसके परिणामस्वरूप सितम्बर, 1983 में पश्चिम बंगाल सरकार से और स्पष्टीकरण मांगे गए थे। राज्य सरकार से जवाब प्राप्त होने पर तथा मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद 25 जनवरी, 1984 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विचार करने के लिए कतिपय सुझाव दिए गए हैं। राज्य सरकार से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है। यह केवल पश्चिमी बंगाल सरकार के लिए ही अजीब बात नहीं है। ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसी बातें हुई हैं और इसमें कोई राजनीतिक भेद-भाव नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : लेकिन 20 सूत्री कार्यक्रम में भी प्रधान मंत्री महोदया ने विभिन्न राज्यों से इन भूमि सुधारों जो बहुत आवश्यक हैं को अपनाने के लिए अनुरोध किया है। यह विधेयक 1981 में भेजा गया था। आपने स्पष्टीकरण आदि मांगे हैं। इस प्रक्रिया में इतना अधिक समय लग रहा है कि उसका सारा उद्देश्य निष्फल हो जाएगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बारे में कोई पहल करेंगे ताकि स्पष्टीकरण आदि मांगे जाने में कोई समय बर्बाद न किया जाए और केन्द्र सरकार के दिमाग की बात राज्य सरकार को पता लग सके और इसे कार्यान्वित किया जा सके।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं माननीय सदस्य महोदय के सुझाव की सराहना करता हूं। हम पहल कर रहे हैं और हम सम्बन्धित मंत्रालयों से जब कभी आवश्यक होता है चर्चाएं कर रहे हैं। जब स्पष्टीकरण मांगे जाने की आवश्यकता होती है, तब हम सम्बन्धित राज्य सरकार से सम्पर्क करते हैं, मैं माननीय सदस्य महोदय को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस मामले में कोई विलम्ब नहीं किया जाएगा और सभी द्रुत कदम उठाए जाएंगे।

कुछ सदस्यों ने प्रक्रिया को सामान्य बनाने तथा सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले पेन्शन सम्बन्धी लाभों के बारे में मुद्दे उठाए थे। इन मामलों में तेजी से सुधार हो रहे हैं और अब सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी सामान्य-तौर पर सेवा-निवृत्त से पहले अपनी पेन्शनें स्वीकृत कराने में समर्थ हैं। किन्तु, यदि किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा करना सम्भव नहीं है तो ऐसे मामलों में 6 मास की अवधि के लिए वैद्य अनन्तिम अदायगी का आदेश जारी किया जाना होता है और यदि अन्वेषण काल के दौरान कोई संशोधन नही किया जाता है तो यह अंतिम बन जाता है। उपदान की की अदायगी छुट्टी के बदले नगद धनराशि के भुगतान आदि के मामले में भी पद्धति को सरल बना दिया गया है। अब, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा-निवृत्ति के बाद एक वर्ष की अवधि के अन्दर अपनी पेन्शन में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे चिकित्सीय बोर्ड के सामने उपस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देखने के लिए अब पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया है कि पेन्शन में परिवर्ततन करने के लिए उसके आवेदन पत्र पर उसकी सेवा-निवृत्त से पहले कार्यवाही शुरू कर दी गई है और उसे स्वयं पेन्शन अदायगी आदेश में शामिल कर दिया गया है।

अतएव:, यह देखा जाएगा कि सामान्यतौर पर अब सेवा-निवृत्ति होने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा-निवृति के मास से आगे आने वाले मास में उसकी पेन्शन प्राप्त करने में कोई कठिनाई अथवा असुविधा महसूस नहीं होनी चाहिए हमने "अपनी सेवा-निवृत्ति होने वाले लोगों को जानिए" के शीर्षक से एक छोटी सी पुस्तिका भी प्रकाशित की है जिससे सरकारी कर्मचारियों तथा पेन्शन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों को पेन्शन के मामलों को सुलझाने के लिए नियमों तथा पद्धतियों की बेहतर गुण-दोष विवेचना करने के लिए सहायता मिलनी चाहिए।

एक अन्य मामला भ्रष्टाचार से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में उठाया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत किया गया है कि सरकार अपने राजनीतिज्ञ उद्देश्यों के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरों का उपयोग कर रही है जिसके लिए मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है और हम उस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, सरकार ने जहां कहीं भी भ्रष्टाचार मौजूद है उसे जड़ से समाप्त करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है।

हम लगातार प्रशासन की क्षमता की निगरानी करने तथा उसमें वृद्धि करने को काफी महत्व देते हैं ताकि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लाभ सामान्य आदमी तक पहुंच सकें। इस बारे में उन विभागों तथा संगठनों, जिनमें सार्वजनिक कार्य क्षेत्र है, के कार्यकरण के लिए विशेष ध्यान दिया गया है ताकि नागरिकों की संतुष्टि को उन्नत बनाया जा सके। इस बारे में कई प्रशासनिक, सतर्कता सम्बन्धी तथा भ्रष्टाचार विरोधी कदम उठाए गए हैं विशेष रूप से उन केन्द्रों पर जहां यह सामान्य जनता के लिए परेशानी तथा कठिनाइयां पैदा करता है। भ्रष्टाचार से कड़ाई से निपटने के सरकार के उद्देश्य के अनुसरण में, विशेष रूप से उन केन्द्रों पर जो सामान्य आदमी के लिए परेशानी तथा क्षोभ पैदा करते हैं, केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा अन्य संगठन सामान्य आदमी को सेवाए प्रदान करने वाले विभागों/उपक्रमों जैसे रेल, डाक व तार, आयकर, सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम, आदि पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, ताकि इस समस्या से निपटने के लिए उपलब्ध सीमित मानव-शक्ति का अधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग किया जा सके।

चूंकि अधिकांश व्यक्ति, अपने दिन-प्रति-दिन के कार्यों में राज्य स्तर के संगठनों के सम्पर्क में आते हैं, अत: राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि कार्मिकों के लिए उपयुक्त नीति अपना कर क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले संगठनों प्रभावी पर्यवेक्षण करके प्रशासन को तेज करने के लिए कदम उठाए जाएं।

अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक विकास करने के मामले में उनके सुधार के लिए हमने जो विभिन्न कदम उठाए है उसके बारे में श्री पी० सी० सेठी हमारे गृह मंत्री ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पर कल के वाद-विवाद का उत्तर देते हुए सदन को विस्तार से उन भिन्न कदमों के बारे में बताया है। जो हमने उन्हें वित्तीय सहायता देने तथा कई अन्य उपायों के अनुसार उठाए हैं। मैं केवल इसी बात पर बल देता हूं तथा दोहराता हूं कि सरकार इन पददलित लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, जो भी सम्भव है कार्य करती रहेगी

और साथ ही साथ प्रशासन को तेज करके तथा ऐसी सरकार प्रदान करके जो सामान्य आदमी के लिए संतोषजनक होगी, जो भी संभव है, कार्य करती रहेगी। इन कुछ शब्दों के साथ आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एच० जी० रामुलु (कोप्पल) : महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने पिछले दिन पादरी-कुप्पम की घटना का उल्लेख किया था जिसमें माननीय मंत्री महोदय श्री वेंकटसुब्बया जी ने व्यक्तिगत रूप से दौरा किया था तथा स्थिति की जांच की थी।

श्रीमती विद्यावेन्नुपति (विजयवाड़ा) : हमने राज्य सरकार से अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए हम केन्द्रीय सरकार तथा गृह मंत्री से व्यक्तिगत रूप से यह अनुरोध कर रहें हैं कि वे इस मामले में रुचि लें और जांच के लिए एक संसदीय समिति अथवा कोई और दल नियुक्त करें।

श्री एच० जी० रामुलु : हमें श्री वेंकटसुब्बया जी द्वारा की गई कार्यवाही पर अधिक विश्वास है लेकिन उसी समय हम माननीय मंत्री महोदय से इस बारे में एक वक्तव्य देने का अनुरोध करते हैं क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की जानों के लिए कोई संरक्षण प्रश्न नहीं किया गया है और न्यायिक जांच की रिपोर्टों को भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है। अब श्री पी० एम० सुब्बा।

श्री एच० जी० रामुलु : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कुछ सुनना चाहता हूं। यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका प्रभाव राज्य के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाखों लोगों पर पड़ रहा है। उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : आपको यथा समय उत्तर मिल जाएगा। इसे नोट कर लिया गया है ...

(व्यवधान)

केवल स्पष्टीकरण पूछे जाते हैं।

श्री एच० जी० रामुलु : किसी बात का उल्लेख करना कोई गलत बात नहीं है।

सभापति महोदय : इस एक बात पर इतना अधिक बल न दीजिए, उन्होंने इसे पहले ही सुन लिया है .....

(व्यवधान)

श्री एच० जी० रामुलु : महोदय, तब कहां जाया जाय ? जब सरकार न्यायिक जांच की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने के लिए आगे नहीं आ रही है, हम कहां अभ्यावेदन करें ? यह सबसे बड़ा मंच है जहां हम अपनी शिकायतों को स्पष्ट कर सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : मैं स्थिति को स्पष्ट कर सकता हूं। उस विशेष तथा दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हरिजनों के लगभग 80-90 घर जले थे और चार आदमी जिन्दा जला दिये गए थे। मैं वहां गया था और मैंने उन लोगों को देखा था वस्तुत: प्रधान मन्त्री महोदया ने उन लोगों में बांटे जाने के लिए कुछ धनराशि भी दी है। न्यायिक जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आदेश भी दिया गया था। माननीय सदस्य ने इस सभा में जो कुछ कहा है उसे उचित कार्यवाही के लिए राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा।

सभापति महोदय : इसके सम्बन्ध में और चर्चा नहीं होनी चाहिए। यह प्रश्न और प्रति प्रश्न पुछने के लिए उचित समय नहीं है।

श्री पी० एम० सुब्बा (सिक्किम) : सभापति महोदय, श्रीमन् मैं अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम उत्तर-पूर्व क्षेत्र से हैं। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक सभी दृष्टिकोणों से उपेक्षा की गई है। उत्तर-पूर्व के पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल पृथक हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में समतल जमीन मिलनी बहुत मुश्किल है। उन्हें झरनों से पानी लेना पड़ता है न कि तालाबों से। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में रहते हैं उनकी तुलना मैदान में रहने वाले लोगों से नहीं की जा सकती है। अत: मैं इन क्षेत्रों का सभी पहलुओं से विशेष ध्यान रखने के लिए मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं।

अण्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा पहाड़ी क्षेत्र नि:संदेह खूबसूरत क्षेत्र हैं। लेकिन उन क्षेत्रों को उचित सुविधा दी जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र तथा बर्फ से ढके हुए पहाड़ों की तुलना मैदानी क्षेत्रों से नहीं की जा सकती है जहाँ विकास का मानदंड आबादी का घनत्व है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग बिखरे हुए रहते हैं। वे एक ही जगह नहीं रह रहे हैं, वे सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं। वहां बहुत ही कम वाहन योग्य सड़कें हैं जिन पर मोटरें चल सकती हैं मोटर वाहन कम हैं और रेलवे स्टेशन नहीं हैं अत: मैं पहाड़ी क्षेत्रों की ओर से गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इन क्षेत्रों की ओर इस समय विशेष ध्यान दें जब यह विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाएं तथा निधियों का आवंटन न करें।

अन्यथा ये क्षेत्र निरंतर ही पिछड़े रहेंगे।

पहाड़ी क्षेत्रों तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन क्षेत्रों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ है जहाँ विदेशियों को जाने की अनुमति नहीं हैं। मैं न तो विदेशियों को प्रोत्साहन दे रहा हूं और मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि विदेशियों को इनकी इच्छानुसार कहीं भी जाने की अनुमति दी जाये। लेकिन साथ ही साथ, यदि हम पर्यटन को वाणिज्यक पद्धति पर विकसित करना चाहते हैं तो पर्यटनों के लिए पर्याप्त छूट होनी चाहिए जिससे उन क्षेत्रों को लाभ मिल सकें जिनमें वे जाते हैं। अब यह हमारे लिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन क्षेत्रों में बहुत से प्रतिबंध लगा दिये गये हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दार्जिलिंग सहित उत्तर-पूर्व में कुछ सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए।

राज्य तथा केन्द्र संबंधो के संबंध में बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत से माननीय मंत्रियों ने इस विषय पर विचार व्यक्त किये हैं। लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि बहुत से उन राज्यों में जिनमें कांग्रेस (आई) की सरकार है उनमें मुख्य मंत्री, कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। कुछ दिन पहले सिक्किम के मुख्य मंत्री ने राज्य के तीन या चार मंत्रियों के कक्षों को ताला लगवा दिया और उसने तालों को केन्द्र के हस्तक्षेप के बगर खोला नहीं।

राज्य में बहुत से अत्याचार पुलिस द्वारा किये जा रहे हैं। इस प्रकार के अत्याचार केन्द्रीय गृह मंत्री महोदय की जानकारी में नहीं आते हैं। श्रीमन् सिक्किम पहाड़ी राज्य होने के साथ-साथ दिल्ली से बहुत दूर है। रहिनेक, जोरथंग स्थान पर एक व्यक्ति को मार दिया गया था वह राज्य का एक व्यवसायिक कस्बा है। मुख्य मंत्री स्वयं थाने में गये थे और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को वहां अत्याचार करो का आदेश दिया था। मैं गृह मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह इस बात को ध्यान रखें कि वहां इस प्रकार के अत्याचार पुनः न हों। वस्तुतः कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है लेकिन मुख्य मंत्री को अपने ही हितों के लिए कानून को अपनाने तथा सामान्य जनता के हितों की अवहेलना करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

श्रीमन् पिछली बार जब सिक्किम राज्य के अधिकांश भागों में बाढ़ आई थी और भूस्खलन हुआ था केन्द्रीय सरकार ने बड़ी उदारता से निधियां दी। लेकिन यह कहने में मुझे खेद है कि वे निधियां उन गरीब लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं जिनके लिए वे निधियां थीं। इन परिस्थितियों में मैं गह मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि जो कुछ भी निधियां राज्य सरकार को दी गई है वे वहां गरीब लोगों तक पहुंचे।

श्रीमन्, जबकि केन्द्रीय सरकार ने इस बार योजना पर्याप्त निधियां दी हैं मेरी जानकारी के अनुसार अब भी वे निधियां गरीबों तक नहीं पहुंची है। मेरा राज्य एक छोटा सा राज्य है और इसकी समस्याएं भी छोटी है। लेकिन मैं गृह मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह विशेष ध्यान रखें कि जो भी निधियां आवंटित की जाती हैं वे गरीबों के पास पहुंचनी चाहिए।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : सभापति जी, दो रोज से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हू।

हर मुद्दे पर यहां बहस हुई, बातें निकल कर आई, लेकिन इस सदन के किसी भी सदस्य ने सफाई कर्मचारियों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। भारत वर्ष का सफाई कर्मचारी कितनी दुर्दशा की जिन्दगी गुजर कर रहा है। उसकी कितनी बुरी हालत है, इसको शायद गृह मंत्री जी भी समझते होंगे। उनको मालूम होगा कि 1959-60 में जब मलकानी कमीशन बना था, उस समय श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि ही इस सदन के सदस्य थे। उसकी रिपोर्ट पेश हुई और रिपोर्ट के अन्दर जो कुछ भी सुविधायें देने की बात तय हुई थी, उनको न देकर उसका उल्टा सलूक हुआ। नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों की बहुत बुरी हालत है मैं महानगर पालिकाओं

की बात नही करना चाहता हूं। छोटी-छोटी नगर पालिकाओं, टाउन एरिया, नोटिफाइड एरिया, में सफाई कर्मचारियों को नौ-नौ महीने तक तनख्वाह नहीं मिल पाती है। यहाँ तक होता है, अगर डी० एम० या कलक्टर से शिकायत की जाती है तो वे कहते हैं कि तुम हम पर निर्भर नहीं हो। यदि वे उन पर निर्भर नहीं है तो सरकार उनके लिये इन्तजाम करे।

हिन्दुस्तान में सफाई कर्मचारी तीन वर्गों में बंटा हुआ है—एक तो वह जो सरकारी कर्मचारी है। जैसे दिल्ली या बड़े-बड़े नगरों में जो सफाई कर्मचारी काम करता है उसको कुछ सुविधायें मिलती हैं, हो सकता है उसको क्वार्टर मिलता हो या उस से समय की पाबन्दी के लिहाज से काम लिया जाता हो। लेकिन आप जरा गांवों में जाकर इनकी हालत को देखिये—वहां उन की हालत बहुत खराब है। 6 महीने में एक घड़ी अनाज और हफ्ते की एक रोटी मिलती है। लेकिन उस से काम कितना लिया जाता है, गांव की सारी गन्दगी को ढोता है, लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अपने साथ बैठाने को तैयार नहीं हैं, उसका छूआ लेने को तैयार नहीं हैं। इस में उस का कुसूर क्या है? सिर्फ इतना कुसूर है कि वह अपनी जिन्दगी को गन्दगी में धकेल रहा है और दूसरों को उनकी जिन्दगी को साफ करने का मौका देता है। गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों में उस गरीब का कोई जिक्र नहीं है, उनकी हालत को सुधारने का कोई जिक्र नहीं है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि फिर से एक कमीशन बनाया जाय और उस के जरिये उनकी हालत की रिपोर्ट मंगाई जाय।

सभापति जी, पिछले दिनों मुझे सीरिया जाने का मौका मिला था। वहां जा कर मैंने कोशिश की कि मैं किसी सफाई कर्मचारी से मिलूं और वहां की हालत के बारे में पता लगाऊं। लेकिन 6 दिन वहां रहने के बाद भी मुझे किसी सफाई कर्मचारी से मिलने का मौका नहीं मिला। जितनी सफाई मैंने उन मुल्कों में देखी, हिन्दुस्तान में शायद उतनी सफाई नहीं मिल सकती। इसकी वजह यह है कि 1947 में जिस वक्त हिन्दुस्तान आजाद हुआ उस वक्त हमारे देश की आबादी सिर्फ 38 करोड़ थी और उस वक्त जो सफाई कर्मचारी रखे गये थे, मेरा मतलब है—नगरपालिकाओं और टाउन एरिया कमेटीज में जो सफाई कर्मचारी रखे गये थे, वही कर्मचारी आज भी काम कर रहे हैं जब कि आबादी दुगनी होने जा रही है। दुख इस बात का है कि यहां इतने साथी बैठे हैं, क्या कोई ऐसा है जो उनकी सेवाओं से लाभ न उठाता हो, लेकिन आज तक किसी ने उन की आवाज यहां नहीं उठाई, किसी ने उन की मदद करने की कोशिश नहीं की।

मैं कह रहा था—जब सीरिया में मुझे कोई सफाई कर्मचारी नहीं मिला, तो एक दिन हमारी एम्बेसी की तरफ से हमें खाने का निमन्त्रण दिया गया। जब हम लौट रहे थे—रात 12 बजे के बाद जब हम को हमारे गेस्ट हाउस पहुंचाया जा रहा था, तो हमने रास्ते में देखा कि सड़कों पर एक ट्रक खड़ा था जिसमें पानी भरा था और उस ट्रक के पीछे दो सफाई कर्मचारी थे। वह ट्रक पानी छोड़ रहा था और वे उसको नालियों में बहा कर सफाई कर रहे थे। इस तरह से वहां सफाई हो रही थी और सुबह वे सड़कें साफ-सुथरी दिखाई देती थी। उन लोगों से किसी को कोई परहेज नहीं था; कोई भेदभाव नहीं था, कोई उनको घृणा की दृष्टि से नहीं देखता था।

जब से हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तभी से वे लोग उसी काम को करते चले आ रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, उन पर गधे की तरह से काम लादा जा रहा है। कोई उनकी सुनवाई नहीं है। अधिकारी कहता है या तो काम करो, वरना तुमको सस्पेण्ड कर दिया जायगा, तुम्हारी नौकरी छीन ली जायगी। इस तरह से उस को दबाया हुआ है, कुचला हुआ है, कितने घण्टे वह काम करता है कोई देखने वाला नहीं है। मलकानी रिपोर्ट में कहा गया था कि सिर पर मैला नहीं ढोया जायगा, उनको हाथ से ठेलने वाली गाड़ी दी जायगी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं—क्या उन को कहीं भी ऐसी गाड़ी दी गई है? मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कह सकता हूं—मैला ढोने की गाड़ी किसी भी सफाई कर्मचारी को नहीं दी गई है, वे आज भी सिर पर ही मैला ढोते हैं और इतना ज्यादा काम हैं जो उनसे हो नहीं पा रहा है। वजह यह है कि जहां 38 और 40 करोड़ की आबादी में जितने आदमी काम करते थे, वहां आज 70-80 करोड़ की आबादी के लिए भी उतने ही आदमी काम कर रहे हैं और जितने आदमी रिटायर हो गये या हटा दिये गये, उनकी जगह पर दूसरे आदमी नहीं रखे जाते हैं। अगर डी० एम० से कहते हैं या नगरपालिका के किसी अधिकारी से कहते हैं कि इन जगहों को पूरा कीजिए, तो यह कह दिया जाता है और हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और हम उन्हें रख नहीं सकते हैं। सफाई कर्मचारी इतना वजन अपने ऊपर सह रहे हैं और अगर आप ने इस का इन्तजाम नहीं किया, यो सफाई कर्मचारी भी उसी हालत में पहुंच सकते हैं जैसे कि और जगह आन्दोलन होते हैं और जैसा कि पंजाब में हो रहा है। अगर वे अपना आन्दोलन शुरू कर देंगे, तो फिर सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे और मजबूर होकर सरकार को उनकी बात को सुनना पड़ेगा। इसलिए मेरा कहना यह है कि समय रहते, आप उनकी कठिनाइयों की तरफ ध्यान दीजिए और जिन मुसीबतों का उन को सामना करना पड़ रहा है, उन को दूर कीजिए।

आज उन की हालत इतनी खराब है कि उन को दबा कर गांवों में काम लिया जाता है। एक गांव के अन्दर एक झोपड़ी उसकी होती है और सिर्फ एक कर्मचारी से ताकत के जोर पर काम लिया जाता है और उसको कोई साधन मुहैया नहीं कराया जाता है। हफ्ते में एक रोटी और एक धड़ी अनाज 6 महीने के अन्दर उसको दिया जाता है और उस से वह अपनी जीविका चलाता है। हमारे गृह मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए दोबारा एक कमीशन बनाया जाए और इस बात का सर्वे कराया जाए कि वह किस तरह से काम करता है। उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है और किस तरह से वह अपना पेट पालता है और किस मुसीबत से अपने बच्चों को पालता हैं, इसका सर्वे मंत्री जी कराएं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सफाई विभाग के माध्यम से उस को तनख्वाह दिलवाई जाए और उस को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। उसके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया जाता है और कलक्टर भी उसको सुविधा देने की बात सुनने को तैयार नहीं है लेकिन नगरपालिका का एक छोटा सा कर्मचारी होता है, उसके ऊपर जो सुपरिन्टेंडेंट होता है, जो कि उसकी सफाई के कार्य को देखता है, वह उससे कहता है कि काम ठीक से करो वरना सस्पेंड कर दिया जाएगा और नौकरी से हटा दिया जाएगा। मजबूर हो कर उसको बहुत अधिक काम करना पड़ता है।

जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। मलकानी कमेटी की जो रिपोर्ट है, उस में यह कहा गया है कि उसको हाथ धोने के लिए साबुन मिलना चाहिए और तोलिया मिलना चाहिए। साबुन और तोलिये की बात तो अलग रही, उसको ठंडी और गर्म वर्दी नहीं दी जाती है और यही नहीं होता है बल्कि उस को सफाई करने का सामान भी नहीं दिया जाता है और उसके लिए उसको अपने पास से पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसी हालत में आज हिन्दुस्तान के सफाई कर्मचारी गुजर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि उनकी हालत को देखने के लिए एक कमीशन बनाया जाए और मैं स्पष्ट शब्दों में यह कह देना चाहता हूं कि अब उनका गला घुटने लगा है और ऐसी स्थिति में यदि वे हड़ताल पर चले जाते हैं और अपनी मांगें मनवाने के लिए आन्दोलन करते हैं, तो फिर आप को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और सफाई की व्यवस्था बहुत खराब हो जाएगी और फिर आप को कहना पड़ेगा कि हम आपकी बातें मानते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो उनसे दबाव डाल कर काम लिया जाता है, वह न लिये जाए और ब्लाक के स्तर पर और जिले के स्तर पर उनको नौकरी दी जाए।

एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में ब्लाक के अन्दर जो सफाई कर्मचारी रखा जाता है, उसको डबल नौकरी दी जाती है यानी उससे डबल काम लिया जाता है। सुबह को वह सफाई का काम करता है और रात को वह चौकीदार का काम करता है। अगर गन्दगी रहती है, तो उसको सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है। इसलिए उसको मजबूरन दोनों काम करने पड़ते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उससे एक ही काम लिया जाना चाहिए ताकि वह रात को आराम के साथ अपने बच्चों के साथ सो सके। अभी ऐसा नहीं हो रहा है।

एक बात में अपने जनपद के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां होली मिलन 22 तारीख को हुआ। एक मौलाना थे। उन्होंने उसमें एक शिरकत की लेकिन वहां पर एक गुंडे ने उन पर कातिलाना हमला किया और 22 तारीख से आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। माननीय गृह मंत्री जी, पुलिस कारनामे मैं आपसे कह देना चाहता हूं। हम देहात और गांव के रहने वाले आदमी हैं। देहात और गांव में छोटे-छोटे तबके के लोग रहते हैं उनमें आपकी पुलिस ने एक आतंक मचा रखा है। अगर आपने अपनी पुलिस में वक्त रहते सुधार नहीं किया तो पंजाब में जो स्थिति है, वैसी स्थिति न हो जाए, इसका मुझे डर है।

मैं आपको एक थानेदार के बारे में बता देना चाहता हूं। मैं उस थानेदार के बारे में, बिना उसका नाम लिये बताना चाहता हूं। वह थानेदार जनपद बिजनौर, के बदापुर थाने का है। वैसे तो आपके सामने बहुत से इतिहास आये हैं, मैं भी आपकी आंख खोलने वाला एक इतिहास आपके सामने रखता हूं। उस थाने का एक शेड्यूल्ड कास्ट्स का सिपाही है जिसका उसने तबादला कराया। उस सिपाही की औरत अच्छी थी। जब सिपाही का तबादला हो गया तो वह थानेदार रात को उसके घर पहुंच गया। वह सिपाही डी० एस० पी० और एस० पी० के सामने जाकर

खड़ा हो गया और सारी बातें उन्हें बताई। उसके बारे में मैंने आन्दोलन किया, मैंने वहां स्पीच की, सबने ही इस काम को बुरा कहा लेकिन आज तक उस थानेदार की वहां से बदली नहीं हुई, वह वहीं का वहीं है।

यह आपकी कमी नहीं है, यह आपकी सरकार की कमी नहीं है। यह तो कमी आपकी पुलिस की है। हम शेड्यूल्ड कास्ट्स के एम० पीज० यहां बैठे हुए एक-दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और मजा लेते हैं। वे हम पर कटाक्ष करते हैं, हम उन पर कटाक्ष करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हरिजनों की भी बहुत बुलन्द आवाज है, वे भी बहुत बड़ी तादाद में हैं। अगर वे भी उठ खड़े हुए तो आपको दबाना मुश्किल होगा। उस थानेदार का अब तक कुछ भी नहीं किया जा सका है जिसने कि तीन बलात्कार किये हैं। वह वहां से हटाया तक नहीं जा सका है। ऐसे न जाने कितने मामले होंगे। कल सूरजभान जी कह रहे थे कि एस० पी० ने मुझे धक्का दे दिया, मैं उनके पास एक मामला लेकर गया था। आज के अखबार में निकला है कि एक विधायक अध्यक्ष की कुर्सी के पास जाकर रोने लगा और कहने लगा कि मेरी जान बचाइये। अगर आजकल एक विधायक का यह हाल हो तो छोटे तबके के लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी पुलिस को सुधारिये। यह बात में विरोध पक्ष में होने के नाते से आपसे नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूं इस वक्त आपकी पुलिस बेनकाब है। पंजाब में स्थिति बुरी है। वहां की पुलिस कुछ नहीं कर रही है क्योंकि वह अपना पेट भरने में लगी हुई है।

हरिजनों के कोटे के बारे में बहुत कहा जाता है और कहा जाता है कि उन्हें 18 प्रतिशत मिलना चाहिए। मैं आपको मुरादाबाद के बारे में बताना चाहता हूं। मुरादाबाद में तीन सड़क के ट्रांसपोर्ट परमिट दिये गये। उनमें से एक परमिट सुरक्षित होना चाहिए था। लेकिन एक भी परमिट किसी हरिजन को नहीं मिला। हरिजनों की 50 एप्लीकेशंस आई हुई थीं। उनमें से किसी को भी परमिट नहीं मिला, सब दूसरे लोगों को चले गये। यह सब भ्रष्टाचार और पैसा कमाने का काम बन गया है। आप इसको दिखवाईये। आप इन सब बातों का जल्दी सर्वे करवाइये। यह मत आप समझिये कि विरोधी दल के लोग आपके सामने डंडा लेकर खड़े हैं। इससे आपकी भूख भी मिटेगी। आपकी भूख तभी मिटेगी जब आप गरीब को मदद करेंगे। जितना ज्यादा आप गरीब और किसान को बचायेंगे उतनी ज्यादा आपकी मदद हो सकेगी।

अन्त में, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अलग से एक हरिजन मंत्रालय कायम करें। डा० अम्बेडकर का चित्र आप सैंट्रल हाल में लगाएं ताकि उससे हरिजनों को बल मिले। हरिजनों के त्यौहारों जैसे बाल्मीकि जयन्ती, डा० अम्बेडकर जयन्ती आदि को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करें।

मेरे पास अधिक समय नहीं है, नही तो मैं आपको बहुत कुछ बता सकता।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मुझे जो समय दिया गया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं। आज देश में मुझे ऐसा लगता है कि शेड्यूल कास्ट-

शेड्यूल ट्राइब्स के साथ महिलाएं भी बैकवर्ड हो गई हैं। क्योंकि हम सोशल इक्वेलिटी चाहते हैं और सरकार की तरफ से दिया भी जाता है, लेकिन हम तक वह लाभ पहुंच नहीं पाता। मैं सबसे पहले फ्रीडम फाइटर्स की बात कहना चाहती थी लेकिन माननीय वेंकटसुब्बया जी ने अनाउंस कर दिया है कि अब फ्रीडम फाइटर्स की पत्नियों को बिना एप्लीकेशन दिए ही पेंशन मिल जाएगी। पहले एप्लीकेशन देनी पड़ती थी और उस वक्त पढ़ने का भी इतना इंतजाम नहीं था। इसलिए उन महिलाओं को दफ्तरों में घूमने में भी दिक्कत होती थी। अब जो अनाउंस किया गया है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को फ्रीडम फाइटर्स की तरफ से महिलाओं की तरफ से और अपने भाइयों की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं। फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ही आज देश आजाद हुआ है और हम यहां पर खड़े हुए हैं।

आज जो अत्याचार हो रहे हैं, हरिजनों और महिलाओं पर, ये क्यों हो रहे हैं। समाज को क्यों नहीं हम बदल सकते हैं। एक तरफ कानून हमारी मदद करना चाहता है लेकिन समाज में परिवर्तन नहीं आया है। जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक ये अपराध बंद नहीं हो सकते। गांधी जी, अंबेडकर, नेहरू और इंदिरा जी, सबने कोशिश की है, लेकिन अत्याचार बराबर हो रहे है। मैंने डाटा कलेक्ट किया है। 1954-55 में अत्याचारों की संख्या 249 है और 64-65 में 949 और 1974-75 में यह बढ़कर 1326 हो गई है। ये निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। 1981 में ये बढ़कर 14308 हो गए हैं। ये क्यों हो रहे हैं। इसमें महिलाए भी हैं और हरिजन भी हैं। आज ये अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं यह हमारे सामने प्रश्नवाचक चिह्न है। इसको कैसे हल किया जाएगा। सरकार कानून बनाती है और एग्जीक्यूटिव उसको लागू करने की कोशिश भी करते हैं। लोगों के दिलों में परिवर्तन करना है तो उसके लिए वालेन्टरी एफर्टस की जरूरत है। जब हरिजनों पर एट्रोसिटीज होती हैं तो एस० पी० या कलैक्टर ठीक प्रकार से जांच नहीं कर पाते। इसलिए, जैसे-गांधी जी की हरिजन सेवक संघ संस्था थी, उसके द्वारा उन लोगों को मदद मिल सकती है। हिन्दुओं और हरिजनों में क्लास काफ्लिक्ट नहीं लाना चाहिए। सब इन्सान हैं इसलिए इन्सानियत को बढ़ावा देना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब वालेन्टरी आर्गेनाइजेशन्स क्लास काफ्लिक्ट न आने दें। हरिजन अपने आपको सोशली बैकवर्ड मानते हैं क्योंकि उनमें सोशल एजुकेशन की कमी है। मैं कहना चाहती हूं कि सोशल एजुकेशन की फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए।

कम्युनिटी सेन्टर्स और स्कूल्स को टी० वी० सेट्स खरीदने के लिए पचास परसेंट सबसिडी सेन्टर की तरफ से और पचास परसेन्ट ग्राम पंचायत की तरफ से दे दी जानी चाहिए। टी० वी० पर सेन्टर और स्टेट के जो टैक्स लगते हैं, वे भी कम होने चाहिए। टी० वी० देखने से हरिजन तथा आदिवासियों को ज्यादा शिक्षा प्राप्त होती है। इससे उनको पता लग सकता है कि उनके लिए कौन-कौन से वैलफेयर प्रोग्राम चल रहे हैं। टी० वी० के जरिये कुछ सोशल एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे वे सैल्फ डिफेन्स कर सकें। वे लोग अनपढ़ होते हैं इसलिए अखबार तो पढ़ नहीं सकते। टी० वी० और रेडियों के जरिए ही उनमें यह भावना आ सकती है कि हम भी सबके साथ हैं। उनके बच्चों के लिए आश्रम स्कूलों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। सेन्टर की ओर से यह काम हो सकता है। सोशल वैलफेयर एक्टिविटीज हरिजनों और आदिवासियों की

होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। होम मिनिस्ट्री को चाहिये कि वह आश्रम स्कूलों की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ाए। उनके बच्चों को सोशल एजुकेशन दी जानी चाहिये। उनमें मिलने-जुलने की आदत डाली जानी चाहिए, उनका एनविरनमेंट जो है, उसको सुधारा जाना चाहिये। मिल-जुल कर रहने की आदत आश्रम स्कूलों में पड़ती है। वहां पढ़ाई भी अच्छी होती है। ऐसा आपने किया तो उनका सोशल स्टैंडर्ड बढ़ेगा।

मैंने विभिन्न प्रान्तों में देखा है कि हरिजनों के जो घर बनते हैं वे अलग से बनते हैं। ऐसा मालूम देता है कि वह पक्का स्लम एरिया जैसा होता है। इसका मुझे बहुत अफसोस है। मिक्स्ड गांव होने चाहिए। पापुलेशन मिक्सड होनी चाहिए। इससे उनका जो एनविरनमेंट है वह चेंज होगा। प्रापरली शैड्यूल्ड कास्ट एरिया और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज एरिया के नाम से ये पुकारे जाते हैं। इससे उनमें परिवर्तन नहीं आता है। जहां भी आप उनको जमीन दें, मिक्सड कालोनीज में दें। जहां भी सरकार इनको जमीन दे इस बात का ध्यान रखें कि वहां की पापुलेशन मिक्स्ड हो। आपको राज्य सरकारों इसके बारे में डायरेक्शन देने चाहिए। इससे मानव में जो भेद है वह कम होगा आपस में मेल जोल बढ़ेगा।

पौलिटिकल सफरर्ज की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं चाहती हूं कि उनकी फैसिलिटीज की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिये। उनके वास्ते आपको हास्पिटल फैसिलिटीज रेल फैसिलिटीज आदि उपलब्ध करनी चाहिये। पौलिटिकल सफरर्ज की वजह से ही हम आज यहां बैठे हुए हैं और यह पार्लियामैंट है। जितनी भी इस तरह की फैसिलिटीज आप उनको दे सकते हैं, आपको देनी चाहिये।

महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाना चाहिये। क्यों ये अत्याचार हो रहे हैं इसको आपको देखना चाहिए और इसकी जड़ में जाना चाहिये। कारण इसका यह है कि हमारे भाई हमको सोशल इक्वैलिटी नहीं देते हैं। हम को बराबर का दर्जा नहीं देते हैं। यह जिम्मेदारी भाइयों के ऊपर है। संसद सदस्य जो हमारे भाई हैं उनके ऊपर भी इसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है और उनको चाहिए कि वे देखें कि महिलाओं पर अत्याचार न होने पाए। आजकल इकोनोमिक इक्वैलिटी नहीं है। जो जाब करती है, जो कमाती है वे महिलाएं तो स्वतंत्र हैं लेकिन जो काम नही करती हैं, जिनके पास पैसा नहीं है उनको पति के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। मेरा सुझाव है कि प्रापर्टी के ऊपर हिन्दुस्तान की सब महिलाओं को इक्वल राइट दिया जाना चाहिए, सारे देश की महिलाओं को इक्वल राइट टू प्रापर्टी होना चाहिये और एक ही तरह कानून इसके बारे में बनना चाहिये। जब महिलाएं अपने पांवों पर खड़ी हो जाएगी तो डाउरी डैथ्स भी कम हो जाएगी और डाउरी प्राबलम भी काफी हद तक साल्व हो जाएगा।

जो महिलाएं काम करती हैं उनको फैसिलिटीज देने की तरफ आपका ज्यादा ध्यान जाना चाहिये, उनको आपको ज्यादा फैसिलिटीज देनी चाहिये। उनके वास्ते अच्छी सुविधायें उपलब्ध होंगी तो वे सैल्फ सफिशैंट बन सकती हैं। उनको आप इक्वल एजुकेशन तो दे रहे हैं और

उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। लेकिन जो फैसिलिटीज भी आप उनके वास्ते प्रोवाइड करें। ऐसा आपने किया तो और भी ज्यादा आप धन्यवाद के पात्र होंगे। होम मिनिस्ट्री से ही आप कह सकते हैं। सोशल वैल्फेयर में तो बहुत कम पैसा उनके लिए फाइनैंस वाले देते हैं। इस वास्ते होम मिनिस्ट्री में इस काम को दिया जाना चाहिये। वर्किंग-विमेंज के लिए कुछ मदद करने के लिए होम मिनिस्ट्री मैं चाहती हूं आगे बढ़े और हमारे हाथों को मजबूत बनाए, यही मेरा निवेदन है। इस बारे में आप अपने जवाब में कुछ न कुछ एनाउंस अवश्य करें।

धन्यवाद।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, मैं होम मिनिस्ट्री की ग्रान्ट्स के सपोर्ट में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। दो दिन से डिबेट चल रही है। मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता कि जहां तक ओवर आल ला एंड आर्डर सिचुएशन का इस देश में सवाल है लेटली उसमें कुछ एम्प्रूवमेंट नजर आ रहे हैं। सरकार ने जो पोलिसी इस सिलसिले में अपनायी है उसको जारी रखना चाहिये और कोशिश करनी चाहिये कि पंजाब की सिचुएशन का किस तरह से कोई हल निकाला जाय। चाहे असम हो, पंजाब हो जम्मू-कश्मीर हो या और कोई स्टेट हो जहां कहीं भी

4.51 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

सेसेशनिस्ट या और दूसरी तरह के ऐलीमेंट्स सर उठा रहे हैं, उनकी संख्या हमारे देश में बहुत थोड़ी है, लेकिन जो तार हिलाने वाले हैं वह बाहर से हिला रहे हैं और सरकार को इसकी तरफ तवज्जह देने की जरूरत है। मैंने डिफेंस मिनिस्ट्री की ग्रान्ट्स पर बोलते हुए थोड़ा इशारा किया था कि जो पंजाब में सिख ऐक्सट्रिमिस्ट्स हैं या जम्मू में एंटी इंडिया एलीमेंटस हैं और कहा जाता है उनका ट्रेनिंग ग्राउन्ड रावलपिंडी के नजदीक है और जनरल नियाज़ी के डायरेक्ट सुपरवीज़न में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, और वहीं से हमारा बोर्डर क्रोस कर के कभी जम्मू की तरफ से और कहीं डायरेक्टली पंजाब की तरफ से इनफिल्ट्रेशन होता है। हमारे मुल्क में गडबड़ करने वाले भेजे जा रहे हैं और इसका सबूत उन चीजों से मिलता है जो हथियार उनसे पकड़े गये हैं। चाहे रिवाल्वर हो, पिस्तौल हो, स्टैन गन हो उन पर फौरेन मार्किंग्स मिली हैं जिससे साफ जाहिर है कि यह हाथ बाहर से है। तो सरकार को इस तरफ तवज्जह देने की जरूरत है।

पुलिस फोर्सेज में खास कर पंजाब और जम्मू-कश्मीर के बारे में यह कहा जाता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे ऐलीमेंट्स घुस गये हैं जो ला ऐंड आर्डर को मेन्टेन करने के लिये ऐडमिनिस्ट्रेशन का साथ नहीं दे रहे हैं, और कई जगह यह भी कहा जाता है कि उनका हाथ है। इस में सरकार को गौर से देखना चाहिये और स्क्रीनिंग करने की जरूरत है। किस ढंग से करेंगे यह आप सोचें।

इसी ऐवान में सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० की वर्किंग की तारीफ की गई तो उस पर भी मैं कहे बगैर नहीं रह सकता कि जहां भी उन्हें भेजा गया, चाहे असम हो, पंजाब

हो या जम्मू-कश्मीर हो, वहां के लोगों ने यही कहा कि इनकी वर्किंग इम्पार्शियल तरीके की रही हैं। तो इसके लिये में इन फोर्सेज को मुरादाबाद देता हूं, और आपको चाहिये कि इनको एनकरेज करें। जो काम करने वाले पुलिस आफिसर्स हैं या जवान हैं, उनको आगे लाने के लिये बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्हें इनाम देने चाहियें, मैडल देने चाहियें, तरक्की देनी चाहिये। इससे हमारी सिचुएशन को कंट्रोल करने में बहुत हद तक काम होगा।

जम्मू-काश्मीर का जिक्र किये बगैर मैं नहीं रह सकता। मुझे अफसोस है कि यहां बहुत से सीनियर मेम्बर श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री रवीन्द्र वर्मा, श्री सौज, श्री चक्रवर्ती ने जम्मू-काश्मीर के कांटेक्स्ट में कहा कि जो डैमो-क्रेटिकली इलैक्टेड गवर्नमैंट है, उसको फंक्शन करने देना चाहिये। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब में जो कांग्रेस की गवर्नमैंट थी क्या वह डैमोक्रैटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज नहीं थे ? उस सरकार को इसीलिये डिजाल्व किया गया कि हालात कुछ इस तरह के पैदा हो गये थे जिससे जरूरत महसूस हुई कि हमारी अपनी पार्टी की हुकूमत होते हुए भी उसको डिजाल्व किया जाये। आज कोई ऐसी बात नहीं है

आज जहां जम्मू-काश्मीर में सिसैशनिस्ट एलीमेंट सिर उठा रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि वहां हालत बहत ही खतरनाक बनते जा रहे हैं। सौज साहब ने 1965 की बात कही है कि वहां उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो इनफिलट्रेटर्स आ गये। आज वह कहते हैं कि यह बात नहीं है। अगर यह बात नहीं है तो ठीक है, उन्हें मुबारक हो लेकिन वह एक चीज भूल रहे हैं। 1965 में जब इनफिलट्रेटर्स जम्मू-काश्मीर में आये थे तो वहां के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था और वहां के मुसलमानों ने उन्हें पकड़कर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले किया था।

आज सिचुएशन अलग बनती जा रही है, इसलिये कि जो मौजूदा सरकार है इन सेसेशनिस्ट एलीमेंट्स को खुली ढील दे रखी है जो सिसेशनिस्ट ऐलीमेंट है, जिसमें महाजे आजादी, अवामी एक्शन कमेटी, जमाते इस्लामी, जमाते तुलबा हैं वह वहां खुले तौर से कहते हैं कि पाकिस्तान जिन्दाबाद और यह नारा लगाते हैं। पिछली दफा जम्मू-काश्मीर में इलैक्शन हुए तो उस वक्त क्या नारे दिये गये ? जो साहब आज हाउस में कह रहे थे और ताली बजा रहे थे, क्या उनको पता है कि वहां क्या किया गया था ? उन्होने एक ऐसा नारा भी दिया कि—

"असि गच्छी पाकिस्तान, बट्टा वगैर बढ़न्यव सान"। यह काश्मीरी जबान में है, इसका ट्रांस्लेशन यह है कि हम पाकिस्तान जायेंगे हिन्दुओं को छोड़कर और उनकी औरतों को लेकर हम जायेंगे। ऐसे नारे वहां पर लगाये गये और पाकिस्तान के नाम पर वहां इलैक्शन लड़ा गया और जीता गया। अभी भी आप ताली बजाते है और उन्हें डैमोक्रेटिकली इलैक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज बताते हो ? आपको पता होना चाहिये कि किस ढंग से वहाँ पर इलैक्शन लड़ा गया। इसका केस तो सुप्रीमकोर्ट में है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता।

वहाँ पर वाकया ऐसा हुआ कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग को जोड़ा गया। एक तरफ स्टार और किरेसन था और दूसरी तरफ नेशनल कान्फ्रेंस का जो अभी उन्होंने जिक्र किया कि रैड फ्लैग पर हल का निशान था वह जोड़ा गया। वहां अभी भी सरकारी आफिसेसज पर यह डिस्प्लेड है और यह फ्लैग चढ़ाये गये हैं। इन हालात में वहाँ सिचुएशन ग्रो हो रही है।

इसलिये मैं कहना चाहता हू कि 1965 की सिचुएशन अगर रिपीट हुई तो वहां पर सिक्योरिटी के लिये बहुत खतरनाक बन सकती है क्योंकि वहां इनटरनली कुछ ऐसे एलीमैंट्स हैं जिनको उन्हें मदद देने के लिये उठाया गया है, जो कि उस वक्त नहीं थे। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वहां हालत बहुत खतरनाक बनते जा रहे हैं। वहां पर पुलिस के बारे में मैंने जिक्र किया कि 1983 में आर्म्ड पुलिस का 7वां बटालियन रेस किया गया, होम मिनिस्ट्री के पास रिपोर्ट होनी चाहिये। उसमें जितने भी लोग भर्ती किए गए, उनका कोई इन्टरव्यू नहीं लिया गया। नेशनल कान्फ्रेंस के हर एक एम० एल० ए० से लिस्ट मांगी गई।

5.50 म० प०

इसी तरह एन्टी-इण्डिया पार्टीज और सिसेशनिस्ट पार्टीज से लिस्टें मांगी गईं। उन लिस्ट्स को लेकर उस बेटैलियन को रेज किया गया। आपने अलफतह का नाम सुना होगा। किसी जमाने में वह रेवलील्यूशनरी ग्रुप काश्मीर में मौजूद है। उसके लोग भी उस बैटैलियन में भर्ती किए गए। जो "पाकिस्तान जिन्दाबाद" बोलने वाले डाई-हार्ड, एन्टी-इंडिया, सिसेशनिस्ट एलिमेंट्स हैं, वे सब उस बैटैलियन में भर्ती किए गए। इन हालात में मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सिक्युरिटी की क्या हालत होगी। सरकार को उस बैटेलियन की स्क्रीनिंग करने की जरूरत है।

मुझे खुशी है—जैसा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है—कि गवर्नमेंट जम्मू-कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्ज की तरफ तवज्जुह दे रही है। उनकी तरफ तवज्जुह देने की जरूरत है। फैक्ट यह है कि जो सही मानों में फ्रीडम फाइटर्ज हैं, उनके केसिज को कभी सेंटर के पास नहीं भेजा गया। इसके मुकाबले में जो प्लेविसाइट फ्रंट के लैंग के लोग थे, जो 1975 से पहले काश्मीर में प्लेविसाइट के फेवर में और इंडिया के खिलाफ शेख अब्दुल्ला के साथ आवाज उठा रहे थे और उनके साथ जेल में गए, काश्मीर स्टेट के अपने बजट में से उनको पेन्शन देना शुरू कर दिया गया। जो जैनविन फ्रीडम फाइटर्ज हैं, आज तक उनके केसिज को वहां नहीं आने दिया गया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन, रक्षा या अन्य विषयों पर बोलते समय वही बातें कहते हैं।

श्री पी० नामग्याल : जब आप बोले मैंने कुछ नहीं कहा कृपया आप न बोलें। श्रीमन जब वह बोले मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। अतः मैं आपकी सहायता चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मुझसे कहिए और प्रो० सोज की ओर न देखें।

श्री पी० नामग्याल : सोज साहब ने सेंटर स्टेट रिलेशन्ज के बारे में कहा। बार-बार इस ऐवान में सरकार की तरफ से कहा जा चुका है कि सरकारिया कमीशन बनाया गया है और वह इस मामले को देख रहा है। अभी सरकारिया कमीशन ने काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन सोज साहब ने कह दिया—मैं उन्हीं के वर्ड्ज को कोट करता हूं—"जनता का सरकारिया आयोग में विश्वास नहीं है" यह अफसोस की बात है कि अभी सरकारिया कमीशन ने काम करना शुरू नहीं किया और वह कहते हैं कि हमको उस पर फैथ नहीं है। एक तरफ वह कहते हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशन्ज के सिलसिले में स्टेट्स की कुछ ग्रीवेंसिज हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब उनको रिड्रेस करने के लिए एक कमीशन बनाया गया है, तो वह कहते हैं कि हमको उसपर फैथ नहीं है। यह गलत बात है।

वह कहते हैं कि जम्मू-काश्मीर में हमारे लिए कोई रेल-हेड नहीं है। अगर हर बात में झूठ बोला जाए, तो लोग उसपर यकीन करने वाले नही हैं। जम्मू तक रेलवे लाइन आलरेडी बनी हुई है और उसको ऊधमपुर तक एक्सटेंड किया जा रहा है। जम्मू वहां का विंटर कैपिटल है। वहां पर रेल-हेड है। आई डू नाट नो व्हाट ही मीन्ज। (व्यवधान)

जब वहां पर लोगों की ग्रीवेंसिज को सुनने वाला कोई नहीं था, तो लोगों ने शोर मचाया, जल्से किए और जुलूस निकाले, जैसे कि हम यहां पर बोट क्लब में रोज देखते हैं कि कोई न कोई जल्सा या जुलूस होता है। लेकिन वे कहते हैं कि हम किसी को सिर नहीं उठाने देंगे। लोग रोटी, कपड़ा, तेल और सब्जी मांगते थे और वहां की सरकार कहते हैं कि उनको क्रश करो। जो हालत है उसके अन्दर कांग्रेस (आ) के लोग राशन शाप पर जायं तो उनके लिए दरवाजा बन्द, कोआपरेटिव स्टोर पर जायं तो वहां भी उनके लिए दरवाजा बन्द, तो सिवाय स्ट्रीट्स पर शोर मचाने के और कहां जा सकते हैं। अब कहते हैं कि स्ट्रीट में भी शोर करने की इनको इजाजत नहीं देनी चाहिए। यह कहां की डेमोक्रेसी है ? इसलिए मैं कहता हूं कि इस सिचुएशन को अगर वहां पर ज्यादा देर तक इसी तरह से चलने दिया गया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। मैं कहता हूं यह सरकार जो बनी है वहां पर**...

इसको डिसमिस करना चाहिए। इस को कोई हक नहीं है वहां रहने का। क्रिकेट मैच में क्या हुआ, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, जो हमारे नेशनल फ्लैग की बेहुरमती की गई वह भी मैं दोहराना नहीं चाहता। मकबूल बट्ट को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो जो इनके एलेक्शन पार्टनर थे, मौलवी फारूक की जो पार्टी है, उन्होंने कहा कि हर जगह हड़ताल होनी चाहिए और फिर सारे काश्मीर वैली में हड़ताल की गई, पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे भी सुने गए। सोज साहब ने कहा, उन्होंने यूथ कांग्रेस (आइ) के एक लीडर का नाम लिया और कहा कि वह उसमें शामिल थे, यह सरासर गलत और बेबुनियाद बात है। कांग्रेस पार्टी नेशनल इंटीग्रिटी और कम्यूनल हारमनी के लिए सन् 1885 से लेकर फाइट करती रही है, आज भी कर रही है और आइन्दा भी करती रहेगी। और इसलिए ऐंटी सोशल और ऐंटी इंडिया जो एलीमेंट्स हैं, वह जहां-जहां भी सिर उठाते हैं उनका हमें मुकाबिला करना चाहिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

हमारे लद्दाख रीजन के लिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का मसला है उसके बारे में मैं अब कुछ कहना चाहूंगा।

श्रीमती विद्याघोष गोस्वामी (न द्वीप) : उन्होंने विधिवत चुनी गई राज्य सरकारों के कुछ हवाले दिये। यह खतरनाक है यह रिकार्ड में नहीं आना चाहिए। इसे हटा देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को देखूंगा।

श्री पी० नामग्याल : प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा जी और सेठी साहब के हम बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी जो डिमांड है उसको मान लिया है और स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया आज से एक साल पहले जिस पर कांस्टीच्यूशन के आर्टिकल 335 और 342 के तहत उनको अप्लीकेशन आर्डर या कान्करेंस भेजनी है। उसके बगैर सेन्ट्रल गवर्नमेंट कोई ऐक्शन नहीं ले सकती है। पिछले अप्रैल में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड काश्मीर की सरकार को भेजा था लेकिन आज तक वहां की सरकार ने वह कान्फरेंस नहीं भेजी है। मैं सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कहूंगा कि अपने गुड आफिसेज को यूज करके स्टेट गवर्नमेंट से उसे मंगाए ताकि जो फैसिलिटीज शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और दूसरे वीकर सेक्शन को मिलती हैं और जो एलाटमेंट उनके लिए किया गया है, उसका फायदा हमको मिल सके। उनके लिए आपने जो बजट एलाटमेंट रखा है उसमें से हमको भी कुछ फायदा मिल सकेगा।

एक बात मैं आई० टी० बी० पी० के सम्बन्ध में भी कहना चाहूंगा। आपने वहां पर जो इन्डो टिबेटन बार्डर पुलिस डेप्लाय कर रखी है वह बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन उनकी सिर्फ दस बटैलियन्स ही है जोकि बहुत ही कम हैं। उनको बढ़ाने की सख्त जरूरत है और जो हिली एरियाज के लोग हैं उनको उसमें तरजीह दी जानी चाहिए। अभी भी तरजीह दी जा रही है जिसके लिए मैं मशकूर हूं लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि लद्दाख से लेकर हिमाचल, गढ़वाल हिल्स, सिक्किम, दारजिलिंग और अरुणाचल प्रदेश के लोगों को तरजीह देकर उसमें भर्ती किया जाना चाहिए ताकि वे वहां की सिच्युएशन को समझते हुए बार्डर्स की अच्छी तरह से हिफाजत कर सकें।

आज से करीब दो साल पहले मुझे अण्डमान नीकोबार जाने का मौका हासिल हुआ था। अण्डमान नीकोबार की बैकवर्डनेस को मद्दे नजर रखते हुए और वहां पर कम्युनिकेशन की डिफीकल्टीज को देखते हुए मेरा यह सजेश्चन है कि इनकी अपनी असेम्बली बनाई जानी चाहिए। असेम्बली बनने के बाद वे अपना डे टु डे लोकल प्राब्लम्स को खुद ही साल्व कर सकेंगे। आज की हालत में वहां बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहता है। महीने में सिर्फ दो बार फेरी सर्विस और हफ्ते में दो बार एअर सर्विस की सहूलियत है। इन प्राब्लम्स को हल करने के लिए उनकी अपनी असेम्बली होनी चाहिए।

आखिर में सिर्फ एक बात और कहकर अपनी तकरीर खत्म करूंगा। जम्मू कश्मीर स्टेट में जो आइ० ए० एस० और आई० पी० एस० काडर के आफिसर्स एम्पलायड हैं, उनकी करेक्ट

फीगर तो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार, जो भी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के आनेस्ट और हार्ड-वर्किंग आफिसर्स हैं उनको बाहर निकाल रही है और उनकी जगह पर पोलिटिकल काडर के जो लोग हैं, उनको के० ए० एस० के नाम पर सुपर टाइम स्केल देकर एडमिनिस्ट्रेशन में रख रही है ताकि उनके जरिए से वह मनमाने और नाजायज काम करवा सके। वह सरकार बात तो नेशनल इंटिगरेशन की करती है लेकिन वह बिल्कुल उसके दूसरी तरफ जा रही है। लहदा केन्द्रीय सरकार को इस तरफ सोचने की ओर तवज्जह देने की जरूरत है।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। होम मिनिस्ट्री की तरफ से यहां पर जो ग्रान्ट्स पेश हुई हैं उनको मैं सपोर्ट करता हूं।

श्री एन० ई० होरो (खूंटी): उपाध्यक्ष जी, गृह राज्य मंत्री, श्री पी० वेंकटसुब्बैया ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उसको सुनकर ऐसा लगा कि गृह मंत्रालय आज भी आदिवासियों की समस्याओं के प्रति पुरानी नीति अपना रही है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं और बहुत सी स्कीमें बनाई हैं, और उनके माध्यम से आदिवासियों का कल्याण हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के प्रति सरकार की नीति विचित्र है कि जंगल में शेर और आदिवासी रहते हैं। सरकार की नीति टाइगर और ट्राइब्ज में टाइगर को ज्यादा महत्व देने की है। सरकार ट्राइबल को एक कोमोडिटी समझती है। यह है सरकार की नीति का सारांश।

अभी हाल में उड़ीसा के सिमलि पहाड़ के क्षेत्र से जहां टाइगर प्रोजेक्ट है आदिवासियों को हटाने के लिए उड़ीसा सरकार को नोटिस दिया गया है। उनको नोटिस देकर कहा गया है कि कारण बताओ क्यों नहीं आपकी जमीन का पट्टा रद्द किया जाए। फौरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी उनको नोटिस दिया है। इससे चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी नीति साफ जाहिर होती है कि टाइगर और ट्राइबल के बारे में उनका खयाल क्या है। सिंहभूमि, बिहार के सिंहभूम जिले में एक आन्दोलन चल रहा है। वहां के आदिवासियों की अपनी समस्यायें हैं, लेकिन उनको सरकार द्वारा समझने की कोशिश नहीं की गई है। सरकार ने उसको लॉ एंड आर्डर की समस्या समझ लिया है और उनका दमन कर रही है। यह क्षेत्र शैड्यूल्ड क्षेत्र है। शैड्यूल्ड क्षेत्र में नीति सरकार की वही है, जो और क्षेत्रों की है। शैड्यूल्ड क्षेत्र में कोई स्पेशयल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। बिहार की राज्य सरकार आदिवासियों के ट्रेडिशनल राइट जो जमीन और वनों में है लूट रही है। शिकायतें होने के बाद भी होम मिनिस्टर की ओर से कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

गृह मंत्री जी ने आज ही अन-स्टार्ड क्वैश्चन संख्या: 5262 में आदिवासियों के लिए जो स्कीम चल रही है, उसके बारे में कहा है —

"आदिवासी भूमि के स्वामित्व परिवर्तन के विरुद्ध कानून जैसे विधि निवारक उपायों को लागू करना, रुपया उधार देने के कार्य का विनियमन बंधुआ मजदूर का प्रथा का उन्मूलन अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रम का विनियमन वन, उत्पादन शुल्क की पुनरीक्षा साख तथा विपणन नीति।"

इसके बारे में आपने राज्य सरकारों को आदेश दिया है, लेकिन क्या आपके पास कोई सूचना है कि इस दिशा में काम हो रहा हैं या नहीं हो रहा है? मैं चाहूंगा कि आप अपने लेवल से एक केन्द्रीय टीम भेजें, जो यह पता लगाए कि वास्तव में कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरी यह शिकायत है कि कोई काम ठीक नहीं हो रहा है।

संविधान के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजतियों की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। उनकी उन्नित और विकास के लिए इसी सदन में कई बार मांग की गई है कि केन्द्रीय स्तर पर इसके लिए एक अलग से मंत्रालय होना चाहिए, ताकि उनकी समस्याओं को जल्दी निपटाया जा सके। इस मांग को आज तक नहीं माना गया है। लगता है कि सरकार इनकी समस्याओं को ईमानदारी के हाथ नहीं देखना चाहती। सारी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार ने राज्यों की सरकारों पर छोड़ दिया है। जैसा वे चाहते हैं, कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार, सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष, दोनों तरफ से मंडल कमीशन की सिफारिशों को मंजूर करने के लिए मांग की गई है। इसमें जो टालमटोल हो रहा है। जाहिर है कि सरकार की नीति टालमटोल की है और पिछले 35 सालों में यह ऐसा ही कर रही है। इसका क्या अन्जाम होगा, उनको वह नहीं देखना चाहती। मैं चाहूंगा कि कि मंडल कमीशन को जो सिफारिशें हैं, उनको सरकार अबिलम्ब मंजूर करे।

पंजाब और हरियाणा में आज जो उत्पात हो रह है, उसका कारण एक दो साल में पैदा नहीं हुआ है, समस्या पहले से आ रही है। अगर आप चाहते तो उनकी समस्याओं का समाधान बहुत पहले कर सकते थे और आज जो घटनायें हो रही हैं उनको रोक सकते थे। लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। पंजाब और असम के अलावा हिन्दुस्तान में ऐसे और भी क्षेत्र हैं जहां अनेक समस्यायें हैं। जो क्षेत्र अविकसित हैं, वहां के लोगों की अपनी समस्यांए हैं। वे चाहते हैं कि उनका भी विकास हो और उनका अस्तित्व बरकरार रहे। वे लोग भी अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते हैं, इस लिये उनका मानना है कि जब तक उन लोगों के लिए भी अलग राज्य नहीं बनेगा, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा। ऐसा क्षेत्र हमारे बिहार और उड़ीसा के बीच में झारखण्ड का क्षेत्र है, उत्तराखण्ड का क्षेत्र मध्य प्रदेश का बस्तर का इलाका आदि ऐसे क्षेत्र हैं जहां नये राज्य बनाने की मांग बहुत पहले से आती रही है। इस मांग के पीछे उन का केवल यही उद्देश्य है कि वहां जो सरकार होगी, उसमें उनको भी शरीक होने का मौका मिलेगा, वे अपने क्षेत्र के बिकास और उन्नति के काम में खुद शरीक हो सकेंगे। यह कोई गलत मांग नहीं है लेकिन इस सरकार की तरफ से इन्हें अलगववादी, देशद्रोही, ट्रेटर्स आदि कह कर इन्हें दुनिया के सामने बदनाम किया जाता रहा है। सरकार को ऐसा नहीं कहना चाहिए उन क्षेत्रों में

जो समस्यायें हैं उनको समझाने के लिए वहां के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करने का, उनके साथ डायलाग स्टार्ट करने का ढंग निकाला जाना चाहिए। उनके क्षेत्र की समस्यायें पूरे देश की समस्यायें हैं, इसलिए जरूरी है कि सरकार उन समस्याओं पर नये ढंग से विचार करने की पहल करे। स्थिति को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना चाहिए, टालमटोल की नीति को नहीं चलाना चाहिए।

थोड़ी देर पहले वेंकटसुब्बया जी ने जो कुछ अपने भाषण में कहा, वह कोई नई चीज नहीं है। उन्होंने कहा—सरकार यह कहना चाहती है, सरकार वह करना चाहती है, 35 सालों से यही कहा जा रहा है। मनसूबे बांध रहे हैं, योजना बना रहे हैं। आजादी से आज तक क्यों नहीं किया? कांस्टीचूशन के प्रीएम्बली में ही लिखा हुआ है कि आर्थिक और सामाजिक न्याय लोगों को दिया जाता है। लेकिन आज तक क्या करते रहे? क्या आप समझते हैं कि यह समस्या अभी उत्पन्न हुई है जो आप अभी उसके लिये बोल रहे हैं? यह बात तो आप 35 सालों से हर साल कहते आ रहे हैं। गृह मंत्रालय की फैक्ट्री से जो जवाब बनकर आ जाता है, उसको ही मत बतलाइये, अपने मंत्रालय में कोई नवाचन लाइये। आपने अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सेल बनाया है। आज ही एक सवाल के जवाब में होम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है। अनस्टार्ड क्वेश्चन 5123 में सरकार से पूछा गया था—क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई सेल का गठन किया गया है? इसका जवाब दिया है कि गठन हुआ है—5-8-1982 को।

> "अनुसूचित जाति/अ० जनजातियों के प्रत्येक सेवाओं पदों में आरक्षण सम्बन्धी कार्य को करने के लिए गृह मंत्रालय में दिनांक 5-8-1983 को एक अनुसूचित जाति/अ० जनजाति कक्ष की स्थापना की गई थी जिसमें एक सहायक और एक लिपिक रखा गया और उसके प्रभारी एक अनुभाग अधिकारी (सतर्कता) थे।"

एक असिस्टेंट के अण्डर उस सेल को बताया गया है। इस से मालूम पड़ता है कि आप उनकी प्राबलम्ज को कितना महत्व देते हैं—एक मामूली किरानी के जिम्मे उस सेल को रखा है। आदिवासियों और हरिजनों की समस्याओं को केजुअल वे में लेने का जो सरकार का तरीका है, यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि एक नये दृष्टिकोण से सरकार को इन समस्याओं को देखना चाहिए। 35 साल हो गये हैं आजाद हुए और सरकार ने इन सालों में कोई नये तरीके से, नये ढंग से काम नहीं किया है विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में, जहां पर आदिवासी, हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग रहते हैं। इससे एक दिन देश में टूटने का खतरा पैदा हो जाएगा। सरकार की जो नीति चल रही है, उसमें अगर सुधार नहीं होगा, तो वह दिन दूर नहीं कि देश टुकड़े-टुकड़े हो जाएगा ऐसे क्षेत्रों में जहां पर लोग अपने विकास के लिए और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोई बात करते हैं, तो उनको आतंकवादी और अलगाववादी कह कर दबा दिया जाता है। इसलिए अगर कोई ऐसी बात हो जाएगी तो उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी कोई समस्या उग्र रूप न धारण कर ले, उससे पहले ही उसे सुलझाया जाना चाहिए। विभिन्न क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में वह सम्बन्धित लोगो से सरकार बातचीत करे।

समस्याओं के अध्ययन के लिए उन लोगों के साथ डाइलोग स्टार्ट करे ताकि उग्र रूप धारण करने से पहले ही उन समस्याओं का समाधान हो सके।

एक अन्तिम बात कह कर मैं बैठ जाना चाहता हूं। मैं गृह मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गत 34 साल के अन्दर हमारे बिहार, उड़ीसा और बंगाल में पचासों हजार परिवारों को विस्थापित बना दिया गया है। इंडस्ट्री के नाम पर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर उन की हजारों लाखों एकड़ जमीन ले ली गई है पर उनका पुनर्वास नहीं किया गया है। आज हालत यह हो गई है कि वहां पर मिनरल्स और माइन्स के होने पर भी, उनको दो रोटी नसीब नहीं होती हैं और पंजाब और हरियाणा का चक्कर लगाना पड़ता है। इस तरह से जो सेटिल्ड लोग थे, उनको अनसेटिल किया गया है। पचासो हजार परिवार इस तरह से लैंडलेस और होमलेस हो गये हैं। उनके साथ अन्याय किया गया है। जिन आदिवासियों की जमीन ली गई है और जो लैंडलेस हो गये हैं इंडस्ट्रीज के नाम पर, उनको आइडेंटीफाई करने के लिए आप सेन्टर से कोई टीम भेजें या कोई पार्लियामेन्टरी कमेटी बनाएं। इसका पूरा ब्यौरा प्राप्त किया जाना चाहिए। आप कहते हैं कि आदिवासियों के लिए हमने इतना रुपया खर्च किया है और बहुत सारी स्कीमें उनके लिए बनाई गई हैं। स्थिति यह है कि जो रुपया आप इनके लिए दे रहे हैं, वह उनके पास नहीं पहुंच रहा है।

शुरू में ही मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट और इंडस्ट्री के लिए आप आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं और टाइगर प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप उन आदिवासियों को अपनी जमीन से हटा रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने मयूरभंज के शिमली पहाड़ में एक टाइगर प्रोजेक्ट घोषित की है। और उस प्रोजेक्ट की वजह से वहां के बसे हुए आदिवासियों को निकाला जा रहा है। ट्राइबल्स जंगल के अन्दर रहते हैं। जंगल ही उनके जीवन का आधार है और उनकी आर्थिक शक्ति वही है। सरकार को इस तरफ गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत भेद हो रहा है। अतः मैं चाहूंगा कि सरकार को नये ढंग से देखे और कार्य करे, जिससे लोगों को यह महसूस हो कि सच में उनके लिए कुछ हो रहा है। आपने बताया है कि हमने इन लोगों के लिए करोड़ों रुपया प्लान के अन्दर रखा है और प्यान की मदद से उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते है। मगर सचमुच में प्लान से कुछ नहीं हो रहा है। आपका काम धरती पर नहीं है। केवल कागजों पर ही कार्य करहता है। इसमें सुधार होना चाहिए।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की मांगों पर जो चर्चा हो रही है उन पर बोलते हुए मैं चन्द सुझाव देता हूं।

मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यबाद देना चाहता हूं कि मौजूदा स्थिति में, जबकि एक तरफ डिसरप्टिव फोर्सिज, रीजनल फोर्सिज, अलगाववादी शक्तियां काफी सक्रिय हैं, देश को खंडित करने में लगी हैं, उन्होंने इस विशेष स्थिति में भी देश की विधि और व्यवस्था को बनाये रखा है। हिन्दुस्तान के आम के लिए यह बहुत ही खुशी की बात है।

मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि हरिजनों और आदिवासियों की समस्याओं पर तो यहां पर काफी विचार-विमर्श हो चुका है। देश की कुल जनसंख्या का 20 प्रतिशत हरिजन और आदिवासियों का है और सही मायनों में ये हरिजन और आदिवासी इस देश के लिए सोशल कांसेप्ट हैं। बापू ने कहा था कि योजनाएं कितनी ही अकर्षक क्यों न हों, उनमें कितने ही प्रोग्रेसिव मेजर्स क्यों न हों, लेकिन अगर उनसे लास्ट मेन तक को फायदा नहीं पहुंचता है तो उन योजनाओं को नहीं लेना चाहिए। इसी परिवेश में मैं कहना चाहता हूं। जैसा कि श्री रवीन्द्र वर्मा जी कह रहे थे और अपनी बात कहते हुए वह यह साबित करना चाह रहे थे कि सरकार विधि और व्यवस्था के प्रश्न पर असफल रही है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आज स्टेट में मोर आटोनोमी की बात की जाती है। बंगाल की सरकार वाले मोर आटोनोमी की बात करते हैं और मोर आटोनोमी के नाम पर अधिकार मांगते हैं। तेलुगु देशम वाले आंध्र में मोर आटोनोमी के नाम पर और अधिकार मांगते हैं। हम यह मानते हैं कि उनकी जो आटोनोमी है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मोर आटोनोमी के नाम से रीजनल फोर्सिज, रीजनल भावनाएं उभर कर काम करने लग जाती हैं तो देश के खंडित होने की परिस्थिति पैदा हो जाती है।

मैं नहीं कहता कि क्षेत्रीय भाषा या संस्कृति का विकास न हो। हर क्षेत्र की भाषा विकसित होनी चाहिए, वहां की संस्कृति फलनी-फूलनी चाहिए। लेकिन क्षेत्रीयता के नाम पर हमारी राष्ट्रीयता को खतरा न हो। जैसे कि बंगाल में सी० पी० एम० की सरकार और आंध्र में तेलुगु देशम की सरकार बनी हुई है और वहां क्षेत्रीयता की ही बात की जाती है।

हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन धनबाद से आप आगे बढ़ें तो आप देखेंगे कि जो नाम हिन्दी में लिखे हुए थे उन पर कालिख पोत दी गई है।

वहां पर बंगला में लिख दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वहां पर हिन्दी में भी लिखा हो और बंगाल में भी लिखा हो। ये सब क्या हो रहा है मोर आटोनोमी के नाम पर प्रधानमन्त्री जी ने बड़ी दृढ़ता से सरकारिया कमीशन बनाया जिसमें इस बात की छानबीन हो रही है कि कहां तक मोर आटोनोमी दी जाए।

आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए केन्द्र से बहुत सहायता दी जा रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में भी बहुत प्रावधान किया गया है। डी० आर० डी० प्रोग्राम है, ट्राइसन योजनाएं हैं, और भी बहुत से प्रोग्रेसिव मेजर हैं, लेकिन ये राज्य उन पर अमल नहीं कर रहे हैं। इसलिए मोर अटोर्नेसी के नाम पर जो ज्यादा अधिकार मांगे जा रहे हैं, उस पर हमें शंका होती है कि अगर इनको गरीबों की भलाई के लिए सेंट्रल एड दी जाएगी तो उसको किसी और मद में कन्वर्ट न कर दिया जाए। इसलिए सरकारिया कमीशन को स्क्रैप कर देना चाहिए।

एक चीज और कहना चाहता हूं। हरिजनों के अत्याचारों की चर्चा हो चुकी है। अभी बिहार सरकार ने कोर्ट बनाकर लोगों को सजा भी दी है। लीगल एण्ड देने की बात भी की गई। लेकिन एक अखबार इण्डियन एक्सप्रेस में निकला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेज ने

कहा कि "पूअर लूजिंग फेथ इन दी लीगल सिस्टम" जो उन लोगों को लीगल एड दी जा रही है वह सही मायनों में उन तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए वह बेचारा पैसे के अभाव में अदालतों में अत्याचारों के खिलाफ नहीं लड़ पाता। इस सिस्टम को स्ट्रेंगदन करने की आवश्यकता अगर ऐसा नहीं किया गया तो अत्याचारियों का मनोबल बढ़ेगा। इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

रिजर्वेशन के बारे में आंकड़े दिए गए हैं, सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के आंकड़े बता कर हमको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। चार आई० ए० एस० और 10 आई० पी० एस० या बीं० डी० ओ० के पदों को भर कर रिजर्वेशन की जिम्मेदारी पूर्ण नहीं हो जाती। पब्लिक अंडरटेकिंग्स में कितना रिजर्वेशन का कोटा पूरा किया जा रहा है। एच०एम० टी० एन० टी० सी० की जो मिलें हैं और जो फेरा कंपनीज हैं और दूसरी बड़ी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, बिग हाउसेस हैं जिनमें सरकार को पैसा लगा हुआ है, उनमें हमारा कितना रेप्रजेंटेशन प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के पदों में हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय अपने जवाब में यह जानकारी अवश्य दें। वह चाहे टाटा, बिरला या सिंघानिया की कम्पनी हो, उसमें हिन्दुस्तान के किसानों और मजदूरों का भी पैसा लगा हुआ है। उन कंपनियों में रिजर्वेशन पालिसी क्यों नहीं लागू की जाती? आप एक सर्कुलर इश्यु कीजिए कि जितनी भी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स और फेरा कंपनीज हैं, उनमें हरिजनों तथा आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन की पालिसी लागू नहीं होगी तो सख्त से सख्त कदम उठाए जायेंगे। हरिजन और आदिवासी सैल का एक रिप्रजन्टेटिव इन कंपनियों में भेजा जाए जो यह देखे कि कहां पर रिजर्वेशन की गुंजाइश है? बोकारो जैसी जगह में बड़े पैमाने पर रिजर्वेशन की गुंजाइश है। इस बात की मानिटरिंग होनी चाहिए कि कहां तक रिजर्वेशन की पालिसी फालो-अप हो रही है? हरिजन और आदिवासियों में बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ रही है। कल भी मैंने कहा था कि बिहार में चार लाख में से कुल बीस हजार ही हरिजन तथा आदिवासी काम कर रहें हैं जबकि 76 हजार पोस्टें उनके लिए खाली पड़ी हैं। इस बात की तरफ मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिए। मैं बिहार के गया क्षेत्र से आता हूं जो अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगह और जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। लैण्ड सिलिंग के अन्तर्गत बौद्ध गया मठ की बीस हजार एकड़ जमीन के लिए नोटिस दिया गया। उन्होंने सोन्डर भी कर दी और कहा कि स्वेच्छा से दान करते हैं। लेकिन स्थिति यह कि हर साल एक या दो महन्त की गोली के शिकार हो जाते हैं। पुलिस और बड़े-बड़े किसानों के बीच में खेतीहर मजदूर सैन्ड-विच बना हुआ है। आज सरकार जमीन और मिनिमम वेजेज देने के लिए कटिबद्ध है। आज सरकार ने हरिजनों के बीच में अवेकनींग पैदा की है जिसकी वजह से वह अपने अधिकारों के प्रति सजग हुआ है। बिहार में गुरुआ उग्रवादी एरिया माना जाता था। वहां जो बाइ-इलैक्शन हुआ उसमें हरिजनों ने कांग्रेस के पक्ष में बहुमत दिया जिसकी वजह से इस बार कांग्रेस पार्टी आठ हजार वोटों से जीत गई जबकि पिछली बार सिर्फ दो हजार वोटों से ही जीते थे। यह इस बात का सबूत है कि इंदिरा जी के बीस सूत्री प्रोग्राम की वजह से हरिजनों में सजगता पैदा हुई है। इसका सारा श्रेय हमारे होम मिनिस्टर और प्रधान मंत्री को ही जाता है। कास्ट फैक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राम विलास जी इसको

उठाया भी करते हैं। इतना बड़ा मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता है, बैकवर्ड और फार्वर्ड का नारा देकर नहीं चल सकता है। कास्टिज्म इज नाट दी वे फार अचीविंग सोशलिज्म। चूंकि हमारे इन विरोधी भाइयों की ट्रेनिंग ही इस तरह की है कि इनको और कुछ सूझता ही नहीं। जहां जातपात की पहले पढ़ाई हो और एकता की पढ़ाई न हो तो यह चीज होगी ही। लोगों को ट्रेनिंग ही इस तरह से दी जा रही है। जातपात को खत्म किया जाए यह हम कहते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : डी० आर० एम० ने आपको जात के नाम पर ही तो डांटा था।

श्री राम स्वरूप राम : यही तो मैं कह रहा हूं कि इसको खत्म किया जाए कास्टिज्म सब से बड़ा हर्डल है हमारी प्राग्रेस में। इसको खत्म होना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इसी के नाम पर आप लोग शासन में बैठे हुए हैं।

श्री रामस्वरूप राम : आप तो चीन और रूस के सोशलिज्म की बात करते हैं, हिन्दुस्तान के सोशलिज्म की नहीं। माओ और मार्क्स की करते हैं, गांधी जी की नहीं। गांधी जी ने तो कहा था नो वर्क नो मील। हमारा देश गांधी दर्शन से ही आगे बढ़ सकता है, उस दर्शन को अपना कर ही आगे बढ़ सकता है।

मैं यह कह रहा था कि कास्टज्म कम होना चाहिए, यह खत्म होना चाहिए फिर चाहे इस पक्ष के लोग करते हों या उस पक्ष के। उसकी वजह से ही हम अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए है। हमें ऐसा देश बनाना है, ऐसा हिन्दुस्तान बनाना है, इसको इस तरह से ऊपर उठाना है कि देश में न कोई जुल्म ढाने वाला हो और न जुल्म सहने वाला। जातपात का जो नख है, इसको हम को जड़ से समाप्त करना होगा। उसकी वजह से सारी प्राग्रेस चौपट हो रही है। देहातों में ब्यूरोक्रेसी तक में कास्टज्म प्रवेश कर गई है। कभी कभी विकास योजनायें इस कारण रुक जाती है कि यह फार्वर्ड लोगों का गाव है या बैकवर्ड लोगों का गांव है और इससे किसको फायदा होने वाला है। बिहार में इस तरह की खास तौर से बातें होती है। इसको खत्म किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिए जो जातपात में विश्वास न करते हो। डाक्टर अम्बेडकर ने कहा था : वर्गविहीन समाज की स्थापना किये बगैर स्वराज का कोई महत्व नहीं है। आज हम सारी परिकल्पना को भूल रहे हैं और हम देख रहें हैं कि जात के नाम पर, बैकवर्ड और फार्वर्ड का नारा दे कर वोट दिए और लिए जाते हैं। इससे देश नहीं चलेगा। बापू जी के असनुार उसूल और सिद्धान्त के आधार पर ही देश चल सकता है। चूंकि हम इस आधार पर नहीं चल रहे हैं इसलिए हमारी तरक्की नहीं हो पाई है। इस ओर आपका विशेष ध्यान जाना चाहिए।

बांडिड लेबर की बात भी आती है कभी-कभी सरकार स्टेटमेंट दे देती है कि इस देश में बांडिड लेबर नहीं है। लेकिन जब यहां सवाल पूछा जाता है तो लाखों की संख्या में बांडिड लेबर की संख्या बता दी जाती है। श्रम मंत्री ने इसी सैशन में बताया था कि 1 लाख 61 हजार 459 व्यक्ति अभी भी बांडिड लेबर के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि 1 लाख 19 हजार 65 व्यक्तियों को रिहैबिलिटैट कर दिया गया है। अब उसका स्वरूप क्या है, वह मैं नहीं

जानता हूं। लेकिन गांवों में बांडिड लेबर एक रेलेटिव टर्म बन गई है। यह मंजूर है कि इस में अधिकांश हरिजन हैं लेकिन फार्वर्ड भी है, वे भी है जिनके पास जमीन नहीं है या जो कमजोर वर्ग के हैं। उनकी आबादी 43 परसेंट है। उनकी स्थिति देखिये। उनके लिए भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उनके रहने के लिए घर का इंतजाम होना चाहिये। हालांकि भारत सरकार ने इंस्ट्रक्शन्स भेजे हैं और हमारी कांस्टीट्एंसी में 22 क्लस्टर प्रोग्राम चल रहे हैं और एन० आर० ई० पी० प्रोग्राम के जरिये वहां के अधिकारियों ने कहा कि जितना अलाटमेंट आता है उसमें से 25 परसेंट रख लेंगे एसे लोगो के लिए जिनके मकान पुराने थे खपरैल के, खासकर खेतिहर मजदूरों के ऐसे मकनों पर खपरैल डलवा कर उनको रहने लायक बनाकर देंगे। ऐसा प्रोग्राम गया में चल रहा है। मेरी मांग है कि ऐसा प्रोग्राम हर जगह चलना चाहिए।

1975 में जब 20 सूत्री कार्यक्रम लागू हुआ था तो लैंड रिफार्म को एक आन्दोलन का रूप दिया गया। मैं नवादा जिले के 20 सूत्री कार्यक्रम का अध्यक्ष था और मैंने वहां पर हजारों एकड़ जमीन भूमिहीनों को बांटी। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आयी उन्होंने उन गरीब हरिजनों की जमीनें छीन लीं। इसलिये गृह मंत्रालय इंस्ट्रक्शन्स भेजे कि हमने जिनको जमीन दी थी और जनता सरकार के समय छीन ली गई, वह जमीनें उनको फिर से वापस दी जाय। यह कार्य एक आन्दोलन के रूप में चलायें।

आज हरिजनों में ऐजूकेटड अनऐम्पालायड बच्चों को देखकर उन में शिक्षा के प्रति रुझान काम हो रहा है। बी० ए०, एम० ए० पास लड़कों को अखबार देखने को नहीं मिलता गांवों में और वह बेकार बैठे हुए हैं। नतीजा यह हो रहा है कि ऐग्रीकल्चर लेबर का लड़का उनको देख कर खेत में काम करना पसन्द करता है बजाय पढ़ने के। इससे इरोजन आफ एजूकेशन हो गया है अमंग दी हरिजन। इसलिए आप गारन्टी फौर जौब की योजना चलाये। जमीन आप दें या न दें, लेकिन गारन्टी फौर जौब आपके हाथ में है। आप एक सर्कुलर भेजिये कि 7वीं व 10वी तक जो बच्चे पढ़े हैं उनको नौकरी दे दी जाय। इससे हर घर में स्वतः सोशलिज्म चला जाएगा। इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् पिछले दिनों से यह सभा गृह मन्त्रालय की अनुदान सम्बन्धी मांग पर चर्चा करती रही है। श्रीमन हम सभी यह जानते हैं कि गृह मन्त्रालय सभी मन्त्रालयों की धुरी है और इसके सफलता-पूर्वक कार्यकरण में ही देश की सभी परिस्थितियां प्रतिविदित होती है।

जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति तथा उत्तर पूर्व राज्यों, असम तथा पंजाब की स्थिति का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि इस देश में अस्थिरता लाने की जो प्रक्रिया 1977 में शुरू हुई थी, उस पर इस दौरान रोक लगाई जा सकती थी। यह हो सकता है कि यह इस पक्ष और उस पक्ष सभी की ओर से संतोषजनक नहीं है। लेकिन फिर भी नाम सरकार का होता है। सरकार ने इस समस्या को हव्य करने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से सफलतापूर्वक प्रयास किया है। अतः इस प्रक्रिया में बहुत सी बातें हैं और उनमें से बहुत सी बातों को माननीय तथा सभी लोगों

को एक साथ लेकर चलने वक्ताओं यहां बता दिया है। इस लिए मैं उन बातों के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता।

श्रीमन् अब एक मौलिक सिद्धांत की बात उठ रही है और व सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वियन के सम्बन्ध में है इसके लिए सरकार के पास क्या तंत्र है। हम सभी चुनाव घोषणाओं के आधार पर चुने गये हैं। जनता ने हमें आदेश दिया है। हम आते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार इस आदेश को कार्यान्वित करना राजनैतिक नेताओं की जिम्मेदारी है। लेकिन प्रश्न यह है कि राजनैतिक नेता इसे किस प्रकार कार्यान्वित करते हैं। यदि कर्मचारी सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सरकार को सहयोग देते हैं तो सरकार सफल है। यदि वे सरकार को सहयोग नहीं करते हैं तो इसमें सफलता प्राप्त करना सरकार के लिए बहुत कठिन होता है। अतः इन परिस्थितियों में, मैं इस सम्माननीय सभा में यह कहना चाहूंगा की हमने पिछले दिनों में यह देखा है कि नौकरशाही, अफसरशाही में ऊपर से नीचे तक यह भावना है कि एक बार सरकार में आने के बाद उसका रोजगार सुरक्षित है और वह यह सोचता है कि मेरी नौकरी सुरक्षित है। चाहे मैं कुछ कर रहा हूं या नहीं, चाहे मैं सरकारी नीतियों का कार्यान्वियन कर रहा हूं या नहीं चाहे मैं सरकारी नीतियों को विफल कर रहा हूं यह जो भी हो रहा है इसकी कोई बात नहीं है। मेरा रोजगार सुरक्षित है और मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यह भावना बहुत से सरकारी कर्मचारियों में पैदा हो गयी है। दूसरा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह यह है कि सरकारी कार्यकरण के लिए हमारी सरकारी मशीनरी है। सचिव से लेकर निम्नतम स्तर तक अधिकारी होते हैं और इन सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ मिलते हैं। जो दूसरों को मिल रहे हैं आप यह कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा मिल रहा है लेकिन यदि आप उनके रोजगार की किस्म को तथा उन जिम्मेदारियों को देखें जिन्हें वे निभा रहे हैं मैं यह कह सकता हूं कि इसको पूर्णरूप से बदलने की आवश्यकता है क्योंकि उनके अंग्रेजी राज्य में जितना वेतन मिला करता था आपने उतनी ही सीमा सचिवों तथा अन्यों के लिए रखी है। अतः लालच देने के लिए पर्याप्त अवसर है इसलिए हम उन्हें दो तरीकों से नियंत्रण में ला सकते हैं। एक तरीका उन्हें नियंत्रण करने तथा यह देखने का है कि वे सरकारी नीतियों का कार्यान्वियन कर रहे हैं और दूसरा यह है कि हमें यह देखना होगा कि उन्हें ठीक प्रकार से वेतन दिया जाता है जिससे वे बाहर से घूस लेने का लालच न कर सकें। इन बातों पर सरकार को अवश्य विचार करना चाहिए। अन्यथा एक ऐसा समय आयेगा जब हम यहां बैठे जो कह रहे हैं, उसके बारे में हमसे ही पूछ-ताछ होगी और हम देश के किए कुछ नहीं कर सकेंगे। अतः हमें यह देखना चाहिए कि जिस तंत्र से हमें नीतियों को कार्यान्वित करना है और देश के लाखों लोगों का भाग्य बदलना है। उसे गतिशील करना चाहिए। उन्हें ठीक प्रकार से देखा जाना चाहिए और उन्हें उचित निगरानी में रखा जाना चाहिए जिससे वे सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर सकें।

गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन बहुत सी मदें आती हैं। उन पर अलग-अलग विचार करने में बहुत समय लगता है लेकिन मैं अपने को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों संघ राज्य क्षेत्रों तक ही समिति रखूंगा। गृह मन्त्रालय संघ राज्य क्षेत्रों में एक अच्छी सरकार उपलब्ध करने के लिए

जिम्मेदार है। संघ राज्य क्षेत्रों हैं अंदमान निकोबार द्वीप समूह लक्ष द्वीप, दादरा और नागर हवेली, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तथा पांडिचेरी, । ये संघ राज्य क्षेत्र हैं6 बजे म० प० और इन क्षेत्रों में एक जैसी प्रशासनिक प्रणाली नही है। यदि आप उत्तर पूर्व राज्य में अरुणाचल प्रदेश में जायें तो आप यह देखेंगे कि उनका विधान मंडल है यह वह संघ राज्य क्षेत्र है जहां विधान मंडल हैं।

यदि आप पांडिचेरी जायें तो आप देखेंगे कि वहां भी 'विधानमंडल' है यदि आप मिजोरम में जायें, वहां भी विधानमंडल है यदि आप दिल्ली को देखें, तो यहां महानगर परिषद् है जिसकी अपनी पद्धति है। यदि आप अंदमान और निकोबार द्वीप समूह जाते हैं तो आपको यह पता लगेगा कि वहां प्रदेश परिषद है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना भाषण समाप्त करना चाहेंगे या कल जारी रखना चाहेंगे ?

श्री मनोरंजन भक्त : मैं कल जारी रखूंगा।

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार 29 मार्च, 1984/9 चैत्र 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई